छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **तृतीय सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024

(श्रावण 04, शक सम्वत् 1946)

[अंक 05]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024

(श्रावण 04, शक सम्वत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

निधन का उल्लेख

श्री विजय सिंह

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री विजय सिंह जी का दिनांक 17 जुलाई, 2024 को निधन हो गया है।

श्री विजय सिंह का जन्म ग्राम-बेलवहरा, जिला-सरगुजा में हुआ था। वे प्रारंभ से ही राजनीति में सक्रिय रहे। वे ग्राम पंचायत कठौतिया के पंच एवं सरपंच तथा जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन् 1980 तथा द्वितीय बार 1985 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी कृषि, समाज सेवा तथा सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि थी। वे विशेषकर पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुख की बात है कि हमारे पूर्व साथी विजय सिंह जी का निधन हुआ। पिछली बार मैं गया था, तो उनसे मुलाकात हुई थी। आज भी अपने जिले कोरिया, मनेन्द्रगढ़ के हित के बारे में चिन्तित रहते थे। वे मेरे साथ 1980 में और 1985 में विधायक रहे। हम लोग उनके साथ काम किए हैं और उनकी सहजता, सरलता और विनम्रता जो कि विशेष करके आदिवासियों का गुण है, वह उनमें कूट-कूटकर भरी थी। उनके जाने से मनेन्द्रगढ़ में हमारे राजनीतिक परिवार को, उनके स्वयं के परिवार को क्षति हुई है। उनके जैसे व्यक्ति समाज में आते रहें, यह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की और उनको जो कष्ट हो रहा है, उनके घर परिवार में एक तो आर्थिक कष्ट भी है और अनेक तरह की कठिनाइयॉ वे झेल रहे हैं, जिसकी खैर हम लोग व्यवस्था करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरण में उनको स्थान दें और उनको चिरशॉंति प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उप मुख्य मंत्री (श्री अरुण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। वे 17 जुलाई, 2024 को इस दुनिया को छोड़कर चले गये। समाज के बहुत ही नीचे पायदान से चलकर विधान सभा तक पहुँचे थे। पंच से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत की। पंच रहे, सरपंच रहे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे और लगातार उन्होंने गांव, गरीब और किसान के लिए काम किया है। मैं अपने दल के विधायकों की ओर से, अपनी ओर से उनके निधन पर संवेदना और दुख व्यक्त करता हूं, विनम्र श्रद्धॉजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री विजय सिंह जी के साथ काम करने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ है परंतु जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। एक आदमी ग्रास रूट से उभरकर शीर्ष सार्वजनिक जीवन के शीर्ष पदों पर पहुंचा। यह बात हम सब के लिए एक मिसाल हो सकती है कि एक ग्रास रूट का आदमी कैसे जीवन की ऊंचाइयों पर और सात्विक जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और अपने जीवन में जनता की सेवा प्रमाणिकता के साथ करता है। आज के सार्वजनिक जीवन में इस तरह के संघर्ष से ऊपर आने वाले लोग कम हैं। मैं उनके प्रति विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक दु:खद समाचार और प्राप्त हुआ है। वह मध्यप्रदेश के भा.ज.पा. के अध्यक्ष और सांसद रहे। आपके साथ भी सांसद रहे होंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों के साथ संगठन का लंबे समय तक काम किया। ऐसे संगठन शिल्पी, श्री प्रभात झा जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यह एक संयोग ही है कि आज हम दोबारा सदन में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस बीच एक दु:खद समाचार आया। वह भी सात्विक जीवन के एक बड़े हस्ताक्षर थे। मैं उनके प्रति भी विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का आग्रह करूंगा। मुझे यह बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आप उसको देख लेंगे। आज सदन के आखिरी दिन विजय सिंह जी का निधन का उल्लेख होना। यह सदन शुरू होने के बाद की घटना है या आज की घटना है, यह जानकारी आनी चाहिए। क्योंकि यदि यह पहले की घटना है, तो यह प्रशासनिक तौर पर गंभीर त्रुटि है। आसंदी से आग्रह है कि इस बात के प्रति ध्यान दें। एक सात्विक जीवन के लोगों के अवसान होते हैं। यदि यह सदन चलते हुए हुआ है और उसकी जानकारी नहीं दी गयी है, तो यह एक गंभीर घटना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसमें जरूर संज्ञान लीजिए या आपकी ओर से इसमें शासन पक्ष को संज्ञान लेने के निर्देश आने चाहिए।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने देखा कि 17 जुलाई को उनका निधन हो चुका है। इसके पहले भी हम यहां पर कई साथियों को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रशासन की ओर से यह बहुत बड़ी त्रुटि है। जैसा कि यहां नियम है कि जब तक

कलेक्टर जी की सूचना नहीं आती, तब तक यहां निधन का उल्लेख नहीं होता। जिस दिन यहां सूची आयी, उनको बताया गया कि आपके यहां एक विधायक जी का निधन हो गया है, उसके बाद उन्होंने इस बारे में जानकारी ली है। जहां तक कलेक्टर के माध्यम से कोई गलत काम हो रहा है, तो माना जाएगा कि वह प्रशासनिक चूक है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चूक को ठीक करने के निर्देश देंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपकी और सदन की भावना है कि आज हम सब के लिए एक बड़ा दु:खद क्षण है कि स्वर्गीय विजय सिंह जी ने हमारे ट्राईबल समाज से, बहुत ही दूर-सुदूर अंचल से चलकर अपनी राजनीति की शुरूआत की। उन्होंने एक गांव से उठकर प्रदेश में अपना स्थान बनाया। वह संयुक्त मध्यप्रदेश में 1980 और 1985 में दो बार लगातार विधायक चुने गये। उस समय संयुक्त कोरिया जिला था और वह सरगुजा का ही हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने उस समय वहां से प्रतिनिधित्व किया। वह बहुत ही सहज, सरल, मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही दिखाई देते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उनमें सादगी भी थी। मैं समझता हूं कि चाहे वह किसी भी दल से जुड़े हो, जब कभी-भी हम सरगुजा से जाते थे तो अक्सर साथ में आना जाना होता था। जैसे कि पिछले दिनों 17 जुलाई को उनका निधन हुआ। उनके निधन का समाचार सही समय पर नहीं आने से हम लोग समय पर उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाये। मैं इन सब को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ एक तरह से हम सब के शुरूआती राजनीति का दौर था । जब हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहा करते थे तो वहां हम लोगों ने उनकी जीवन शैली के साथ काम करने का जो तरीका देखा। ऐसे लोग लम्बे समय तक संगठन से जुड़कर, फिर राज्य सभा तक पहुंचे। वह मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और वे प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने मध्य प्रदेश के हर जिले की कार्ययोजना बनाकर दौरा किया। आज ऐसे व्यक्तित्व, वह हमारे एक तरह से राजनीतिक गुरू ही थे। आज उनके निधन का समाचार सुनकर, निश्चित ही हम सब दु:खी हैं और हम इस दु:ख की बेला में भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि मृतकों के परिवारजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय सिंह जी का जन्म अविभाजित सरगुजा जिले के बेलबहरा गांव में हुआ था। वह पंच, सरपंच जनपद अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने विधायक तक का सफर तय किया। मैंने जीवन में पहली बार विधायक के रूप में उनको ही देखा था। यह उन दिनों की बात है जब वर्ष 1986 में मैं मीडिल स्कूल में पढ़ता था। उस समय एक राजदूत गाड़ी, बाईक आती थी और उसकी बड़ी से डिक्की होती थी, उसमें बड़े अक्षरों में लिखा रहता था विधायक। आज भी मुझे वह फोटो दिखती है। उन्होंने कई जगह पैदल-पैदल जाकर, उस समय गांवों में सड़कें नहीं हुआ करती थी। वे इस प्रकार से जनता की चिंता करते थे। ऐसे स्वर्गीय विजय सिंह जी दो बार विधायक रहने के बाद भी, कई बार समाचार पत्रों और टी.व्ही. में भी

आता था। वह हल चलाते हुए, खेतों में काम करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह सादगीपूर्ण जीवन जीया। मैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य सभा सांसद स्वर्गीय प्रभाव झा जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

समय
11.13 बजे **अध्यक्षीय व्यवस्था**

अध्यक्ष महोदय :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि माननीय सांसद और विधायकों के निधन की सूचना तत्काल कलेक्टर विधान सभा के सचिवालय को सूचित करें। मगर देखा यह जा रहा है कि अत्यन्त विलंब से यह जानकारी विधान सभा सचिवालय को भेजी जा रही है। यह प्रदेश की स्थिति है और यह आपत्तिजनक है, अनुचित है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें और आवश्यक निर्देश जारी करें, यह उचित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में शासन के डिप्टी सी.एम. साहब हैं, वे इस विषय में कोई वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय प्रभात झा के निधन का भी उल्लेख हुआ, मगर जब आकस्मिक रूप से कोई जानकारी तात्कालीक प्राप्त होती है तो उसका इस सदन में उल्लेख करना उचित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मैं सदन की तरफ से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन कुछ देर के लिए मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

(11.15 से 11.22 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय
11.22 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला सुकमा में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रके भवन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 852) श्री कवासी लखमा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सुकमा में सार्वजनिक वितरण (खाद्यान्न) प्रणाली के कितने केंद्र संचालित हैं? विकासखंडवार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के सभी केन्द्रों में स्वयं के खाद्यान्न गोदाम हैं? **(ग)** भवन-विहीन कितने केंद्र हैं? विकासखण्डवार नाम सहित जानकारी देवें? **(घ)** भवन-विहीन खाद्यान्न वितरण केन्द्रों का खाद्यान्न भंडारण कहां-कहां, कौन-कौन से भवन में किया जाता है? केन्द्रवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकासखंड सुकमा में 48, छिंदगढ़ में 73 एवं कोटा में 70 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है ।**(ख)** जी नही, जिले में संचालित 191 उचित मूल्य दुकानों में से 175 दुकानों में स्वयं के खाद्यान्न गोदाम उपलब्ध है। **(ग)** 16 उचित मूल्य दुकानें भवन विहीन है। विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र**[1] **अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।**

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रश्न किया था कि सुकमा जिले में पी.डी.एस. की कितनी दुकानें संचालित हैं, उसकी पूरी जानकारी माननीय मंत्री जी ने दी है। लेकिन कुछ जगह में पी.डी.एस. की दुकानें किराये पर चल रही हैं। किराये में चलने वाली दुकानों को सरकार किराये का कितना रेट देती है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले में 191 उचित मूल्य की दुकान हैं जिसमें 175 उचित मूल्य की दुकानों में भवन हैं। 16 उचित मूल्य की दुकानें भवन विहीन हैं जो अभी किराये पर चल रही हैं। इसमें भी अभी वहां पर 8 भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत है, 03 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 05 भवनों में निर्माण कार्य जारी है। 08 भवन अपूर्ण हैं, वह किराये पर चल रहे हैं। अभी तो 16 के 16 उचित मूल्य की दुकानें किरायें पर चल रही हैं। इसमें सुकमा/ग्रामीण कासरगुडा ग्राम पंचायत कुर्रा में स्कूल भवन में संचालित है। माननीय सदस्य ने किराये की बात की है। इसमें किराये का दिया हुआ है। हरिबंधु सेठिया, वार्ड क्रमाक 01, सुकमा जिला सुकमा में 500 रुपये महीना किराया है। इसी प्रकार यहां पर किराया ज्यादा है। जय मां संतोषी महिला स्व-सहायता समूह वार्ड क्रमांक 07 चन्द्रशेखर सर्वे का किराया 4 हजार रुपये महीना है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अलग-अलग किराया है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, कासरगुड़ा, बिरसठपाल में स्कूल में, पंचायत भवन में पी.डी.एस. दुकान चल रही है, आप यह बतायें कि फिर पंचायत भवन कहां चलेगा, स्कूल कहां चल रही है? अगर वहां सोसायटी चल रही है तो फिर स्कूल किसमें चल रही है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल में नहीं अतिरिक्त शाला भवन में चल रहा है।

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न लगने के बाद सुकमा जिला में कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद कितने दुकानों को इधर-उधर इस दुकान से उस दुकान में शिफ्टिंग किया गया है? माननीय मंत्री जी, यह आपकी जानकारी में है तो आप कृपया बताईये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही प्रश्न लगा, उसके बाद चिल्ताननार के उचित मूल्य की दुकान को नक्सालाईट क्षेत्र पोखरा में ले गये और दामाकोंटा के दुकान को रामाराम में ले गये। रामाराम गांव का सोसायटी ऑलरेडी चिल्तननार में चल रहा है, जहां सोसायटी ऑलरेडी दामाकोंटा में चल रहा था, उसको रामाराम गांव में कर दिये हैं। वहां जाने का रास्ता नहीं है। उसी प्रकार आपका स्वयं प्रत्याशी ने गगनपल्ली में रोड बने गये, वहां की सोयायटी को एर्राबोर ले गये। जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे ऐसा शिकायत तो नहीं मिला है। अगर माननीय विधायक जी मुझे बता देंगे तो मैं उसको दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप बता दीजिये, वह जानकारी ले लेंगे।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि ढाबाकुंटा, गगनपल्ली में सोयायटी है। जगरगुण्डा पुराना गांव है, वहां थाना, उप तहसील कार्यालय है, वहां के सोसायटी को तार्रागुड़ा ले गये। तार्रागुड़ा एक छोटा-सा गांव है। वहां क्या नक्सलाईट को चावल देने के सोयायटी को ले गये हैं? जहां थाना है, कैम्प है, वहां को छोड़कर तार्रागुड़ा ले गये हैं। वहां केवल 20 घर है, वहां सोसायटी को ले जाने की क्या जरूरत है? जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यह प्रश्न जो पूछ रहे हैं, वह इस प्रश्न में नहीं है। वैसे तो यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आपका जो भी प्रश्न है, वह आप लिखकर दे दीजिये, उसको मैं दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, मंत्री जी यह बोल रहे हैं कि आप तथ्य दे देंगे तो वह जानकारी ले लेंगे।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा में यह प्रश्न आया, उसके बाद यह पूरा समाचार-पत्र में छपा है। जहां ढाबाकुंटा में बस चल रहा है, वहां रोड है, वहां की सोसायटी को रामाराम गांव ले जाने की जरूरत क्या है? यदि मैं लिखकर दूंगा तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, वहां पर हमेशा यह होता है कि इस समय लगातार विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद लगातार चावल में कटौती हो रही है, हेरा-फेरी हो रहा है, चावल नहीं पहुंच रहा है,

गुण नहीं पहुंच रहा है। अधिकारी रोड की सोसायटी को गांव में ले जाने का काम कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आप जांच करके ऐसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ने कहा है कि आप लिखकर दे देंगे, वह कार्रवाई कर लेंगे।

श्री कवासी लखमा :- मंत्री जी, आप थोड़ा बोल दीजिये न कि यदि मैं लिखकर दूंगा तो आप कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मेरा लिखकर देने का क्या मतलब है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले मंत्री जी को लिखकर देंगे। आप अपना दस्तखत तो बनाकर देते ही है। आप अपना दस्तखत बनाकर देंगे तो वे कार्रवाई करेंगे। श्री रामकुमार टोप्पो।

श्री अनुज शर्मा :- दादी, लिखना भी पड़ेगा न।

श्री कवासी लखमा :- लिखेंगे न।

श्री रामकुमार यादव :- ओकर ज्ञान अतका तुमन नइ जानव। तुमन भोरहा मा मत रइहा।

अध्यक्ष महोदय :- वह लिखकर देंगे। वह सहमत हैं। वह लिखकर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

<u>सरगुजा संभाग में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 961) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा संभाग में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों की संख्या कितनी है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या सभी को नवीन राशन कार्ड का वितरण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में 3,26,117 अन्त्योदय, 8,42,165 प्राथमिकता, 3964 एकल निराश्रित, 1170 निःशक्तजन एवं 1,03,188 सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड प्रचलित हैं। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, नवीनीकृत राशनकार्डों में से वितरण हेतु शेष राशनकार्डों के वितरण का कार्य 31 जुलाई, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से सरगुजा संभाग में राशनकार्ड से संबंधित जानकारी चाही थी, जिसमें प्रश्नांक "ख" के संदर्भ में जवाब आया है कि इसी महीने के 31 तारीख तक नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण पूर्ण किया जाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह भी

[2] परिशिष्ट "दो"

अवगत कराना चाहूंगा कि संभाग के सभी जनपद मुख्यालयों में राशनकार्ड के नये मांग हेतु सैकड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं। यह केवल एक या दो महीने के मामले लंबित नहीं हैं, ये एक-एक साल तक का मामले लंबित हैं तो क्या इनको पात्रता के आधार पर शीघ्र समय पर राशनकार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राशनकार्ड वितरण के संबंध में है और इस प्रश्न में माननीय विधायक जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमने शिविर लगाकर राशनकार्ड वितरतण करने का निर्णय लिया है और विधायक जी नया राशनकार्ड बनाने का बोल रहे हैं तो आवेदन की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है । जो 15 अगस्त तक आवेदन लगायेंगे उसका कार्ड बन जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, 15 अगस्त तक आवेदन लगा सकते हैं ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज है कि यह पता चलता है कि कुछ कर्मचारी क्षेत्र में राशन कॉर्ड को लेकर 2000-2000 रूपये की मांग करते हैं । जो पैसा देता है उसकी जल्दी कार्यवाही हो जाती है और जो नहीं देता है या सक्षम नहीं होता है । (शेम-शेम की आवाज) चूंकि यह मामला अभी का नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- 2000 रूपये में सांय-सांय ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत पहले से चला आ रहा है और जो पहुंच नहीं पा रहा है उसका राशनकॉर्ड महीने-महीने तक दब जा रहा है तो क्या आप इस पर कोई कठोर कदम उठायेंगे कि ऐसी कार्यवाही न हो?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे पास शिकायत नहीं आ रही है । यदि विधायक जी बता देते हैं तो हम उसको दिखवा लेंगे और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं । मैंने इसीलिये तो बोला है कि हम कलेक्टर को निर्देश देंगे कि शिविर लगाकर उसमें आप लोग भी उपस्थित रहकर कॉर्ड वितरण कराईये । मैंने विधायकों से यही आग्रह किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सवाल है कि जैसे ग्राम पंचायत से नये राशनकॉर्ड की मांग जनपद में जाती है तो इसमें जो रिजेक्ट होते हैं या पात्र होते हैं उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं मिलने के कारण से जो हितग्राही होता है उसको यह लगता है कि लंबे समय तक कि मेरा नहीं बन रहा है तो ऐसी कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके रिजेक्शन की भी जानकारी ग्राम पंचायत तक जाये ताकि सब पात्रता के आधार पर एक निश्चित हो जाये ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे आवेदन का निरस्त होने का सवाल नहीं उठता और यदि आवेदन में सही-सही जानकारी देते हैं तो वह निरस्त नहीं होता है । अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसको बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका कहना है कि अपात्रों को जानकारी नहीं मिल पाती । जो अपात्र हैं उनको जानकारी मिल जानी चाहिए । उनका इतना ही प्रश्न है ।

श्री दयालदास बघेल :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । ठीक है । श्रीमती अनिला भेंड़िया जी ।

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को गरम भोजन प्रदाय योजना बंद किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

3. (*क्र. 946) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्यां पूर्व शासन काल में गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को गरम भोजन दिया जा रहा था एवं उनका नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण किया जा रहा था? क्याय उक्त योजना बंद कर दी गई है? (ख) यदि हां, तो कब से बंद की गई है तथा बंद करने के क्या कारण है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हाँ। गर्भवती माताओं का नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण कराया जा रहा है। जी नहीं, हितग्राहियों की साम्यता को दृष्टिगत रखते हुये महतारी जतन योजना को छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 4101/1157/2022/50 दिनांक 16.11.2022 द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में समाहित किया गया था। (ख) जी नहीं, योजना बंद नहीं की गई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाही थी कि गर्भवती महिलाओं को सुपोषण अभियान के तहत् जो गरम भोजन मिलता था वह क्यों बंद हुआ तो उन्होंने इसका उत्तर दिया है कि इस योजना में बाकी योजनाओं को समाहित किया गया है और योजना बंद नहीं की गयी है । लेकिन मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन-कौन सी योजना है जिसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में सम्मिलित किया गया था और क्यों यह योजना बंद कर दी गयी है अर्थात् गरम भोजन क्यों बंद कर दिया गया ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदया जी को यह बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि महतारी जतन योजना चूंकि आप जब छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे

थे तो गर्भवती महिलाओं को गरम भोजन दिया जा रहा था लेकिन कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत् इसमें गर्भवती महिलाओं को भी, 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को भी और 15 वर्ष से 49 वर्ष की एनीमिया महिलाओं को भी सुपोषण योजना के तहत् गरम भोजन का प्रावधान रखा गया था । लेकिन शासन की गाईडलाईन के अनुसार मैं माननीय विधायक महोदया को यह बताना चाहूंगी कि यह योजना बंद नहीं हुई है, यह योजना चल ही रही है लेकिन गाईडलाईन के अनुसार जिले में जो डी.एम.एफ. मद होता है, सी.एस.आर. मद होता है और जनसहयोग से जहां-जहां की डिमांड आ रही है वहां-वहां दिया जा रहा है । वैसे अभी 4 जिलों में दिया जा रहा है और महासमुंद का भी आया है, वह चल रहा है वहां भी दिया जायेगा ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि अभी दिया जा रहा है । अभी यहां 90 विधानसभा के सदस्य बैठे हैं, आप सभी से पूछ लीजिये कि कहीं पर गरम भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुपोषण छत्तीसगढ़ बनाने की ओर इस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को चालू किया था, तब बजट में 160 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा था और आपकी सरकार आने के बाद उसमें 25 करोड़ रूपये का बजट रखा । यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मंत्री महोदया जवाब देंगी, आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने हमारे मुख्यमंत्री कहा तो आपके मुख्यमंत्री कौन हैं? ये बताइए ना।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- भूपेश बघेल जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री बोलिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ठीक है न। हमारे हैं न, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बोली। हम लोग दिल से बोलते हैं। आप लोगों के जैसे बनावटी नहीं बोलते। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आप तो विष्णु सरकार को मानते ही नहीं हो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही जानकारी देना चाहती हूं कि हम लोगों के समय इसमें कमी आई थी। महिला मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई थी। वर्ष 2022-23 में 149 से 137 आ गई थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो गर्म भोजन अभियान था। एनिमिक महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को, जीरो से तीन वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके के लिए गर्म भोजन का प्रावधान था, उसको तत्काल चालू करे, नहीं तो फिर से हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण की ओर जाएगा और इस सुपोषण अभियान को चालू करें, इसलिए आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज जीरो से तीन वर्ष के बच्चे के लिए भी कोई प्रावधान इस सरकार में नहीं रखे हैं। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इसको फिर से चालू

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करेंगे क्या? ये जीरो से तीन वर्ष बच्चे और एनिमिक महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं के लिए फिर से गर्म भोजन चालू करेंगे क्या?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक महोदय जी को बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, हमारे सम्माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन में हमने अभी तक जो काम किया है चाहे वह बच्चों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे अन्य किसी युवा किसान सभी के लिए आए दिन लगातार एक से एक योजनाएं बनायी जा रही हैं और इसमें माननीय विधायक महोदय जी का कहना है कि कुपोषण में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय विधायक महोदय जी को कहना चाहूंगी कि इन छह महीने के कार्यकाल के समय में 12 प्रतिशत कुपोषित दर घटी हई है। आपको अवगत कराना चाहूंगी। कुपोषण में कमी आई है। आप पूरी डिटेल निकलवा लीजिएगा और यहां पर अधिकारी भी बैठे हुए हैं। आप सब को एक-एक जानकारी दे देंगे और आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर जहां-जहां ऐसी व्यवस्था बनती है या डिमांड आती है तो उस दिशा में सुधार के लिए हम काम करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप न रेडी टू इट वितरण करा सक रहे हैं, न गर्म भोजन करा सक रहे हैं, न कोई सर्वे हुआ है, न कोई वजन त्यौहार हुआ है और कहां से आपको कुपोषण दर में कमी मिल गयी है? ये हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चला तब कुपोषण में 17 प्रतिशत, 18 प्रतिशत लगभग कमी आई थी। ये आपके मुख्यमंत्री के सुशासन में, आपकी सरकार के सुशासन में अब ये जो कमी आई है वो बढ़ती नज़र आएगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोषणा कर दें कि ये तत्काल गर्म भोजन चालू कराएंगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेता प्रतिपक्ष जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जीरो से 3 वर्ष तक..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, वह तो आपकी रूचि का विभाग है क्या?

डॉ. चरणदास महंत :- इसीलिए बोल रहा हूं। इसलिए मैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को बड़ी रूचि से सुन रहा था और मैं बुज़ुर्ग के नाते उन्हें सलाह देना चाहता हूं। वे अभी-अभी विधायक बनी हैं। ये पुरानी विधायक हैं और इस विभाग की मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके माध्यम से मैं सभी को सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनके प्रति सम्मान उनके पूर्व पद के नाम के साथ बात करें। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने उनको चार बार विधायक कहा । मुझे इस बात की तकलीफ है और जीरो से छह महीने के बालक की जहां बात हो रही है तो जीरो से छह महीने के बालक को अगर पोषण नहीं देंगे तो काहे का सुशासन है साहब? कोई प्रावधान नहीं है, चाहे इंद्र भगवान का सुशासन हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो, जब जीरो से छह महीने के बच्चे के लिए कुछ नहीं है तो काहे

का सुशासन। जीरो से 3 साल वाले के लिए। मैं चाहूंगा कि आपको निर्देशित करना चाहिए कि कम से कम किसी के लिए कुछ करें या ना करें, जीरो से 3 साल के बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर दें। ये मेरा निवेदन है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी बोल लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि सुपोषण अभियान बंद नहीं हुआ है । मैं बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल से तीन महीने हो गए हैं, आज तक सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन नहीं मिला है । नियम तो यह है कि गर्भवती महिला पंजीयन कराती है तो तीसरे महीने से लेकर डिलवरी तक और डिलवरी के बाद 6 महीने तक बच्चे को और उसकी मां को गर्म भोजन दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- वह सबको मालूम है, आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस योजना को कब शुरू किया जाएगा ? अभी आपने उत्तर दिया कि कुपोषण का सर्वे हुआ है, अगर सर्वे हुआ है तो कब हुआ है ? इसके साथ ही आज की मुख्य समस्या यह है कि यदि हमारे यहां कुपोषित बच्चे हैं तो उनका वजन करने के लिए आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी जाती हैं तो अपने बच्चों को भेजने से मना कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- भाषण मत दीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- प्रश्न यह है कि यह सुपोषण योजना कब से शुरू होगी ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बातों से माननीय पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को ठेस पहुंची होगी तो मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि यह योजना बंद नहीं हुई है, यह योजना चल रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे यहां कम्प्लीट बंद है ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- यह योजना चल रही है और आने वाले समय में शासन की गाइडलाईन के अनुसार इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जिले के डी.एम.एफ. मद, सी.एस.आर. मद और जन सहयोग, जन भागीदारी से चल रही है । इन चार चीजों से हो रही है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, कोई गाइडलाईन नहीं है । यह केन्द्र शासन की योजना है, राज्य शासन की योजना है, इसमें गाइडलाईन, सी.एस.आर. मद और जन-सहयोग, यह कहां से आपकी गाइडलाईन में आएगा ? यह तो जन भावना की बात है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह तो आपके शासन की योजना है तो फिर इसको जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने इसको जारी किया था । पूर्ववर्ती सरकार ने आपको पूरे पांच साल सुपोषण

योजना दिया है । पूरी जनता जानती है तो इस बार क्यों लेट कर रहे हैं आप नहीं दे रहे हैं ? यह राज्य शासन का है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि परसेंटेज में कमी आई है अधिकारियों से बात कर लें । सबसे पहली बात तो आपत्ति इसी बात की है कि सदन चल रहा है हम मंत्रियों से जवाब लेंगे, अधिकारियों से नहीं लेंगे । दूसरी बात यह है माननीय पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार से बताया कि बजट में कटौती कर दी । कहीं संचालित नहीं हो रहा है । विभाग के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है । चूंकि छत्तीसगढ़ के बच्चों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, महिलाओं का सवाल है । मंत्री जी का जवाब बिल्कुल असंतोषणपूर्ण है, इस उत्तर से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय
11.43 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

प्रश्न संख्या 4 XX XX

राशन दुकानों द्वारा अनाज आबंटन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (*क्र. 426) श्री अजय चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 27 फरवरी,2024 तारांकित प्रश्न 18. (क्र. 1546) के परिप्रेक्ष्य में माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का दुरूपयोग कुल कितने राशन दुकान संचालकों द्वारा किया गया? उनमें से कुल कितने संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी/नहीं करायी गयी? जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है, उसका कारण क्या है तथा आर.आर.सी. जारी किये गये उनमें से कितने संचालकों से वसूल की जा चुकी है तथा कितने बचे हैं और बचे होने का कारण क्या है? कब तक वसूल की जायेंगी? **(ख)** उक्त प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अनियमितता करने वाली दुकानों के संचालकों से वसूली किया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाना बताया गया है, वह कितने संचालकों से वसूल की गयी है तथा उन अनाजों की मूल्य कितना-कितना होता है तथा इस प्रकरण में कुल कितनी-कितनी मात्रा/मूल्यों की, कौन-कौन सी अनाज की कमी पायी गयी?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) दिनांक 27 फरवरी 2024 तारांकित प्रश्न 18 (क्र. 1546) के परिप्रेक्ष्य में माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का दुरूपयोग, दर्ज तथा आर.आर.सी. की **जानकारी संलग्न** [3] **प्रपत्र- अ** अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब एवं स** अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न तो होता नहीं । मुझे सदन में आने के बाद यह संशोधन मिला है । यानी जब मैं सदन में आ चुका था, प्रश्नकाल शुरू हो चुका था तो यह संशोधन मिला है । प्रश्न के उत्तर में तीन परिशिष्ट हैं, जिनमें से दो परिशिष्ट में परिवर्तन कर दिया गया है। चूंकि आज आखिरी दिन है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले सत्र के पहले दिन के लिए इस प्रश्न को रख लीजिए ताकि खाद्य मंत्री जी और उनके अधिकारी पूरी तैयारी कर लें, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें आपके कुछ निर्देश आ जाएं तो ।

अध्यक्ष महोदय :- निश्चित रूप से आपके प्रश्न से उद्भुत कोई नीतिगत् प्रश्न है तो पूछ लें । मैं शासन से यह कहना चाहूंगा कि प्रश्नों के संशोधन की सूचना एक दिन पूर्व विधायकगण को आवश्यक रूप से दें, विलम्ब नहीं होना चाहिए । मैं आपसे सहमत हं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो उसके लिए....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए बढ़ा दीजिए, मेरा यह अनुरोध है। इसमें विभाग और माननीय मंत्री जी को तैयारी के लिए 6 महीना मिल जाएगा।

श्री कवासी लखमा :- इसमें इतना लंबा चौड़ा की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप एक प्रश्न शुरू तो करिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन परिशिष्ट में दो परिशिष्ट को पूरा बदल दिया है और आंकड़े बदल गये हैं, मैं क्या पूछूंगा ? आप कहेंगे तो मैं पूछ दूंगा, वह अलग विषय है। लेकिन मेरा आग्रह है कि उसमें प्रश्न की मूलभूत आत्मा मेरी ओर से खत्म हो जाएगी, मैं तुरंत क्या तैयारी करूंगा ? आप इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए, यह मेरा आग्रह है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने बहिर्गमन किया था और विद्यावती जी आ गयी थीं, उपस्थित हैं, उनको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- सर एक मिनट। अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए। ऐसा हुआ है, विधान सभा में पहले भी हो चुका है। आप देखिए, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मुझे हाउस के अंदर प्रश्नकाल चलते हुए यह संशोधन मिले हैं। मैं लिफाफा भी नहीं खोला हूं और देखा तो तीन परिशिष्ट में दो में परिवर्तन है। आपसे आग्रह है कि इसको अगले सत्र के पहले दिन के लिए रख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न नहीं करना चाहेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप सहमत नहीं होंगे तो मैं प्रश्न करूंगा।

(माननीय सदस्य श्री कवासी लखमा द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट प्लीज। थोड़ा तकनीकी विषय है। नक्सली समस्या में थोड़ी चर्चा होत हे। अध्यक्ष महोदय, आप यदि सहमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी प्रश्न करूंगा लेकिन यह आपकी व्यवस्था के उपर है।

श्री कवासी लखमा :- इतना नाराज क्यों हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप रूकिए।

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी आप बैठिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मुझे प्रश्न करना है ?

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपको लगता है ...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप अगले सत्र के पहले दिन के लिए इसको स्वीकार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- इस विषय को लेकर आप अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा का रिकवेस्ट कर लीजिएगा कर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 6, भूपेश बघेल जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहिर्गमन किया था, विद्यावती जी आ गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब आगे बढ़ गये हैं। 6वें नंबर में आ गये हैं। आपका प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- जी।

श्री अजय चंद्राकर :- आप दोनों को मिलाकर पूछ लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- वह प्रश्न महिला बाल विकास का है और मेरा खाद्य विभाग का प्रश्न है, मैं दोनों मिलाकर कैसे पूछ सकता हूं।

<u>शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरण</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 963) श्री भूपेश बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरण हेतु जो व्यवस्था एवं मापदंड निर्धारित किया गया था, क्या उक्त व्यवस्था एवं मापदंड के तहत वर्तमान में हितग्राहियों को चना वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या चना वितरण बंद किया गया है? यदि हां,तो उसका कारण क्या है? **(ग)** क्या वर्तमान में राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों के लिए चना वितरण हेतु कोई नवीन योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी हां, राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा माडा क्षेत्र के समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्ड धारियों को वर्तमान हर महिने में प्रतिमाह 02 किलो चना 5 रूपये प्रतिकिलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है। **(ख)** जी नही, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । **(ग)** जी नहीं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रपत्र दिया है, उसमें मार्च अप्रैल में बहुत सारे स्टॉक का सत्यापन किया गया है। आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि चना में कितने मात्रा की कमी या अधिकता या सही पाया गया है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी का प्रश्न इससे उद्भूत नहीं होता।

श्री भूपेश बघेल :- कैसे उद्भूत नहीं होता है ?

श्री दयालदास बघेल :- वह चना के संबंध में पूछ रहा है। प्रश्न पढ़कर देख लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है। कम से कम थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें, पूछ रहा है।

श्री दयालदास बघेल :- आप दिखवा लीजिए, आपका प्रश्न क्या है। आप कहेंगे तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री कवासी लखमा :- काहे का पूछ रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए पूछ रहे हैं बोल दीजिए। मुख्यमंत्री रहे हैं तो पूछ रहा है कि जगह पूछ रहे हैं बोल दीजिए। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण में थोड़ा सा विलंब हुआ है। इसलिए विलंब हुआ है कि खुली निविदा से आमंत्रित चना की दरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूसरा, भारत सरकार से रियायती दर पर चना का आमंत्रण प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन चना वितरण जारी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अगला प्रश्न कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उसी में से प्रश्न पूछ लेता हूं। जो चना आपने प्राप्त किया है, उसकी गुणवत्ता की जांच आपने कर ली है ? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी ने उस दिन और प्रश्न किया था, आपको रैपर सहित एक किलो चना दिया था। उसमें यह निवेदन है कि जो माननीय नेता जी ने जो आपको चना का पैकेट भिजवाया है, उसी की जांच करवाईएगा, उसको बदलकर जांच मत करवाईएगा। दूसरा, इसकी गुणवत्ता का परीक्षण कब-कब हुआ ? यह मुझे जानकारी दे दें।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नेता जी का प्रश्न था कि चना का वितरण ही नहीं हुआ है, यह प्रश्न लगाया था । लेकिन नेताजी, समझ में नहीं आता कि वह चना का पोटली कहां से लाये और विधान सभा के अंदर लाये । वह इतने वरिष्ठ हैं, विधान सभा के अंदर चना लेकर कैसे आये, मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चना दिया है, वह हमारे वितरण में से नहीं है, वह चना वहां से मंगाये हैं, टेस्ट कराये हैं, अधिकारी का उसमें दस्तखत, सील-ठप्पा है, वह चना अलग है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो वितरण करा रहे हैं, वह चना अलग है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा चलिये, वह अलग है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि चना की कमी पाई गई, वही तो मेरा पहला प्रश्न था । जब चना की कमी थी तो स्टॉक में कितनी कमी पाई गई और किन-किन विधान सभा में, किन-किन जिलों में वितरण नहीं हुआ है, यह जानकारी दे दें ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण हो रहा है..।

श्री भूपेश बघेल :- सभी जगह ?

श्री दयालदास बघेल :- हां सभी जगह । माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जगह वितरण हो रहा है, थोड़ा विलम्ब हुआ है, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन वितरण सभी जगह चल रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में मोहला मानपुर, गरियाबंद जिले में चना वितरण दो-तीन माह से नहीं हुआ है । मेरा निवेदन यह है कि जिन महीनों में वितरण नहीं हुआ है, उसे

भी पूरा करेंगे, मानलो अभी चना उपलब्ध हुआ, जो दो महीना या तीन महीना से चना नहीं मिला था, उसको भी देंगे या उसको नहीं देंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चना 31 जुलाई तक वितरण किया जायेगा और वितरण चल ही रहा है । मई, जून, जुलाई का वितरण चल ही रहा है, हर महीने का चना उनको मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख तक हम सब चना वितरण ...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का एक ही प्रश्न है, जिन महीने का चना वितरण नहीं हुआ है, उसको मिलाकर वितरित करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जी हां । तीनों माह का चना मिलाकर वितरित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप ऐसा बोलिये ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने सत्यापन किया तो चना कितना कम पाया गया ? माननीय मंत्री जी बोले कि उद्भूत नहीं होता और अभी स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों माह का चना मिलाकर वितरित करेंगे । आपने पहले कहा है कि उद्भूत नहीं होता है...।

श्री दयालदास बघेल :- आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उसमें उद्भूत नहीं होता है । आप पढ़ लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- आप अभी तो स्वीकार कर लिये हैं कि चना की कमी है ।

श्री दयालदास बघेल :- आप पढ़ लीजिए ना । मैं वैसे जवाब दिया हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, अभी आपने स्वीकार कर लिया कि चना की कमी है और हम पुराने को वितरित करेंगे । मेरा वही कहना था कि कितने चने की कमी थी ? सत्यापन में कितना कम पाया गया है ? यह बता दें ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चना कम नहीं पाया गया है, विलम्ब हुआ है, मैं तो स्वीकार किया हूँ, लेकिन चने में कोई कमी नहीं है । वितरण होना है, चना पहुंच चुका है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रपत्र है, जो शासन के द्वारा दिया गया है और इसमें जांच की गई है, स्टॉक में कमी हेतु जिम्मेदारी की जानकारी है, अब इसको पढ़ूंगा तो सभी जिलों का है और यह चार पेज में है । आपने सब में बताया है कि कमी पाई गई है और इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, दुकानदार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, वह सब इसमें लिखा हुआ है। यह आप ही ने दिया है, इसीलिए मेरा प्रश्न है और आप कहते हैं कि उद्भूत नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, यह जो कमी पाई गई है, इसके लिये जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 2024 के स्टॉक सत्यापन में 155 टन कम पाया गया था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- जो कम पाया गया, उसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे दुकानदार हों, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? आपने जांच कराया और उसमें कमी पाया है । यदि कमी पाई गई है तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है, आप क्या कार्यवाही करेंगे ? इतना ही प्रश्न है ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव का समय था और आपके कार्यकाल में भी चुनाव के समय 7 महीना का चना नहीं बांटा गया था । मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि इसमें विलंब हुआ है, आचार संहिता भी था, चुनाव भी था, इसलिये बोल रहा हूँ कि मई का महीना है, उसको जून और जुलाई में बांट रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, तीनों महीना का चना एक साथ दे रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दो अलग-अलग बातें की है ओर मेरा प्रश्न अलग है । पहली बात तो यह स्वीकार कर लिया है कि चुनाव के कारण तीन महीने का नहीं बांटे हैं और उसको बांटेंगे । माननीय मंत्री जी ने दूसरा यह भी स्वीकार कर लिया है कि 155 टन चना की कमी पाई गई । यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है । जब उसने स्वीकार कर लिया है तो चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है, उसके स्टॉक में कमी पाई गई तो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्टॉक की कमी हेतु 830 दुकानों को कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है, 109 दुकानों को निलंबित किया गया है, 20 दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है, 106 दुकानों से स्टॉक की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है और 6 प्रकरणों में दुकान संचालन के विरूद्ध एफ.आई.आई. दर्ज की गई है, जिसमें से सूरजपुर में 2, खैरागढ़ में 2, बिलासपुर 1 और रायगढ़ में 1 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो प्रश्न पर प्रश्न दे रहे हैं । चना, गुड़, शक्कर, चावल में जो कमी पाई, आपने उसका आंकड़ा दे दिया । प्रश्न तो चना का है तो चना कितने सोसाईटियों में कम पाया गया और उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है ? पर्टिक्यूलर जहां चना कम पाया गया, उसमें आपने क्या-क्या कार्रवाई की है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वही बताया है, यह पूरे प्रदेश का मामला है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने तो मुझे सीमित कर दिया कि आप दूसरे का प्रश्न नहीं पूछ सकते । मैं चना के बारे में ही पूछ रहा हूं कि कितने सोसाईटियों में चना कम पाया गया ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप कौन से महीने का पूछ रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र में लिखा हुआ है कि आपने मार्च महीने का सत्यापन अप्रैल और मई महीने में किया । उसमें चना 155 टन कम पाया गया तो कितने सासाइटियों में चना कम पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्रवाई हुई है, वह मैंने बताया है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पूरी तैयारी करके नहीं आये हैं ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी कहेंगे तो मैं पृथक से जानकारी दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- जहां-जहां चना कम पाया गया, उसकी जांच कराकर कार्रवाई कर दें । आपने जो प्रश्न किया, उसका जवाब आ गया । जहां-जहां चना कम पाया गया, वहां-वहां कार्रवाई करवा लेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जी ।

कांकेर जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु प्राप्त राशि व व्यय

[महिला एवं बाल विकास]

7. (*क्र. 453) श्री आशा राम नेताम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने जोड़ो का विवाह कराया गया? उक्त समयावधि में विवाह आयोजन कराने हेतु शासन से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई थी? किन-किन कार्यो में कितनी राशि खर्च की गई, आयोजन वार जानकारी दें। क्या उक्त कार्यक्रमों में विवाह सामग्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 375 जोड़ों का विवाह कराया गया एवं 2023-24 में विवाह कार्यक्रम आयोजन न होने से जानकारी निरंक है। विवाह कार्यक्रम आयोजन कराने हेतु शासन से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रू. 93,75,000/- एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू 1,00,00,000/- कुल 1,93,75,000/- रूपये जिला कांकेर को प्रदाय की गई। आयोजन वार कार्यो में व्यय राशि कीजानकारी संलग्न प्रपत्र[4] अनुसार है। उक्त कार्यक्रमों में विवाह सामग्री के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत निरंक है।

---

[4] परिशिष्ट "चार"

श्री आशाराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने जोड़ो का विवाह कराया गया है ? जानकारी बताने की कृपा करें ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2022-23 में कांकेर जिला में 375 जोड़ों का विवाह कराया गया है ।

श्री आशाराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, 375 जोड़ों का विवाह कराया गया तो उसमें कितना खर्च हुआ और उसमें खर्च करने का मानक कैसा है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 2022-23 की अपेक्षा में हम देखें तो वर-वधु को 50 हजार रूपए दिया जाता है और 50 हजार रूपए में से 8 हजार रूपए विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय, वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री हेतु 6 हजार रूपए व्यय, वर-वधु को ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से 21 हजार रूपए और अन्य सामग्रियों के प्रदान हेतु 15 हजार रूपए दिए जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा प्रश्न कर लीजिए, आपके पास बहुत कम समय है ।

श्री आशाराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जिस वर-वधु जोड़े की शादी होती है, वे कहते हैं कि हमें पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती है ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके लिए 50 हजार रूपए का बजट निर्धारित है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय

12.00 बजे **सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करे।

समय

12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बाईसंवा वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2022 तक 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बाईसंवा वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2022 सक 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए) पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय का संशोधन अध्यादेश क्रमांक-31

उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 66 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय का संशोधन अध्यादेश क्रमांक-31 पटल पर रखता हूं।

(3) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 01).

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-02).

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-02) पटल पर रखता हूं।

(5) बजट अनुमान 2023-2024 के संदर्भ में तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा.

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की अपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2023-2024 के संदर्भ में तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

अध्यक्ष महोदय :- आज शून्यकाल में 1-2 सदस्य बोल लें। आज काफी विषय हैं, चार-चार ध्यानाकर्षण हैं। सब की तरफ से आप उमेश पटेल जी बोल लीजिये।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। एकलव्य स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी परेशानी को वह जल्द से जल्द दूर करें। हमने इस पर ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ना उत्पादक किसानों को वर्ष 2023-24 का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है, मैं उसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

समय

12.03 बजे **ध्यान आकर्षण सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 87 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके सम्बन्ध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(1) प्रदेश में मलेरिया एवं डायरिया बीमारी से लोगों की मौतें होना।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में मानसून आते ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, प्रदेश में मेलेरिया, डायरिया की स्थिति अत्यंत भयानक हो गई है विगत एक हफ्ते में ही बिलासपुर, बीजापुर, दुर्ग, कवर्धा, जांजगीर-चांपा जिलों के साथ संपूर्ण प्रदेश में मलेरिया एवं डायरिया से हजारों की संख्या में मरीज पीड़ित हैं। इन्हें पर्याप्त ईलाज नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते बिलासपुर में 500, रतनपुर में 200, सकरी में 150, कोटा में 50 से ज्यादा मरीज हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती की जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कोटा के 04 लोगों की मृत्यु मलेरिया से हो चुकी है। बीजापुर में 1,000 से अधिक व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हैं। वहां 03 लोगों की मृत्यु डायरिया से हो चुकी है। बेलगहना/सिलपहरी की स्थिति अत्यंत भयानक है। वनवासी क्षेत्रों में मलेरिया डायरिया की स्थिति नियंत्रण से बाहर है, आश्रमों के छात्र भी इससे पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण प्रदेश की आम जन मानस में शासन-प्रशासन के प्रति तीव्र असंतोष व्याप्त है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में मानसून आते ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है एवं प्रदेश में मलेरिया, डायरिया की स्थिति अत्यन्त भयावह हो गई है। अपितु सत्य यह है कि शासन द्वारा संवेदनशीतला से कार्य करते हुये डायरिया एवं मलेरिया की रोकथाम सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में मलेरिया और डायरिया की रोकथाम के लिए 27 फरवरी, 2024 एवं 07 जून, 2024 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा अंतर्विभागीय समन्वय कर कार्य योजना बनाई गई है। 1,015 रेपिड रेस्पांस टीम का गठन किया गया है। वर्षा ऋतु में 1,371 पहुंच विहीन ग्रामों एवं 1,183 महामारी संभावित ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है एवं दवाओं का पूर्ण भंडारण किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि विगत एक हफ्ते में ही बिलासपुर, बीजापुर, दुर्ग, कवर्धा, जांजगीर-चांपा जिलों के साथ संपूर्ण प्रदेश में मलेरिया एवं डायरिया से हजारों की संख्या में मरीज पीड़ित हैं, इन्हें पर्याप्त ईलाज नहीं मिल पा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि इसी के चलते बिलासपुर में 500, रतनपुर में 200 एवं सकरी में 150, कोटा में 50 से ज्यादा मरीज हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती की जगह उपलब्ध नहीं है। जबकि सत्य यह है कि जिला बिलासपुर में जांच निरंतर जारी है। जिसके क्रम में कोटा एवं रतनपुर में कैम्प लगाकर 9,581 घरों का सर्वे कर कुल 385 डायरिया के मरीजों की पहचान कर उपचार किया जा रहा है। साथ ही ग्राम खूंटाघाट में 45 मरीजों का उपचार किया गया है। ब्लॉक बिल्हा के मदनपुर में कुल 123 और ग्राम नेवसा में 64 डायरिया प्रकरणों का उपचार किया गया है। उपरोक्त स्थानों में किसी भी मरीज की मलेरिया एवं डायरिया से मौत नहीं हुई है। इसी प्रकार जिला दुर्ग में धमधा ब्लॉक में उल्टी दस्त की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 776 बुखार के मरीजों के रक्त की जांच की गई। जिसमें सभी मलेरिया प्रकरण निगेटिव पाये गये। दुर्ग जिले में भी डायरिया एवं मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई है। जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बलौदा में डायरिया प्रकरणों की सूचना पर 124 प्रकरणों का एवं पामगढ़ में 238 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। जिले में डायरिया एवं मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई है। यह उल्लेखनीय है कि जिला कवर्धा में बोडला जनपद में ग्राम सोनवाही में 33 वर्षीय फूलबाई का निधन उल्टी दस्त के लक्षणों के साथ हुआ, जो जंगली मशरूम के सेवन से हुआ है। एक अन्य मृतिका ललेश्वरी की मृत्यु प्रसव उपरांत जटिलताओं से हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि कवर्धा जिले में भी मलेरिया एवं डायरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

यह कहना सही नहीं है कि बीजापुर में 1,000 से अधिक व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हैं। वहां तीन लोगों की मृत्यु डायरिया से हो गई है। यह कहना सही नहीं है कि वनवासी क्षेत्रों में मलेरिया, डायरिया की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। आश्रमों के छात्र भी इससे पीड़ित हैं अपितु सही तथ्य यह है कि जिला बीजापुर में मलेरिया मुक्त अभियान 2024 के अंतर्गत कुल 1,87,899 लोगों की जांच की जा चुकी है जिसमें केवल 930 धनात्मक पाये गये हैं, जिनका समूल उपचार किया गया है। आश्रमों में 130

पोटा केबिन में 10,808 पंजीकृत बच्चों की जांच की गई है। जिसमें 622 बच्चे धनात्मक पाये गये हैं, जिनका पूर्ण ईलाज किया गया है। आश्रम के सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि बुखार से पीड़ित किसी भी बच्चे को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने से पहले डिस्चार्ज नहीं किया जाये। बस्तर संभाग में मलेरिया नियंत्रण में है और आश्रम छात्रावास में मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई है। मलेरिया से बीजापुर जिले में 02 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसका कारण जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में विलंब से भर्ती किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019 में वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई) 7.29 प्रति हजार जनसंख्या से घटकर 3.98 प्रति हजार हो गया है। रैपिड फीवर सर्वे, मास सर्वे, प्रचार-प्रसार स्रोत नियंत्रण, पूर्ण उपचार एवं दीर्घकालिक मच्छररोधी कीटनाशक दवा, लेपित मच्छरदानी के उपयोग से यह परिणाम प्राप्त हुआ है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया एवं मलेरिया नियंत्रण के लिए की जा रही त्वरित कार्यवाही के कारण प्रदेश के आम जनमानस में शासन-प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त नहीं है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, मुझे ऐसा लगता है कि वह कहीं न कहीं संतोषप्रद नहीं है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले दो साल से मलेरिया और डेंगू के टेस्ट किट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और उसका कारण यह है कि पूर्व सरकार के द्वारा कंपनी को जो भुगतान किया जाना था, वह भुगतान नहीं होने के कारण सप्लाई पूर्णत: बंद है। यह जानकारी मुझे है। माननीय मंत्री जी ने दवाईयों को लेकर जो जानकारी दी है, उसमें भी मुझे संदेह है। क्या आप बता सकते हैं कि डेंगू और डायरिया की रोकथाम के लिए अभी वर्तमान में हमारे पास कितनी दवाईयॉ उपलब्ध हैं? मुझे संदेह है कि कंपनी को पूर्व सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण सप्लाई बंद है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि डेंगू और मलेरिया के लिए जो राशि आई थी, उसे बिना अनुमति के अन्य मदों में भुगतान कर दिया गया है। क्या यह सच है, यह जानकारी माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करेंगे?

डॉ. श्याम बिहारी जायसवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी दवाई की सप्लाई और उसका उपयोग किसी भी पेमेंट के भुगतान होने या नहीं होने से नहीं रुका है। सरकार के पास मलेरिया किट पर्याप्त रूप से है। जिला स्तर पर हमारे पास 46,59,968 Rapid diagnostic test (RDT) kits उपलब्ध हैं। इसी प्रकार सीजीएमएससी के वेयर हाऊस में हमारे पास 23,69,760 Rapid diagnostic test (RDT) kits उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से ACT strips जो कि सभी उम्रवारों को लगते हैं, वह 4,63,002 और सीजीएमएससी के वेयरहाऊसेस में 8,82,980 हैं। इस प्रकार से किट्स की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे पास दवाईयों में क्लोरोक्वीन की गोली 1,41,73,130 टेबलेट्स, प्राइमाक्वीन की गोली 29,60,240 टेबलेट्स, इसके इंजेक्शन 70,201 हमारे पास हैं और जो क्वीनीन के

मलेरिया के स्पेशल इंजेक्शन होते हैं, वह भी 11,453 हमारे पास उपलब्ध हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि किट के अभाव में जांच नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में सरकार की जांच का जो आंकड़ा था, जो इनका औसत था, उससे हमारा कहीं ज्यादा है। हमने अभी तक 36 लाख लोगों की मलेरिया जांच की है। इसके गवाह माननीय विक्रम मंडावी जी से आप पूछ सकते हैं, शायद आज वे नहीं आए हैं। जब मैं बीजापुर गया था, तो माननीय सदस्य खुद बता रहे थे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग नाव से पार होकर जंगलों में, पहाड़ों पर, घरों में जाकर मलेरिया की जांच कर रहे हैं। हम रैपिड स्तर पर मलेरिया की जांच करा रहे हैं और हम लोग उसके लिए 1000 से ज्यादा टीम बनाए हैं। हमने हमारी मितानिन से लेकर पूरे पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए एलर्ट कर दिया है। इस प्रकार से कहीं भी किट और दवाईयों की कमी नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, यह मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हर साल आने वाली बीमारियां हैं। मैं इसमें आपको यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके पास दवाई नहीं है। यदि सब कुछ होने के बाद भी जानकारी का अभाव रहे या हमको सूचना न मिले तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने अनुभव पर इसी विधान सभा में कई बार बोला था और उसको अमल में भी लाया गया था। मैं आपसे भी यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया करके सभी आदरणीय कलेक्टर साहबों को यह आदेश जारी करें कि उनके द्वारा वहां के डी.एफ.ओ. को, आंगनबाड़ी के लोगों को, फॉरेस्ट गार्ड को, बीट गार्ड को, बैरियर गार्ड को, पैदल गार्ड को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी मिलती है, जो गांव में रहते हैं, वह तत्काल वायरलेस सेट से ब्लॉक में खबर करें। वहां से आपकी टीम पहुंचेगी या वह लोग उन मरीजों को अस्पताल में ला देंगे तो यह नियंत्रण भी हो जायेगा और इसमें रोक लगेगी। आप इतने बड़े प्रदेश में, अस्पताल में बैठे-बैठे दवाई होते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसमें टीम भावना से काम होना चाहिए। यह 4 महीने की चुनौती है। अभी बिलासपुर के पास कोटा में भी इसमें कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। आप एक आदेश जारी करिये, पूरे प्रदेश के कोने-कोने में, हर गांव में पटवारी रहते हैं, आंगनबाड़ी के लोग रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं, बीट गार्ड रहते हैं, अगर उनको प्राथमिक दृष्टि में कुछ दिखाई देता है तो वायरलेस सेट से खबर करे और उन तक उनको लाने और दवाई पहुंचाने की व्यवस्था हो, तब आप इसमें सफल हो सकते हैं। मलेरिया तो हर साल होता है। उसमें कई लोग मरते भी हैं लेकिन इसको रोका कैसे जाये ? उसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सदस्य महोदय की शंका को दूर करना चाहता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त रूप से 6 विभागों का अंतर्विभागीय समन्वय करके जो पी.एच.ई. है, जो नगर निगम है, जो अर्बन बॉडी है, जो ग्रामीण विकास विभाग है, जो स्वास्थ्य

विभाग है और साथ ही साथ उससे संबंधित दो अन्य विभाग के भी कर्मचारी उसमें लगे हैं। हमने उसमें संयुक्त रूप से टीम बनाकर इसकी कार्ययोजना तैयार की है। उसमें आपकी जो शंका है, उसी आधार पर काम करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मुझे शंका नहीं है। आपने शहर के नगर निगम को जोड़ा है, वहां तक तो ठीक है। अब यदि अचानकमार अभ्यारण्य के किसी गांव में कोई मरेगा, तो वहां तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही बतायेंगे। वहां बैगा, आदिवासी लोग रहते हैं, अखबार की सुर्खियां वहीं बनती है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हर जगह, हर मोहल्ले में हमारी मितानिन हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको अपनी सूचना के लिये इसमें फॉरेस्ट के लोगों को, पटवारियों को और कोटवारों को सम्मिलित करना चाहिए, ताकि आप उसकी दवाई करा सके। इससे आपके विभाग को मजबूती मिलेगी, आपको काम करने में सहूलियत होगी और लोगों की जान बचेगी।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कोटा विधान सभा क्षेत्र के रतनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डायरिया के लगभग 300 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। उसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। उसमें बेलतरा विधान सभा के गांव - नेवसा और मदनपुर के मरीजों की मृत्यु हुई है। टेंगनमाड़ा के क्षेत्र में मलेरिया से दो लोगों की मौत हुई है। इसमें एक का नाम संजय ध्रुव और एक का नाम अजय ध्रुव है। मैंने वहीं स्पॉट से ही माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि मंत्री जी यहां पर रिस्पाँस टीम भेजी जाये और एक कैम्प आयोजित किया जाये। मंत्री जी के निर्देश के बाद भी कैम्प का आयोजन नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यदि मलेरिया का या डायरिया का मरीज मिलता है, तो वहां पर कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, जिससे मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। रतनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बिस्तर पर 3-3, 4-4 लोग रहते हैं। यदि एक परिवार के तीन लोग हैं, तो तीनों को एक ही बिस्तर में रखा गया है। मेरे पास इसकी तस्वीर भी मौजूद है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो निर्देश दिये हैं, वह भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त बेलगैना के आस-पास के जंगलों में जो कैम्प लगाना है, वह नहीं लग रहा है। माननीय धर्मजीत सिंह जी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो बात कह रहे थे कि वहां पर दो लड़कों, अजय ध्रुव और संजय ध्रुव की की मौत हुई थी। वहां लगभग 6 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था परंतु वहां पर रिस्पांस टीम कैसे पहुंचेगी, जब तक आप वहां के वन विभाग के कर्मचारियों को उसमें शामिल नहीं करेंगे ? यह आपकी जो रिस्पाँस टीम है, इसको बढ़ाईये। बीमारी होने से पहले जो तैयारियां होनी थी, उसकी भी कमी देखी गयी है। बीमारी होने के बाद जब वह भयावह रूप ले रही है, तब आपकी टीम पहुंच रही है। मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि वर्ष 2009-10 में भी कोटा विधान सभा क्षेत्र के रतनपुर में ही 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। जब यह मालूम है कि यह संवेदनशील इलाका है, वहां पर मलेरिया और डायरिया का प्रकोप

फैलता है, उसके लिये उसके पहले जिला प्रशासन को जो तैयारियां करनी थी, वह तैयारियां नहीं हुई हैं। आप उसके लिये निर्देशित करें, ताकि दोबारा यह घटना न हो।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री अटल श्रीवास्तव जी ने मुझे फोन किया था कि वहां डायरिया की स्थिति है और मैंने तुरंत संज्ञान में लिया। मैंने संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं और जिला चिकित्सा अधिकारी को भी फोन किया और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 1000 से ऊपर Rapid Response Team तैयार है। वहां पर टीम तुरंत गई। साथ ही साथ वहां के लिए जो आवश्यक दवाईयां हैं, उसके लिए पूरी टीम है, वह वहां गई। माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है । कोटा ब्लॉक के रतनपुर के आसपास की बात कर रहे हैं। वहां 385 मरीज भर्ती हुए थे और उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इसी प्रकार से वहां मलेरिया में भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने क्षेत्र का प्रश्न करिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न ही कर रहा हूँ। वहां मेरी विधान सभा और जिले में लगातार डायरिया के साथ-साथ डेंगू और मलेरिया के मरीज निकल रहे हैं। अभी तक वहां करमंदा, कोसीर, पामगढ़ इन जगहों पर मृत्यु हो चुकी है। सबसे दु:खद घटना यह है कि एक महिला, जिसका नाम पांचों बाई है, जब वह करमंदा के हॉस्पिटल गई तो उसको No Bed Available करके घर भेज दिया गया। उसके डिस्चार्ज स्लिप में यह बात लिखी गई और दूसरे दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। अभी भी वहां पर कोविड के टाईम पर जो आइसोलेशन वार्ड था जहां पर हर जगह लगभग 50 से 100 बिस्तर उपलब्ध हैं, वहां वह जंग खाते पड़े हुए हैं उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, हॉस्पिटल में क्लोरिन का छिड़काव नहीं हुआ है, वहां कैम्प्स जितने लगने थे, वह उतने नहीं लगे हैं क्योंकि वहां पर अब डेंगू के केसेस निकलने शुरू हो गये हैं और इसके बावजूद न क्लोरिन का छिड़काव किया गया है और न क्लोरिन भेजा गया है। वहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों मृत्यु हो रही है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा कि वहां पर जितने बिस्तर और वार्ड जंग खाते हुए पड़े हुए हैं, उनको उपयोग में ले लें ताकि आने वाले समय में हमें किसी को यह कहकर वापस न भेजना पड़े कि हॉस्पिटल में बिस्तर उपलब्ध नहीं है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए।

अध्यक्ष महोदय :- वहां पर 100 बिस्तर रखा है। आप वहां हॉस्पिटल में बिस्तर का उपयोग कर लें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सभी जगहों पर यह प्रयास किया है कि हॉस्पिटलों में बिस्तर उपलब्ध हों, परन्तु जो प्रकोप क्षेत्र में बल्क में चिन्हित हो जाते हैं तो हम लोग उसके लिए समय-समय पर और अतिरिक्त व्यवस्था भी करते हैं। माननीय सदस्य जो मृत्यु बता

रहे हैं, उसमें डायरिया में किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई है। जांजगीर-चांपा जिले में जिस मरीज की बात कर रहे हैं श्रीमती पांचों बाई बिंझवार, जिनकी उम्र 75 साल थी और जिन्हें दोपहर 10.07 को 2.45 बजे चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में लाया गया था और उस समय डॉक्टर ड्यूटी में थे । उस मरीज का डायरिया Diagnosis किया गया और उनको ठीक भी किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार की महिला ने भर्ती के बाद, वहां रहने से इंकार कर दिया और वहां से जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। वहां पर उसके डिस्चार्ज स्लिप पर No Bed Available लिखकर दिया गया है। मैं आपको डिस्चार्ज स्लिप की प्रति दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी दे दीजिएगा। आप प्रश्न करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मंत्री जी की बतायी हुई बातों से मेरी असहमति है। माननीय मंत्री जी की जानकारी में नेवसा गांव में डायरिया से एक 19 वर्षीय बच्ची नेहा धीवर की मृत्यु हुई है मैं स्वयं उसके घर गया था। बिलासपुर में लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बीजापुर में दो बच्चों की मृत्यु हो चुकी है तो इस प्रदेश में लगातार यह भयावह स्थिति बन गई है। बिलासपुर की यह बात सही है कि कोटा क्षेत्र में बिस्तरों की उपलब्धता नहीं है और अफरा-तफरी का माहौल है। वहां पर जैसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अभी तक उसको सुनिश्चित नहीं किया गया है क्या माननीय मंत्री जी, वहां पर व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आप वहां पर कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाईये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर की जो नेहा धीवर उम्र 19 साल, जो नेवसा निवासी थी। जिसके बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं दिनांक 10.07.2024 को जिसकी मृत्यु निमोनिया बीमारी से प्रमाणित हुआ है। किसी प्रकार के मलेरिया या डायरिया से उसकी मौत नहीं हुई है। माननीय सदस्य जिस प्रकार से बिलासपुर और बीजापुर के दो मौतों की बात कर रहे हैं तो उनकी डायरिया से मौत नहीं हुई है, उनकी मलेरिया से मौत हुई है। मलेरिया की जो मौत है वह हॉस्टल में नहीं हुई है। उनके परिजन उसे घर ले गये थे फिर हॉस्पिटल लाये। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो इस कारण से उसकी मौत हुई है। इस मौसम में सामान्य रूप से होता है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि मलेरिया और डायरिया हो रहा है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बच्चों की मृत्यु हुई है। यह मलेरिया और डायरिया बीमारी जो भी है, यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है और आपको व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, न कि यह बोलना चाहिए कि सामान्य रूप से यह घटना हो जाती है और इसे होनी दिया जाए। यह बहुत आपत्तिजनक बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जो अखबारों में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कुछ छप रहा है तो वहां पर सारी चीजें बंद कर दी जा रही

हैं। अंबिकापुर का एक अखबार दर्पण दबंग है, वह 21 दिन से तीन पेजों में छाप रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बतायें कि मैं क्या लिखूं? पूरे पेज में यह छपा रहता है। क्योंकि वह स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ भी लिखते हैं तो उनको अधिकारी धमकाते हैं और उनका विज्ञापन बंद किया जाता है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो माननीय मंत्री जी स्पष्टता दें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अखबारों में नहीं जाता कि अखबार में क्या छप रहे हैं या नहीं छप रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे तो मैं 5 साल का आंकड़ा और 6 महीने का आंकड़ा दे रहा हूं। यह इन्हीं की सरकार थी जब वर्ष 2019 में 31, 2020 में 34, 2021 में 38, 2022 में 20, 2023 में 15 मौतें मलेरिया से हुई थीं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, पिछला आंकड़ा बताने की क्या जरूरत है ? अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, उसको बताईये न। ... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, आप जिम्मेदारी लीजिए। आप इसमें अपनी पीठ थपथपायें नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदारी से कार्य करे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा आप लोग बार-बार बोल रहे हैं कि मलेरिया से मौत हो रही है। परंतु हमने जितना प्रयास किया है। मैने मलेरिया के डिडेक्ट होने के बाद तुरंत बीजापुर गया और इस प्रकार की मौत पर यह लोग राजनीति कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार बारिश के कारण भी जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बारिश के कारण गांव के हैंडपंप और नलों में गंदा पानी लगातार जा रहा है। मैं अभी लगातार दो-तीन दिन से संबंधित जहां पूर्व में डायरिया के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और बहुत से लोग भर्ती हुए थे, वहां पर लगातार सतत संपर्क में हूं। लेकिन वहां पर एक जिम्मेदारी पी.एच.ई. विभाग की बढ़ जाती है। क्योंकि हैण्डपंप और नल में भी गंदा पानी जा रहा है। उस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। मेरे विधान सभा में कुछ गांव नदी के किनारे हैं, वहां आज भी लोग कुंआ के पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन बरसात के कारण कुंआ में गंदा पानी चला गया है। यदि वहां पर क्लोरिन का छिड़काव किया जाये साथ ही जहां-जहां पर भी बोर, हैण्डपंप हैं, वहां जो जो सोखता बना हुआ है, वहां पर भी दवाई का छिड़काव करें। साथ ही जो छात्रावास, आश्रम हैं, मेरे यहां गर्ल्स हॉस्टल भी है, प्री-मेट्रिक आदिवासी छात्रावास भी है, अगर वहां पर मच्छरदानी का वितरण कर दिया जाये तो हम लोग बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अस्पतालों में लगातार डायरिया, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस पर हमको ध्यान देना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पिछले साल बोड़ेला गांव में लगभग 75 से 80 मरीज हुए थे, लेकिन लोग अस्पताल आ नहीं रहे थे। मैं स्वयं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जा-जाकर लोगों को निकालकर ईलाज के लिए अस्पताल ले आता था।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जानकारी दे दिया। अनिला भेंडिया जी।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करूंगी। क्योंकि डेरा वाले बाहर से आते हैं, वहीं से हमारे विधान सभा क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया की शुरूआत हुई है। यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण है। अगर उन लोगों की भी शिविर के माध्यम से जांच कराई जाती तो आज मरीजों की जनसंख्या अस्पतालों में नहीं बढ़ती। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मलेरिया की शुरूआत उन्हीं लोगों से हुई है। आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि वैसी जगहों में भी छिड़काव, दवाई की व्यवस्था, उनकी जांच कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सारे विषय आ गये। भूपेश बघेल जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहत हवं।

अध्यक्ष महोदय :- सब विषय आ गये। आपके नेता जी भी बोलेंगे। आपके सब लोग बोल ही रहे हैं। आप सारे विषय पर बोलते हैं, आप रहने दीजिए। आप बोलिये। आज बहुत सारे विषय हैं।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में सब बातों को इंकार कर दिया, कहीं मलेरिया से, उल्टी दस्त से मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु होने के अलग-अलग कारण है। अध्यक्ष महोदय, लगातार मीडिया में भी आ रहा है कि 2 बैगा, 5 बैगा आदिवासियों की कुएं के पानी से मौत हो गई, उस कुंआ के पानी की जांच की गई तो बैक्टीरिया पाया गया। मरीज नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है। यहां एक के बाद एक मरीज मिल रहे हैं। बिलासपुर, रतनपुर की बात कहें तो वहां स्थिति यह है कि एक बेड में 3-3 मरीज हैं और आप दावा करते हैं कि मलेरिया से मृत्यु नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर से लेकर, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा सभी जिलों में स्थिति इतनी भवायह हो गई है कि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को स्वत: संज्ञान लिया है कि इतना बढ़ क्यों गया है ? ये स्थिति है और लगातार इनकार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना बता रहा हूं। एक कोइलारी गांव है। आपने 27 फरवरी को व्यापक तौर से आदेश जारी कर दिया था। यह मई महीने की घटना है, मैं स्वयं कोइलारी गांव में गया था। वहां के एक स्कूल में कैम्प लगा था, वहां सैकड़ों लोग भर्ती थे, वहां कई लोगों को जगह नहीं मिली तो उनको कबीरधाम जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लोहारा में भर्ती किया गया था, उन लोगों को बेड नहीं मिल रहा था और वहां एक महिला की मौत हुई और उसकी मौत का कारण बताया गया कि उसको लकवा हो गया था, इस कारण से उसकी मौत हुई है। जो महिला पिछले 10 साल से मनरेगा में काम कर रही है और उसकी मौत का कारण लकवा बता रहे हैं और 15 साल पहले मौत हुई थी। आप छुपाना क्यों चाहते हैं? उल्टी-दस्त से मौत हो गई तो हो गई, मौत तो हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि लगातार मंत्री जी इनकार कर रहे हैं कि न मलेरिया से मौत हुई है, न उल्टी-दस्त से मौत हुई है तो फिर डॉक्टरों ने इन सभी जिलो में किस चीज का ईलाज किया है? मेरा पहला सवाल यह है कि डॉक्टर किस चीज का ईलाज कर रहे थे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि मलेरिया से मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने जिन स्थानों में पार्टिकुलर कहा कि मलेरिया से मौत हुई है। मैंने जवाब में भी कहा कि बीजापुर जिले में दो लोगों की मौत मलेरिया से हुई है, लेकिन इन्होंने पोर्टा केबिन और छात्रावास में कहा, उसके जवाब में मैंने कहा कि वहां मौत नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मलेरिया से 15 लोगों की मौत हुई हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप पढ़ लीजिये, आपने सब में लिखा है कि मलेरिया से मौत नहीं हुई है, नहीं हुई है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी मलेरिया से 15 मौतें हुई हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, आप जानते हैं कि डायरिया की पुष्टि मृत्यु से नहीं होती है। आपकी सरकार से लेकर अभी तक वह पुष्ट नहीं है। इस बार भी पुष्ट नहीं है क्योंकि डायरिया के साथ उसके साथ कई और बीमारी शामिल होते हैं। आप जिस प्रकार से कबीरधाम जिला अस्पताल का बात कर रहे हैं, कबीरधाम में वह महिला शाम को मशरूम का खाना बनाती है, उसके पति जंगल से मशरूम लाते हैं, वह शाम को खाना खाते हैं और वह 2-2.50 बजे खत्म हो जाता है तो डायरिया में 4 घंटे में तो मौत नहीं होती है, उसके लिए समय लगता है। जहां तक आप कैम्प की बात कर रहे हैं, वहां दो-तीन लोग थे। मैं मानता हूं कि हम लोगों ने प्रदेश में कोरोना वायरस जैसा डायरिया के लिए सिस्टम नहीं बना रखा है। कहीं पर डायरिया का प्रकोप होता है तो सैकड़ों में निकल सकते हैं, हो सके तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उस स्थान पर प्राथमिक उपचार करें, परंतु अभी पूरे प्रदेश में ऐसी कोई भवायह स्थिति नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सोनवाही की बात ही नहीं की है, मैंने कोइलारी की बात की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण में एक सदस्य का अधिकतम कितना प्रश्न होगा, एक? दूसरा, आपने कांग्रेस पक्ष से पूछने की व्यवस्था दी थी तो क्या कांग्रेस पक्ष की ओर से सिर्फ श्री भूपेश बघेल जी ही प्रश्न पूछेंगे या बाकी लोग भी प्रश्न पूछेंगे, इसमें थोड़ी व्यवस्था दे दीजिये? एक सदस्य अधिकतम कितना प्रश्न करेगा और बाकी लोग प्रश्न करेंगे या नहीं करेंगे या सारा प्रश्न वही करेंगे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी का रिकॉर्ड निकाला जाय।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, मैंने व्यवस्था दी है और अकेले भूपेश जी को ही नहीं, जितना संभव हो सके मैं बाकी सदस्यों को भी अवसर दूंगा और आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। लेकिन भूपेश बघेल जी के प्रति आपकी अत्यधिक उदारता का क्या कारण है? आप उनके प्रश्नों में उत्यधिक उदार दिख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने कल स्थगन की चर्चा में कहा था कि मैं अवसर दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने व्यवस्था दी तो आपने रामकुमार यादव जी को रोका और कहा कि भूपेश बघेल जी आप सबकी तरफ से प्रश्न पूछ लेंगे। जब आपने यह व्यवस्था दी थी तो अजय जी, आप उस समय नहीं थे या फिर आप दूसरे काम में व्यस्था रहे होंगे इस कारण से आप यह बात सुन नहीं पाए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोइलारी का सवाल किया था, जिसमें महिला की मृत्यु का कारण लकवाग्रस्त बता दिया गया और आप सोनवाही का उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, आप यह बताईये कि आपने वहां मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए क्या-क्या व्यवस्था की? आपने उल्टी-दस्त के लिए कितनी दवाईयां दी, कितने क्लोरिन टेबलेट बांटे, मच्छरदानी कितने बांटे? आप सोनवाही का ही बता दीजिये कि आपने वहां कितनी मच्छरदानी बांटी?

समय :
12:34 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्पेशिफिक किसी स्थान का उनको अलग से बता सकता हूं परंतु पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष आपकी सरकार थी, आपने एक मच्छरदानी नहीं बांटी । हमने इस वर्ष पूरे प्रदेश में 16 लाख 97,000 मच्छरदानी का वितरण किया है ।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आपने ही सोनवाही की बात की । मैं तो सोनवाही की बात ही नहीं कर रहा था । आपने ही बोला कि सोनवाही में वह महिला है, उसने मशरूम खाया जिसके कारण उसको उल्टी-दस्त हुआ । यह आपने कहा, अब आप पर्टिकूलर गांव में पहुंच गये और पर्टिकूलर घर में पहुंच गये तो मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने वहां कितने मच्छरदानी बांटे ? चूंकि मृत्यु होने के बाद ही मच्छरदानी बांटने का काम शुरू हुआ तो उस गांव में कितने मच्छरदानी बांटे गये ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय कन्फ्यूज हो रहे हैं । डायरिया से मच्छरदानी का कोई संबंध नहीं है । आप वहां मच्छरदानी के बारे में पूछ रहे हैं और वहां डायरिया का फैलना बता रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं कन्फ्यूज नहीं हो रहा हूं । वहां उल्टी-दस्त से भी मौत हुई है और मलेरिया से भी मौत हुई है । (व्यवधान)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- आप मुझे यह बताईये कि उल्टी-दस्त से मच्छरदानी का क्या संबंध है ? मलेरिया रहता तो दूसरी बात थी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे कन्फ्यूज होने की बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट । आप बोलिये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सोनवाही गांव में मलेरिया के कितने टेस्ट किये गये और उसमें कितने पॉजिटिव पाये गये ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी स्पेसीफिक उस गांव का आंकड़ा नहीं बता पाउंगा लेकिन जिले का या प्रदेश का बोलेंगे तो मैं अभी बता सकता हूं । मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आप यह बता दीजिये कि पूरे प्रदेश में कितने टेस्ट किये गये और उसमें कितने पॉजिटिव पाये गये ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां, ठीक है । मैं यह बता देता हूं । माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में हमने कुल 35 लाख 71,547 मलेरिया की जांच की उसमें 12,242 पॉजिटिव निकले और 15 लोगों की मृत्यु हुई ।

सभापति महोदय :- हो गया । विक्रम मण्डावी जी आपको पूछना है ?

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी यहां आया हूं इसलिये थोड़ी देर बाद पूछ लूंगा ।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी आप पूछ लीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मोर इंहां मच्छरदानी नइ हे, मोर इंहां डॉक्टर ही नइ हे ।

सभापति महोदय :- सुनिये न, आपको जो पूछना है एक-बार में पूछ लीजियेगा आपको बार-बार पूछने का मौका नहीं मिलेगा । आप एक-बार में ही पूछिए फिर नेता जी बोलेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, जैसे बस्तर अउ सरगुजा में सरकार के ज्यादा ध्यान रहिथे उसी प्रकार अनुसूचित जाति मोर क्षेत्र है । उंहां ओमन के बहुलता हे । मालखरौदा ब्लॉक अउ डभरा ब्लॉक मोर क्षेत्र हे । उंहां अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहिथे । ओमन बहुत गरीब हे । स्वास्थ्य मंत्री जी, आप सुन लिहा कि वहां दवई-पानी के कमी तो हे ही, उंहां के डॉक्टर हा खुद बीमार पड़ गे हे काबर कि ओहा दारू पीथे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप या तो मलेरिया का पूछिए या डायरिया का पूछिए । किसने दारू पी है, कौन क्या हुआ है इन सब चीजों के लिये प्रश्न नहीं है । आप डायरिया-मलेरिया का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मोर इंहां कोनो जात हे तो ओला हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नइ मिलत हे । अब छोटे से बीमारी ला सक्ती रेफर करे बर लागत हे, ओला रायगढ़ रेफर करे बर लागत हे । ओखर रोकथाम के लिये डॉक्टर के व्यवस्था किये जाये अउ दूसरा अभी तक मोर क्षेत्र में छिड़काव नहीं किये गे हे, जो भी बीमारी होत हे उंहां डर के मारे दहशत हे । माननीय सभापति महोदय, मोर आपके माध्यम से यह मांग हे कि ओखर लिये प्रावधान किये जाये, जहां डायरिया हो गे हे उंहां डॉक्टर मन ला भेज के छिड़काव किये जाये ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, रामकुमार जी आपसे यह पूछ रहे हैं कि दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है और वहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है । आप बता दीजिये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इनका सक्ती जिला ही आता है न ?

श्री रामकुमार यादव :- हां सक्ती जिला हे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, सक्ती जिला में हम लोग मलेरिया की रोकथाम हेतु छिड़काव चूंकि वह मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता है इसलिये हमने उसको दूसरे चरण में रखा है । प्रथम चरण में जो प्रभावित है वहां हमने किया है । आपके यहां भी निश्चित रूप से छिड़काव करेंगे । इसके साथ ही आपके क्षेत्र में अभी मच्छरदानी भी नहीं बांटे हैं तो सेकेण्ड फेज में बांटेंगे ।

सभापति महोदय :- ठीक है । हो गया ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मोर अंतिम प्रश्न हे ।

सभापति महोदय :- हो गया । आदरणीय नेता प्रतिपक्ष । यह बहुत समय से चल रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मोर इंहां से 5 आदमी मलेरिया के इंहां भर्ती हे ओमन ला मैं खुद कल देखे बर गे रहेओं ।

सभापति महोदय :- ठीक है न । उनका ईलाज करा दीजियेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ता मोर यह कहना हे कि कम से कम ऐला शामिल किये जाये । मैकाहारा में 5 आदमी भर्ती हैं ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- हां, आपके जिला में भी मच्छरदानी वितरण और छिड़काव करायेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- बस ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप थोड़ा सुनियेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न पूछ रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, कल मैंने स्थगन के माध्यम से यह विषय यहां उठाया था उसमें अध्यक्ष महोदय की कृपा कि उन्होंने कहा कि समय ज्यादा लगेगा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्योंकि ये पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और आज उसको साहू जी के नाम से स्वीकृत किया गया, क्योंकि इनका ध्यानाकर्षण था। अभी माननीय मंत्री जी ने सब लगभग जितने भी आये थे, उसमें यह कह दिया कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है तो मैं माननीय जी को पहले पूछना चाहता हूं। सुन रहे हो भैया? मेरी बात सुनें। क्या यह भी सही नहीं है कि मलेरिया डायरिया से जो मौतें हो रही हैं उस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। क्या यह भी सही नहीं है? क्या यह भी सही नहीं है कि हाईकोर्ट ने राज्य शासन के कलेक्टर, सी.एम.एच.ओ., अन्य साथियों को नोटिस दिया है? क्या यह भी सही नहीं है? क्या यह भी सही नहीं है जो आप अपने हस्ताक्षर से कह रहे है, अगर सह भी गलत हो तो बता दीजिए? मलेरिया मुक्त छ.ग. अभियान के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019 में वार्षिक परजीवी सूचकांक ए.पी.आई. 7.29 प्रति हजार जनसंख्या से घटकर 3.98 प्रति हजार हो गया। क्या यह भी सही नहीं है, जो आप लिख रहे हैं? ये हमारी सरकार बघेल जी की सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी के समय 2019 का ये कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके माध्यम से जांच कर जो प्रतिवेदन आया, उसको आपने पढ़ा तो ये तो आपकी सरकार का काम ही नहीं है। आपने भी बहुत लंबे चौड़े बताया है कि इतनी दवाई हैं, इतनी दवाई हैं, इतनी दवाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह दवाई आपने खरीदी है या हमारे ज़माने से खरीदी हुई दवाई को आप बांट रहे हो? उसको बता पाओगे क्या? क्या आपके पास जानकारी है आपने खरीदी है या पुरानी दवाई है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बताइए क्या दवाई है? जवाब दे रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- सुन लेता हूं, फिर पूछ लूंगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं जब पढ़ता था तो उस समय ये मध्यप्रदेश में गृह मंत्री थे । चूंकि कई चीजों को खुद जानते भी हैं। पहली चीज तो माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और वह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मलेरिया या टाइफाइड में लिये हैं, सभापति महोदय, आप खुद बिलासपुर के हैं, माननीय उच्च न्यायालय बहुत ही संवेदनशील हैं। सामान्यत: हेल्थ के विषय पर, चाहे वह सिम्स हो, चाहे अन्य जगहों पर हों, हफ्ता 10 दिन में कुछ न कुछ विषय पर संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लिए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भी उसको अलर्ट होकर और अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो सवाल एक और किया, मुझे लगता है कि आप को ऐसा शायद पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, मैं नहीं जानता, लेकिन आप बोलें कि आपके समय और हमारे समय, अब देखिए, आप जानते हैं कि जिसके हाथ में लगाम होगा, वही उस घोड़े का मालिक होता है। तो दवाई पिछले समय खरीदा गया या अभी खरीदा गया। ये तो सरकार ने खरीदा और जब से माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, सारी दवाइयां हम हमारी हैं। वैसी ही कमी भी हमारी है और ऐसा नहीं है। सतत् रूप से सी.जी.एम.एस.सी. दवाई खरीद रही है, परंतु यह कह पाना भी कठिन है कि कौन-कौन सी दवाई कब खरीदी? अगर वह भी चाहिए तो मैं दे दूंगा।

सभापति महोदय :- ठीक है, बैठिए।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि इन लोगों ने 12 करोड़ की दवाई को एक्सपाइरी डेट करके फेंक दिया। अब सच में एक्सपाइरी डेट है या नहीं है, ये तो हमको जानना चाहिए । अभी जो दवाई बांट रहे हैं, वह एक्सपाइरी डेट का है या उसी दवाई को लाए हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी हैं। पहले भी हम लोग लिखकर टांगते थे। मच्छर रहेगा, मलेरिया नहीं और ये मच्छरदानी खरीदने वालों को बहाना मिल गया घर-घर जाकर बांटे कि मच्छर चाबेगा। मच्छर को चाबने दो ना भाई, जब मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं हो रहा है। आप खुद ही कह रहे हैं केंद्र सरकार कह रही है, आपकी हो, चाहे हमारी हो। मच्छर रहेगा, मलेरिया नहीं तो मच्छर को काटने दो। क्यों आपने बांटा इतनी सारी मच्छरदानी? मैं कह रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि 2019 में जो मलेरिया के उन्मूलन के लिए, प्रदेश के लिए और विशेष करके बस्तर के लिए उल्टी दस्त, डायरिया के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम सरकार ने उस समय के तत्कालीन ने बनाया था, उसको इस सरकार ने क्या खत्म कर दिया है? बंद कर दिया है या चालू है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, 2-3 प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा है । जो आपकी आशंका है कि दवाईयों को नष्ट किया गया है । 3-4 महीने में दवाईयां खराब नहीं होती हैं, आपके समय लगता है कि लेट से खरीदा गया होगा, मैं अधिकृत पुष्टि नहीं करता । दूसरी बात, 12 करोड़ की दवाईयां नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है 87 लाख की दवाईयां एक्सपायरी घोषित की गई । तीसरा, मच्छरदानी खरीदी पर आशंका कर रहे हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं आशंका नहीं कर रहा हूं भाई ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं बता दूं कि भारत सरकार ने भेजा है, हम केवल बांटने का काम हमने किया है ।

डॉ. चरणदास महंत :- ऐसा है भाई...सॉरी, मंत्री जी । किसी को आपत्ति हो सकती है । आपने कहा कि जब मैं मंत्री था तब आप पढ़ते थे और आप मुझे लेने भी गए थे तब आप शायद युवक कांग्रेस में थे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं, मैं राजनीतिक दल में कभी नहीं था ।

डॉ. चरणदास महंत :- जो भी है । आपको कोई दोषी थोड़े ही मान रहा है कि आपने गलत इलाज किया या गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया । जिस तरह से माननीय ने कल सड़क दुर्घटना का विषय उठाया था । इसी तरह से यह भी पूरे प्रदेश को प्रभावित करने वाली घटना है । उसमें आप भी चिंतित हैं और हम भी चिंतित हैं । आपको ज्यादा चिंतित रहना चाहिए क्योंकि आपकी सरकार है । विष्णुदेव साय जी बैठे हैं वे नये-नये मुख्यमंत्री बने हैं । हम चाहे हैं कि उनके जमाने में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर ढंग से हों, ताकि लोगों को पता लगे कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो गरीबों का ख्याल रखता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । इसमें सोच समझ, दिमाग सब साफ । यदि आप सिर्फ उन्हीं उत्तरों को पढ़ देंगे जो आपके अधिकारियों द्वारा दिया गया है । हमको भी देते थे उसमें थोड़ा थोड़ा आप और परीक्षण किया करें । उन्होंने शायद मेरी गैरहाजिरी में कहा होगा कि चना नहीं है तो कौन मानेगा ? कौन मानेगा कि मेरा दिया हुआ चना बंट रहा है । सरकार हमेशा "नहीं" में उत्तर देगी । सरकार का यह काम है कि हम विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं, वह गलत है । इस तरह से व्यवहार मैं नहीं चाहता । पूरा प्रदेश परेशान है, मलेरिया से परेशान है, मच्छर से परेशान है, डायरिया से परेशान है । इस पर गंभीरता से कार्यवाही करें । कुछ अच्छे अफसर भी हैं, उनको बैठाएं । मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं कि आपने खरीदा, नहीं खरीदा, एक्सपायरी डेट की खरीदी ।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपना बहुत अच्छा विचार व्यक्त कर रहे थे और माननीय भूपेश बघेल जी उनकी ओर बड़ी गंभीरता से देख रहे थे । यह वास्तव में गंभीर विषय है । मुझे लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी उस समय स्वास्थ्य के विषय को गंभीरता से देखते तो आज यह स्थिति निर्मित नहीं होती ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, विभागीय मंत्री जवाब देते । हमने तो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान शुरू किया था और अभियान सफल रहा तो पूरे छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त अभियान शुरू किया । आज इस समय उल्टी दस्त से, डायरिया से आदिवासियों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है, महिलाओं की मौत हो रही है और सरकार का उत्तर बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना है । इस जवाब से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय
11.43 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.</u>

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)</u>

श्री विनायक गोयल :- सभापति महोदय, मैं सदस्य के नाते...।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट।

सभापति महोदय :- एक मिनट बैठिए। आप किस चीज में बोल रहे हैं ? आप क्यों बोल रहे हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष की हालत देखिए। हमारा ध्यानाकर्षण है, चिंता भा.ज.पा. की, चिंता भा.ज.पा. के सदस्य कर रहे हैं, मंत्री सरकार भा.ज.पा. की है, ये सिर्फ छपने के लिए बहिर्गमन कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा उत्तर भी नहीं आया है।

सभापति महोदय :- एक मिनट, आपने अपनी बात कह दी। इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, बहिर्गमन के बाद विषय समाप्त हो गया है।

सभापति महोदय :- यह विषय समाप्त हो गया है। अब विषय आगे बढ़ गया।
आप बोल लीजिए लेकिन अब इसमें क्या बोलेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- मैं दूसरे विषय पर बोल रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- बहिर्गमन के बाद विषय समाप्त हो गया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- बोल लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मेरी उसमें आपत्ति यह है कि यदि बहिर्गमन हुआ है तो वह विषय समाप्त हो गया है।

सभापति महोदय :- वह विषय तो आगे बढ़ ही गया है। मैंने तो नाम भी पुकार लिया है। विक्रम उसेंडी जी खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि विक्रम उसेंडी जी खड़े हो जाएं।

श्री उमेश पटेल :- मैं दूसरे विषय पर बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कल आसंदी ने व्यवस्था दी थी..।

श्री विनायक गोयल :- माननीय सभापति महोदय।

श्री उमेश पटेल :- भाई, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, अगर आपने मुझे अनुमति दी है तो मैं बोलूंगा।

सभापति महोदय :- आप बोलिए ना। मैं तो बोल रहा हूं। आप बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री विनायक गोयल :- मैं सदस्य के नाते चित्रकूट विधान सभा में पूर्व मंडल अध्यक्ष के नाते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी का स्वागत करता हूं..।

सभापति महोदय :- एक मिनट रूकिए। आप भी बैठिए, मैं आपको भी मौका देता हूं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। संसदीय कार्य मंत्री जी....।

सभापति महोदय :- आप सीधा बात बोलिए ना।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं विषय पर आता हूं। कल आसंदी ने यह व्यवस्था दी थी कि हमने जो मलेरिया और डायरिया का स्थगन दिया है, उस स्थगन पर हम किसी न किसी रूप में चर्चा करायेंगे। जब चर्चा करायेंगे तो माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रश्न रखा था कि अगर आप इसको ध्यानाकर्षण पर लायेंगे तो सिर्फ दो तीन लोग ही बात कर पाएंगे। आसंदी ने यह व्यवस्था दी थी कि हम सारे लोगों को मौका देंगे।

सभापति महोदय :- मौका दिए ना।

श्री उमेश पटेल :- यह आसंदी पर प्रश्न लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने प्रश्न किया ही नहीं।

श्री उमेश पटेल :- आप प्रश्न उठा रहे हैं। यह आसंदी पर प्रश्न उठा रहे हैं।

सभापति महोदय :- पटेल साहब सुनिए ना।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। यदि आप इतने जिम्मेदार थे तो सुबह 9 बजे स्वयं ध्यानाकर्षण लगा सकते थे। दूसरे के ध्यानाकर्षण में...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट मैं बोल रहा हूं। सुनिएगा। एक मिनट सुन लीजिए ना। (व्यवस्था)

श्री उमेश पटेल :- आप आसंदी की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

सभापति महोदय :- किसने क्या कहा, उसके लिए आसंदी जिम्मेदार नहीं है। आसंदी ने मोतीलाल साहू जी के ध्यानाकर्षण पर एक प्रश्न के बाद सारा प्रश्न इधर से पूछवाया है।

श्री उमेश पटेल :- आपने अवसर दिया था।

सभापति महोदय :- आपको पूरा अवसर मिला।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, अगर इतने जिम्मेदार थे तो सुबह 9 बजे ध्यानाकर्षण दे सकते थे।

सभापति महोदय :- यह तो उनको सोचना है ना।

श्री उमेश पटेल :- हम आसंदी की व्यवस्था के हिसाब से काम कर रहे हैं। आसंदी ने व्यवस्था दी थी कि हम चर्चा करायेंगे।

सभापति महोदय :- आसंदी ने चर्चा कराया ना। हमने चर्चा करा दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- चर्चा करना था तो आपको 9 बजे के पहले ध्यानाकर्षण देना था।

श्री उमेश पटेल :- यह बार-बार बोल रहे हैं, आसंदी की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

सभापति महोदय :- प्लीज इस विषय को आगे मत बढ़ाईए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आसंदी के फैसले पर प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप सबसे आग्रह है। आसंदी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, आप सभी को बोलने का अवसर मिला। इस पर अच्छी चर्चा हुई। मंत्री जी ने बढ़िया जवाब भी दिया। अब मैं विक्रम उसेंडी जी से निवेदन....।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी यहां पर उपस्थित हैं....।

सभापति महोदय :- यादव जी आप बैठिए। आपने भी तो बोला है। आपको भी अवसर मिला है।

श्री विनायक गोयल :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- एक मिनट। आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री विनायक गोयल :- माननीय सभापति जी, मैं सदन के सदस्य के नाते चित्रकोट क्षेत्र में पूर्व मंडल अध्यक्ष के नाते ...।

सभापति महोदय :- एक मिनट, एक मिनट।

श्री रामकुमार यादव :- [XX] [5]

सभापति महोदय :- आप कहना क्या चाह रहे हैं ?

श्री विनायक गोयल :- मैं स्वागत करना चाह रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

सभापति महोदय :- पहली बार बोल रहे हैं तो आप सुनिए ना।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, नये सदस्य हैं, आपसे संरक्षण की उम्मीद है।

सभापति महोदय :- सब शांत रहेंगे तभी तो नये सदस्य बोलेंगे। बोलिए। आप सब चुप रहिए। भैया बोलिए।

श्री विनायक गोयल :- सभापति महोदय, मैं सदन के सदस्य के नाते चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं। मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष था। मैं प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज का सदन में स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- ठीक है, बैठ जाईए। ऐसी परंपरा नहीं है। इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

सभापति महोदय :- सदन में आसंदी से ही किसी का स्वागत किया जाता है । अगर इस तरह से सब करेंगे...।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

सभापति महोदय :- कार्यवाही में कई और अन्य महान अतिथि आयेंगे...।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

[XX] आसंदी के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप यार हर बात में खड़े मत होईये ना । आप थोड़ा सा बैठिये ? आप बैठो यार । आप कुछ ज्यादा ही खड़े हो रहे हैं ना । थोड़ा कम ।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री लोग मुस्कुरा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- बैठिये ना ।

श्री विनायक गोयल :- भाई साहब, मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय :- विक्रम उसेण्डी जी बोलेंगे । बाकी कोई बात नहीं आयेगा, बाहर करो । आप बैठिये । भई वह बोल लिया, प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत ही तो किया है ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति जी, मैं बोलना शुरू करता हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप जो बात कह रहे हैं, वह आपत्तिजनक है, यह बात रिकार्ड में नहीं आयेगी । विक्रम उसेण्डी जी बोलेंगे ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि उस सीट पर अलग सा कुछ है, लगता है, चेक करवाईये । इसके पहले शिव डहरिया थे, वह भी वहां से चिल्लाते थे । इनका भी वहां पर विराजमान होना तय हुआ है, इस कारण से वह हर बात में खड़े हो जाते हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप जिस सीट में थे ना, वहां भी हर बात में खड़े होते थे, याद कीजिए ।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये । सुनिये, हर सदस्य के लिये अपना प्रश्न, अपना ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण रहता है । वह सुदूर बस्तर क्षेत्र के सदस्य हैं, उनका ध्यानाकर्षण लगा है, उनको अपनी बात कहने दीजिए । अब अनावश्यक बात कर रहे हैं, मलेरिया में चर्चा हो गयी, बात खत्म करो ना । आप इधर-उधर बात करके काहे को लड़ाई-झगड़ा करा रहे हो ?

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पखांजूर से मायापुर सड़क जर्जर होना ।

श्री विक्रम उसेण्डी (अंतागढ़) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यायनाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSU II) वर्ष 2017-2018 में स्वीकृत सड़क टी-14 पखांजूर से मायापुर लंबाई 11.20 किलोमीटर का अनुबंध मेसर्स सर्फेस इंजीनियरिंग प्रा.लि.द्वारा अनुबंध क्रमांक 239/2017-18 दिनांक 24-10-2017 को किया गया था । उक्त कार्य को दिनांक 15-06-2021 को पूर्ण किया गया है । वर्तमान में 03 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उक्त सड़क पखांजूर से महाराष्ट्र सीमा से जुड़ने के कारण यातायात अधिक बढ़ गया है । अधिक ट्राफिक के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है । ठेकेदार के द्वारा संधारण भी नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं । पंखांजूर से गढ़चिरौली नागपुर तक दो बस चलती थीं, वह भी बंद हो गयी हैं । आज जनता का स्वयं के वाहनों से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आना-जाना भी दूभर हो गया है । सड़क के मरम्मत नहीं होने से आम जनता में भारी नाराजगी है । इस संबंध में जिला कांकेर के अधिकारी के द्वारा राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 2425/16830/आरसी-09/छ.ग.ग्रा.स.वि.अ./2023 के माध्यम से अनुशंसा सहित पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि आज दिनांक पर्यंत शासन स्तर में लंबित है । इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय एवं पड़ोस के राज्य से आने जाने वाले आमजनों, व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत स्थानीय प्रशासन से कई बार की जा चुकी हे, परन्तु शासन व प्रशासन द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत करने कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे क्षेत्र की जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- सभापति महोदय, यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-II) वर्ष 2017-2018 में स्वीकृत सड़क टी-14 पखांजूर से मायापुर लंबाई 11.20 किमी का अनुबंध मेसर्स सर्फेस इंजीनियरिंग प्रा.लि. द्वारा अनुबंध क्र/239/2017-18 दिनांक 24/10/2017 को किया गया था । उक्त कार्य को दिनांक 15/06/2021 को पूर्ण किया गया है, जिसकी 05 वर्ष नियमित संधारण पूर्ण होने की तिथि 15/06/26 है । वर्तमान में 03 वर्ष पूर्ण हो चुका है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत, सड़क का निर्माण प्री-मिक्स कॉरपेट (20 MM डामर परत) से निर्माण किया गया था, लेकिन सड़क बनने के बाद पंखाजूर से महाराष्ट्र जाने हेतु इस मार्ग का उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण क्षमता से अधिक भारी वाहनों का आवागमन होने लगा, जिसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।

इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी जांच 02 सदस्यीय राज्य गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा दिनांक 28.08.2019 को व दिनांक 01.12.2020 के माध्यम से 05 सदस्यीय टीम द्वारा कराया गया, जिसमें पाया गया कि सड़क का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार कराया गया था, लेकिन क्षमता से अधिक भारी वाहनों का आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रहा है । इस संबंध में लेख है कि समय-समय पर इसका संधारण किया जाता रहा है, लेकिन अत्यधिक क्षतिग्रसत होने के कारण, इसको मजबूतीकरण की आवश्यकता है, वर्तमान में सड़क में आवागमन हो रहा है ।

यह कहना सही नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के निर्माण से क्षेत्र एवं जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश है ।

समय :
1:00 बजे

परन्तु यह बिल्कुल सच है कि यह महत्वपूर्ण सड़क है । ये बात भी सच है कि इसमें दो बार जॉच हुई और जांच के बाद यह पाया गया कि काम तो ठीक हुआ है, परन्तु उसमें ट्रैफिक बढ़ गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ट्रैफिक बढ़ गया है इसलिए इसकी आवश्यकता है । चूंकि अभी 5 साल समाप्त नहीं हुआ है, ठेकेदार को 5 साल तक मेंटनेंस करना होता है इसलिए सब रूके हुए हैं । माननीय सदस्य ने स्वयं भी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना में इसका उल्लेख किया है कि अधिक ट्रैफिक के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है । मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि एस.क्यू.एम. ने दो बार जांच की है, उसकी एक जॉच एन.क्यू.एम. (नेशनल क्वालिटी मानीटिरिंग) के माध्यम और जांच करा लेते हैं । साथ-ही-साथ इसके स्ट्रेथनिंग की आवश्यकता है तो एन.क्यू.एम. की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जो निर्माण है, उसके संदर्भ में चर्चा होगी, परन्तु अभी आवश्यकता के अनुरूप इसके स्ट्रेथनिंग की घोषणा मैं करता हूं ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनता में कोई आक्रोश नहीं है । वहां दो बस चल रही थी, वह बंद पड़ी हुई है । कभी 5 दिन पहले वहां की जनता के द्वारा एस.डी.एम. कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है कि अगर इसके मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा तो हम आन्दोलन और धरना करने वाले हैं । वहां आक्रोश तो है, वहां आवेदन दिया जा चुका है । दूसरी बात, यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि पखांजूर से गढ़चिरौली पेंड्री महाराष्ट्र जाती है तो वह 11 किलोमीटर की सड़क है । वहां पर महाराष्ट्र की सड़क बहुत अच्छी है । यह सड़क बनते ही लगातार गड्डे हुए । वहां गड्डे में सड़क है या सड़क में गड्डा है, इस प्रकार की स्थिति है, वहॉ चलना दूभर हो गया है ।

सभापति महोदय :- आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए कि आप इसमें क्या चाहते हैं?

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि वह सड़क अभी 5 साल की गारंटी पीरिएड में है । अभी तत्काल उसके मरम्मत का काम, निर्माण का काम और आने वाले समय में अगर वहां हैवी गाड़ियां चलती हैं तो उसके हिसाब से उसके निर्माण का काम कराएंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैंने तो ध्यानाकर्षण में प्रारंभ में ही कह दिया कि इसकी दो जांच स्टेट क्वालिटी मानीटरिंग सिस्टम से हुई है । इसकी एक जांच एन.क्यू.एम. से करवाएंगे, वह जांच रिपोर्ट आती रहेगी । उसके आधार पर कार्यवाहियां की जाएंगी, परन्तु उसके पूर्व ही इसके स्ट्रेथनिंग के लिए मैं घोषणा करता हूं, यह मैं पहले ही बोल चुका हूं ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- धन्यवाद । लेकिन इसका काम थोड़ा जल्दी हो क्योंकि वहां गड्डे हैं, वह फिलहाल कम से कम बरसात के समय में चलने लायक तो हो ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने आपके सड़क के मजबूतीकरण के लिए बोल दिया है । और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, समयावधि बता दीजिए कि कब तक यह काम शुरू हो जाएगा ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, यह जो पॉच वर्ष के मेंटनेंस का मामला होता है, जिसमें से अभी 3 वर्ष बीत गया है । मैं सोचता हूं कि बारिश के बाद इसको शुरू करवा देंगे ।

सभापति महोदय :- ठीक है, बारिश के बाद काम शुरू करा देंगे ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, बारिश के पहले गड्डा भरवा दीजिए, ताकि चल चलने लाये हो जाये ।

सभापति महोदय :- पर्याप्त प्रश्न हो गए । आप मंत्री जी से बात कर लीजिए न। आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति जी, एक छोटा सा प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- आप बस्तर में कहां पूछेंगे ?

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति जी, बस्तर का नहीं पूछ रहा हूं, यह प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसके लिए छोटा से मद की बात है ।

सभापति महोदय :- उसका विस्तृत नहीं करेंगे आदरणीय । आप बैठिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- यह बस्तर का ध्यानाकर्षण है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं उससे हटकर कुछ बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- आप हटकर इसलिए मत पूछिए क्योंकि यह स्पेशिफिक पखांजूर, गढ़चिरौली का प्रश्न है, जिसका जवाब मंत्री जी ने स्पष्ट दे दिया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ध्यानाकर्षण नहीं है, जिसमें एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है कि यह कहना सही नहीं है तो क्या सारे ध्यानाकर्षण गलत हैं ? मंत्री जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, अधिकारी जो लिखते हैं, आप वही पढ़ देते हैं ।

श्री विजय शर्मा :- बहुत आक्रोश नहीं है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिए । मैंने आपको जवाब देने के लिए नहीं कहा है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं केवल आपके विभाग में नहीं बोल रहा हूं । एक भी ध्यानाकर्षण बता दीजिए, जिसमें यह नहीं कहा जाता कि यह जनता में आक्रोश नहीं है, कहना सही नहीं है ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई, आप बैठिए ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- बोलिए, आप बस्तर के बारे में बोल रहे हैं ।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि जो कांकेर शहर मुख्यालय है, उसके आसपास का एरिया प्रधानमंत्री सड़क अंतागढ़ को भी जोड़ता है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वहां बहुत ही दयनीय स्थिति है । पॉच साल में कुछ काम नहीं हुआ । वहां अभी धरना प्रदर्शन भी हुआ था।

सभापति महोदय :- आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जिसके रिपेयरिंग का काम है, वह पूरे गड्डे हो गए हैं, उसमें पूरे स्कूल के बच्चे आते हैं ।

सभापति महोदय :- इसमें उस विषय में इस ध्यानाकर्षण में चर्चा नहीं हो पाएगी । आप अलग से लगा दीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन, हम सब जानना चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बहिर्गमन शब्द बोलना आता है या नहीं आता है ? क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष कभी बहिर्गमन नहीं करते, उसके बाजू वाले बहिर्गमन करके उनके विशेषाधिकार का हनन करते हैं। बहिर्गमन शब्द बोलने आता है या नहीं है ? माननीय सभापति जी, यह क्लीयर करवा दीजिये कि नेता प्रतिपक्ष जी को बहिर्गमन शब्द बोलना आता है या नहीं आता है ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय सभापति जी, मुझे बहिर्गमन शब्द बहुत बेहतर तरीके से बोलना आता है, मगर मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए उन्हें यहां का नेतागिरी (हंसी) करने का मौका देता हूं। इसलिए आप चिंता मत करिये।

श्री राजेश मूणत :- मन की असली बात निकल गई। नेता जी, बधाई हो। मन की बात निकल ही गई।

डॉ. चरण दास महंत :- इतना सम्मान रखना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, मंत्री को उसी सम्मान के साथ देंखे।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन हम चिंतित है कि इतना सम्मान मत दीजिये कि उनको आप अपनी चेयर पर बैठा दें।

डॉ. चरण दास महंत :- वह सम्बन्ध तो आप ही के साथ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा आपका तो अवैध सम्बन्ध है।

डॉ. चरण दास महंत :- मेरे और आपके बीच जो अवैध सम्बन्ध है, उसके साथ रहना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, परत दर परत मत बात करिये, ईशारे में सुन लिए, समझ लिए। अब आगे बढ़ने दीजिये। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

(3) जिला बेमेतरा के ग्राम पिरदा में संचालित स्पेशल ब्लास्टस लिमिटेड में हुए विस्फोट की जांच होना।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला बेमेतरा के ग्राम पिरदा में संचालित स्पेशल ब्लास्टस लिमिटेड में 25 मई, 2024 को बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में अनेक कर्मचारियों की ऐसी मृत्यु हुई कि उनके शरीर के अंग-उपांग भी नहीं मिल सके अर्थात् संपूर्ण शरीर ही राख होकर विलीन हो गया। अनेक व्यक्ति घायल भी हुए। कारखाना प्रबंधन के द्वारा मृतकों की वास्तविक संख्या छिपाई जा रही है। केवल उन्हीं कर्मचारियों के नाम मृतकों में बताए जा रहे हैं, जो स्थानीय निवासी थे। राज्य के बाहर के भी अनेक व्यक्ति कारखाना में कार्य कर रहे थे। उनमें से कम से कम 10 व्यक्तियों की मृत्यु होना बताया जा रहा है। लेकिन प्रबंधन के द्वारा इस तथ्य को छिपाया जा रहा है। इतना भयानक विस्फोट होना सामान्य घटना नहीं है। निश्चित रूप से घोर आपराधिक लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। विस्फोटक पदार्थों के सम्बन्ध में प्रभावशील विधि विधान का पालन नहीं करने के कारण यह भयानक दुर्घटना हुई है और घोर लापरवाही करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया ही जाना चाहिए। जांच करने वालों ने भी जानबूझकर सत्य जानने का समुचित प्रयास नहीं किया। विस्फोट इतना भयानक था कि संपूर्ण शरीर राख में तब्दील हो गया।

समय
1.08 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर विस्फोटक की मात्रा बहुत अधिक थी। वास्तविक मात्रा को भी छिपाया जा रहा है। क्योंकि विस्फोटकों के उत्पादन की सही-सही मात्रा को रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता था। अनुमति प्राप्त मात्रा से बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटकों को निर्माण और भंडारण किया जाता था। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, परन्तु ना तो आक्यूपायर के विरूद्ध और ना ही प्रबंधक के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की गई। मृतकों को मुआवजा राशि दे देने मात्र से अपराधी कार्यवाही से मुक्त नहीं हो जाता है। राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लिया गया है। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। उत्तरदायी व्यक्तियों को इस तरह से सरंक्षण दिया जाना अनुचित है। शासन-प्रशासन का दोषियों पर कार्यवाही नहीं करने से आम जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि जिला बेमेतरा के ग्राम पिरदा में संचालित स्पेशल ब्लास्टस लिमिटेड में 25 मई, 2024 को बड़ा विस्फोट हुआ।

दिनांक 25 मई, 2024 को प्रातः लगभग 8.00 बजे कारखाना परिसर में स्थापित पी.ई.टी.एन. एक्सप्लोसिव विनिर्माण बिल्डिंग में श्रमिकों के द्वारा पी.ई.टी.एन. एक्सप्लोसिव के उठाव-धराव का कार्य करने के दौरान एकाएक घषर्ण जनित स्थैतिक विद्युत उत्पन्न हो जाने के कारण गंभीर विस्फोटक दुर्घटना घटी थी। उक्त विस्फोटक दुर्घटना के कारण पी.ई.टी.एन. एक्सप्लोसिव विनिर्माण बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी तथा उक्त भवन के आसपास कारखाना परिसर के अंदर स्थापित अन्य निर्माण प्लांट भी क्षतिग्रस्त हो गये थे। इस दुर्घटना में 09 श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा 07 श्रमिक घायल हुए हैं। यह कहना सही नहीं है कि कारखाना प्रबंधन के द्वारा मृतकों की संख्या छिपायी जा रही है एवं केवल उन्हीं मृत श्रमिकों के नाम बताए जा रहे हैं जो स्थानीय निवासी थे। दुर्घटना की जांच से तथ्यात्मक जानकारी ज्ञात हुई है कि उक्त विस्फोट की दुर्घटना से कुल 09 श्रमिकों क्रमशः श्री नरहर यदु (ऑपरेटर), श्री भीष्म साहू (ऑपरेटर), श्री पुष्पराज देवदास (हेल्पर), श्री विजय देवदास (हेल्पर), श्री राजु ध्रुव (हेल्पर), श्री नीरज ध्रुव (हेल्पर), श्री लोकनाथ यादव (हेल्पर), श्री शंकर यादव (हेल्पर) एवं श्री सेवक राम साहू (ऑपरेटर) की बिल्डिंग के पूर्ण रूप से एक्सप्लोड होने से दुर्घटना से मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। मृत श्रमिकों के शरीर के प्राप्त अवशेषों की शिनाख्ती हेतु जिला प्रशासन द्वारा डी.एन.ए. जाँच भी कराई जा रही है। उक्त विस्फोट की दुर्घटना से कुल 07 श्रमिक श्री इन्द्र कुमार रघुवंशी, श्री नीरज यादव, श्री चंदन कुमार, श्री रवि कुर्रे, श्री दिलीप ध्रुव, श्री शेषनाग निषाद एवं श्री मनोहर यादव गंभीर रुप से घायल हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि कारखाने में भयानक विस्फोट होना एक सामान्य घटना नहीं है और निश्चित रूप से लापरवाही के कारण घटित हुई है। संबंधित कारखाना विस्फोटक निर्माण करने का कारखाना है, जिसमें विस्फोटक पदार्थों के संबंध में प्रभावशील विधि-विधान का पालन करवाने का दायित्व पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार, अटल नगर, नवा रायपुर की है। उल्लेखनीय है कि उक्त कारखाने को पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के द्वारा अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं। उप विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा विस्फोटक विधि-विधान के परिपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कारखाने का निरीक्षण पिछले एक वर्ष में क्रमशः 23.02.2023, 24.02.2023, 06.06.2023, 15.07.2023, 07.09.2023, 24.09.2023, 12.12.2023 एवं 08.03.2024 को किया गया था तथा पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश भी क्रमशः पत्र दिनांक 05.04.2023, 06.04.2023, 14.06.2023, 18.07.2023, 12.09.2023, 06.10.2023, 15.12.2023 एवं 13.03.2024 द्वारा दिये गये थे। दिये गये निर्देश के संबंध में कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर पालन प्रतिवेदन उप विस्फोटक नियंत्रक को प्रस्तुत किया गया है। उक्त घटना घटित होने के पश्चात् पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के अधिकारियों के द्वारा विस्फोटक दुर्घटना की जांच करने

के पश्चात् कारखाने में पाई गई सुरक्षा संबंधित अनियमितताओं के कारण कारखाना स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड को जारी सभी अनुज्ञप्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् उक्त दुर्घटना की जांच उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 25.05.2024 से दिनांक 28.05.2024 तक की गई है। दुर्घटना की जांच में कारखाना प्रबंधन द्वारा पी.ई.टी.एन. एक्सप्लोसिव जैसे अत्यधिक विस्फोटक प्रकृति के रसायन समिश्रण के विनिर्माण पश्चात् इस अति-संवेदनशील रसायन समिश्रण के सुरक्षित रूप से उठाव-धराव के दौरान घोर लापरवाही अपनाया जाना पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कारखाने में नियोजित श्रमिकों की प्राणांतक एवं गंभीर दुर्घटना घटित हुई।

यह कहना सही नहीं है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई परंतु न तो आक्यूपायर के विरूद्ध और न ही प्रबंधक के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की गई है, अपितु उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, दुर्ग द्वारा दुर्घटना जांच उपरांत कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत कारखाना परिसर में संचालित समस्त विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 26.05.2024 को जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावशील है। इसके साथ ही कारखाने के अधिभोगी श्री अवधेश जैन एवं कारखाना प्रबंधक श्री सतीश कुमार के विरूद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दिनांक 10.06.2024 को माननीय श्रम न्यायालय, दुर्ग मेंआपराधिक प्रकरण दायर किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त विस्फोटक दुर्घटना के संबंध में संबंधित कारखाने के विरूद्ध पुलिस चौकी कंडरका, थाना-बेरला, जिला - बेमेतरा द्वारा कारखाना स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के पदाधिकारी श्री अवधेश जैन एवं अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्रमांक 0178, भा.द.सं. 1860 की धारा 286, 337, 304-ए एवं विस्फोटक अधिनियम, 1984, 9बी एवं 9सी के तहत दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अत: यह कहना सही नहीं है कि राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लिया गया है एवं उत्तरदायी व्यक्तियों को किसी तरह का संरक्षण दिया जा रहा है तथा शासन-प्रशासन द्वारा दोषियों पर कार्यवाही नहीं करने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी के जवाब से यह बात तो साफ हो गई कि उठाव-धराव के दौरान static electricity की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ है। मैं specific दो-तीन सवाल पूछ रहा हूं और उसके बाद मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। क्या वहॉं पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे? क्या उन श्रमिकों को सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई थीऔर जहॉं पर एक्सप्लोजिव रखा गया था, क्या वहां पर रखना नियत था और उस मैगज़ीन की कैपेसिटी क्या थी?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाना 1998 से स्थापित हैऔर उस कारखाने में विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। कारखाने में निम्नलिखित विस्फोटकों SLURRY SPAN EXPLOSIVE 24 हजार टन, DETONATING FUSE40 टन, B.A.N. 1200 टन, CAST BOOSTERS 2000 टन, S.O. 7100 टन के विस्फोटक निर्माण का लायसेंस पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। माननीय सदस्य महोदय पूछ रहे थे कि जो श्रमिक थे, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया था या नहीं, तो श्रमिक काफी दिनों से काम कर रहे थे, उन्हें सारी चीजों की जानकारी थी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय,जो deputy director की रिपोर्ट है, उसमें यह साफ लिखा गया है कि श्रमिकों को ट्रेनिंग प्रोवाईड नहीं की गई थी। वहां पर जो direct supervision में काम होना चाहिए था, इनकी रिपोर्ट में है कि वहां पर direct supervision में काम नहीं हो रहा था और जिस बिल्डिंग में explosive को स्टोर किया गया था, वह स्टोरेज के लिए निहित नहीं थी। मैं आपसे यह बात और पूछना चाहूंगा कि जिस बिल्डिंग में, जिस शेड में रखा गया था, क्या छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली के अनुसार उसमें stability certificate लिया गया थाऔर आपकी आपातकालीन योजना क्या वहां पर उपस्थित थी या नहीं थी?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाना की जांच में बहुत सारी अनियमितताएं पायी गयी हैं। उन सारी अनियमितताओं की जांच पूर्ण रूप से की जा रही है। यहां तक की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दण्डाधिकारी द्वारा भी जांच की जा रही है। पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। उसमें विधि सम्मत जो भी प्रक्रिया है, उसके तहत विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। अभी उनका लाईसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। अभी वहां पर किसी तरह का काम नहीं चल रहा है। सुरक्षा परीक्षण की बात की गयी है। वहां की कंपनी के द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया था। मैगजीन स्टोर भण्डारण में किया जाना था। बाकी कई तरह से अनियमितताएं पायी गयी है। विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से कार्रवाई नियम सम्मत की जा रही है। इसमें सरकार के द्वारा किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा रहा है और पूरा शासन, प्रशासन श्रमिकों के साथ है। कारखाना के द्वारा मृतकों को 35 लाख रूपये की मुआवजा राशि दी गयी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मृतकों को 5 लाख रूपये की सहायता राशि दी गयी। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को 40 लाख रूपये की राशि दी गयी है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो इसमें मेरा दो प्वाईंटेड प्रश्न है। उसमें जो सवाल मैंने आपसे पूछे, उसमें इन्हीं के जो Deputy Director ने जांच की है, उसमें बताया गया है कि न उनको सुपरविजन किया जा रहा था, न सेफ्टी ट्रेनिंग दी गयी थी। जहां पर एक्सप्लोजिव रखा गया था, न उसके पास Stability certificate था, न वहां पर रखा जाना नियत किया

गया था। आपातकालीन योजना भी नहीं पायी गयी और उसके अलावा Factories act 1948 के Section-2 में लिखा हुआ है कि Occupier can be defined as a person who was unlimited control over the affairs of the factory. Section-6 में लाईसेंस लेना, प्लांट को मेंटेन करना, एडवक्वेट अरेंजमेंट करना। section-40 'B' में safety officer appoint करना और section-41 'B' में Discloser करना और handling करना, यह सारा Occupier की जिम्मेदारियों में आता है। इनमें से एक भी चीजों का पालन नहीं किया गया और उसके बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उनको सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया गया। यह आपकी अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आखिर कार्रवाई कब होगी ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सीधा-सा प्रश्न है। वहां की कंपनी के जो प्रबंधक थे, उनके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? उनके ऊपर कार्रवाई कब तक की जायेगी ? क्या मंत्री जी उसके लिये कोई समय अवधि तय करेंगे और सदन में इसकी स्पष्टता देंगे ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, एक और बात बता दें कि क्या आपने उनके खिलाफ जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की है या गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की है ? Occupier के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी ? आपने जो बताया कि मामला लंबित है, आखिर यह सारे प्वाईंट occupier के अधीन आते हैं। यदि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की है तो जमानती कार्रवाई की है या गैर जमानती कार्रवाई की है ? यदि कार्रवाई नहीं की है तो कब तक करेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, गरीब के लिये अलग कानून अउ बड़े पैसा वाले के लिये अलग कानून हे। ओ मन फैक्ट्री वाला हे तो ओखर बर कुछ भी करथो अउ गरीब रहिथे तहान ओला धुर्रा में मत आंक। ओकर ऊपर जो धारा लगाये गये हे, ओ धारा ला बतावव अउ तोर जाये के पहले ओ मन अंदर हो जाये।

श्री देवेन्द्र यादव :- मंत्री जी, धाराओं को भी स्पष्ट करें।

श्री दीपेश साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पिरदा क्षेत्र की बात हो रही है, वह मेरा ही विधान सभा क्षेत्र है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो सदस्यों के द्वारा ध्यानाकर्षण लाया गया है। दूसरे सदस्य ने अभी कोई प्रश्न नहीं किया है। आप उसके बाद अन्य सदस्यों को मौका दे, तो मैं इसे बेहतर समझता हूं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में यह है कि निश्चित रूप से लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है। जांच रिपोर्ट में Deputy director, Industrial, health and safety के द्वारा साफ-साफ शब्दों में यह लिखा गया है कि अति संवेदनशील,

अत्यधिक विस्फोटक को सुरक्षित ढंग से हैंडलिंग के दौरान घोर लापरवाही बरती गयी है। इस घोर लापरवाही के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है ? मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इसमें कौन जवाबदार है। बता दीजिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, पूरा कारखाना प्रबंधन इसका जवाबदार है। मैंने पहले ही बताया कि भारत पेट्रोलियम के द्वारा इसकी जांच की जा रही थी। जैसा कि सदस्य ने कहा कि उनके ऊपर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है। शासन के द्वारा उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। उसमें दण्डाधिकारी जांच भी जारी है।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, धाराओं का भी उल्लेख कर दीजिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, मैंने धाराओं के बारे में पहले ही बता दिया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, आपने Occupier के ऊपर क्या धाराएं लगायी हैं, यह बता दीजिये ? क्योंकि यह प्रावधान में है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, वहां 15-20 आदमी मर गे हे अऊ ओखर मालिक हा पान खाकर किंजरत हे। वाह।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही धारा बतायी है, उसमें जो धारा लिखी है। अगर आप कहेंगे तो और उसे एक बार बता देता हूँ जो धारा लगी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय राघवेन्द्र जी, उनके ध्यानाकर्षण के उत्तर में धारा लिखी है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वही जानना चाह रहा हूँ कि Occupier और मैनेजर पर जो कार्यवाही होनी चाहिए थी। आखिर वह पूरे प्रबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं और Occupier और मैनेजर सेक्शन (2) में define हैं, उसकी जिम्मेदारियां परिभाषित हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए। जिसके नाम से लाईसेंस था उसके नाम से ही एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है और अवधेश एवं उनके अन्य जो साथीगण हैं, उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप में से कोई पिरदा गये थे क्या, जहां पर घटना हुई है ? आप वहां पर गये थे या नहीं, हां या ना में बताईये ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पिरदा नहीं गये हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम सवाल करें या नहीं करें, यह आप बता दीजिए ? यह गैर जमानती धारा है या जमानती है, यहां पर आप यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, जिनका ध्यानाकर्षण है, उनका प्रश्न आने दीजिए। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- उन्हें आप क्यों सुरक्षा दे रहे हैं? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। माननीय मंत्री जी, हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप ओ ला पूछव कि उहां उद्योग मंत्री जी हा गे हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं यह बोल रहा हूँ कि आप बलौदा बाजार गये थे और वहां पर पिरदा रास्ते में है, वहां पर नहीं गये थे।

श्री रामकुमार यादव :- आप ओ ला पूछव कि उहां उद्योग मंत्री जी हा गे हे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर गये थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं, आपसे वही तो पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। यह जिसका ध्यानाकर्षण है, उनको पहले प्रश्न करने दिया जाए। फिर मैं बाद में मौका दूंगा। आप भी बोलेंगे। पहले माननीय सदस्या को प्रश्न कर लेने दीजिए। माननीय हरवंश जी बोलिए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विस्फोटक विधि विधान की तरफ से कारखाने को 8 बार चिट्टी लिखी गई है। 8 बार उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। तो क्या नियम का परिपालन करने के लिए, पहले से कोई ऐसी सूचना थी कि वहां पर गलत कार्य हो रहा है और वहां पर दुर्घटना हो सकती है, ऐसी कोई पहले से जानकारी थी जो इतनी बार लगातार चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ गई।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है। कहीं ऐसी दुर्घटना होगी, यह किसी को जानकारी नहीं रहती है। बाकी अप्राकृतिक दुर्घटना है, इससे हम भी दु:खी हैं। बाकी जो शासन से जो कार्यवाही करना था शासन पूरी कार्यवाही कर रहा है और माननीय सदस्य जो धारा के बारे में जानकारी पूछ रहे थे तो मैंने धारा के बारे में पहले ही बताया था कि बेमेतरा स्पेशल ...।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में क्या है माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में धारा के संदर्भ में जानकारी दे दी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि यहां पर सदन में धारा का उल्लेख आ जाएगा तो कोई दिक्कत है ?

श्री केदार कश्यप :- आप मेरी बात सुनिये। आपने पूरा उत्तर पढ़ा नहीं है। शायद यह हो सकता है, वह चाहते हैं कि उनको उत्तर इटालियन में दिया जाये ताकि वह पढ़ सकें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण का उत्तर पढ़ा हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ही ...। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय,वहां पर निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है शासन प्रशासन की गलती होती है। मालिकों को बचाया जाता है। यह इटालियन भाषा की बात कर रहे हैं। यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़कर ही प्रश्न किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए गंभीर विषय हे। उहां लोग मरे हे। (व्यवधान) ऊंकर घर में हाढ़ी नइ चघत हे। ओ मन दु:खी हे, लेकिन ए सरकार बिल्कुल गंभीर नइ हे...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी विस्फोट हो सकता है और ऐसी तकलीफ कहीं पर भी हो सकती है। आप उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। प्रभु, आप तो ऐसा मत कीजिए। आप तो मत बताईये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- उहां ओतक आदमी मरे हे। ओ मन बेमौत मरे हे। तुंहर सरकार में मरे हे। तुमन के गलती मा मरे हे। अगर तुमन सही समय में जांच करातेव ता ओ मन थोड़ी मरतिस। तुमन बमबारी में मरवा हव।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़कर ही यहां पर प्रश्न किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग बात तो सुन लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहते हैं उनको बताने का मौका दिया जाये।

श्री रामकुमार यादव :- ओ गरीब यादव समाज के काम करए तेला तुमन (व्यवधान)

श्री लखनलाल देवांगन :- आप लोग बैठेंगे तब तो मैं आपका जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग माननीय मंत्री जी पर विश्वास कीजिए, वह अच्छा बोल सकते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए परदेश मा गरीब आदमी सुरक्षित नइ हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूँ कि पुरानी धारा, दफा में बताना बेकार है। अब तो दफा का सब बदल गया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- महोदय, पुरानी दफा पुराने में ही लगेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप इन्हें नयी दफा में कुछ बताईये, यह लोग समझ नहीं पाएंगे।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में चर्चा पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूँ कि इससे सभा सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय महंत जी ने प्रश्न करने के लिए हाथ उठाया था। आपने प्रश्न खत्म कर लिया। तो आप बैठती क्यों हैं? आप अपना आखिरी प्रश्न करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निरीक्षण दल भारत सरकार की तरफ से आये थे, उनकी जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, महंत जी, सबका मिलाकर पूछ लें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री जी को पूरा जवाब लिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बात सही है, सहीं है। बैठ जा न मैं तोर कोतिल बता देथवं। यह प्रदेश में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। मंत्री जी, मैं शासन को और आपको दोषी नहीं मानता। मगर मैं आपके संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो मंत्री जी को पहले निर्देश दिया है, वह अपनी बात वापस लें, क्षमा मागें। उनने कहा है कि इनको इटालियन भाषा में तारीख बता दीजिए। यह गलत बात है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप माफी मागें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपना प्रश्न कर लीजिए।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उत्तर को ही उनकी जगह दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप उत्तर दीजिए।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी घटना है, बारूद का विस्फोट हो गया। उसको बचाने के लिए हमारे, आपके लोग तो बहुत लगे हैं। सरकार भी बचाने में लग जाये यह तो बहुत दु:खद बात है। जब ये कह रहा है कि Occupier और प्रबंधक इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं तो उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो आप यह बता दीजिए कि वह किसके संरक्षण में बचे हैं ? आपने 5 लाख रुपये दे दिया, आप ज्यादा दे सकते थे, मत दीजिए। मैंने

घटना के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। जो कारखाना का मालिक है, उससे 1 करोड़ रुपये वसूला जाये और गरीबों को दिया जाये। मेरी बात सुनते ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 लाख रुपये और उस प्रबंधक को 35 लाख रुपये देने के लिए कहीं न कहीं से दबाव आया। यह बिल्कुल 100 प्रतिशत सही है, आप भी जानते हैं। हालांकि आज आप ऊपर बैठे हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वहां जितने बारूद का उत्पादन होना चाहिए, उससे ज्यादा बारूद बनता था, बनता है। वहां से जितने गलत आदमी लोग हैं, तोर इहां एस.ई.सी.एल. में विस्फोट होथे न, लखनलाल जी सुने हस, वह विस्फोटक में सब जगह बारूद का इस्तेमाल होता है। अगर हम दो नंबर का बारूद बेचेंगे तो दो नंबर का आदमी खरीदेगा। और जो आदमी जितना खरीदेगा, उतना ही उसके यहां उत्पादन बताया जायेगा। यह पूरी लंबी प्रक्रिया है। इसमें जान-बूझ करके दो नंबर के बारूद को बनाना, बेचना और जो सामने वाले होते हैं, जिस ढंग से व्यवस्थायें बनी हैं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर इस पूरे ध्यानाकर्षण पर सदन को गुमराह किया जा रहा है, सदन को वास्तविक बातें बताई नहीं जा रही हैं। वहां के प्रबंधक, Occupier को जो कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार उत्तरदायी तो हैं, उनको भी बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। इन सब बातों को माननीय मंत्री जी छुपाना चाहते हैं, सही जवाब नहीं देना चाहते। इसलिए हम सब लोग आदरणीय चन्द्राकर जी के कथनानुसार बहिर्गमन करते हैं, बहिर्गमन करना हमको भी आता है।

समय
1.33 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास मंहत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री राजेश मूणत :- आपने कम से कम पहली बार बहिर्गमन किया है।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपरान्ह 3.00 बजे तक के लिये स्थगित।

(1.34 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :
3:00 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में ऐसा दृश्य कभी नहीं हुआ कि विधान सभा की कार्यवाही शुरू हो रही है और एक भी सदस्य नहीं है। जब से छत्तीसगढ़ विधान सभा बनी तब से लेकर आज तक हमने विपक्ष की इतनी लज्जाजनक स्थिति और दयनीय दशा नहीं देखी है। कम से कम एकाध लोग उपस्थित रहते ही थे।

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- यह घोर दुर्भाग्य है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह घोर दुर्भाग्य है।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, असल में आज का जो भोजन है, वह हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव जी के द्वारा है और खाना बहुत लाजवाब बना है, लजीज बना हुआ है।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, आप तो स्थायी सभापति हो गये हैं।

सभापति महोदय :- बाकी मंत्री भी माननीय अरूण साव जी के पदचिन्हों में चलें।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के जितने सदस्य थे, उनकी थाली में हमारे कवासी लखमा जी वाला आइटम चला गया इसलिए अभी वे सभी बेहोशी की हालत में हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इधर के एक-दो लोगों को अनुमति देंगे तो उधर बैठा देते हैं। राजेश जी, आप थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाईये।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(4) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये टंकी निर्माण, पाईपलाईन बिछाने तथा ग्रामों में पूर्व से निर्मित सी.सी. रोड एवं नाली में तोड़फोड़ किया जाना

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

"मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये पानी टंकी का निर्माण, पाईपलाईन बिछाने तथा ग्रामों में पूर्व से निर्मित सी.सी. रोड, गली एवं नाली में तोड़-फोड़ किये जाने से संबंधित कार्यों में अनियममितता व्याप्त है। विधानसभा के ग्राम 1. चकरभट्ठा, 2. पंडरभट्ठा, 3. डारगांव, 4. भटगांव, 5. दषरंगपुर, 6. कोसमा, 7. पदमपुर, 8. खम्हरिया, 9. लौदा. 10. बरछा, 11. गोइन्द्रा, 12. गोईन्द्री. 13. ढोढमा, 14. हथनीकला, 15. केसलीकला, 16. केसली (बीजातराई) 17. सेतगंगा, 18. लालपुर, 19. दाबो, 20. बोदा. 21. छटन, 21. पलानसरी, 23. भद्राली, 24. चमारी, 25.

टिंगीपुर, 26. चारतखार, 27. सोनपुरी, 18. चिरौंजपुर, 29. दुल्हीनबाय, 30. विचारपुर, 31. जगताकापा, 32. धरमपुरा, 33. जरहागांव, 34. बरेला, 35. भथरी, 36. फुलवारी, 31. दाउकापा, 38. बीरगहनी, 39. बीरगांव, 40. सेमरकोना, 41. सिपाही. 42. कारेसरा, 43. पिथमपुर, 44. कुकुसदा, 45. अमलीकापा सहित अनेकों ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा अनियमितता की गई है। ग्रामों में पानी टंकियों का निर्माण अपूर्ण है तथा कई ग्रामों में पानी टंकी का निर्माण आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईपलाईन बिछाने हेतु गांवों के सी.सी. रोड, गली एवं नालियों को तोड़ दिया गया है, अमानक स्तर के पाईपलाईन को बिछाये गये हैं, जिसके कारण गांवों के अधिकांश रोड एवं गली जलमग्न हो गये हैं, जिससे गांवों में मौसमी बीमारी का भी प्रकोप बढ़ गया है। लोग उल्टी-दस्तों से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। सड़कों एवं गलियों में पानी भरने के कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। ग्रामीणों को शुध्द पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु केन्द्र सरकार की उक्त महत्वकांक्षी योजना का संबंधित ठेकेदार की लापरवाही से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा हैं, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय। ये दोनों चाचा-भतीजा हैं और दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं तो मोहले जी ध्यानाकर्षण सूचना क्यों लगाये हैं? आप दोनों को बाहर भेज दीजिये, वे लोग बाहर बैठ कर बात कर लेंगे कि क्या-क्या प्रश्नोत्तर है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको क्या तकलीफ है?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप दोनों चाचा-भतीजा नहीं हैं क्या?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम लोग चाचा-भतीजा तो है ही, फिर आपको क्या तकलीफ है?

श्री अजय चन्द्राकर :- तो फिर आप लोग बाहर बैठ कर बात कर लीजिये न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- विधान सभा में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो यहां पर क्या [xx] (हंसी)

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने सही कहा है कि हमारा चाचा-भतीजा का रिश्ता है। माननीय मोहले जी मेरे अभिभावक हैं। लेकिन अजय चन्द्राकर जी, आप चाचा-भतीजे के बीच में मत आईये, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ जायेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, एक पिक्चर का डायलॉग था कि चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है। यह वाली कहानी आज चरितार्थ हो रही है।

श्री अरूण साव :- आदरणीय मोहले जी सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । वस्तुत: मेरे अभिभावक भी हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- डिप्टी सी.एम.साहब बोल रहे हैं अभिभावक हैं, लेकिन अभिभावक का कुछ गुण आपमें है ? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- गुण होता तो आप इनकी चिंता करते, आप इनकी कोई चिंता नहीं कर रहे हो । अकेले ही इधर-उधर घूम रहे हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- उसमें से कुछ ग्रहण करिएगा (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, दोनों बिलासपुर से हैं और रिश्ते में भी चाचा भतीजा हैं, उनको आपस में निपटने दीजिए और कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम एक ही गांव के हैं ।

श्री अरूण साव :- मैंने कहा कि चाचा भतीजा के बीच में कोई न आए, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे । माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मोहले जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । आज भी पूरे जज्बे के साथ अपने विधान सभा की एक-एक समस्या के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं । आज अपने विधान सभा क्षेत्र के 45 गांवों के जल जीवन मिशन के कामों के बारे में भी उन्होंने ध्यानाकर्षण लाया है इसलिए उत्तर भी बहुत विस्तार से दे रहा हूं । मेरा वक्तव्य निम्नानुसार है - मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए पानी टंकी का निर्माण पाईप लाईन बिछाने तथा ग्रामों में पूर्व से निर्मित रोड, सी.सी.गली में तोड़फोड़ किए जाने से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है । उल्लेखित 45 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है-

चकरभट्ठा - ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी पूर्व से निर्मित, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है ।

पंडरभट्ठा :- ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, आप उत्तर को देखेंगे तो मेरे ख्याल से विधान सभा में ध्यानाकर्षण का इतना लम्बा उत्तर नहीं आया होगा । मैं उसमें कुछ अदरवाइज़ नहीं बोल रहा हूं । यह एक संसदीय रिकॉर्ड बन रहा है । इस उत्तर को पढ़ने के बजाय टेबल करवा दीजिए और उत्तर की कॉपी इनके पास है, ये उसमें से प्रश्न पूछ लें । टेबल करवा दीजिए अन्यथा पढ़ने में पौन घंटा लगेगा ।

सभापति महोदय :- माननीय मोहले जी का ध्यानाकर्षण है, जैसा आप कहेंगे, संक्षेप में या विस्तृत, जैसा चाहेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पढ़ने दें, कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब पटल पर रख दें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- रिकॉर्ड में आ जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पटल में रखेंगे तो भी रिकॉर्ड में तो आएगा ही ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, जैसा आपका आदेश हो ।

सभापति महोदय :- मोहले जी, आप उसमें से देखकर प्रश्न कर लें ।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य की चिंता इतनी ही थी कि नलजल योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसमें तोड़फोड़ अधिक हो रही है और उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, विषय केवल इतना ही है । इसको बहुत लम्बा न खींचकर केवल समस्या के ऊपर फोकस किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय :- माननीय मोहले जी, आप उप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर लीजिए ।

(माननीय सभापति महोदय के निर्देशानुसार उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) का निम्नांकित वक्तव्य पटल पर प्रस्तुत हुआ)

<u>माननीय उपमुख्यमंत्री जी का वक्तव्य</u>

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये पानी टंकी का निर्माण, पाईप लाईन बिछाने तथा ग्रामों में पूर्व से निर्मित रोड, सी. सी. गली में तोड़-फोड़ किये जाने से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियममितता नहीं की गई है। उल्लेखित 45 ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है-

1. चकरभट्टा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी पूर्व से निर्मित, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

2. पंडरभट्ठा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ. एच.टी.सी कार्य पूर्ण, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 15 हैण्डपम्पों, 11 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

3. डारगांव ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य प्रगतिरत है, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण, टेस्टिंग कार्य प्रगतिरत है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्बर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 26 हैण्डपम्पों, 03 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

4. भटगांव ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

5. दशरंगपुर ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य 5 पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पूर्व निर्मित स्त्रोत से टंकी को जोड़ने हेतु बिछाई गई राइजिंग मेन से ग्रामवासियों द्वारा सीधे कनेक्शन लेने के कारण, विभागीय अधिकारियों द्वारा राइजिंग मेन से कनेक्शन न लेने हेतु समझाइश देने के उपरांत भी नहीं मानने के कारण जल प्रदाय बंद है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 02 हैण्डपम्पों, 05 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

6. कोसमा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 12 हेण्डपम्पों, 03 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

7. पदमपुर ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 12 हैण्डपम्पों, 17 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

8. खम्हरिया ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। पुरानी पानी टंकी से जल प्रदाय किया जा रहा है। नवीन योजना में विद्युत कनेक्शन का कार्य शेष है, विद्युत कनेक्शन उपरांत नवीन निर्मित पानी टंकी से भी जल प्रदाय किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 08 हैण्डपम्पों, 21 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

9. लौदा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। विद्युत कनेक्शन कार्य शेष, पुरानी योजना के माध्यम से आंशिक जल प्रदाग किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 03 हैण्डपम्पों, 01 सिंगल फेस पावर पंप के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

10. बरखा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है। ग्राम खुड़िया समूह जल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदाय योजना में सम्मिलत है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 11 हैण्डपम्पों, 01 सिंगल फेस पावर पम्प के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

11. गोइन्द्रा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है। ग्राम खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 11 हैण्डपम्पों, 01 सिंगल फेस पावर पंप के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

12. गोईन्द्री ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। पुरानी योजना से जल प्रदाय किया जा रहा है। ग्राम खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है।

13. ढोढमा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य प्रगति पर, पानी टंकी पूर्व से निर्मित, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 11 हैण्डपम्पों, 06 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

14. हथनीकला ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है। पुरानी योजना से जल प्रदाय किया जा रहा है। ग्राम खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है।

15. केशलीकला ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, 01 पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण एवं स्थल विवाद के कारण 01 पानी टंकी निर्माण कार्य अप्रारंभ, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 02 हैण्डपम्पों, 07 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है। .

16. केसली (विजातराई) ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण, टेस्टिंग कार्य प्रगति

पर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 1 हैण्डपम्प, 02 सिंगल फेस पावर पंपों, 01 सोलर पम्प के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

17. सेतगंगा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। ग्राम के मुख्य मार्ग पर बिछाई गई पाईप लाईन को राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण योजना बंद है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 05 हैण्डपम्पों, 07 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

18. लालपुर ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी. सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

19. दाबों ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी पूर्व से निर्मित, एफ.एच.टी. सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

20. बोदा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

21. छटन ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

22. पलानसरी ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

23. भद्राली ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

24. चमारी ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 06 हैण्डपम्पों, 04 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

25. टिगीपुर ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी. सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगतिरत, पाइप लाइन टेस्टिंग कार्य प्रगतिरत है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक

व्यवस्था के तहत ग्राम स्थापित 12 हैण्डपम्पों, 01 सिंगल फेस पावर पंप के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

26. चातरखार ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

27. सोनपुरी ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी. सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

28. चिरौजपुर ग्राम की सोलर आधारित जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, 01 सोलर पंप स्थापना कार्य पूर्ण एवं 01 सोलर पंप स्थापना ग्रामवासियों के विवाद के कारण अप्रारंभ, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड निर्माण कार्य प्रगतिरत, आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 02 हैण्डपम्पों, 06 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

29. दुल्हीनवाई ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर वैकल्पिक स्त्रोत से जल प्रदाय किया जा रहा है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है।

30. विचारपुर ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य प्रगति पर, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य अप्रारम्भ है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 02 हैण्डपम्पों, 05 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

31. जगताकापा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 14 हैण्डपम्पों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

32. धरमपुरा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी. सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

33. जरहागांव ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है, पुरानी योजना से आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 25 हैण्डपम्पों, 16 सिंगल फेस पावर पम्पों एवं 01 सोलर पंप के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

34. बरेला ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी.रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है, पुरानी योजना से आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 06 हैण्डपम्पों, 14 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

35. भथरी ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य प्रगति पर, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य अप्रारम्भ है, पुरानी योजना से आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 11 हैण्डपम्पों, 12 सिंगल फेस पावरपंपों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

36. फुलवारी ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी पूर्व से निर्मित, एफ.एच.टी. सी. कार्य पूर्ण, पाईप लाईन बिछाने हेतु सी. सी. रोड़ नहीं तोड़ी गई है, विदयुत कनेक्शन कार्य शेष, पुरानी योजना से आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 05 हैण्डपम्पों, 09 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

37. दाऊकापा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य प्रगति पर, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य अप्रारम्भ है, विद्युत कनेक्शन कार्य शेष है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 03 हैण्डपम्पों 05 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

38. विरगहनी ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण, विद्युत कनेक्शन कार्य शेष होने के कारण टेस्टिंग कार्य अपूर्ण है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 08 हैण्डपम्पों, 06 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

39. बिरगांव ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी पूर्व से निर्मित, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है एवं ग्राम के एक बसाहट में सोलर आधारित जल प्रदाय योजना के समस्त कार्य पूर्ण है। दोनों योजनाओं से ग्राम में जल प्रदाय किया जा रहा है।

40. सेमरकोना ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 04 हैण्डपम्पों, 05 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

41. सिपाही ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 09 हैण्डपम्पों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

42. कारेसरा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य प्रगति पर, कार्य प्रगति पर, एफ.एच.टी.सी. कार्य प्रगति पर, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य अप्रारम्भ है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 07 हैण्डपम्पों, 08 सिंगल फेस पावर पंपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

43. पीथमपुर ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 06 हैण्डपम्पों, 01 सिंगल फेस पावर पंप के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

44. कुकुसदा ग्राम की रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य अप्रारम्भ है, पुरानी योजना से आंशिक जल प्रदाय किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 25 हैण्डपम्पों के माध्यम से भी जल प्रदाय किया जा रहा है।

45. अमलीकापा ग्राम की एकल ग्राम जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन कार्य पूर्ण, पानी टंकी निर्माण कार्य पूर्ण, एफ.एच.टी.सी. कार्य पूर्ण, सी.सी. रोड मरम्मत कार्य पूर्ण है। ग्राम में उपलब्ध स्त्रोत में पॉवर पंप लगाकर योजना से जल प्रदाय किया जा रहा है। योजना खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आउटविलेज स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्ण रूप से जल प्रदाय किया जाना लक्षित है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम में स्थापित 11 हैण्डपम्पों एवं 01 नग सोलर पंप के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है।

इस प्रकार मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के सभी 264 ग्रामों में से 26 योजनाओं के कार्य पूर्ण एवं 238 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन अंतर्गत सभी कार्य मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्तायुक्त संपादित कराये जा रहे है। ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के कुल स्वीकृत 249 पानी टंकियों में से 100 पूर्ण, 122 प्रगति पर एवं 27

अप्रारंभ है। जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईप लाइन बिछाने एवं नल कनेक्शन दिए जाने के दौरान रोड की खुदाई आवश्यक है। पाइप लाइन एवं नल कनेक्शन हेतु खोदे गए गड्ढे में पाइप लाइन डालने के बाद तत्काल समतलीकरण कार्य किया जाता है एवं पाइप लाइन परीक्षण पश्चात् सी. सी. रोड मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत उपयोग में लाई जा रही विभिन्न व्यासों के यू.पी.व्ही.सी पाईपों का परीक्षण भारत सरकार की संस्था सीपेट द्वारा प्री-डिलीवरी परिक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने, जिले के प्रयोगशाला में एस. कंटेंट की मानक मात्रा प्राप्त होने के उपरांत ही पाइपों का उपयोग किया जा रहा है एवं स्वतंत्र एजेंसी तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच उपरांत ही उपयोग किया जा रहा है। अमानक स्तर के पाइप लाइन के कारण ग्रामों के रोड एवं गली जलमग्न होने की स्थिति किसी भी ग्राम में निर्मित नहीं हुई है।

कार्यपालन अभियंता, मुंगेली के पत्र क्रमांक 2491 दिनांक 19.07.2024 द्वारा विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड मुंगेली/पथरिया को पत्र प्रेषित कर विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के ग्रामों के जल जनित बीमारियों की जानकारी चाही गई, तत्संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड मुंगेली, जिला मुंगेली के पत्र क्रमांक 782 दिनांक 19.07.2024 से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखंड मुंगेली में अभी तक 64 जलजनित बीमारी (डायरिया) ज्ञात हुआ है, वर्तमान में स्थिति सामान्य है। 64 में से ग्राम मानपुर (भौसामुडा) के 22 केस मानपुर में ही शादी के आयोजन में सामूहिक भोज कार्यक्रम रखा गया था, दिनांक 06.07.2024 की रात्रि से दस्त प्रारंभ होने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर-घर भ्रमण कर प्रभावितों का उपचार किया गया, उनमें से 06 को जिला चिकित्सालय मुंगेली के लिए एम्बुलेंस से भिजवाया गया, वर्तमान में सभी की स्थिति सामान्य है। मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड पथरिया के किसी भी ग्राम में जल जनित संक्रमण नहीं होने की जानकारी दी गई है। जलजनित बीमोरियों से बचाव हेतु विभाग द्वारा समस्त पेयजल स्त्रोतों एवं नलजल योजनाओं का क्लोरीनेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पाईप लाईन बिछाने हेतु तोड़ी गई सी.सी. रोड मरम्मत की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जा रही है। जल जीवन मिशन अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के 82 ग्रामों में जल प्रदाय हो रहा है, जिससे केन्द्र सरकार की इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनमानस को मिल रहा है। जल जीवन मिशन के कार्य से जिले के आम जनता में रोष एवं असंतोष व्याप्त नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरे ध्यानाकर्षण लगाने का उद्देश्य माननीय उप मुख्यमंत्री जी समझ गए हैं । पाईप लाईन नहीं बिछाई गई है, ठेकेदार के तोड़फोड के कारण नालियां खराब हो गई हैं, उसमें कनेक्शन भी नहीं दिया गया है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भतीजे जी ने और मंत्री जी ने जवाब दिया है मैं चकरभट्ठा का बता रहा हूं कि आंशिक पानी मिल रहा है । उत्तर के प्रारंभ में ही यह

लिखा है । जब लोगों के लिए पूरे पानी की व्यवस्था की गई है तो लोगों को आंशिक पानी क्यों मिल रहा है ? किस कारण आंशिक पानी मिल रहा है । रोड में खोदने के बजाय नीचे गड्ढे में पाईप लाईन है और पानी ऊपर जा रहा है तो पानी कैसे मिलेगा? ऐसे में अगर बोरिंग पंप खोदना है तो उपर में खोदें, नीचे पानी जाएगा। नीचे में खोद रहे हैं तो उपर पानी कैसे जाएगा ? बात यह है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, खोदेंगे नहीं तो पानी कैसे उपर जाएगा? बिना पंप के पानी कैसे जाएगा यह भी तो बता दीजिए ? अभी आपने कहा कि चाचा भतीजे के बीच की बात है, दोनों ठीक है। वे कहते हैं कि पाईपलाईन में पानी नहीं आ रहा है, उसमें इनका क्या दोष है ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मंत्री जी का दोष नहीं है, कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेकेदारों पर आरोप लगाया है। मैं पहले आपको यह बता देता हूं। जहां बोरिंग ट्यूबवेल वगैरह नीचे में खोद दिए हैं, वहां पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है। उसके बाद ठेकेदार ने समय में काम किया तो कई जगह गड्ढे भी नहीं पाटे हैं। पाईप भी बिझाया गया है तो गलत तरीके से बिझाया गया है, पुराने पाईप को बिछा दिया गया है। वहां पर हम लोगों को पानी भी नहीं मिला है। मेरा कहने का मतलब यह है। दूसरा, अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में पूरे गांव में पानी भरा है, क्योंकि रोड में गड्ढे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने गांव में गड्ढे नहीं भरे गये हैं, जो सी.सी. गली कांट दिए हैं ? मेरा सामान्य प्रश्न है। कितने गांव में कार्य पूर्ण किये गये हैं और कितने काम अपूर्ण हैं ? क्योंकि इसी में इसका उत्तर आ जाएगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने बताया कि पूरे 45 गांवों की स्थि‍िति के बारे में माननीय वरिष्ठ सदस्य को बहुत विस्तार से दिया है। वास्तविकता यह है कि जब नल के कनेक्शन ले जाते हैं तो निश्चित रूप से रोड कांटना पड़ता है, चाहे वह मिट्टी रोड हो, चाहे सी.सी.रोड हो, प्रारंभिक तौर पर जब नल बिझा लिया जाता है तो सामान्य रूप से उसको समतल किया जाता है। जब पेंच सप्लाई की टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जैसा परमानेंट था, वैसा किया जाता है। जहां पर पेयजल प्रदाय की टेस्टिंग हो गयी है, वहां पर यथावत कर दिया गया है। जहां पर टेस्टिंग का काम बचा है, सप्लाई प्रापर नहीं हुई है, उन स्थानों पर सी.सी. रोड की मरम्मत का काम लंबित है, जैसे ही टेस्टिंग हो जाएगी, उसको पूरा करेंगे। जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है, एक-एक चीज के परीक्षण की संपूर्ण व्यवस्था है। जहां तक पाईप की व्यवस्था है, सीपेट के माध्यम से उसकी दो बार टेस्टिंग होती है। सीपेट के माध्यम से टेस्टिंग करने के बाद उसे कार्यस्थल पर भेजा जाता है और कार्य स्थल में लगाने के पूर्व भी उसकी विभागीय तौर पर हमारा लैब है, उसमें टेस्टिंग होती है। सामग्री में गुणवत्ता पूरी तरह से सुनिश्चित करने का काम न केवल पाईप में, अन्य सामग्री में भी गुणवत्तापूर्ण काम करने की संपूर्ण व्यवस्था जल जीवन मिशन में भारत सरकार की गाईडलाईन के हिसाब से है। जहां तक कहीं पर आंशिक प्रदाय हो रहा है तो 206 ग्राम का खुड़िया समूह से जल प्रदाय होना है, उसका काम चल रहा है, जब

तक वह काम नहीं हो जाता तब तक वहां गांव में जो व्यवस्था है, वहां से जल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि पाईपलाईन बिछा हुआ है तो लोगों को पेयजल मिले इसलिए आंशिक व्यवस्था करके वहां पर जल प्रदाय किया जा रहा है। माननीय सदस्य के विधानसभा की पूरी जानकारी इस प्रकार है कि मुंगेली विधान सभा में 264 ग्रामों में से 26 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 238 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी कार्य मापदंड के अनुरूप गुणवत्तायुक्त संपादित कराये जा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है। मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में कुल 249 टंकियों में से 100 पूर्ण कर लिये गये हैं, 122 प्रगति पर है, 27 अप्रांरभ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाईपलाईन बिछाने एवं नल कनेक्शन दिये जाने के दौरान रोड की खुदाई आवश्यक है। पाईपलाईन एवं नल कनेक्शन हेतु खोदे गये गड्ढे में पाईपलाईन डालने के बाद तत्काल समतलीकरण का कार्य किया जाता है एवं पाईपलाईन परीक्षण के पश्चात् सी.सी. रोड मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत उपयोग में लाई जा रही विभिन्न व्यासों के यू.पी.व्ही.सी. पाईपों का परीक्षण भारत सरकार की संस्था सीपेट द्वारा प्री-डिलीवरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने, जिले के प्रयोगशाला में एस. कटेंट की मानक मात्रा प्राप्त होने के उपरांत ही पाईपों का उपयोग किया जा रहा है एवं स्वतंत्र एजेंसी तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता जांच उपरांत ही उपयोग किया जा रहा है ।

अमानक स्तर के पाईप लाईन के कारण ग्रामों में रोड़, गली जल मग्न होने की स्थिति किसी भी ग्राम में निर्मित नहीं हुई है ।

कार्यपालन अभियंता, मुंगेली के पत्र क्रमांक 2491 दिनांक 19.07.2024 द्वारा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड मुंगेली/पथरिया को पत्र प्रेषित कर विधान सभा क्षेत्र मुंगेली के ग्रामों के जल जनित बीमारियों की जानकारी चाही गई, तत्संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड मुंगेली, जिला मुंगेली के पत्र क्रमांक 782 दिनांक 19.07.2024 से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखण्ड मुंगेली में अभी तक 64 जलजनित बीमारी (डायरिया) ज्ञान हुआ है, वर्तमान में स्थिति सामान्य है । 64 में से ग्राम मानपुर (भौंसामुड़ा) के 22 केस मानपुर में ही शादी के आयोजन में सामूहिक भोज कार्यक्रम रखा गया था, दिनांक 06.07.2024 की रात्रि से दस्त प्रारंभ होने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर-घर भ्रमण कर प्रभावितों का उपचार किया गया, उनमें से 06 को जिला चिकित्सालय, मुंगेली के लिए एम्बुलेंस से भिजवाया गया, वर्तमान में सभी की स्थिति सामान्य है । मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के किसी भी ग्राम में जल जनित संक्रमण नहीं होने की जानकारी दी गई है। जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु विभाग द्वारा समस्त पेयजल स्त्रोतों एवं नलजल योजनाओं का क्लोरीनेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

पाईप लाईन बिछाने हेतु तोड़ी गई सी.सी. रोड़ मरम्मत की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जा रही है । जल जीवन मिशन अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र मुंगेली के 82 ग्रामों में जल प्रदाय हो रहा है, जिससे केन्द्र सरकार की इस अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनमानस को मिल रहा है । जल जीवन मिशन के कार्य से जिले के आम जनता में रोष एवं असंतोष व्याप्त है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस गांव में अभी भी गड्डे हैं और गड्डे के कारण वहां जल जीवन अस्त-व्यस्त है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है । उसको तत्काल ठीक कराएंगे और आपने ही जवाब दिया है कि जिले के प्रयोगशाला में एस. कटेंट की मानक मात्रा प्राप्त होने के उपरांत ही पाईपों का उपयोग किया जा रहा है । कृपा करके बताएं कि मुंगेली में प्रयोगशाला कहां पर स्थापित है ? यह मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने कब किया, अगर ऐसा नहीं है तो जिसने गलत जानकारी दी है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे । अधिकारी-कर्मचारियों ने समय रहते परीक्षण नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? ठेकेदारों ने समय में कार्य को अवरूद्ध किया, जिससे गांव में अव्यवस्था फैली है । ऐसे ठेकेदारों को क्या आप ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि जल जीवन मिशन का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है । हर एक व्यक्ति तक शुद्ध पेय जल मिले, इसके लिए इतनी बड़ी योजना बनाई है । योजना का काम पूर्ण नहीं हुआ है, योजना लगातार प्रगतिरत् है और हमारी सरकार बनने के बाद इस योजना के क्रियान्यवन में लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे बड़े अधिकारी लगातार भी प्रवास कर रहे हैं, स्थान पर जा रहे हैं और योजना के काम में गति लाकर जो भी गुणवत्तायुक्त काम है, यह सुनिश्चित करने का काम लगातार कर रहे हैं । मुंगेली जिले में जो प्रयोगशाला की बात है, जिले के मुख्यालय में कार्यपालन अभियंता का जो कार्यालय है, वहां पर लैब स्थापित है और हमारा विभाग गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखता है क्योंकि यह पूरी तरह से जल जीवन मिशन में भारत सरकार की पूरी गाईड लाईन है । उस गाइड लाईन के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है । हमारे प्रदेश में 28 जिलों में प्रयोगशाला जो एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है, यह स्थापित है और गुणवत्ता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । यह योजना चार साल से चल रही है । समीक्षा में यह आता है कि 90 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है । लेकिन उसका लोकार्पण कहीं नहीं हो रहा है । पंचायत में अभी भी हस्तांतरण नहीं हुआ है, हम एक साथ नहीं कर सकते । पिछले समय कलेक्टर और बाकी अधिकारियों की बैठक में मैंने बातचीत की थी कि हम टास्क में ले लें कि महीने में क्या हम 4 बैठक कर सकते हैं या महीने में हम 2 बैठक कर सकते हैं क्योंकि 90 प्रतिशत काम हो चुका है । यदि ऐसा टास्क लेकर करेंगे तो धीरे-धीरे वह लोकार्पित होता जाएगा और

हैण्डओवर होता जाएगा । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं ? आप अधिकारियों को निर्देशित करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ।

सभापति महोदय :- मोहले जी, ध्यानाकर्षण आपका है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे ठेकेदार यहां है, यहां से प्रयोगशाला में प्रयोग हो गया, कार्य हो गया, सब जांच हो गई, चले गये । वहां पर डुप्लीकेट पाईप लग रहा है, आप क्या उसका जांच करायेंगे ? अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे, बाकी मैं संतुष्ट हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भतीजा हरै त कैसे संतुष्ट नई रहिबे ? (हंसी)

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न माननीय धरमलाल कौशिक जी ने किया है, आदरणीय मोहले जी ने किया है, बहुत वाजिब प्रश्न है । अभी जल जीवन मिशन कार्य पूर्ण होने के बाद ओएण्डम पालिसी हमारी बननी है, सारा वेरिफिकेशन के बाद, सत्यापन के बाद, इसका संचालन ग्राम पंचायतों को सौंपने जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है । जब तक ओयेण्डम पालिसी हमारी नहीं बनेगी, तब तक हमारा काम पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसका संचालन आगे चलकर ग्राम पंचायत को करना है, जहां तक माननीय मोहले जी ने बात कही है, सवाल ही नहीं है कि कोई डुप्लीकेट पाईप लगे, लेकिन कहीं पर किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदार व्यक्ति है, उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी । आपने देखा है, अभी हमने 6 एक्जिक्यूटिव इंजिनियर को सस्पेंड किया है, 4 को शो काज नोटिस जारी किया है और भी जो फर्म है, काम में विलंब कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी, किसी तरह का कोर कसर हम नहीं रखेंगे । माननीय नरेन्द्र मोदी जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है, आम लोगों के शुद्ध पेयजल देने का मामला है, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होगी । सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है, मैं आपकी भावनाओं से अवगत हूँ, इसलिये आपका यह उत्तर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह एक विधान सभा का ध्यानाकर्षण हो सकता है, लेकिन यह मिलता-जुलता विषय है । सभापति महोदय, कहीं पर टंकी बन गई है, कनेक्शन नहीं हुआ है, कहीं पर पाईपलाईन बिछ गई है, घर तक पानी सप्लाई नहीं है, घर तक यदि पानी सप्लाई है तो पूरे घरों में पानी सप्लाई नहीं है और कहीं पूरे स्ट्रक्चर बंद है, सब चीज हो गया है तो कहते हैं कि साहब यहां सोर्स नहीं मिल रहा है । सभापति महोदय, यह चार तरह की स्थिति बनती है तो प्रदेश में किसी भी योजना का आप पूर्णता का जो प्रतिशत बताते हैं तो मानते कैसे हैं ? सभापति महोदय, जब डी.पी.आर. बनाते हैं तो स्पॉट में किसी गांव में सोर्स नहीं मिला है तो आप वहां बिना सोर्स के काम कैसे शुरू कर देते हैं, यह बताने का कष्ट करें और किसी से क्या खर्चा वसूल होगा ? जब पूरा स्ट्रक्चर, पूरा

पाईप लाईन बिछ गया है, सब हो गया है और वहां सोर्स नहीं है, ऐसे लोगों ने कैसे काम शुरू किया है, जब सोर्स नहीं है । इस योजना में बिना सोर्स देखे काम शुरू किया जा सकता है क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा है योजना का काम अभी लगातार प्रगति पर है, जो परिस्थितियां आपने बताई है, उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक-एक गांव की योजना पूर्णता को प्राप्त करे, इसमें थोड़ी सी बात यह है कि जब पाईप लाईन हो जाता है, घरों में कनेक्शन हो गया, वह सिविल का काम पूर्ण कहलाता है, पेयजल वास्तव में हर घर तक जा रहा है, सभी नलों में जा रहा है, यह उसका दूसरा स्टेज है । सभापति महोदय, घर-घर तक नल का कनेक्शन लग गया, एक तरह से वह काम सिविल का काम पूर्ण हो गया, लेकिन वह योजना कंपलीट होती है, जब घरों में पानी जाता है, मापदंड के अनुरूप पानी जाता है, इस प्रकार की स्थिति है । सभापति महोदय, मैं फिर आश्वस्त करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस बड़े उद्येश्य को लेकर इस योजना को प्रारंभ किया है, उनकी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस अभियान को लेकर हम जायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने एक लाईन का प्रश्न पूछा कि पूर्णता आप किसको मानते हैं तो आपने सिविल और इसको अलग-अलग बता दिया।

मैंने दूसरी बात कहा कि बिना स्त्रोत के सिविल काम या कोई भी काम, इलेक्ट्रिकल काम जो भी काम को परिभाषा में मानते हो, मैं आपको 10 गांवों के नाम बता सकता हूं, जहां स्त्रोत नहीं है और पूरा ढांचा और सब चीज खड़ा है। तो क्या ऐसा काम शुरू किया जा सकता है जहां स्त्रोत नहीं है और सिविल और इलेक्ट्रिकल काम, या जो भी निर्माण काम कर लें, मैंने यह पूछा है। यदि नहीं कर सकते तो क्या ऐसी योजनाओं जानकर उस पर कार्यवाही होगी ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो विषय रखा है, निश्चित रूप से कहीं कहीं पर यह विषय है। निश्चित रूप से वह विभाग के संज्ञान में है। निश्चित रूप से उस पर उचित निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, सुनिये। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछ कुछ रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आप तो क्षमतावान मंत्री हैं। बिना स्त्रोत के काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ? यह मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। यदि काम कर दिए हैं तो उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है ? यह दूसरा प्रश्न है। यदि इसका स्पष्ट उत्तर आ जाये तो तीसरी बात यह कहूंगा कि कई गांव में ऐसे समूह हैं, जहां जमीन में स्त्रोत नहीं है, परन्तु सरफेस वाटर (सतही जल) है। यदि उन गांवों में पानी नहीं है तो क्या आप सरफेस वाटर से उसकी पूर्ति करेंगे ? स्त्रोत के लिए आपके पास अतिरिक्त पैसा है या नहीं ? कई जगह योजना पूरा हो गया है, लेकिन वहां पानी नहीं मिला तो आखिर वहां के स्त्रोत कहां से आयेगा ? योजना के बाहर अतिरिक्त पैसा है या नहीं है ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि गर्मी में जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। जल का स्तर परिवर्तनशील होता है और इसके कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। यह विषय ध्यान में है और विभाग इस पर काम कर रहा है। जो डी.पी.आर. बना है, यदि उसके विपरीत काम होगा तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जल स्त्रोत के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं कि जो जल स्त्रोत है, जो उपलब्ध स्त्रोत है, उसको भी लेकर गांवों में दिक्कतें आती हैं। वह विभाग के संज्ञान में है और मैं आपको फिर से निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि यदि कहीं भी गड़बड़ी पाया जायेगा तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैंने जो पूछा है, आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। मैं फिर से एक लाईन पूछ देता हूं कि यदि कहीं स्त्रोत नहीं है तो बगैर स्त्रोत काम शुरू किया जा सकता है क्या ? यदि ऐसा काम किया गया है तो उस पर कार्रवाई की जायेगी क्या ? माननीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में कैसे नहीं रहेगा ? आप विभागीय भारसाधक मंत्री हैं। मैंने दूसरी बात कहा कि यदि आपके डी.पी.आर. में बाहर से स्त्रोत जुटाया जायेगा तो कहां से पैसे आयेंगे और वह डी.पी.आर. में है या नहीं ? यह पूछ रहा हूं, ताकि उस ढांचे का उपयोग हो सके, जिसे आप सिविल कार्य या इलेक्ट्रिकल कार्य माना जाता है, आप जो भी कहते हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि भूजल स्तर ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्त्रोत ही नहीं है, भूजल स्तर को छोड़ दीजिये। मैं गांव का नाम बता दूंगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आप मुझे बतायेंगे तो आपका धन्यवाद होगा। हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। विभागीय तौर पर भी जहां पर यह विषय आया है, हम लगातार काम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जहां स्त्रोत नहीं होंगे, वहां बाहर या कहीं से से पानी लाने के लिए आप उन गांवों को अतिरिक्त पैसा देंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, इसमें विभागीय तौर पर चर्चा हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, यह समस्या तो कई जगह है, आपको मालूम है। फिर उस ढांचे का कोई मतलब नहीं है, फिर आप घोषणा करिये कि हां, हम पानी के लिए पैसा देंगे, उस ढांचे का उपयोग होगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बार-बार कहा, उसी में मेरा उत्तर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की आकाक्षांओं के अनुरूप इस योजना को लेकर जायेंगे। यदि वहां स्त्रोत नहीं है, तो अन्य स्त्रोत से भी पानी लाने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, ..।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- मुंगेली जिले का ध्यानाकर्षण है। मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन यह समस्या तो पूरे प्रदेश की है।

सभापति महोदय :- चूंकि ध्यानाकर्षण का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चाचा-भतीजा निपट ले तव।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने 112 गांव में प्रगतिरत और 27 गांवों में अप्रारंभ बताया है। जहां गड्ढे-गड्ढे हैं, वहां नहीं बनाये जा सकेंगे, अभी वर्षा ऋतु में नहीं बन सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वे गड्ढे कब तक भरे जायेंगे ? जिससे वह कार्य शुरू हो, यह जो प्रगतिरत है, वह कब तक पूर्ण होगा ? 27 अपूर्ण, अप्रारंभ है, वह कब तक पूर्ण होंगे ? क्या आप इसकी समय-सीमा बताएंगे ?

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, अभी भारत सरकार ने इस योजना की जो समय-सीमा दी है, वह दिसम्बर, 2024 तक लक्षित है। हमारा विभाग उस लक्षित समय में उसको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- इस ध्यानाकर्षण का विषय संबंधित जिले से है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति जी, यह बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय :- सभी सदस्यों के यहां समस्याएं हैं और यदि एक-एक विधान सभा क्षेत्र की बातें आएंगी तो यह काफी लंबा हो जाएगा।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह एक-एक विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है।

सभापति महोदय :- अजय चंद्राकर जी ने लगभग सभी बिंदुओं पर एकमुश्त बात की है, उसकी ओर मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल एक निवेदन है।

सभापति महोदय :- यदि आपका निवेदन मुंगेली से संबंधित है तो आप बोलिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- मुंगेली से संबंधित नहीं है।

सभापति महोदय :- लेकिन यह ध्यानाकर्षण मुंगेली से संबंधित है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, चूंकि यह जल जीवन मिशन का मामला है इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसका इस प्रकार से हनन हो रहा है। ग्राम पंचायतों की बात की गई है तो जहां सतह में पानी ही नहीं है या water level down है तो उसकी बात समझ में आती है लेकिन नगर-निगम क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि नदी का पानी नगर-निगम क्षेत्रों में आया है। पूरी गर्मी भर शहर को पानी नहीं मिला है। मैं अपने दुर्ग विधान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभा क्षेत्र की बात करता हूं तो अभी पिछले पांच दिनों से दुर्ग शहर को पानी नहीं मिला है। 5 दिन हो गये, लेकिन आज तक दुर्ग शहर में पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस जल जीवन मिशन में जो व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं, क्या आप उसकी जांच कराएंगे ?

सभापति महोदय :- नहीं, यह ध्यानाकर्षयण का विषय है। इसमें अन्य विषय में चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं ध्यानाकर्षण में ही बोल रहा हूं। चूंकि यह जल जीवन मिशन की बात है।

सभापति महोदय :- यह मुंगेली जिले का विषय है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, किसी शहर के लोगों को पिछले पांच दिनों से पानी नहीं मिला है। मैंने आज भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण लगाया था, लेकिन मेरा ध्यानाकर्षण नहीं लग पाया।

सभापति महोदय :- मंत्री जी की तैयारी तो मुंगेली जिले की थी। ध्यानाकर्षण में जो विषय आया था, क्या आप उसको बता पाएंगे ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, जल जीवन मिशन तो पूरे प्रदेश के लिए है।

सभापति महोदय :- मेरा सदस्यों से आग्रह है कि मुंगेली जिले के विषय पर ध्यानाकर्षण में चर्चा हो गई है। आप लोग माननीय मंत्री जी से बाकी चर्चा अलग से कर लीजिएगा। कार्यसूची के पद-4 के उप पर-5 से 87 तक सूचना देने वाले।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मुझे एक प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए।

सभापति महोदय :- आप भी बिलासपुर जिले से हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह बिलासपुर की बात नहीं है। मैं तो एक सामान्य बात पूछना चाहता हूं। इस योजना का सारा दम तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने निकाल दिया था। मैंने कल-परसों भी कहा था कि एक मंत्री के घर पर बैठकर पूरे ठेके बंटे हैं। अभी मेरा वीडियो वायरल हो रहा है। सब लफंगे लोगों ने ठेके ले लिये थे तो मैंने बोल दिया था। वह ठेकेदार नहीं थे, उन्होंने दम-खम करके ठेके बांटे थे। मैं मंत्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसको बिल्कुल भी अन्यथा में मत लीजिए। चूंकि आपको बिगड़े हुए माहौल में यह विभाग मिला है। सी.सी. रोड बनाने का प्रावधान है। गांव के बीच में गड्ढा खोदा गया है और एक जगह भी सी.सी. रोड नहीं बनी है। ठीक है कि पानी का स्रोत आएगा, लगेगा और मिलेगा तो कब मिलेगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, आप ऐसे मत टालिये। यहां तो पानी का पूरा ओव्हर फ्लो और सप्लाई की समस्या है। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- चंद्राकर जी, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत गड्ढे हैं। आपको भरोसा नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मुंगेली में ओव्हर फ्लो और सप्लाई की समस्या है। आप बात को मत टालिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं।

श्रीमती रायमुनी भगत :- सभापति महोदय, बिलासपुर की बात बहुत हो गई, आप थोड़ी जशपुर की भी बात सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहन जी, आप एक मिनट रूकिये। आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिये। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जब आप अभी ओव्हर फ्लो की बात कर रहे हैं तो वह स्वयं मुंगेली जिले के हैं, यह भी मुंगेली जिले के हैं। मैं उस जिले से 20 साल तक विधायक था। सेतगंगा में एक ऐसा कुण्ड है, जिसमें बारह महीने फ्लो रहता है और मोहले जी वहां के विधायक हैं। इनका फ्लो बहुत तगड़ा है। इनके यहां जल स्रोत की कोई समस्या नहीं है। सप्लाई कहां होनी चाहिए, उसकी समस्या है। मंत्री जी, मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब स्रोत मिलेगा तो वह लगेगा और पानी आएगा। उसको तो समझा-बुझा कर संभाल रहे हैं लेकिन जो बीच बस्ती में गड्ढें खोदे गये हैं उसमें तो सी.सी. रोड का प्रावधान है। कृपा करके आप उसी के बारे में बोल दीजिए कि पाइप लाइन को बिछाने के लिए जो गड्ढें खोदे गये हैं, यदि उन गड्ढों को सी.सी. रोड करने का प्रावधान है तो क्या आप उसको लागू करा देंगे ? मेरा आपसे और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धर्मजीत जी ने जो प्रश्न उठाया है उसका पूरी तरह से प्रावधान है। पाइप लाइन की टेस्टिंग के तुरंत बाद पहले सड़क जैसी थी, वैसी ही सड़क बनाकर देने की जवाबदारी उस ठेकेदार की है। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

सभापति महोदय :- यह मुंगेली के बारे में चल रहा है, जाने दीजिए।

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद 4 के उप पद (5) से (87) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा :-

5. श्री राजेश मूणत
6. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह
7. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल
8. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, राजेश अग्रवाल
9. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह
10. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह
11. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, राजेश अग्रवाल

12. श्री पुन्नूलाल मोहले
13. श्री धरमलाल कौशिक
14. श्री धरमलाल कौशिक, सुश्री लता उसेंडी, श्री सुशांत शुक्ला
15. गुरू खुशवंत साहेब
16. डॉ. चरणदास महंत
17. डॉ. चरणदास महंत
18. डॉ. चरणदास महंत,श्री दिलीप लहरिया
19. श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती शेषराज हरवंश
20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश
21. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री कुंवर सिंह निषाद
22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
24. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
25. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
26. श्री लखेश्वर बघेल
27. श्री विक्रम उसेण्डी
28. श्री कुंवर सिंह निषाद
29. श्री कुंवर सिंह निषाद
30. श्री धर्मजीत सिंह
31. श्री धर्मजीत सिंह
32. श्री रोहित साहू
33. श्रीमती चातुरी नंद
34. श्रीमती चातुरी नंद
35. श्रीमती चातुरी नंद
36. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री कुंवर सिंह निषाद
37. श्री लखेश्वर बघेल
38. श्री बालेश्वर साहू
39. श्री अनुज शर्मा
40. श्री बालेश्वर साहू
41. डॉ.चरणदास महंत, श्री दिलीप लहरिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

42. डॉ.चरणदास महंत, श्री संदीप साहू
43. सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, दिलीप लहरिया, भूपेश बघेल
44. श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री दिलीप लहरिया
45. सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी
46. सर्वश्री भूपेश बघेल, देवेन्द्र यादव
47. श्री देवेन्द्र यादव
48. श्री अजय चन्द्राकर
49. श्री अटल श्रीवास्तव
50. श्री अटल श्रीवास्तव
51. श्री द्वारिकाधीश यादव
52. श्री द्वारिकाधीश यादव
53. श्री दलेश्वर साहू
54. श्री दलेश्वर साहू
55. श्रीमती अंबिका मरकाम
56. श्री धरमलाल कौशिक
57. श्री धर्मजीत सिंह
58. श्रीमती शेषराज हरवंश
59. श्रीमती संगीता सिन्हा
60. श्री उमेश पटेल
61. श्री उमेश पटेल
62. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम
63. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम
64. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम
65. श्री अनुज शर्मा
66. श्री अनुज शर्मा
67. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
68. श्री देवेन्द्र यादव
69. सर्वश्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,फूलसिंह राठिया
70. सर्वश्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम,जनक ध्रुव
71. श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

72. सुश्री लता उसेण्डी
73. श्री भोलाराम साहू
74. श्री द्वारिकाधीश यादव
75. श्री जनक ध्रुव, श्रीमती अंबिका मरकाम
76. श्री गजेन्द्र यादव
77. श्री सुशांत शुक्ला
78. श्री विक्रम मंडावी
79. श्री दीपेश साहू
80. श्री राजेश मूणत
81. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल
82. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल
83. डॉ.चरणदास महंत,श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
84. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा,श्री बालेश्वर साहू
85. श्री धरमलाल कौशिक
86. श्री उमेश पटेल
87. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(प्रतिपक्षी दल (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी) के सदस्यों के अपने सीट पर उपस्थित नहीं होने पर)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, अच्छा नहीं लग रहा है, कहॉ हैं ये लोग?

सभापति महोदय :- वे आपके पुराने मित्र लोग हैं, आप जानिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- कौन मित्र गए हैं?

सभापति महोदय :- पुराने इधर के लोग जो पहले थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ, तो भेजिए ना किसी को, उनकोकैसे भी करके बुलवाइये। यहॉ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मजा नहीं आ रहा है साहब, ये लोग रहते हैं, तभी अच्छा लगता है।

श्री केदार कश्यप :- आज आखिरी दिन है,इसलिए भोजन ज्यादा किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- संसदीय कार्यमंत्री जी को एक बार जाकर उन्हें बुलाना चाहिएऔर विषय सूची में जो भी कार्यवाही छपी है, उस सबमें उनको भाग लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे प्रधान मंत्री जी का स्वागत करना है, तो वह करें या न करें, लेकिन यहॉ रहें तो।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय:
3.36 बजे **<u>प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 में संशोधन संबंधी सूचना</u>**

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- सम्माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक अनुमान की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक - 115 पर उल्लेखित मद क्रमांक-1 के संस्था के विवरण में सरल क्रमांक 3 एवं 4 पर शाला का नाम क्रमश: "प्राथमिक शाला परसवानी" एवं "प्राथमिक शाला आमापारा" अंकित है, को "प्राथमिक शाला परसवानी" के स्थान पर "प्राथमिक शाला परसवानी (दहदहा)" तथा "प्राथमिक शाला आमापारा" के स्थान पर "प्राथमिक शाला कमरौद" संशोधित कर पढ़ा जाए, यह निवेदन है।

समय:
3.37 बजे **<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>**

सभापति महोदय :- नियम 267 "क"(2)को शिथिल कर आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को मैंने सदन में 32 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की हैं। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. श्रीमती संगीता सिन्हा (2 सूचनाएं)
2. श्री देवेन्द्र यादव (2 सूचनाएं)
3. श्रीमती चातुरी नंद (4 सूचनाएं)
4. श्री द्वारिकाधीश यादव
5. श्रीमती शेषराज हरवंश
6. श्री उमेश पटेल (2 सूचनाएं)
7. श्री रिकेश सेन (2 सूचनाएं)
8. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
9. श्रीमती अंबिका मरकाम
10. श्री भईयालाल राजवाड़े (2 सूचनाएं)
11. श्री कुंवरसिंह निषाद (3 सूचनाएं)
12. श्रीमती अनिला भेंडिया
13. श्री ब्यास कश्यप
14. श्री दलेश्वर साहू
15. श्री रामकुमार यादव
16. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

17. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
18. श्री पुन्नूलाल मोहले
19. श्री इन्द्र साव
20. डॉ. चरणदास महंत
21. श्री रामकुमार टोप्पो
22. श्री भोलाराम साहू

समय:
3.38 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री धरम लाल कौशिक
2. श्री पुन्नूलाल मोहले
3. श्रीमती भावना बोहरा
4. श्रीमती रायमुनी भगत
5. श्री विक्रम उसेण्डी
6. श्री अनुज शर्मा

समय:
3.39 बजे

प्रस्ताव

"यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी कोलगातार तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता है।
श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक ऊंचाइयॉ प्राप्त की हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक ऊंचाइयॉ प्राप्त की हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह हम सब के लिये गर्व का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ के इस सदन के माध्यम से आजाद देश में जन्म लेने के पश्चात, देश की आजादी के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का दायित्व दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हो रहे हैं (मेजों की थपथपाहट)। यह हम सब के लिये भी गर्व का विषय है कि यह जो कालखण्ड है, इस कालखण्ड में हमारा जन्म हुआ। हम लोगों ने उन सपनों को पूरा होते हुए देखा, जिसकी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी। चाहे वह हमारे कश्मीर का मामला हो, चाहे वह भगवान श्री राम जी के मंदिर का मामला हो, ऐसे अनेक उदाहरण आज हमको देखने को मिलते हैं। हम सभी उन बातों को सोचकर अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं अपने विपक्ष के नेताओं से भी आग्रह करूंगा क्योंकि संघीय ढांचा प्रणाली में जो व्यवस्था है, उसके तहत राज्य और केन्द्र, दोनों मिलकर विकास का मार्ग अग्रसर करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष ने इस सदन का बहिर्गमन किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी को दुनिया के सारे लोगों ने मान लिया, देश ने उनको चुनकर भेजा है, उनके लिये आज वे बहिर्गमन कर गये हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता (शेम-शेम की आवाज)। माननीय सभापति महोदय, माननीय नरेन्द्र मोदी जी, जिन्होंने अपने आपको प्रधान सेवक कहलाना पसंद किया और देश की सेवा में अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे बिरले सपूत यदा कदा ही होते हैं। आज यह सदन हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। मुझे लगता है कि विपक्ष को ऐसे अवसर पर इस कार्यवाही में भाग लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए। क्योंकि उसके साथ ही साथ मैंने अपने प्रस्ताव में लाया है कि इसमें उनके नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ भी उन्नति की ओर अग्रसर हो। आज विपक्ष यह नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ की उन्नति हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, इसी के कारण आज वे बहिर्गमन करके चले गये हैं। क्योंकि स्पष्ट है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको छत्तीसगढ़ के रूप में जो सौगात दी। इनको खुशी नहीं थी कि यह छत्तीगसढ़ राज्य बने और आज वे छत्तीसगढ़ के विकास का विरोध करते हुए इस सदन का बहिष्कार करके चले गये हैं (शेम-शेम की आवाज)।

माननीय सभापित महोदय, विषय तो बहुत सारे हैं। अन्य वक्ता भी हैं, जो उन विषयों के संदर्भ में कहेंगे। मैं विशेष तौर पर इस बात को कहना चाहूंगा कि आज कारगिल दिवस भी है। आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं पूरे सदन की ओर से हमारे कारगिल युद्ध में शहीद उन जवानों को, जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी लगातार हर त्यौहारों में, चाहे वह रक्षाबंधन हो, चाहे वह दीपावली हो, चाहे वह

होली हो, ऐसा कोई भी त्यौहार हो, उन क्षेत्रों में जाकर हमारे उन जवानों के साथ उन त्यौहारों को मनाने का काम करते हैं। जिससे वे पूरे देश के लोगों को एक प्रेरणा का संदेश देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज के इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो असीम ऊर्जा के स्वामी हैं । लगातार उनके नेतृत्व में भारत ने जिस उन्नति के शिखर को छुआ है। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की एक पहचान बनी है। जब वर्ष 2014 को माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ ली थी तब पहले देश को किस नज़रों से देखा जाता था और आज किस सम्मान की नज़रों से देखा जाता है यह उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। आज पूरे देश की बड़ी-बड़ी शक्तियां, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को कोई उनको autograph देने को कहता है, कोई उनसे हाथ मिलाने की बात कहता है और कोई उनके पैर छूकर, अपने देश के मान को बढ़ाने के लिए सम्मान देता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा। ऐसा बिरला नेता जो वैश्विक पटल पर अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ कहे। हमने ऐसे बहुत कम प्रधानमंत्रियों को देखा है। आज यह उनकी देन है जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पूरा विश्व मना रहा है। हम सब उनके दिशानिर्देशों पर लगातार आगे बढ़कर काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए लगभग 74-74 सालों तक देशवासियों ने इंतजार किया। वह सपना पूरा हुआ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कारण पूरा हुआ। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कारण पूरा हुआ, जो हमें यह कालखण्ड देखने को प्राप्त हुआ। कभी हम लोग यह नारा लगाया करते थे :-

"जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है।

जो कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है।"

आज वह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। (मेजों की थपथपाहट) देश के साथ में पहले जो एक धारा चलती थी कि एक देश, दो विधान, दो प्रधान, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक देश, एक विधान और एक प्रधान की बात को जिन्होंने चरितार्थ किया, वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं, उनको धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने लगातार इस दिशा में काम किया और हमारे देश के मान-सम्मान को बढ़ाया। हम भारत के बारे कहते हैं कि भारत की संस्कृति यहां के ऋषि और कृषि पर आधारित है। उनकी हमारे अन्नदाताओं, किसानों के लिए जो सोच है, उसके आधार पर किसानों के लिए जो योजनाएं बनाईं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लगातार अन्नदाताओं को जिस तरीके से उनकी उपज का सही मूल्य दिया जा रहा है तो यह हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गारण्टी के कारण संभव हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत सारे विषय हैं, जिसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को हमारे इस छत्तीसगढ़ में आएं, वैसे तो यहां पर उनका आना बहुत बार हो चुका है, लेकिन जब वर्ष 14 अप्रैल, 2018 को हमारे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र दक्षिण बस्तर के जावंगा में आए थे तब उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़वासियों को आयुष्मान भारत योजना समर्पित की थी, जिसके तहत हमारे लोगों को ईलाज की सुविधा उपलब्ध हुई। अब हमारे लोगों को ईलाज के लिए दर-दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कारण संभव हो सका । आज भी लगातार केन्द्र की योजनाओं के कारण से हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर, अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया। उन्होंने न केवल यह नारा दिया, बल्कि सबका सम्मान करके, वहां तक उनको पहुंचाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे primitive tribes के, विशेष पिछडी जनजाति (P.V.T.Gs) के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना चालू की। जिसकी कभी किसी ने चिंता नहीं की थी। वहां पर विकास के नये आयाम स्थापित हों, उनके लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की सुविधा हो, उनके लिए भी अधोसंरचना का निर्माण हो, यह संभव हुआ। इनके सपनों को साकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया। सभापति महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योकि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वह क्षेत्र अबूझमाड़ कहलाता है। जब विपक्ष की सरकार थी तब उन्होंने अबूझमाड़ को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, वहां पर विकास के मार्ग को बंद कर दिया था। वह नहीं चाहते कि वहां के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, उनके घर बनें। लेकिन आज यह संभव हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कारण से संभव हो रहा है और आज उन क्षेत्रों में विकास के द्वार खुले हैं। हम अभी केन्द्र सरकार का बजट देख रहे थे। इस बजट में विशेष तौर पर हमारे जनजाति समाज के लिए जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी जनजाति समुदाय के लिये लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, यह पहली बार हो रहा है कि हमारे जनजाति वर्ग के लिए इतनी बड़ी राशि का आवंटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे जनजाति समुदाय की एक बेटी को आज दुनिया के सबसे बड़े संविधान के प्रमुख होने का दायित्व दिया गया है। हमारी द्रौपदी मुर्मु जी आज राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। जो लोग इन सब बातों का विरोध करते थे, जो लोग चाहते थे कि वहां पर शिक्षा न पहुंचे, हमारे लोग कुपोषित रहें, हमारे यहां पर सड़कों का निर्माण न हो,

वही लोगों ने इस बार पूरी कोशिश की लोकसभा में जीत करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी न जायें। इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार भी किया। संविधान की किताब लेकर उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेन्द्र मोदी जी आयेंगे तो संविधान खत्म हो जायेगा। इनका आरक्षण समाप्त हो जायेगा। इस तरीके से उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिन जनजातियों के बारे में बड़ी-बड़ी बात कहने वाले लोग क्या संविधान ऐसे समाप्त हो सकता है? सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि संविधान को बनाना जितनी कठिन प्रक्रिया थी, उतनी ही कठिन प्रक्रिया संविधान को समाप्त करने की भी है। इसलिए यह आग्रह है कि इस तरीके से ये अनर्गल बयानबाजी करके, दुष्प्रचार करके कोशिश न करें, हमारे लोगों को दिग्भ्रमित न करें और छत्तीसगढ़ की उन्नति में सहयोगी के रूप में काम करें, यह उनसे अपेक्षा है। जो लोग हमारे लोगों की सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा बनना चाहते हैं, वह बाधा खत्म हो। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उन्नति की ओर आगे बढ़ें। यह हमारी कामना है। जिन लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने तरह-तरह की बात फैला करके दुष्प्रचार करने की कोशिश की, मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के लिए बस यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा कि -

"हार कैसे मान ले वो लाल, जिसके जीत का इंतजार यह भारत माता करती हैं।" (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सभापति महोदय, एक छोटा सा बिंदु है। इस शुभाकामना संदेश के दौरान P.T.Gs (Primitive Tribal Groups) शब्द आ गया है, उसको P.V.T.Gs (Particularly vulnerable Tribal Groups) कर लिया जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है। चर्चा के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है और 10 माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। आप लोग थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखेंगे। माननीय किरण देव जी।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्। आज सम्माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने यहां सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नेरन्द्र दी जी के विषय में आपने चर्चा के लिए 30 मिनट का समय बताया है, लेकिन मुझे लगता है उनके विषय में बोलने के लिए 30 घंटे भी कम पड़ेंगे। मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस महान् देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनांए देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

आदरणीय मंत्री जी ने बहुत सारे विषय रखे हैं, लेकिन यह हम सबके लिए और पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के महज महज 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कृतत्व ने हमारे देश को पूरे विश्व के मानचित्र पर फिर से विश्व गुरू से स्थान पर, इस पटल पर रखने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) नि:संदेह उनकी जो योजना है, इस देश के प्रति उनका जो समर्पण है। आदरणीय सभापति महोदय, वे एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर रहते हुए और उसके पहले भी वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस देश की सेवा करते-करते हुए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह उनके देश के प्रति समर्पण की कहानी को बताता है। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक गुड गवर्नेंस, जिसकी हमारे देशवासी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वरना आजादी के बाद एक लंबे समय, लंबे कालखंड तक, लगभग 5 दशक तक एक ऐसे दल की सरकार हुआ करती थी, जिन्होंने देश को सिर्फ भ्रष्टाचार के अंधकार में ही धकेलने का काम किया है। लेकिन सरकारें क्यों होती है? सरकारों का क्या काम है? देश की चिंता, देशवासियों की चिंता, गांव, गरीब, किसान, सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय वर्ग एवं सभी को लेकर चलने वाली जो योजनाएं हैं, वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। सभापति महोदय, मैं इस पर थोड़ी सी बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि यदि हम उनकी योजनाओं की ओर ध्यान दें। मैं इसमें विशेषकर उदाहरण देना चाहता हूं, एक ऐसा कालखंड आया था। मैं कोशिश करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी ने जिस विषय को लिया था, उसको मैं दोहराऊं नहीं। कोविड का एक कालखण्ड आया था, उस समय देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व तबाही के कगार पर पहुंचा लग रहा था और ऐसे समय में जब अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, चीन, रसिया जैसे विकसित राष्ट्र कहे जाने वाले राष्ट्रों में जब उस पर नियंत्रण पाने की क्षमता नहीं रही तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेहनत है कि उन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिकों के माध्यम से को -वैक्सीन और कोविशील्ड यह दो वैक्सीन लगाकर न सिर्फ अपने देशवासियों की जान का सुरक्षा किया बल्कि 106 देशों पर और उससे भी ज्यादा देशों में इन दोनों वैक्सीन को सप्लाई किया। ऐसे कई गरीब देश हैं, जहां पर उन्होंने इसकी नि:शुल्क सेवा पहुंचाई थी। उन्होंने पूरे देशवासियों की सुरक्षा की चिंता की, जहां पर पूरे देश में मेडिकल कॉलेज या जिला मुख्यालय अस्पताल रहा, वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन जोन को बहुत कम समय में भेजने का काम किया । यह अद्भूत है। निश्चित रूप से अगर उनकी योजनाओं को ध्यान दिया जाए। बहुत नारे लगते थे, गांव की चिंता, गरीब की चिंता, किसान की चिंता, लेकिन गांव की चिंता, गरीब की चिंता, किसान की चिंता उनकी योजनाओं ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर गरीब परिवार में, वरना कहां होता था। हर गरीब परिवार का खाता खोलने का काम किया । यह देखने में बहुत छोटा विषय लगता है । जब पहली बार उन्होंने शपथ ली तो लाल किले की प्राचीर से गांव के स्वच्छता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि हर परिवार में शौचालय होना चाहिए । इसको विपक्षी दलों नें शुरू में हास्यास्पद ढंग से लिया, लेकिन वह कितनी महत्वपूर्ण योजना थी । आज देश में

गरीब से गरीब परिवार की महिलाओं, माताओं, बहनों को शौच के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता । बाद में इसकी सराहना पूरे विश्व में हुई । सभापति महोदय, हर गरीब परिवार में जनधन खाते के विषय को मै ले रहा था । हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा और भाषण में कई बार इस बात का उल्लेख किया । जब यहां गांव की किसी योजना के लिए एक रूपया भेजता हूं तो बड़े दुख का विषय है कि बीच में 95 प्रतिशत राशि खत्म हो जाया करती थी और 5, 10, 15 पैसा ही उन तक पहुंचता था । अब सरकार का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, चाहे केन्द्र सरकार का पैसा हो या राज्य सरकार का पैसा हो । अभी-अभी बीच में डिजिटल इंडिया की कल्पना हुई और समाचार पत्रों में देखने को मिला कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी डिजिटल इंडिया का सम्मान करता हुआ पाया गया । उन्होंने भी मोदी जी से कहा कि यह ट्रांसफर ऑफ मनी का तरीका है इसको हमारे यहां भी लॉच करना है । अमेरिका में नहीं है लेकिन हमारे देश में यह सफलतापूर्वक चल रहा है । आज पान दुकान, छोटी-छोटी दुकान, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले भी इसका उपयोग करते हैं । कैशलेस इंडिया का उपयोग हम हर जगह करते हैं, निश्चित रूप से यह अद्‌भुत है । किसान सम्मान निधि को लीजिए, सीधे उनके खाते में 6000 रूपए डाले जाते हैं इसी तरह कई योजनाएं हैं । आदरणीय मंत्री जी ने ध्यान दिलाया कश्मीर को बांटकर रखा गया था । वर्षों से देशवासियों को इंतजार था, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का 370 और 35-ए समाप्त करने का कठोर निर्णय नहीं होता तो अभी तक कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया होता जो कि हमारे देश का मुकुट है । निश्चित रूप से इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं । रामलला के मंदिर का मामला हो, जल जीवन मिशन पर अभी चर्चा हो रही थी, ये देश की महत्वपूर्ण योजना है कि घर-घर तक 24 7 पानी पहुंचे । इसका उन्होंने उपाय किया । उन्होंने पर चीज की चिंता की फिर चाहे वह बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा । मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद् ज्ञापित करूंगा क्योंकि उन्होंने सफलतम् विदेश नीति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया (मेजो की थपथपाहट) । सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी बात और रखना चाहूंगा । यह अद्‌भुत है, ऐसे बहुत बड़े-बड़े देश हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है लेकिन हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के कारण हमारा संबंध रशिया से भी है और अमेरिका से भी है । चाहे व्यापारिक लेनदेन हो या अन्य मामले हों । रूस और अमेरिका में जरूर आपस में मतभेद होगा लेकिन भारत दोनों से संबंध बनाए हुए है । यह पहली बार है जब विश्व के बारह देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश में बुलाकर अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है (मेजो की थपथपाहट) यह अद्‌भुत है । ऐसे समय में विपक्ष का न रहना वास्तव में बड़ा आश्चर्यजनक है । जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बारे में कोई विषय सदन में आता है तो निश्चित रूप से ऐसे कई योजनाएं हैं जिनका लाभ देशवासियों को मिल रहा है । प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि उनकी सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत सभी समाज, जाति, वर्ग के लोगों को मिल रहा है और किसी क्षेत्रीय या राजनीतिक भेदभाव के मिल रहा है । पूरे देश के समूचे देशवासियों के, सभी

वर्गों के लिए कल्याणकारी है । ऐसी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना है। मैंने जल जीवन मिशन की बात की है। चाहे वह घर-घर शौचालय की योजना हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना का विषय है। लगभग उनकी सभी योजनाओं का लाभ देश की उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। सभापति महोदय, एक विषय की ओर मैं और आकृष्ट कराना चाहूंगा। हमारी आर्थिक उन्नति जो हमारे विकास का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होता है। आज से 16,18,20 वर्ष पहले जब हम 13वें, 16वें पायदान पर रहते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो आर्थिक विकास की योजना है, जो उन्नति की योजना है, आज हमारा जी.डी.पी. हो चाहे, हमारे फॉरेन मनी, यू.एस. डॉलर का भंडारण हो, पिछले 10 सालों से लेकर आज तक दुगुना हो गया है, आज हम 5वें से चौथे स्थान पर पहुंच गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह कहा जाता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव पूर्व में एक और प्रधानमंत्री पं.जवाहर लाल नेहरू जी को भी प्राप्त हुआ था। सभापति महोदय, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। आज वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से सिर्फ इसलिए की मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से वंचित किया जाए...।

समय :
4:07 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

पूरे देश के सारे राजनीतिक दल सिर्फ इसलिए इस बात का ध्यान नहीं रखे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह देश तेजी से विकास की गति को प्राप्त कर रहा है। सिर्फ एक विरोध करने की दृष्टि से वे सारे तमाम दल जो आपस में मतभेद लिए सारे विधान सभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सिर्फ मोदी जी को जीतने नहीं देना है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, इस दृष्टि से यह सारा गठबंधन किया और एक असत्य प्रचार पूरे देश के देशवासियों के समक्ष आरक्षण समाप्त करने का किया है। आदरणीय मंत्री जी ने यह विषय रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पुन: प्रधानमंत्री बनने पर पूरा सदन भी और जिस दल की मेरी ओर जवाबदारी है, उसकी ओर से भी मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनको सदन की ओर से बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सुशांत शुक्ला जी। अपने प्रस्ताव में बहुत व्यापक और डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी ने काफी अच्छी चर्चा की है, इस प्रस्ताव में संक्षिप्त में सिर्फ शुभकामना और बधाई देने का है। उनके कार्यकाल को बहुत व्यापक लंबे खींचने की जरूरत नहीं है। यह एक मैसेज देने के लिए सारा विषय है। इसमें बहुत लंबे-लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। चलिए।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय ढांचे और राज्य के कर्तव्यों के प्रति जब प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल पर धन्यवाद प्रस्ताव देने की विधान सभा में चर्चा हो रही है तो पूरे चुनाव के एपिसोड में संविधान की दुहाई देने वाले हमारे विपक्षी साथी आज इस सदन से अनुपस्थित हैं तो उनका संविधान विरोधी चेहरा स्पष्ट होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, जन-जन का होता है, किसी दल और व्यक्ति विशेष का नहीं होता। उनको धन्यवाद देना, देश की संवैधानिक व्यवस्था की संप्रभुता की व्यवस्था है। उनको धन्यवाद देना स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है परंतु विपक्ष के साथी समझेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जतना पार्टी संस्कार और सिद्धांतों से बंधी हुई पार्टी है। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन नहीं है, हम इसे सुविधाओं का माध्यम नहीं मानते। हम पार्टी की पंच निष्ठाओं को मानते हैं। यह पंच निष्ठाएं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित शोषणमुक्त समरस समाज, सबसे अंतिम में हमारे मूल्य आधारित राजनीतिक प्रेरणा ही हमें इस व्यवस्था तक ला पाई है। हमारी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। देश में लोकतंत्र सेनानी के रूप में अगर सबसे पहले इस देश में किसी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा पर जो सर्वाधिक लड़ाई संविधान की रक्षा के लिये लड़ी गई है तो भारतीय जनता पार्टी का योगदान देश की व्यवस्था पर आता है । परन्तु जब हम अपने विचारों को लेकर, राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को लेकर और भारत को संघीय ढांचे में एकरूपता से चलने के लिये प्रेरित करते रहे तब बार-बार हमारे साथी हमें अलग-अलग संज्ञाओं से, उपमाओं से निरूपित करते रहे । अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या में हम हारे हैं, हार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी अयोध्या है, जहां हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र, उनकी महानता, कभी चुनाव का विषयवस्तु नहीं रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह हृदय से लगाव का विषय है । खैर, बात इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का है तो हमारे साथियों को समझ में नहीं आयेगा, प्रभु श्री राम कण-कण में व्याप्त हैं, तभी तो कहते हैं कि-

राम मिले हैं वचन निभाती आयु का,
राम मिले हैं घायल पड़े जटायू को,
राम मिलेंगे अंगद वाले पांवों में,
राम मिले हैं पंचवटी के छांव में,
राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में,
राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में,
राम मिलेंगे वचनबद्ध वनवासों में,
राम मिले हैं केंवट के विश्वासों में,
राम मिले हैं अनसुईया के मानवता को,

राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को,
राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को,
राम मिले हैं मंदिर के फेरों में,
राम मिले हैं शबरी के जूठे बेरों में,
मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है,
मेरा राम ही तो हिन्दुस्तान है,
मेरा राम ही तो हिन्दुस्तान है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रवाद, गरीब कल्याण, भारतीय संस्कृति, मूल्य के संरक्षण, कांग्रेस के सम्मुख विकल्प प्रस्तुत करने के लिये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, जब भारतीय जनसंघ की व्यवस्था बनाई गई, तब लोकतंत्र की व्यवस्था में, नया अध्याय जोड़ा गया । अध्यक्ष महोदय, हमारा संघर्ष इतना आसान नहीं है, कभी-कभी बशीर बद्र जी की कविता याद आती है, वह कविता कहती क्या है -

जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा
और यह फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले
तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा ।

अध्यक्ष महोदय, विचार परिवार को पल्लवित करते-करते, देश की अखण्डता को, अक्षुण्ण रखने के लिये जो भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के प्रति विश्वास था, आज वही विश्वास जनता के जनादेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ विकास मूलमंत्र और आधार लोकतंत्र के नारे को मजबूत करते हुये तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के पद पर दायित्ववान किया है, मैं इस सदन की ओर से, इस सदस्य की ओर से, अपने विधान सभा की पूरी टीम की ओर से, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे युवा छत्तीसगढ़ को उनका आर्शीवाद और सरकार का आर्शीवाद अलग-अलग जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से मिलता रहेगा । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की जानकारी के लिये, चर्चा के लिये कुल निर्धारित समय 30 मिनट । भारतीय जनता पार्टी को 18 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस को 11 मिनट। श्री अरूण साव जी ।

गृह मंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । वास्तव में प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना छत्तीसगढ़ के लिये अत्यन्त गौरव की बात है, अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को नापा है, संगठन के कार्यकर्ता के नाते, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में

लोगों से, उनके व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत संबंध है, छत्तीसगढ़ के चप्पे-चप्पे से परिचय है और पूरा छत्तीसगढ़ उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत आल्हादित है । वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में नरेन्द्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा तो इस छत्तीसगढ़ की धरती ने 10 सीटें देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में बड़ा योगदान दिया है, फिर वर्ष 2019 में 11 में से 9 सीटें देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में माननीय नरेन्द्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ ने बड़ा योगदान किया और जब तीसरी बार इतिहास रचते हुये नरेन्द्र मोदी जी, जब देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय अध्यक्ष महोदय 1962 के बाद किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर पाना यह 1962 के बाद पहली बार हुआ है, जो नरेन्द्र मोदी जी को मिला है, यह उन्होंने इतिहास रचा है (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1962 की परिस्थितियां कैसी थीं ? देश में केवल और केवल एक बड़ी राजनीतिक दल होती थी, पर आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत चमत्कारिक उपलब्धि है । यह तभी हुआ है, जो उन्होंने देश के लिए काम किया है । गांव, गरीब, किसान, मजदूर के जीवन में खुशहाली लाने का काम, उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है । जब आज हम गांव जाते हैं तो एक गरीब व्यक्ति जिसका पक्का मकान है, उसका परिवार जहां प्रसन्नचित्त होकर रहता है, एक गरीब परिवार जिसको 5 लाख रूपए का ईलाज आयुष्मान कार्ड में भारत में मिलता है । ऐसी इतनी योजनाएं हैं । 2014 के बाद देश के गरीब को लगता है कि यह देश की सरकार मेरी चिन्ता कर रही है और सबकी चिन्ता करने वाले कोई हैं तो वे नरेन्द्र मोदी जी हैं और तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना गांव, गरीब और किसान के लिए गौरव का विषय है । आज बहुत सारी बातों पर चर्चा हो गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 की वह परिस्थितियां थीं, उस समय देश के क्या हालात थे, देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, देश में चहुंओर घोर निराशा का वातावरण था । देश की अर्थव्यवस्था चौपट थी, देश की जिम्मेदारी किसी पर नहीं थी, चारों तरफ लूट-खसोट का वातावरण था, घोटाले, भ्रष्टाचार का बोलबाला था । आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद सिर चढकर बोल रहे थे, लेकिन आज यह वही देश आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने खड़ी है । आज पूरी दुनिया यह कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है तो यह चमत्कारिक नेतृत्व नरेन्द्र मोदी जी के कारण है । बहुत सारी बातें तो आ गई हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर वर्ग के कल्याण के लिए किसी ने काम किया तो नरेन्द्र मोदी जी ने काम किया । आज विपक्ष गायब हैं, विपक्ष के लोग नरेन्द्र मोदी जी से कितने डरते हैं । उनका ऐसा मानना था, आज भी मानते हैं कि इस देश में राज करने का अधिकार केवल एक उस परिवार को है । आज वे डरते हैं कि कैसे एक गरीब मां के बेटे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कैसे एक गरीब मां का बेटा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं । आज पूरा सामने बेंच

खाली है। इतना डर और इतना खौफ है कि पूरा देश उस गरीब मां के बेटे के साथ खड़ा है और मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर इस देश में इतिहास रचने का काम किया है ।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात मैं आपके सामने कहूंगा । हर वर्ग को ठगने वाले लोग, हर वर्ग को धोखा देने वाले लोग जिन्होंने इस देश में भय और भ्रम फैलाकर देश के लोगों का वोट हासिल किया, पर किसी के लिए कोई काम नहीं किया। चाहे वह हमारे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई-बहन हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सबको डराकर, भय दिखाकर भ्रम में डालकर देश में राज करने वाले लोगों ने इन वर्गों के लिए कभी कुछ नहीं किया और आज मैं कह सकता हूं कि हर वर्ग के मान-सम्मान को बढ़ाने का काम, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने कैसे काम किया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, पिछड़े वर्ग के बच्चों को सम्मान से जीने का अधिकार किसी ने दिया तो वह नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, नरेन्द्र मोदी जी दिया । एक आदिवासी समाज की बेटी गांव में रहने वाली बेटी आज देश के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद पर विराजित होकर आज देश का मार्गदर्शन कर रही हैं । ये वही लोग हैं, जिन्होंने संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या किया, पूरा देश जानता है। वरन् इन वर्गों को भय और भ्रम दिखाकर देश में राज करते रहे। लेकिन आज देश में एक चमत्कारिक नेता, वैश्विक नेता, दुनिया के सबसे लोक प्रिय नेता तीसरी बात देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरा छत्तीसगढ़ प्रसन्न है। इसीलिए छतीसगढ़ के लोगों ने 11 में से 10 सीटें देकर इसमें मदद की है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका होगी। विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में नरेन्द्र मोदी जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के निर्माण में, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी। जो बातें बोली गई है, उसको रिपीट नहीं करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- बिलकुल रिपीट नहीं करूंगा। पूरा समय, दो घंटा देना पड़ेगा। बिना रिपीट किए 2 घंटे लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सब नया शब्द निकालिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सबको देख रहा हूं कि क्या बोल रहे हैं। मैं पूरा समय दूंगा। पर नवीनता के साथ हो।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, एक भी प्वाईंट रिपीट नहीं होगा, एक शब्द रिपीट नहीं होगा।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं संसदीय कार्यमंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय नहीं है, पूरे भारत वर्ष के जन-जन के लिए सौभाग्य का विषय है। आज नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे देश के पास है, जो पूरे भारत में एक नये हस्ताक्षर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, राजनीतिक नेता होता है, वह सामान्यत: वोट बैंक की चिंता करता है, अपने राजनीतिक स्वार्थ की चिंता करता है। लेकिन नरेन्द्र मोदी जी का विशेष खासियत इसी बात को मानता हूं कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की, वोट बैंक की चिंता किये बिना, अगर कोई देश का नेता आज की तारीख में निर्णय लेने की क्षमता रखता है, तो उसका नाम केवल और केवल नरेन्द्र मोदी है, केवल और केवल नरेन्द्र मोदी है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी वह नेतृत्व हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ से विपरीत जाकर निर्णय लेते आये हैं। गुजरात में कच्छ का रेगिस्तान है। कच्छ के रेगिस्तान में पूरी मरूस्थल जैसी भूमि पड़ी हुई है। अनुपजाऊ भूमि पड़ी हुई है। उन्होंने उस भूमि का भी कैसे उपयोग करके दिखाया, यह सोचने और समझने की बात है। उन्होंने हाइब्रिड रिनुअल प्रोजेक्ट की स्थापना की है। एक सिंगल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बार्डर से लगता है, उस बार्डर में पवन उर्जा के पिलर (स्टैण्ड) लगा दिए गए, उससे फैंसिंग कर दी गई और ऊपर में विंड एनर्जी (पवन उर्जा) के लिए चक्कियां लगा दी गई हैं। उस पूरे क्षेत्र में एक हाइब्रिड रिनुअल प्रोजेक्ट की स्थापना करते हुए सोलर प्लेट्स लगाये गये। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट की क्षमता 34 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, जैसे पावर उत्पादक जिलों की पूरी क्षमता की भी गणना करें तो 34 हजार मेगावाट बिजली नहीं हो पाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जितने तार लग रहे हैं, उससे पूरे धरती के 7 राउण्ड हो सकते हैं, इसमें इतने अधिक तार का उपयोग किया जा रहा है, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका जो एरिया है, वह 726 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। हमारे नवा रायपुर का लेयर-1 है, उस एरिये से तुलना करें तो उस सिंगल एनर्जी प्रोजेक्ट में 9 नवा रायपुर का एरिया सम्मिलित हो सकता है, यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि इसकी तुलना वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम से करें तो एक हजार वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम उस प्रोजेक्ट के अंदर समा सकते हैं, वह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस सिंगल प्रोजेक्ट के लिए डेढ़ लाख करोड़ रूपये की जरूरत पड़ रही है और उसमें इनवेस्ट करने का काम नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। यदि कोई राजनीतिक रूप से सोचे कि इस डेढ़ लाख करोड़ की इनवेस्टमेंट से डेढ़ हजार वोट का फायदा होगा या नहीं होगा, यदि कोई कैलकुलेट करने जाये तो शायद डेढ़ हजार वोट की भी गारंटी नहीं है, डेढ़ हजार वोट बढ़ जायेंगे। उसके बाद भी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए डेढ़ लाख करोड़ रूपये invest करके 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की मापदा यदि

कोई नेता रखता है तो उसके पीछे केवल और केवल एक सोच है कि भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, चाहे उससे वोट बैंक का फायदा हो रहा हो या न हो रहा हो, उसके बावजूद उस चीज को करने की यदि कोई क्षमता रखता है तो नरेन्द्र मोदी जी रखते हैं। इसी उद्देश्य और इसी मिशन के कारण वह इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा कर पा रहे हैं। अभी policy paralysis की बात कही जा रही थी कि पहले जो सरकारें, यू.पी.ए. की सरकार थीं, उस समय किस तरह की policy paralysis थी और कोई निर्णय नहीं हो पाते थे। कांग्रेस की सरकारों में दशकों तक कोई निर्णय नहीं लिये जाते थे। देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के निर्णयों की जरूरत है, वह निर्णय नहीं लिये जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण कोट करना चाहूंगा कि नर्मदा नदी पर सिंचाई के लिए जो सरदार सरोवर परियोजना लायी गयी थी, उस परियोजना का भूमि पूजन कांग्रेस की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने किया था। उसके बाद कांग्रेस ने 5 दशकों से अधिक समय तक राज किया। लेकिन उस परियोजना को पूरा किया जाकर उसका लोकार्पण नहीं किया जा सका। उस policy paralysis की स्थिति को समाप्त करते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा किये गये भूमि पूजन वाली सरदार सरोवर परियोजना का यदि किसी ने लोकार्पण किया तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 6-7 दशकों बाद किया। यह उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में जिस तरह से राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रोजेक्ट किये जा रहे हैं, उसमें मैं आपको P.L.I. (production linked initiative scheme) का उदाहरण देना चाहूंगा। सुदूर east में south korea एक देश है। south korea सन् 1948 के लगभग आजाद हुआ था और हम सन् 1947 में आजाद हुए थे। हम और वह लगभग एक समय में आजाद हुए थे। उस समय उनके जितने भी (socio economic indicators) सामाजिक-आर्थिक सूचकांक थे, वह हमसे भी खराब स्थिति में थे। आज कोई भी मुद्दा आता है तो हम बोल देते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए समस्या आ रही है। लेकिन south korea का जनसंख्या घनत्व तब भी भारत से अधिक था और आज भी अधिक है। लेकिन वहां पर 1960 और 1970 के दशक में एक president park हुए। जिन्होंने अपने देश के लिए एक आमूल-चूल नीति बनाने का काम किया। उन्होंने (universal education) सार्वभौम शिक्षा और सार्वभौम skilling के लिए एक मिशन चलाया और देश की जितनी आबादी थी और जितने युवा थे, उन सबको skilled बनाया। उसके बाद export based electrical goods के लिए दुनिया भर में high value का निर्यात करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का मिशन चलाया। उसी का परिणाम है कि आज हम सबके हाथों में जो samsung की मोबाइल होती है वह south korea के president park की सोच का परिणाम है। आज हम सबके घरों में जो L.G. की टी.व्ही. और फ्रीज होती है वह president park की उसी सोच का परिणाम है। आज दुनिया भर में जो hyundai की कारें हैं वह president park की उसी सोच का परिणाम है। ये कंपनियां जो आज इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो मोबाइल के लिए पूरी दुनिया

में जानी जाती हैं। 1970 के दशक में कोई ऊन बनाती थी, कोई कपड़ा बनाती थी और कोई कैमिकल की फैक्ट्री चलाती थी। उन लोगों को president park ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने एक स्कीम चालू की थी - V.G.F. scheme (viability gap funding scheme). उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार देते हुए दुनिया भर के export market में छा जाओ। उसके लिए तुमको जो भी नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने का काम सरकार करेगी। उसके vision का परिणाम है कि आज samsung, L.G., hyundai जैसे इंडस्ट्रियल ग्रुप पैदा हुए। आज नरेन्द्र मोदी जी ऑटो मोबाइल सेक्टर के लिए, डिफेन्स के लिए, रेलवे के लिए, मोबाइल मैनुफैक्चरिंग के लिए, active pharmaceutical ingredients के लिए P.L.I. scheme चला रहे हैं और इन सबको संचालित करके भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज से 2-3-4 दशक बाद जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और भारत के आर्थिक विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे आज मैंने south korea के president park का जिक्र किया है, वैसे ही 3-4 दशक के बाद देश की पीढ़ियां यदि किसी का जिक्र करेंगी तो नरेन्द्र मोदी जी और P.L.I. scheme का जिक्र करेंगी। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। आज हमारी सरकार विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से काम करके वर्ष 2047 के विकसित भारत को map करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ (develop chhattisgarh) के लिए एक vision document और road map बनाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, चंद बिन्दुओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राजनीति में एक शब्द बहुप्रचलित है, दुनिया में जहॉ-जहॉ भी लोकतंत्र है, वहॉ पश्चिमी जगत में बहुत कॉमन शब्द है - 'एन्टीइन्कम्बेन्सी''। हर कोई मान लेता है कि लोकतंत्र में 'एन्टीइन्कम्बेन्सी', पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल नेता के लिए आता ही है लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वर्ष 2001 के बाद लगभग 23 साल की जो लाईफ है, उन 23 सालों के उनके राजनीतिक जीवन में भारत की राजनीति और दुनिया के लोकतंत्र को 'एन्टीइन्कम्बेन्सी' के विपरीत एक नया शब्द 'प्रोइन्कम्बेन्सी'' दिया है। वर्ष 2001 में जब नरेन्द्र मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री बने और वर्ष 2002 में वह चुनाव में गए, वर्ष 2007 में वह दूसरी बार चुनाव में गए, 2012 में वह तीसरी बार चुनाव में गए, लगातार गुजरात की जनता ने उनको चुना। वह वर्ष 2014 में देश के प्रधान मंत्री बने, 2019 में फिर से दूसरी बार चुनाव के लिए गए और 2024 में तीसरी बार गए, तो इतिहास रचते हुए चुनाव-दर-चुनाव उनकी लोकप्रियता, वोटों का प्रतिशत सब कुछ लगातार बढ़ता रहा और उनका 23 साल का राजनीतिक जीवन भारत और पूरी दुनिया के लोकतंत्र को एक नया शब्द 'प्रोइन्कम्बेन्सी' दिया है। ऐसा राजनेता आज भारत देश का नेतृत्व कर रहा है, यह हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 11वें नंबर पर ही अटकी रही लेकिन 2014 से 2024 के 10 सालों में इस राजनेता नरेन्द्र मोदी जी ने भारत की

अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से ऊपर उठाते हुए 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया और इस प्रोसेस में ब्रिटेन जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश को, जिसने वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा था, उसे भी हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। नरेन्द्र मोदी जी ने देश को वायदा किया है कि तीसरे टर्म में वह भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाकर दिखायेंगे और इसके हम सब साक्षी बनेंगे। हम सब इस महायज्ञ में विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में आहुति देंगे। तीसरी बार देश की जनता जनार्दन ने उन्हें आशिर्वाद दिया है, इसके लिए मैं देश की जनता-जनार्दन को नमन करता हूं। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को हमारे इस सदन की ओर से विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सुश्री लता उसेण्डी (कोन्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी ने हमारे जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने पर जो बधाई प्रस्ताव लाया है, मैं उस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मन, वचन और कर्म से सदैव भारत माँ और भारतवासियों की सेवा के लिए तत्पर, दृढ़संकल्पित और दूरदृष्टि के साथ अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता से देश के समग्र विकास के लिए अग्रसर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक ऐसे सूर्य हैं, जिसके प्रकाश तले संपूर्ण भूमंडल में एक-एक भारतवासी गर्व अनुभव करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जी के सपनों को साकार करने के लिए और एकात्म मानववाद के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणित करते हुए इस तीसरे कार्यकाल में निश्चित तौर पर वे अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी सरकार में प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सदन में जिन विषयों पर भी चर्चा हुई और लगातार बातें आईं, निश्चित रूप से वह सारी सुविधाएं उन तक पहुंचें, इन बातों को लेकर सरकार में योजना बनाकर उन तक पहुंचाया गया है। आज चाहे पेयजल की बात हो, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र की बात हो, हर व्यक्ति अग्रसर होकर आगे बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं लाई जा रही हैं। ये कार्यरूप में इसलिए भी आ रही हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, उसे यदि हम देखें तो हमारे देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, चाहे मैं दूरस्थ आदिवासी अंचल की ही बात करूं, जहां पर प्रधान मंत्री जी के कदम नहीं पड़े होंगे। इसके साथ -साथ विदेशों में भी कई स्थानों पर वे गए। उनका पूरा कार्यकाल सिर्फ सारी जगहों के भ्रमण में निकला है। जिन विपत्तियों को वर्षों से प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देखा, उन विपत्तियों को कैसे आने वाले समाज और आने वाली पीढ़ी को भोगना न पड़े, इसके लिए उनके नेतृत्व में जो योजनाएं बन रही हैं, वह मील का पत्थर साबित होती जा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने लाल किले में अपने प्रथम भाषण के समय बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात कही, स्वच्छता की बात कही। वर्षों से इंतजार कर रहे महिला आरक्षण बिल के लिये लगातार कई सरकारें बनीं, जिन्होंने इस

बिल के विषय में बात की लेकिन उनके अंदर उसको पारित कराने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी। यह दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति यदि किसी के अंदर थी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के अंदर थी, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक लाकर 33 प्रतिशत आरक्षण आज इस देश में लागू किया है (मेजों की थपथपाहट)। आने वाले समय में यह महिलाओं के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 11 करोड़ शौचालय बने हैं। उन्होंने सबसे पहले शौचालय की बात की, महिला असमिता की बात की, महिला सुरक्षा की बात की। यह सारे विषय कई लोगों से अनछुए थे। अगर हम शौचालय की बात करें तो निश्चित तौर पर लोग यह कहते थे कि यदि आप गांव में जाये तो यह प्रचलन में नहीं है। निश्चित तौर पर यह चीजें लोग कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे। आज अगर हम जाकर देखते हैं, तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिन छोटी-छोटी चीजों को योजनाओं में सम्मिलित किया है, आज वह सारी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके इस तीसरे कार्यकाल के लिये बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूं। धन्यवाद् (मेजों की थपथपाहट)।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिये जो बधाई प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसमें माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं एस.सी., एस.टी. वर्ग से आता हूं और निश्चित ही एस.सी., एस.टी. और गरीबों के लिये जो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा, वह एक मसीहा की तरह रहा (मेजों की थपथपाहट)। उनके द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं निकाली गयी, उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी समाज को मिला है तो वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को मिला है (मेजों की थपथपाहट)। माननीय प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो फ्री में राशन दिया गया, जिससे आज पूरे भारत देश से लगभग 25 करोड़ जनसंख्या को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ। यहां निश्चित ही भेदभाव की राजनीति चल रही थी। आज जो विपक्ष के सदस्य यहां से बहिर्गमन करके चले गये हैं, वे लगातार भेदभाव की राजनीति करते थे। जिससे एस.सी., एस.टी. को उनका हक, अधिकार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी बने हुए हैं, उन 10 सालों से उनके कार्यकाल में लगातार हर क्षेत्र में एस.सी., एस.टी. को उनका अधिकार मिल रहा है। यदि मैं सबसे बड़े अधिकार की बात करूं, तो हमें राजनीति में किसी प्रकार से आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार एस.सी. का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना था। वह श्री रामनाथ कोविंद जी थे, जो एस.सी. वर्ग से राष्ट्रपति बने थे (मेजों की थपथपाहट)। यह हमारे एस.सी. समाज के लिये और पूरे भारत देश के लिये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। साथ ही हम सब को अत्यंत पिछड़ी जाति होने के कारण किसी प्रकार का हक, अधिकार नहीं मिलने के कारण बहुत सारी आर्थिक कमियों की भी समस्या झेलनी

पड़ती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की गयी, जिसमें 5 लाख रूपये के ईलाज के लिये सहायता राशि मिलती थी। यदि इसका भी सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है, तो एस.सी., एस.टी. समाज को मिला है। इसके लिये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का भी सबसे ज्यादा लाभ हम एस.सी., एस.टी. वर्ग को ही मिला। इससे छोटे किसानों को उसका लाभ मिला। इसके अलावा एस.सी., एस.टी. समाज का अत्यंत पिछड़ी जाति और गरीबी होने के कारण पक्के मकान नहीं बन पाते थे। आपने देखा होगा कि पहले बहुत कम प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते थे, लेकिन जब से नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम तब से लेकर 2024 तक देखते हैं, तो इन 10 सालों में जब भी इस देश में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं, तो किसी भी गांव में 100 से ज्यादा ही प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं, उससे कम नहीं होते, जबकि उससे पहले 5-10 ही होते थे। हम सब को इसका अनेक लाभ मिला। जबकि जो पूर्व की पार्टियां रही हैं, जिनके द्वारा बहिर्गमन किया गया है, उनके द्वारा एस.सी., एस.टी. को हमेशा वोट बैंके के लिये उपयोग किया गया है । जब भी कुर्बान करने की आवश्यकता होती थी, जब भी किसी चुनाव में हारने की बात आती थी तो आपने यह देखा होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है जब उनको मालूम होता था कि अब हम हारने वाले हैं तब एस.सी./एस.टी. के प्रत्याशी को खड़े करते थे, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देते हैं जिनके नेतृत्व में उन एस.सी./एस.टी. लोगों को अधिकार मिल रहा है। एक समानता का अधिकार जो परम पूज्य गुरू बाबा घासीदास जी का संदेश है, "मनखे-मनखे एक समान" उस संदेश को यर्थात् करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए मैं, उनको हृदय से धन्यवाद् देता हूँ। मैं, तीसरी बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने पर हृदय से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी के द्वारा "यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता है" इस पवित्र सदन में उनके अभिनंदन, धन्यवाद् का जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और साथ ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। आज केवल छत्तीसगढ़ विधान सभा नहीं, मैं तो ऐसा समझता हूँ हिन्दुस्तान की सारी विधान सभाओं को इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सबको माननीय नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। वे इस भारत को स्वर्णिम काल की दिशा में ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से पहले जिन बातों की चर्चा होती थी कि कभी भारत

विश्व गुरू रहा है। भारत ने दुनिया का मार्गदर्शन किया है, लेकिन आज यह दिखायी देने लगा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वह समय दिखायी दे रहा है कि यह भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और फिर उस विश्व गुरू के दर्जे को प्राप्त करेगा। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद् देना चाहता हूं । माननीय नरेन्द्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले वर्ष 2001 से 2014 तक उन्होंने चार बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है और मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका प्रधानमंत्री पद के लिए चयन किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है। हमारे ओ.पी. चौधरी जी गुजरात की चर्चा कर रहे थे। आप और हम, दोनों एक कार्यक्रम में गुजरात गये थे। जब स्वर्णिम गुजरात का कार्यक्रम हुआ था और वहां पर लगातार उस कार्यक्रम के संदर्भ में जो चर्चा हुई कि गुजरात में कहां अहमदाबाद और कहां भुज है और उस अहमदाबाद से पानी को लिफ्ट करके, भुज तक ले जाया जा रहा है और वहां भुज में किसानों के खेतों में पहुंचाया जा रहा है। यह निश्चित रूप से माननीय नरेन्द्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व कर सकते हैं नहीं तो बंजर भूमि जहां पर पानी के अभाव में किसानों की फसलें सूख जाती थी, वहां से लोग पलायन करते थे, लेकिन आज उस भुज, कच्छ में हरियाली दिखायी दे रही है तो उसका कोई नेतृत्वकर्त्ता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, इस काम को किया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम बात करते हैं कि आजाद देश में वर्ष 1947 के बाद लोग गरीबों के नाम से वोट मांगते रहे। हमारे देश में गरीबों के नाम से चुनाव लड़ते रहे। कभी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन जिन्होंने गरीबी हटाओं का नारा दिया। क्या वह उस नारे में सफल हुए ? आज भी वह गरीबों की बात करते हैं। गरीबों की बात करने वाले गरीबी नहीं हटा सकते, लेकिन जो गरीब के घर में पैदा हुए, जिनके पिताजी चाय बेचते थे उनको वह सहयोग करने के लिए गये और जब वह देश के प्रधानमंत्री बने तो आज जो गरीबों के जीवन में बदलाव आया है तो गरीब के घर पैदा होने वाले माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब गरीबों के घर में परिवर्तन आया है। (मेजों की थपथपाहट) एक आदमी की बुनियादी आवश्यकता क्या है ? उसका खुद का पक्का मकान रहना चाहिए, उसके पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके घर में शौचालय होना चाहिए, उसकी घर की रसोई में चूल्हे के लिए गैस सिलेण्डर होना चाहिए, उसके घर में बिजली लगनी चाहिए, उसे खाने के लिए अनाज चाहिए और उनको अपना ईलाज कराने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। देश के अमृतकाल में माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया कि यदि हम अमृतकाल मना रहे हैं तो हमारा यह अमृतकाल बेकार नहीं जाएगा, अमृतकाल के साथ में लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आये, इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मैं उन योजनाओं के बारे में बहुत नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह कहता सकता हूं कि कड़े

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्णय, बड़े निर्णय। लोग निर्णय लेने से घबराते हैं कि यदि हम निर्णय लेंगे तो हमारे वोट बैंक टूट जायेंगे, खिसक जायेंगे। लेकिन यह वह लोग करते हैं जिनको सत्ता में चिपके रहने की लालसा है। जो देश को चाहते हैं, विश्व के सामने में इस देश को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोग निर्णय लेने में नहीं ठिठकते। ऐसे कुछ बिरले ही नेता हो सकते हैं, जिसमें माननीय नरेन्द्र मोदी जी कड़े निर्णय, बडे निर्णय के साथ में हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। मैं आज उस बात की कल्पना करता हूं, कभी अमेरिका की माननीय नरेन्द्र मोदी के वीजा की बात आती थी। आज हम उस देश को भी, उस देश की पार्लियामेंट को भी देख रहे हैं, उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए joint parliment को संबोधित करने का दो बार अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि देश में बिरले ही प्रधानमंत्री को दो बार joint parliment को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अमेरिका जैसे देश में joint parliment को संबोधित करने का दो बार अवसर प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दो बार अवसर प्राप्त हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया में ताकत रखने वाला ऐसा देश जिसके नाम से व्हाईट हॉउस की बात की जाती है, वह दुनिया का सर्वशक्तिशाली देश है। लेकिन जब मोदी जी वहां पर joint parliment को संबोधित किये हैं, आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि हम रात को टी.व्ही. में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक सामान्य बच्चे ऑटोग्राफ के लिए लाईन में लगते हैं, हमने वहां के मंत्री, स्पीकर, सांसद को देखा है कि लाईन में लग करके मोदी जी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। यह मोदी जी की विशालता है। यह मोदी जी की पहचान है। हिन्दुस्तान में आलोचना हो सकती है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि यदि पूरे विश्व में सबसे कोई लोकप्रिय नेता है तो उसका नाम नरेन्द्र मोदी है। पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता में उनका नाम लगातार सामने आ रहा है, यह इस बात को इंगित करता है कि आज भारत का मान, सम्मान कहां बढ़ा है। हम लोग उस दिन को भी देखे हैं कि लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, कल्पना करते थे। भारत के रहने वाले लोग जो विदेशों में हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती थी। यह तो कहने में भी डरते थे कि गर्व के साथ कहो कि हम भारतीय हैं। लेकिन आज दुनिया में रहने वाले भारतीय हैं उनका सीना चौड़ा हुआ है और शान के साथ सीना ठोक करके कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। हम यहां विदेश में हैं तो आज विदेश की सरकार भी उनकी चिंता कर रही है। इसलिए चिंता कर रही है चूंकि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत बनें, एक-एक वीजा के लिए, उनके छोटे-छोटे कार्य के लिये, उनकी नागरिकता के लिये कार्य अटकते थे। हिन्दुस्तान को मैसेज होता था कि यहां से वहां पर बातचीत की जाये। लेकिन आज विश्व में वह हवा खड़ी हो गई है कि यदि वहां भारतीय निवास कर रहे हैं तो भारत से कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही संदेश है कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं और यही संदेश दुनिया के लिए काफी है। उनके काम अपने आप हो रहे हैं। आज उनको वहां रह करके यह कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि

हिन्दुस्तान से दूसरी बार फोन आने की आवश्यकता पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मोदी जी के बारे में जितना कहेंगे, कम है। समय की मर्यादा है, विषय तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि 1947 को आजादी मिली और 2047 में हमारा विकसित भारत होगा और हमें विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो हमको खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा। ताकतवर केवल एक क्षेत्र में नहीं बनना है, आज हम देख रहे हैं सामरिक क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है। हमारी ट्रेन चल रही हैं, आज हमारी ट्रेनों की गति क्या हैं ? जैसे हम एयरपोर्ट की कल्पना करते हैं न, उससे सुंदर हमारे रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अब हमारा रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे दिखने लगेगा और केवल बड़े लोगों के जीवन में ही परिवर्तन नहीं आया है। जब मोदी जी ने इस बात को रखा कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई सफर करेंगे तो लोगों को लगा कि पता नहीं यह बात कितनी हकीकत होगी, लेकिन आज एयरपोर्ट के सामने बाहर जाकर देखेंगे तो यह दिखने लगा है कि बिल्कुल आम आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए वहां के केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि नागरिकों में भी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, देश के प्रति समर्पण की भाव की आवश्यकता है और वही देश आगे बढ़ा है, जहां के लोगों में देशप्रेम की भावना हो। हम किसी भी देश का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आज हम यह बात देख रहे हैं और भारत उस दिशा में जा रही है कि जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की बात करते हैं और उसको हम साकार करेंगे तो आज निश्चित रूप से चहुंमुखी विकास की ओर भारत देश बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में उस दिन को हम देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुन: विश्व गुरू के दर्जा को प्राप्त करेगा और परम वैभव के शिखर पर इस भारत देश को ले जाने में सफल होंगे। मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए इस विधान सभा छत्तीसगढ़ की ओर से पुन: बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा श्री विष्णु देव साय जी की सरकार की तरफ से सदन में रखे गये श्री नरेन्द्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने के प्रस्ताव पर जो बधाई संदेश देना है, उसका मैं समर्थन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम अपने सामान्य जीवन में चुनाव लड़ते हैं, एक बार विधायक बनना बहुत आसान होता है, दूसरी बार बहुत कठिन होता है और तीन-तीन बार कोई चुनाव जीतना तो और भी कठिन होता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे आपने छत्तीसगढ़ में लगातार तीन बार सरकार बनाने का कीर्तिमान बनाया है (मेजों की थपथपाहट) लेकिन इतना बड़ा देश जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश है, जहां विभिन्न भाषा-भाषी के लोग, विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता के बीच में देश

के 140 करोड़ लोगों का जनादेश प्राप्त करके सत्ता में बैठना, यह मजाक नहीं है और यह संयोग भी नहीं है, यह व्यक्ति का पुरूषार्थ है, व्यक्ति के द्वारा किए गए जनसेवा का फल है और इस देश की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत की हुकूमत करने का जनादेश दिया और वह प्रधानमंत्री के पर पर निर्वाचित हुए। मैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें मुख्यमंत्री के रूप में श्री विष्णु देव साय जी को दिया, एक गरीब आदिवासी परिवार को हमारा मुखिया बनाया। (मेजों की थपथपाहट) हम उनके नेतृत्व में लोक सभा चुनाव लड़ने गये और छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 10 सीट देकर मोदी जी को अपनी पूरी ताकत दी है। (मेजों की थपथपाहट) यह प्रस्ताव एक कागज का प्रस्ताव नहीं है। इस प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ के जनभावना का समावेश है, यहां के गरीबों की आवाज है, 80 करोड़ देशवासियों में जो यहां पर भी रहते हैं, जिनको मोदी जी ने 5 किलो मुफ्त चावल देकर उनके पेट की भूख को मिटाने का पुण्य कार्य किया है, उनका आशीर्वाद इस प्रस्ताव में है और यह आशीर्वाद उनको जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उधर की कुर्सी को देख रहा हूं तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि यह प्रजातंत्र की खूबसूरती नहीं है। डॉ. चरण दास महंत जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत अनुभवी नेता हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी जी ने देश की संसद में अपना भाषण दिया था। जब वह एक-दो अवसरों पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से मिलें तो कहीं पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने यह कहा था कि ये एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। (मेजों की थपथपाहट) सत्ता और विपक्ष के मान-सम्मान और रिश्ते का यह एक उदाहरण है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन् 1971 में पाकिस्तान का भूगोल बदलकर बांग्लादेश बनाया तब श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने पार्लियामेंट और दिल्ली में किसी सभा में कहा था कि यह इंदिरा दुर्गा का अवतार है। यह होता है अपने सामनेवाले को सम्मान देना । (मेजों की थपथपाहट) वह विपक्ष में थे लेकिन उन्होंने इंदिरा जी को सम्मान दिया । नेहरू जी पक्ष में थे लेकिन उन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी जी को सम्मान दिया । अगर हम छत्तीसगढ़ की ढ़ाई करोड़ जनता की ओर से एक प्यारा सा शुभकामना संदेश भेजना चाहते हैं तो विपक्ष के लोगों को यहां पर होना चाहिए था लेकिन इनके नेता जब रामलला के मंदिर का विरोध कर रहे थे । जब वे अयोध्या जाने से इंकार कर रहे थे, भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार करने से इंकार कर रहे थे, जिन्होंने राम के मंदिर में एक पुष्प चढ़ाना भी उचित नहीं समझा । वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को शुभकामना संदेश देंगे इसकी हम आशा भी नहीं करते हैं लेकिन अगर उनमें हिम्मत होती तो वे यहां पर बैठते और हमारे इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये तर्क देते तो हम उनके तर्कों को सुनते और उसका जवाब भी देते लेकिन ये न तो आलोचना कर सकते थे, न बुराई कर सकते थे और न प्रस्ताव का समर्थन करते थे क्योंकि एक

प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश देना एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार होता है और विपक्ष को उसका पालन करना चाहिए था ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई संदेश क्यों नहीं दें ? जब उन्होंने शपथ ली, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वहां बुलाये गये, शेख हसीना आयीं थीं, मालदीप के मोहम्मद मुइज्जू जो हमारे विरोधी हैं वे आये थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति आये थे, नेपाल के प्रधानमंत्री आये थे लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने पाकिस्तान जैसे गद्दार देशों के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया । (मेजों की थपथपाहट) वह इसलिये नहीं बुलाया क्योंकि वह कश्मीर में हमारे लोगों का खून-खराबा करता है, उन्होंने इसलिये नहीं बुलाया कि वहां के आतंकवादी आकर के हमारे देश के मासूम लोगों को मारते हैं । हमारे नरेन्द्र मोदी जी का इतना बड़ा कलेजा है जिन्होंने अपने पड़ोस के एक देश को तवज्जो न देकर पड़ोस के लोगों को बुलाकर उनको सम्मान दिया । पाकिस्तान के लिये यह एक संदेश था और यह हिम्मत नरेन्द्र मोदी जी की थी । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी जी ने पोखरण में बम विस्फोट कराया था, अटल बिहारी बाजपेयी जी ने बहुत बड़ा बम विस्फोट कराया था । नरेन्द्र मोदी जी ने चंद्रयान-3 भेजकर के चंद्रमा में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा है । (मेजों की थपथपाहट) हमें क्यों बधाई नहीं देनी चाहिए ? हम बधाई देंगे और इसी के लिये आज यह प्रस्ताव रखा गया है । प्रधानमंत्री के 10 साल में एक सूतली के भी अफरा-तफरी का कोई आरोप नहीं लगा है । इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बजट, इतने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट, इतने बड़े-बड़े रक्षा के सौदागर दिल्ली में घूमते हैं । 2 रूपये के भी भ्रष्टाचार का आरोप माननीय नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर नहीं लगा । (मेजों की थपथपाहट) जब नरेन्द्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो मोदी-मोदी क्यों होता है ? उनके चाहने वाले हैं और जिस देश में हमारे लोग रहते हैं वहां नरेन्द्र मोदी के जाने से उनका भी सम्मान बढ़ता है, उनको तवज्जो मिलती है । अमेरिका के प्रेसीडेंट जोसफ बाइडन अपनी कुर्सी से उठकर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास आते हैं । आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यस बॉस बोलते हैं । साउस अफ्रीका का कोई देश पपानागोआ क्या नाम है वह तो सीधे चरणस्पर्श करते हैं । यह है नरेन्द्र मोदी, यह है हिंदुस्तान । जो दसवीं अर्थव्यवस्था से पांचवीं में आ गया है, अब तीसरी की ओर छलांग लगा रहा है । कल के बजट से यह मामला आगे जाने वाला है । (मेजों की थपथपाहट) आप पाकिस्तान का टीवी चैनल देखिये । मोदी की बुराई करने वालों आप पाकिस्तान का टीवी चैनल देखिये उसमें लोग बोलते हैं कि हमारे यहां भी मोदी आकर सरकार चला ले । आटे के लिये तरशने वाले लोग हम चंद्रयान में चंद्रयान के लिये चंद्रमा भेज रहे हैं । मटन के लिये पैसे नहीं हैं, ब्रेड नहीं है, पीने के लिये पानी नहीं है और इस देश के इतने बड़े प्रजातंत्र में हमारे नरेन्द्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने के लिये वोट दिया और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश में सत्ता का हस्तांतरण होते आया है।

समय :
5.00 बजे

मानननीय अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का क्या हुआ? दो महीने पहले चुनाव हुआ था। सेना के बंदूक के साये के ऊपर वोटों को बदला गया और उस कठपुतली प्रधानमंत्री को सेना के मुनीर ने जा कर वहां उसको प्रधानमंत्री बनवाया। अध्यक्ष महोदय, ये है प्रजातंत्र हमारे देश का और ये है प्रजातंत्र पाकिस्तान का। तो हमें अपने प्रजातंत्र पर, हमें अपने देश के नागरिकों पर, हमारे अपने देश की चुनाव व्यवस्था पर और हमारे अपने प्रधानमंत्री पर हमको गर्व है कि देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है ताकि वे गरीबों की सेवा करें, देश का चहुंमुखी विकास करें, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें। हमारे देश में घुसने वाले घुसपैठियों को मारें, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी ने संदेश दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, अब इस देश के ऊपर पाकिस्तान जैसे लोग हिम्मत नहीं कर सकेंगे। यही तो हमारे इस देश को चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तब हम तरक्की करेंगे। हमारा जब देश शांतिपूर्ण वातावरण में रहेगा तब हम तरक्की करेंगे और ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से कर रहे हैं इसलिए उनको हम बधाई देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा लगता ये भी उसमें रहते, लेकिन कोई बात नहीं। सदन इस प्रस्ताव को पास करेगा और हमारा प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा कि हमारे विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश के माध्यम से आपको 11 में से 10 सीटें दी हैं। मोदी, हमारा ख्याल रखियेगा जैसे बिहार और आंध्र वालों का रखे हैं, हमारे विष्णु देव साय जी का भी वे ख्याल रखेंगे तब तो साय जी साय-साय पूरे देश में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मोदी जी को भी बधाई देता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विजय शर्मा जी।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का हृदय से आभार। बहुत तरह की चर्चा हो रही थी। उन चर्चाओं में बहुत सारे विषय ध्यान में आ रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में जरूर रखना चाहूंगा। एक बात हुई कि नारी शक्ति वंदन ऐसा प्रस्ताव 106 वां संविधान का संशोधन था और उसके माध्यम से पूरे देश में बहुत दिनों से यह कवायद थी परंतु कभी हो नहीं पाया था। अभी जाकर के 33 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा में, 33 प्रतिशत आरक्षण राज्यसभा में और देश के सभी विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया। महिलाओं की भागीदारी इस तरह सुरक्षित करा देना, इस तरह सुनिश्चित करा देना इतना बड़ा अभियान कर लेना, ये जाने कब से देश में चर्चा का विषय था, कार्यरूप में परिणत हो सका है तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय हो सका है। माननीय अध्यक्ष

महोदय, माताओं बहनों की चिंता में सिर्फ इतना ही नहीं और भी बातें हैं। महत्वपूर्ण समय में मैं तीन तलाक के विषय में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। तीन तलाक की पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो मैंने आरिफ मोहम्मद खान का एक वीडियो देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्राप्त जानकारी के आधार पर बहुत बड़ी घटना जो हुई थी, देश में शाह बानो प्रकरण हुआ था। 1978 की बात है। 1978 में उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। टेलीग्राम करके और उनके पति ने उनको तलाक दे दिया। तलाक, तलाक, तलाक ऐसा कहकर । वह अपना न्यायालय में संघर्ष करती रहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 साल बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया कि भरण पोषण का अधिकार इनको है क्योंकि उस समय 62 साल की वह स्वयं थी। उनके पांच बच्चे थे। भरण पोषण का अधिकार इनको है। इनको दिया जाना चाहिए। ये मसला है। देश में उस समय 1984 में राजीव गांधी जी की बहुत बड़ी सरकार बनकर शासन कर रही थी। बहुत बड़ी सरकार, आज तक की सबसे बड़ी सरकार। उस बड़ी सरकार ने जो किया माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बड़ी सरकार ने संविधान में संशोधन करके अपने लिए भरण पोषण मांगने वाली उस माता का अपने बच्चों के अधिकार को मांगने वाली उस माता का जिसको उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, संविधान में संशोधन करके उस पूरे फैसले को बदल दिया। उस बड़े सरकार ने क्या किया? तो ये किया था मान्यता हम सबको ध्यान में है और उसके बाद से मुस्लिम माताओं बहनों का कांग्रेस को जो श्राप लगा है, आज तक 40 साल बीत गए। कांग्रेस केंद्र में अपने दम पर सरकार ना बना पाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन माताओं बहनों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए देश में तीन तलाक को अमान्य कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा मसला है । उसी परिप्रेक्ष्य में आरिफ मोहम्मद शेख, राजीव गांधी जी की सरकार मंत्री थे उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था और आज वो केरल के राज्यपाल हैं । मैं इसी तारतम्य में महिलाओं के विषय जो बहुत मार्मिक है, हमन सबने उसकी बहुत चिंता की । उज्जवला कनेक्शन का भी एक मामला है, जिसके माध्यम से माताओं बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया । मुझे भी याद है यह विषय सबके बीच चर्चा का विषय हुआ करता था । गैस सिलेंडर का कनेक्शन कैसे मिलता है तो सांसद जी रिकमंडेशन करते हैं तब जाकर गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिलता है । उसके बिना गैस का कनेक्शन नहीं मिल सकता, हमारे देश में यह स्थिति थी । आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उज्जवला गैस कनेक्शन के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर गैस कनेक्शन माताओं बहनों के लिए दिया गया है । हर गरीब परिवार जो चाहता है कि हमारे घर में उज्जवला का कनेक्शन आए, उसके घर में जरूर पहुंचता है । इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में माताओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से माताओं की सेवा शुरू की है । सदन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में माताओं बहनों के लिए अलग भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है । ऐसे अनेक मामले हैं, संकल्प लेकर उसको सिद्ध तक पहुंचाने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है । बहुत सारी बातें हुई हैं, एक विषय

आ रहा था कि दक्षिण कोरिया 1948 में आजाद होता है और भारत 1947 में आजाद होता है, यह कैसे हो गया कि दक्षिण कोरिया इतने आगे बढ़ गया और भारत आगे नहीं बढ़ पाया । अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात ध्यान में आई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं गुजरात में गया था । अभी आप कल्पना करें कि कोई तहसीलदार के कार्यालय में पहुंचे और वहां तहसीलदार जी का स्टाफ कहे कि आईए, आईए बैठिये, उनको कुर्सी दे दी जाए फिर उनको पानी पूछ लिया जाए और चाय भी पूछ ली जाए फिर काम पूछकर उनका काम कर दिया जाए । ऐसा होता रहे तो आदमी को कुछ कन्फ्यूजन होगा कि भई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है । क्योंकि हमारे आदत रेसिस्टेंस की बनी हुई है, किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हो तो थोड़ा प्रतिरोध होगा, गतिरोध होगा । मैंने गुजरात में जाकर देखा है कि ये परिपाटी बदल गई है, वहां ऐसा ही है, वहां किस तरह से प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं । यह गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल को कोई और कुछ समझता होगा, वह अपना ध्यान कर ले । यह विषय है जो गुजरात मॉडल है (मेजो की थपथपाहट) । वहां का वर्किंग कल्चर पूरा बदल चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हैं, हमारे देश में 2014 तक कितने आईआईटी थे, अभी कितने हो गए। 2014 तक मेडिकल कॉलेजेस कितने थे अभी कितने हो गए। हमारे यहां 2014 तक कितने नेशनल हाईवे कितने थे, आज कितने हो गए, किस स्पीड से बन रहे हैं ? हमारे यहां आईआईएम कितने थे आज कितने हो गए ? 10 सालों के इन आंकड़ों को कोई नहीं झुठला सकता । 10 साल के आंकड़े प्रतिमान बनकर खड़े हैं । सारे लोग इस प्रतिमान को देखकर यह समझ सकते हैं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कितनी मेहनत करके देश के लिए काम किया है । कितनी मशक्कत करके काम किया है । किस तरीके से देश के सारे मानबिंदु को ऊपर उठाने का काम किया है । न सिर्फ इतना, वरन् पूरे देश और दुनिया में योग दिवस को स्थापित करने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का डंका बजाने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी ही हैं, अभी माननीय सदस्य इस बात की चिंता कर रहे थे कि अमेरिका का संयुक्त सदन बैठा था और उन्होंने जब भाषण दिया तो सदन कितनी बार खड़े हो होकर ताली बजाता है, हम सबने वीडियो में उसको देखा है (मेजो की थपथपाहट) । अमेरिका का सदन अगर खड़े हो होकर ताली बजाता है । जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है उस बीच में भारतीय छात्रों को छुड़ाने के लिए दोनों देशों के मुखिया से बात करके अपने छात्रों को वापस लाने का काम हुआ है तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। नरेन्द्र मोदी जी की विभिन्न बातों को हम सबने ध्यान दिया है । हम सबने चर्चा की है । एक अंतिम बात की चर्चा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । भारत के पूरी प्रक्रिया में, भारत के आगे बढ़ने में एक ऐसा कालखंड था जब साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच भारत पेंडुलम की भांति था और उसको हम लोग किसी तरीके से गुटनिरपेक्षता कह देते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी बदली है। हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमने विदेश नीति में भी बदलाव किया है। वह समय

अलग था कि हम कभी चीन की तरफ देखते थे, कभी रूस की तरफ देखते थे, कभी हमको अमेरिका से डर लगता था, कभी रूस से डर लगता था। इन सारी बातों को छोड़ते हुए, इन सारी बातों की परंपराओं को तोड़ते हुए। माननीय नरेन्द्र मोदी जी का 2017 में इजराईल का दौरा उससे पहले कोई इजराईल नहीं गया था। भारत के प्रधानमंत्री यह सोचा करते थे, हम इजराईल चल जाएंगे तो जाने कितना बड़ा कौन वर्ग है जो हमसे नाराज हो जाएगा। वह हमने देखा है जब भारत में सन् 1921 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, वहां तुर्की का साम्राज्य जा रहा था, हमारा क्या जा रहा था, हमारे उपर स्वयं गुलाम बनकर बैठे थे, उन सबकी चिंता छोड़कर भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ऐसी परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने इजराईल जाकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हम गुट निरपेक्ष हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम आपकी बातों को मानकर रखें। हमारे अपने स्टैंड हैं और हम अपनी दिशाओं में आगे बढ़ेंगे। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत स्पष्टता के साथ किया। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया। उन्होंने खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर ली। हम खाड़ी देशों पर पूरी तरह से तेल के मामलों में निर्भर हुआ करते थे। आज के डेट में इस 10 साल के अवसर में आप देखेंगे आज हम सिर्फ 42 प्रतिशत का तेल खाड़ी देशों से आयात करते हैं, बाकी पूरे का पूरा तेल हम विभिन्न देशों से आयात करते हैं। अपनी निर्भरता उन देशों पर समाप्त करना, अपना खुद का स्टैंड लेकर काम करना। हम आज गुट निरपेक्षता के नाम पर दोनों देशों के बीच में घूमते रहें, उनकी सुनते रहे, उनकी मानते रहे वाली बात नहीं है। हमारे अपने सामर्थ्य हैं, हम अपने सामर्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। यह स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे सदन की तरफ से माननीय नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एक चिंता और हो रही थी कि हम आयोध्या हार गये। हमारे नेता ने सदन में खड़े होकर कहा था कि सरकारें आएंगीं, जायेंगीं, पार्टियां बनेंगीं, बिगड़ेंगी, हमारा यह देश अमर होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है। हमारा यह लक्ष्य है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, देश को अमर बनाएं, इस लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। इस अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग काम करते हैं। मैं निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं हृदय से माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और हृदय से बधाईयां प्रेषित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह दिन छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई प्रस्ताव लाया है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर

बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र मोदी जी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना जाना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश के इतिहास में वह दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं। इसके पहले भी हुए जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने लेकिन उस समय और इस समय में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले प्रतिपक्ष की कोई बड़ी चुनौती नहीं थी लेकिन आज जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति है, ऐसे समय में तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभालना बहुत बड़ी बात है। यह इस बात का प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अत्यधिक जनता से जुड़ाव लोक कल्याण के कार्य में सतत् रहे, इसीलिए यह संभव हुआ है। यह उपलब्धियां असाधारण है। मैं पुन: आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इसका हम सभी लोगों को गर्व है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल था। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल था, उस समय राज्य मंत्री के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला । अध्यक्ष महोदय, जब पहले दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में प्रवेश किये थे तो झुक कर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस देश के संसद को प्रणाम करके वह प्रवेश किये थे । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, पहले ही दिन के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी यह सरकार गरीबों के लिये समर्पित सरकार रहेगी, मेरी यह सरकार गरीबों के लिये काम करेगी और हम सभी लोगों ने देखा है कि उनका वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक का पहला कार्यकाल था, उसमें उन्होंने गरीबों के लिये काम किया है । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुये गर्व होता है कि 15 अगस्त 2014 को जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी तो विरोधी लोग हंसते थे कि यह सफाई का काम, शौचालय निर्माण का काम, क्या कोई प्रधानमंत्री जी का है ? लेकिन आज हम सब लोगों को पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण योजना है । आज उनके स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा के बाद हम लोग सफाई का महत्व समझें हैं । अध्यक्ष महोदय, आज शौचालय का निर्माण हमारी गरीब माता-बहनों के सम्मान का एक काम है और विशेषकर बरसात के दिनों में गरीब लोगों के यहां गांव में शौचालय नहीं होते हैं, वह पहले सूर्यास्त का इंतजार करती थी, लेकिन इन छोटी बातों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज समझा है । अध्यक्ष महोदय, आज करोड़ों परिवार में शौचालय का निर्माण हुआ है तो कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम भी दिया गया है और यदि हम देखें तो वास्तव में यह गरीबों के लिये इज्जत का घर है । अध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह बताते हुये गौरव होता है कि जब वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आजादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश के 14 हजार से ज्यादा गांव बिजली से अछूता था, इन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना, लागू करके उन 14 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम

किया है । (मेजों की थपथपाहट) हमारी गरीब मातायें-बहनें, जो लकड़ी का ईधन के रूप में उपयोग करती थी और धुंवा से उनकी आंखें खराब होती थी, उनको सांस की बीमारी होती थी, पर्यावरण को जो हानि होती थी, वह अलग बात है, लेकिन आज करोड़ों-करोड़ों हमारी माता-बहनों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में गैस सिलेण्डर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो या आज हम जन-धन खाता की बात करते हैं, आज 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों का जन-धन खाता खुला है। अध्यक्ष महोदय, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आदरणीय मोदी जी ने जन-धन खाता खोलने का काम किया है, इसी देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हम दिल्ली से 100 रूपये भेजते हैं तो गांव तक 15 रूपया पहुंचता है, 85 रूपया का बंदरबांट हो जाता है, वह लीकेज हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, आज 45 करोड़ से ज्यादा जन-धन खाता खुले हैं, आज गरीबों को शत-प्रतिशत राशि उनके खातों के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सारे गरीबों से जुड़े हुये काम पहले पांच वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है । अध्यक्ष महोदय, इस देश की जनता ने जब पहली बार आर्शीवाद दिया तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 सीट मिली थी, लेकिन दूसरी बार के चुनाव में इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में पांच साल देखा और गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी के लिये उन्होंने काम किया और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक लोक सभा सीटें इस देश की जनता ने दिया था । अध्यक्ष महोदय जब वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बड़े-बड़े निर्णय लिये । जम्मू काश्मीर से धारा 370 हटाने का काम उन्होंने किया है, हम लोग शुरू से ही जनसंघ के जमाने से ही नारा लगाते रहे हैं, डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को पूरा करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । विपक्ष के लोग बोलते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, खून-खराबा हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की दूर दृष्टि के कारण शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हट गई । (मेजों की थपथपाहट) आज उनके ही शासनकाल में राममंदिर का निर्माण भी प्रशस्त हुआ । 500 साल के संघर्ष और लाखों हिन्दुओं की कुरबानी के बाद आज अयोध्या में भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे, यह भी हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है । (मेजों की थपथपाहट) जम्मू कश्मीर से 35 (ए) का हटना और सब बड़े-बड़े निर्णय आदरणीय मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में लिया । आज हम लोगों का सौभाग्य है कि वे लगातार तीसरा बार इस देश के प्रधानमंत्री के दायित्व पर हैं । आज उनका संकल्प है कि जिस तरह से उन्होंने 10 वर्षों में आर्थिक क्षेत्रों में यह देश जो 11वें स्थान पर था, उसको आर्थिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर लाकर खड़ा किया है और अगले 5 वर्षों में उनका संकल्प है कि इस देश को आर्थिक रूप से तीसरे सबसे बड़े ताकत के रूप में खड़ा करना है । (मेजों की थपथपाहट) और इस देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है । (मेजों की थपथपाहट) सारी बातें हो चुकी हैं । उन्होंने कोरोना कॉल में किस तरह से सुझबूझ के साथ इतने बड़े देश में, 140 करोड़

आबादी वाले देश में नियंत्रित किया और 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन अपने देश में 9 महीने में दो-दो वैक्सीन पहली बार ईजाद करके दिया । इतना ही नहीं 100 से ज्यादा विदेशों में वैक्सीन भेजकर जो ऐतिहासिक काम किया । इन सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर हम सब लोगों का गौरव है । आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मोदी जी की गारंटी को लेकर हम लोग पिछली विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में जनता के बीच में गए और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को विधान सभा के चुनाव में भी ऐतिहासिक विजय दिलाई । (मेजों की थपथपाहट) विधान सभा चुनाव में 54 सीट सहित 46 प्रतिशत वोट दिया और लोक सभा के चुनाव में 11 सीट में से 10 सीट जीताकर छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को 52 प्रतिशत वोट दिया । यह सब मोदी जी के कारण ही हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए पुन: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं । 140 करोड़ भारत वासियों के मान-सम्मान में वे जिस तरह से काम कर रहे हैं और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है । हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके कहीं न कहीं हम लोग उनको सहयोग देंगे और इन सब चीज में वे सफल हों । मैं उन्हें एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - "यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने पर बधाई और शुभकामनाएं देता है ।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक ऊँचाईयां प्राप्त की हैं । उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा । उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा ।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

समय :
5.24 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)</u>

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । विधेयक पर श्री अमर अग्रवाल चर्चा करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर संशोधन विधेयक लाया है, इसमें 3 संशोधन प्रस्तावित हैं। वैसे तो यह जो संशोधन है, यह एक प्रकार से देश की संसद में पास हुआ है, उसका अनुकरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2017 में इस देश में ONE NATION, ONE TAX की तर्ज पर देश के जितने भी टैक्सेस थे, राज्यों के अलग अधिकार थे, केन्द्र सरकार को अलग अधिकार था। केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी, राज्यों के अधिकार के तहत प्रवेश कर, विक्रय कर बाद में वेट था, सर्विस टैक्स, इन सारे टैक्स को मर्ज किया गया, जिसमें हमारी आर्थिक प्रगति तेजी के साथ हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया के लगभग-लगभग 162 देशों में यह जी.एस.टी. प्रारंभ हो गया था। हमारे यहां वर्ष 1998 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई कि हमारे देश में भी यह जी.एस.टी. आना चाहिए। एक लंबी चर्चा के बाद, क्योंकि राज्यों को सहमत कराना एक कठिन काम होता है, यह कठिन काम भी पूरा हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय अरूण जेटली जी की पहल पर सन् 2017 में प्रारंभ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जी.एस.टी. कौंसिल हमारे देश की पहली कोई कौंसिल है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के अधिकार समाहित है। हमारे संविधान में ऐसी कोई संस्था नहीं है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के भी अधिकार समाहित किए गए हों, केवल एक जी.एस.टी. कौंसिल में समाहित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2017 में यह जी.एस.टी. आया, उस समय एक्ट बना। यह इस देश की संसद में बना, इस देश की सारी विधानसभाओं में बना। उसके बाद जैसे-जैसे अनुभव के आधार पर जहां परेशानी आती है, जहां विसंगति आती है, जी.एस.टी. कौंसिल में इसकी चर्चा होती है। जी.एस.टी. कौंसिल में देश के सारे राज्यों के वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री और स्थाई अध्यक्ष हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं, उसको मिलाकर यह जी.एस.टी. कौंसिल है, उसमें चर्चा होती है। इसमें रिफाम्स पर चर्चा होती है। वहां पर एक्ट बनता है। वह एक्ट संसद में पास होने के बाद सारे राज्यों की विधानसभाओं में अनुकरण कह लें या चर्चा के लिए कह लें, यह विधानसभाओं मे जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये तीन संशोधन हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के पहले संशोधन में यह है, हम सब जानते हैं कि किसी बड़ी कम्पनी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी कम्पनी है, यदि वह खरीदी करती है तो टैक्स का इनपुट रिबेट उसी को मिलेगा। लेकिन जो ब्रांचेस हैं, जो सामान बेचती हैं, उसको इनपुट रिबेट नहीं मिलता है। इसके लिए दो व्यवस्थाएं बनाई गई थीं। एक व्यवस्था थी कि जो एक हेड कम्पनी थी, उनको बिल कर दें, एक दूसरी व्यवस्था थी कि अनुपातिक आधार पर बांट दें। बिल काटने वाली एक cross distribution system था और एक सीधा system था, उन दोनों को एक करके अब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो भी इनपुट रिबेट होगा, वह अनुपातिक आधार पर, टर्न ओवर के आधार पर ब्रांचेस में शिफ्ट हो जायेगा।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो दूसरा संशोधन है।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्य सूची में सम्मीलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो दूसरा संशोधन है। बहुत से unregistered dealer होते हैं, बहुत सी सरकारें हैं, जिनपर टैक्स हैं। लेकिन यदि हम unregistered dealer को कोई पेमेण्ट करते थे तो हमको उसका input rebate नहीं मिलता था। इसीलिए एक क्रास, जिसको input rebate कहते हैं, उसको charge करने की अनुमति देकर input rebate की सुविधा दी गई है। यही इसमें दूसरा संशोधन है। इसमें तीसरा संशोधन यह है कि खासकर जो tobaco product जैसे- पान मसाला हैं, उनको अपनी मशीन की क्षमता और गुणवत्ता का लिखित में proforma में देना पड़ता है। यदि उसमें कहीं कोई कमी पायी जाती है तो इसमें 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी.एस.टी. कौंसिल में इसकी व्यापक चर्चा हुई। सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों और जी.एस.टी. कौंसिल की सहमति हुई। उसके बाद इस देश की संसद में यह पास हुआ। आज उसी के अनुकरण के लिए यह संशोधन विधेयक हमारी छत्तीसगढ़ की विधान सभा में आया है। यह एक प्रक्रिया है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर पहले ही कहा कि यह बहुत अच्छा संशोधन है। संशोधन होते हैं तो अच्छे के लिए होते हैं। यह संशोधन अच्छे के लिए आया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में यह संशोधन विधेयक लाया है। मैं इसका समर्थन भी करता हूं और ऐसा समझता हूं कि यह अनुकरण है। यह एक चर्चा का विषय है और इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए और इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमर अग्रवाल जी ने लगभग सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। इस विधेयक में तीन संशोधन की बात हुई है। इस संशोधन विधेयक में मुख्यत: input service distributor या input सेवा वितरक, R.C.M. (reverse charge mechanism) को add किया गया है। यदि उनका registration नहीं होगा तो इसमें उनके लिए 1 लाख रूपये का penalty provision है। वैसे तो इन तीनों संशोधनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों के तीनों संशोधन होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब से यह सरकार बनी है, जी.एस.टी. और जी.एस.टी. के छापे को लेकर व्यापारियों के बीच में एक माहौल बन रहा है। माहौल यह बन रहा है कि किसी भी व्यापारी के यहां कभी भी छापा पड़ सकता है। हमारी कई व्यापारियों से बात हुई है। कई व्यापारी कह रहे हैं कि एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही बात कहूंगा कि जो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर आप जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल न बने कि व्यापारियों को सिर्फ चोर की दृष्टि से देखा जाए। वह भी अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ प्रदेश के लिए व्यापारी की भी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी बाकी चीजों की है। इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- नीलकंठ टेकाम जी।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि हम बजट सत्र में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की बात सुन रहे थे तो उन्होंने जब कहा कि हम इस राज्य में एक पैसे का भी नया टैक्स नहीं लगाएंगे तो न केवल हमारे विपक्षी साथियों को, बल्कि इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे थे और उसके बाद जब वह बात मीडिया में आई तो पूरे राज्य भर में यह चर्चा का विषय हो गया कि यह कैसे हो सकता है। पांच साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद जब बी.जे.पी. की सरकार आई तो इतनी बड़ी सौगात की एक भी नया टैक्स हमने नहीं लगाया। लेकिन उसके पीछे माननीय विष्णु देव सरकार की एक बड़ी सोच कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2047 में एक विकसित राज्य के रूप में कल्पना की है। उस सोच को एक वास्तुकार के रूप में हमारे वित्त मंत्री जी ने ड्राफ्ट किया और उसी के आधार पर एक संशोधन इसमें आया है, जो यह है कि ऐसी मशीन जिसका उपयोग टोबैको प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, उसका जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटे से छोटे लीकेज को ध्यान में रखते हुए हम कवरअप करते जाएंगे, वैसे-वैसे हमारे राज्य की आर्थिक क्षमता विकसित होगी और हमारे विकासशील राज्य के लिए अर्थ की जो व्यवस्था है, उसके लिए जो योजना तैयार की गई है, उसी के तारतम्य में यह संशोधन आया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए

बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद किसी राज्य में अभी इस संशोधन को लाया नहीं गया है, यहॉ पर लाया गया है। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जैसे कि सारे लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि हम पूछें कि कितने किसान हर साल लगान जमा करते हैं, तो जवाब बिल्कुल निरंक आएगा, क्योंकि ज्यादातर लगान जमा करने का काम पटवारी अपनी जेब से करता है। अगर इसे भी ऑनलाईन सिस्टम से कर दिया जाए जैसे कि आज हम बिजली बिल, रिचार्ज आदि ऑनलाईन सिस्टम से कर रहे हैं, तो यदि हम ऐसा कोई साफ्टवेयर आने वाले दिनों में भुईंया एप के साथ तैयार करते हैं, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। एक दूसरा मामला और है, भूमि के रजिस्ट्रेशन पर आज हमारे बहुत ही सीनियर माननीय विधायकों ने चर्चा की, कि जमीन की रजिस्ट्री करा देने के बाद नामांतरण कराने के लिए कई दिनों तक चक्कर काटना पड़ता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के साथ ही इन कामों का जो भी चार्जेस है, उन्हें भी जोड़ दिया जाए और एक 3 महीने या 15 दिन का समय देकर एक साथ उन्हें नामांतरण का आदेश भी मिल जाए, ऐसा उसमें यदि प्रोविजन कर दिया जाता है, तो उससे यहॉ की जनता को बहुत फायदा होगा और हम पटवारी, तहसीलदार और तहसील कार्यालयों में जो चक्कर काटते हैं, उससे बचा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि यह जो संशोधन है, उसे मान्य किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत ही अच्छे से हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अमर अग्रवाल जी और उमेश पटेल जी ने इसके बारे में जो बातें की, आप लोगों से बहुत सी चीजें समझने को भी मिलती हैं। 01 जुलाई, 2017 से जब भी इस तरह के संशोधन आते हैं, तो लगभग ये सेन्ट्रल में और जीएसटी काउंसिल में इसके बारे में discussion होता है और वहां से पास होकर हम स्टेट तक पहुंचते हैं। इसमें input rebates की भी बात है। मशीनरी के रजिस्ट्रेशन की भी बात है। चूंकि यह GST council और central से होकर आया है, इसमें मैं सिर्फ अपने कुछ सुझाव आदरणीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। जब हम machinery को register करेंगे, तो उसमें हम लोग कहीं न कहीं उसके production को भी evaluate करेंगे। evaluation से taxation का check तो हो जाएगा कि जहॉ से वह बन रहा है, वह आखिरी तक जाकर वहां तक हमारा पहुंच रहा है और जितना sell हो रहा है, उतना production से हमारा check and balance हम लोग यहां पर बना लेंगे। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो cess collection की हम बात कर रहे हैं, वह cess collection हम लोग starting points पर ही कर रहे हैं। GST में एक बात तय है कि पूरी supply chain कहीं न कहीं शुरु से लेकर आखिरी तक cess का collection यदि होता है, तो हमेशा फायदेमंद होता है, उससे चेक और बैलेंस भी बना रहता है। यदि हम लोग शुरू में ही मशीनरी में सेस ले रहे हैं, तो यह आने वाले समय में Precedent नहीं बनने चाहिए कि यदि हम लोग गुटखे और इस मामले में मशीनरी में पहले सेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो वह आखिरी तक चला जाये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी

को सेस के अलावा एक और बात कहना चाहूंगा। मंत्री जी बहुत ही यंग हैं और उनके इस बारे में कई बार डिस्कशन भी होता है। क्योंकि यदि हम एकदम स्टार्टिंग प्वाईंट पर ही पूरा सेस लगा देंगे, तो कहीं न कहीं हमारे जी.एस.टी. बिल की जो आत्मा है, हमारा वह purpose defeat न हो, ऐसा मेरा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, हमने अभी तक बहुत कम समय में जितने भी संशोधन देखे हैं, वे ऊपर से, Central GST Council से और Central से पास होकर आते हैं। हम लोग कहीं न कहीं एक Consumer state के अलावा एक Producer state भी हैं। हमारे लोहे के जितने उद्योग हैं या हम लोग उनको सप्लाई करते हैं, वहां वह लोग taxes को भरते हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को एक यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि compensasation कुछ साल तक ही रहेगा। हम यहां से कुछ ऐसे प्रावधान बनाकर भेजे कि हम लोगों को producer state होने का पूरा फायदा मिले और हम लोगों को production state होने के बाद जो loss हो रहा है, हम वह loss कैसे recover कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में सोचे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सुझाव और रहेगा। जब अगली बार हम लोग संशोधन की बात करें तो मैं मंत्री जी से हमेशा यह बात कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि हम लोग Green GST लागू करके पहला स्टेट बने, ताकि हम लोगों का जितना environmental loss हो रहा है, हम कहीं न कहीं उसको Green GDP करेंगे, तो उसको deduct करके ऊपर भेज सके और छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य बन सके। जहां हम लोग Green GDP भी लगाये और हम लोगों को producer state होने से जो नुकसान consumer state से हो रहा है, वह उसकी भरपाई कर सके। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्य कर मंत्री जी के प्रस्ताव, छत्तीगसढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात रखूंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को एकीकृत करने के लिये बहुत सारी बातें सोची और योजनाएं लायी थी। जैसे भारत माला, नदियों को जोड़ने वाली बात, कहीं न कहीं वहीं से इस बात का सूत्रपात हुआ कि क्यों न देश में एक टैक्स रखा जाये। इस तरह से 01 जुलाई, 2017 को यह लागू हुआ। कहीं न कहीं भारत जो 2047 में अपना लक्ष्य लेकर चल रहा है, यह उसको मजबूत करने वाला टैक्स है। इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि जब एक नया टैक्स या नई प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें सुधारों की गुंजाईश होती है। समय-समय पर आवश्यकताएं समझ में आती है कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए। यह तीनों संशोधन इसी तरह के संशोधन हैं। इसने बहुत आसान प्रोसेस किया कि जो सारे राज्य के और केन्द्र के कर थे, उन बहुत सारे करों को समाहित कर लिया और एक कर हो गया। इसने संघवाद को, राज्य और संघ के संबंधों को भी बहुत मजबूत किया है। ऐसे में केन्द्र ने यह बहुत अच्छी व्यवस्था भी की कि जी.एस.टी. लागू होने के साथ केन्द्र ने राज्यों को उनके राजस्व में संभावित कमी को लेकर

उसकी भरपाई के लिये योजना शुरू की और जो 5 साल की अवधि थी, उस अवधि में केन्द्र ने छत्तीसगढ़ को 21 हजार 679 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दी है। कहीं न कहीं केंद्र ने इस पर राज्यों का भी बहुत ध्यान रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पूर्ववक्ताओं ने इस विषय पर काफी सारी बातें की हैं और मैं इन्हीं बातों के साथ इस विधेयक के संशोधन में अपनी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जवाब दे दीजिए।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आदरणीय माननीय नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2047 तक भारत को विकासित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ के विपरीत होते हैं। राजनीतिक स्वार्थ के उलटे जाकर, उसकी कीमत चुकाते हुए भी करते हैं। वर्ष 1998 से देश में जी.एस.टी. चर्चा का विषय था, लेकिन कहीं न कहीं देश की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं Political Bill में कहीं न कहीं कमी थी, जो पहले की सरकारें उसे Implement नहीं कर पा रही थीं। यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी परिणाम है कि उन्होंने 1 जुलाई, 2017 को इसे लागू करके दिखाया। किसी भी राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलना जरूरी होता है तभी ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो जाता है ईमानदार टैक्स पे करके, जो Business करना चाहता है वह बिजनेस मैन प्रोत्साहित हो जाता है। गरीब कल्याण के लिए वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षमता बढ़ पाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जी.एस.टी. के सिस्टम को देश में लागू किया। आने वाले दशकों में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत के आर्थिक विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में याद किया जायेगा कि आखिर उन्होंने अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में कंवर्ट करने के लिए उसके Portion, प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया। इसे एक बड़े Reform के रूप में देखा जाना चाहिए। 17 प्रकार के टैक्सेस को एक करके एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा के साथ इसे लागू किया गया। यह सहकारी संघवाद का यह एक अप्रतिम उदाहरण है क्योंकि जो जी.एस.टी. कौंसिल है इस जी.एस.टी. कौंसिल में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है चाहे वह किसी भी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हों। सबका प्रतिनिधित्व होता है। यह जी.एस.टी. कौंसिल एक ऐसी कौंसिल है जिसमें कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर 51 प्रतिशत या आधे से ज्यादा बहुत के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि 75 प्रतिशत Weightage के साथ निर्णय लिया जाता है। कोई भी निर्णय तभी लिया जाता है जब उसके पक्ष में 75 प्रतिशत Weightage हो तब यह निर्णय लिया जाता है। इतनी उदारता के साथ इस बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया है और जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का Weightage है, उसमें हाफ नहीं रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, भारत सरकार का जो weightage है उसे वन थर्ड रखा गया है और राज्यों की Opinion को ज्यादा महत्व देने की दृष्टि से राज्यों की Opinion को टू थर्ड रखा गया है। दो तिहाई राज्यों का weightage रखा गया है। मात्र एक तिहाई केन्द्र ने अपना Weightage रखा है। यह सहकारी संज्ञवाद का इससे बेहतर और अप्रतिम उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। इससे इकानॉमिक Reforms को बड़ा बल मिला है। क्योंकि कैश कैडिंग इफैक्ट होता है इकानॉमी में बोला जाता है उससे हमारी अर्थव्यवस्था को मुक्ति मिली है। जैसे पहले कोई वेट था, केन्द्रीय उत्पाद कर था तो जिस वस्तु पर पहले ही कर लग जाए रहता था, वह राज्य में आता था फिर उसमें वेट लग जाता था और Multiple लेवर पर अलग-अलग लेवर में Taxation होता था। उसके कारण टैक्स पर टैक्स हो जाता था और इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता था। तो जी.एस.टी. की खूबसूरती इसी बात पर है कि यह कैश कैडिंग इफैक्ट को समाप्त करता है और इसीलिये इसे एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में इकानॉमिक Reforms के रूप में देखा जाता है। यह जी.एस.टी. लागू होने से एक कर, एक बाजार, एक राष्ट्र की अवधारणा के लागू हो जाने से जो राज्यों के बॉर्डर में चेक पोस्ट होते थे और व्यापार करने में व्यवसायी को जो असुविधाएं होती थीं उसे भी जी.एस.टी. के कारण समाप्त किया जा सका है। जी.एस.टी. में लगातार सुधार के तहत लगातार सुधारों की प्रक्रिया जी.एस.टी. कौंसिल के माध्यम से सतत् जारी है इसमें कम्पोजिसन (Composition) की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान जी.एस.टी. कौंसिल ने किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे Business हैं, जो छोटे Business हैं डेढ़ करोड़ रूपये टर्न ओव्हर वाले Business हैं उनमें Composition की सुविधा दी गई है अर्थात् उनको ओव्हर ऑल जो Business का Volume है उसे देखकर एक नियत टैक्स फिक्स कर दिया गया है और फिर उन्हें किसी प्रकार की औपचारिकता, लिखा-पढ़ी फार्म भरना, रेड होना इन सारी चीजों से मुक्ति प्रदान करने का काम जी.एस.टी. कौंसिल के द्वारा किया गया है। जी.एस.टी. लागू होने से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में जो पंजीकृत व्यवसायी थे, उनकी संख्या 1 लाख 28 हजार थी, आज यह 1 लाख 80 हजार हो गई है यह जी.एस.टी. का सफल परिणाम है और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि झारखण्ड जैसे राज्य में 2 लाख 5 हजार और उड़ीसा जैसे राज्य में 3 लाख 38 हजार, इनके रजिस्ट्रेशन की संख्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. ने भारत की इकानॉमी को किस तरह से मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2017-18 में जब जी.एस.टी. लागू नहीं था तो indirect taxes का रेवेन्यू 7 लाख 19 हजार करोड रुपये था जो आज महज 6-7 सालों बाद 7 लाख 19 हजार करोड़ रुपये से बढ़ते हुए 20 लाख 18 हजार करोड़ रुपये लगभग 3 गुना बढ़ा है। हम हर महीने जब जी.एस.टी. का डेटा आता है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाईन होती है जिसमें डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स भारत सरकार इकट्ठा करती है। यह टैक्स भारत सरकार इकट्ठा नहीं करती है, बल्कि उसे vertical devolution के तहत vertically राज्यों को वितरित करते हुए 42 प्रतिशत

हिस्सा राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है। जितना टैक्स सेंटर लेवल पर बढ़ रहा है, उसका भी लाभ राज्यों को मिल रहा है। राज्य जी.एस.टी. का पैसा सीधा-सीधा राज्यों को प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात जैसा कि सम्माननीय सदस्यों ने भी कहा कि राज्यों को जो नुकसान हुआ, अप्रैल 2018 से जून 2022 तक छूट क्षतिपूर्ति भी की गई। उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ को 21,678 करोड़ रुपये राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है। कोविड 19 का समय आया, जब क्षतिपूर्ति का समय चल रहा था। टैक्स क दृष्टि से कोविड 19 के कारण बड़ा नुकसान भारत सरकार को भी झेलना पड़ा। उसके बावजूद 2 लाख 59 हजार करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति की राशि कोविड के कारण भारत सरकार को राज्यों के मध्य बांटने की जरूरत पड़ी। लेकिन भारत सरकार ने पीछे न हटते हुए 2 लाख 59 हजार करोड़ रुपये लोन लेकर कोविड जैसे विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बीच में राज्यों के बीच वितरित करने का काम किया। जो राज्य की जी.एस.टी. होती है उसका पैसा तो सीधे राज्य के खाते में आ जाता है। जो केन्द्रीय जी.एस.टी. है, उसका 42 प्रतिशत जो devolution होता है, उसके तहत 2017-18 से 2023-24 के बीच में अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। जो संशोधन है, वह अनुसरण में है। जी.एस.टी. कौंसिल में पूरे देश के सभी राज्यों की भागीदारी होती है, निर्णय 75 प्रतिशत बहुमत के साथ लिया जाता है, ऐसी जी.एस.टी. बॉडी में इसका निर्णय लिया जा चुका है। केन्द्र की संसद में भी इसे पारित किया जा चुका है, इसलिए आज राज्य में तीनों संशोधन प्रस्तुत हुए हैं। यह तीनों संशोधन रिफार्म की दृष्टि से हैं। जो distributor के संबंध में है, उससे विभिन्न distributor के जो branches हैं, उनके बीच वितरण की प्रणाली में समरूपता आयेगी, सरलता आयेगी और इससे businessman को आसानी होगी। दूसरी ओर गुटखा जैसे विषय हैं, उनमें मशीनों का भी पंजीयन अनिवार्य किया गया है ताकि उसका सीधा आकलन किया जा सके। पंजीयन न कराने की स्थिति में 1 लाख रुपये जुर्माना अधिरोपित करने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। अभी सम्माननीय सदस्यों ने कुछ चिंता जताई है। जैसे आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज चीजों को व्याख्यायित किया। उमेश पटेल जी ने कहा कि टैक्स के छापे या टैक्स का negative environment राज्य में न बने। इसके लिए हम लोग विभाग की ओर से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। Ease of Doing Business (EoDB) का अलग से सेल विभाग ने गठित किया है और बहुत actively यह काम कर रहा है जिससे businessman को कोई भी प्रकार की असुविधा हो, सीधा इस सेल में facilitated करने का काम किया जा रहा है। रेड करने की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए artificial intelligence की टेक्नॉलाजी पर आधारित जो business intelligence unit है, बीफा का भारत सरकार का जो साफ्टवेयर है, जो बहुत ही इंटरनेशनल क्लास का है, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके artificial intelligence के सहारे जहां पर गडबड़ी हो रही है, उसको ट्रेस किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इससे किसी के यहां जबरदस्ती रेड मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पर मेजर गड़बड़ी हो, वहीं पर इसको फोकस किया जाता है। E-scrutiny की भी

व्यवस्था की गई है। हम लोग जो प्रोसेसिंग का समय है, उसे पंजीयन में 15 दिन से घटाकर 07 दिन तक किया गया है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है इस सब विषयों के कारण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जी.एस.टी. अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में 24 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है और लगातार हर महीने 16-17 प्रतिशत की मासिक वृद्धि देखी जा रही है। अकलतरा के विधायक आदरणीय राघवेन्द्र कुमार सिंह जी ने बिंदु रखा था कि हमारी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी कंज्यूमर बेस नहीं है। हमारी स्टेट का पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑल स्टेट औसत से कम है, इसके कारण जी.एस.टी. में कई Issues आती हैं और टैक्स के दृष्टि से हमको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से अभी हमारे बिंदु 16वें वित्त आयोग के लिए सम्माननीय वित्त आयोग का भ्रमण हुआ था, उसमें हमने इस iIssues को निश्चित रूप से रखा है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो Producer राज्य है, जहां Production Based Economy है, हमने इसमें रखा है। हमारे यहां जो production होता है, वह ज्यादातर Mining का होता है इसलिए Mining को भी जी.एस.टी. में राज्यों के बीच जो Horizontal Tax का Redistribution होता है, उसमें हमने Mining को भी 5% wattage देने का आग्रह किया है, इससे निश्चित रूप से हमारा जो Production Based Economy है, उसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ को लगातार लाभ होगा। आदरणीय सदस्य ने Cess की बात उठाई है। मैं उसका जवाब देते हुए कहना चाहूंगा कि Cess को भी divisable बनाया जाय। हमने इसको सेंट्रल और स्टेट के बीच में Request किया है और मुझे भरोसा है कि इसमें आने वाले समय में इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो Production Based Economy ज्यादा है, Consumption Based Economy नहीं है, उसके Issues को हम address कर पायेंगे। हमारे जो जी.एस.टी. के विषय हैं, वह सब चक्रीय हैं। चाहे हमारे यहां का आयरन हो, कोल हो, यह सब चक्रीय हैं। ये कभी तेजी में जाते हैं, कभी मंदी में जाते हैं, इसके कारण जी.एस.टी. बहुत तेजी से ऊपर-नीचे होता है। उसके बावजूद भी Facilitation के माध्यम से, Business Intelligence Unit के माध्यम से, Helpline के माध्यम से, Ease of Doing Business Cell के माध्यम से हमने एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया है, जिसमें छोटे व्यापारियों को दिक्कत भी ना हो और Business Intelligence Unit, Artificial Intelligence के माध्यम से बड़े कर अपवंचन करने वाले को पकड़ सकें, इसके माध्मय से तमाम चुनौतियों के बीच cyclical sectors में निगेटिव्ह सायकल होने के बाद में भी हम छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छा ग्रोथ प्राप्त कर पा रहे हैं और सदन ने हमेशा इस विषय पर सपोर्ट किया है। आज के Reforms में भी सभी सदस्यों ने हमको सपोर्ट किया है। इसमें भाग लेने वाले आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, श्री उमेश पटेल जी, आदरणीय श्री नीलकण्ठ टेकाम जी एवं श्री अनुज शर्मा जी का मैं धन्यवाद् ज्ञापित करते हुए और अध्यक्ष महोदय,

आपका धन्यवाद ज्ञापित करने हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

समय :
6.00 बजे

<u>अशासकीय संकल्प</u>

<u>(1) यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि "अंबिकापुर को वृहत्तर रेल्वे नेटवर्क अंबिकापुर-रेणुकूट से जोड़ा जाये ।"</u>

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि "अंबिकापुर को वृहत्तर रेल्वे नेटवर्क अंबिकापुर-रेणुकूट से जोड़ा जाये ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़ी कृपापूर्वक इस छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े हुए इस रेल्वे लाईन के लिय सदन में प्रस्ताव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रखने और चर्चा करने की अनुमति दी है । अध्यक्ष महोदय, यह मांग बहुत पुरानी है । वहां के अंबिकापुर-रेणुकूट रेल्वे जुड़ाव चेतना पदयात्रा कमेटी रेणुकूट के लोगों ने 150 किलोमीटर तक पदयात्रा करके इस मांग को अपना समर्थन दिया । सरगुजा क्षेत्रीय रेल्वे संघर्ष समिति ने पदयात्रा करके, पोस्टर से और दुनियाभर के आंदोलन-प्रदर्शन से इस मांग की शुरूआत की । मैं सबसे पहले, चूंकि मेरे पास एक पत्र है जो श्रीमती रेणुका सिंह ने दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को रेल्वे मंत्री को चिट्ठी लिखकर इस रेल्वे लाईन की मांग उन्होंने की । दूसरा पत्र श्री रामसकल मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का उन्होंने दिनांक 18.09.2023 को चिट्ठी लिखकर श्री अश्विनी वैष्णव जी से मांग की फिर एक तीसरा पत्र श्री पकोड़ी लाल कौल जो राबर्ट्सगंज के लोकसभा के सदस्य हैं उन्होंने भी दिनांक 12.09.2023 को इसी रेल्वे लाईन की मांग माननीय रेल्वे मंत्री जी से की । श्रीमती गोमती साय जो यहां विधायक के रूप में बैठी हैं, ये जब सांसद थीं तो इन्होंने भी एक पत्र रेल्वे मंत्री को दिनांक 02.09.2023 को लिखकर के इस रेल्वे लाईन की मांग की । संजय सेठ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रांची उन्होंने भी दिनांक 04.10. को चिट्ठी लिखकर मांग की । इसके अलावा और भी जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को दिल्ली की सरकार तक किया है कि अंबिकापुर से रेणुकूट को जोड़ा जाना चाहिए । अब इसे क्यों जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उसमें ट्राईबल डॉमिनेटेड एरिया सरगुजा-सोनभद्र रीजन और बलरामपुर-बैकुंठपुर आदि-आदि क्षेत्र जो सरगुजा के हैं उनको सीधी कनेक्टिविटी रेणुकूट को जोड़ देने के बाद कोलकाता, पटना, जबलपुर, बनारस, लखनऊ, अयोध्या सभी तरफ से उनको मिल सकती है । इस रेल्वे लाईन के बनने से जो कोल और बॉक्साईड का ट्रांसपोर्टेशन है वह भी बहुत ही सरल हो जायेगा और आपको मालूम है कि सरगुजा में 3 से 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोल का प्रोडक्शन होता है और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिये सीमित रेल का साधन है या तो ट्रकों के माध्यम से किया जाता है । उसी तरह से सरगुजा में 1.5 से 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष बॉक्साईड का उत्पादन होता है जिसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है । इस रेल लाईन के बन जाने से, मैं आगे बताउंगा चूंकि सोनभद्र बहुत खूबसूरत जिला है, जिसको राबर्ट्सगंज बोलते हैं और वह ट्राईबल जिला है । वहां एक से एक दर्शनीय स्थल हैं । इस रेल लाईन के बनने से बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, विंध्याचल, पटना, लखनउ, दिल्ली, जबलपुर, सब-कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा और बहुत ही सरल ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ करोड़ लोग इस रेल लाईन के बनने से लाभांवित होंगे । अब मैं एक-एक जनसंख्या तो नहीं पढ़ूंगा । यदि यह रेल्वे लाईन बनेगी तो टोटल 4 राज्य इससे प्रभावित होंगे । छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड । 11 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित होंगे जो इसका लाभ पायेंगे । उसमें आठ छत्तीसगढ़ के हैं। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, कोरबा, रायगढ़ और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, मध्य प्रदेश का सिंगरौली और झारखण्ड का गढ़वा। इसी तरह से छह लोकसभा क्षेत्र इसमें लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष महोदय, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, सोनभद्र यू.पी. का

सीधी सिंगरौली का और गढ़वा पलामू जिले का, जोकि झारखंड में है। 30 विधान सभा क्षेत्र इसमें लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष महोदय, 21 छत्तीसगढ़ का, चार उत्तर प्रदेश का, तीन मध्य प्रदेश का, दो झारखण्ड का और ये बनना करीब-करीब उसमें प्रक्रिया भी बहुत पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, ये रेलवे लाइन का भी है। मैं 2-2, 4-4 स्टेशन बता देता हूं ताकि इस बात को समझने में आसानी हो। ये अम्बिकापुर से शुरू होगा। प्रतापपुर होते हुए और वाड्रफ नगर होते हुए ये रेणुकूट जाएगा। रेणुकूट के आगे सारी रेलवे की लाइनें बिछी हुई हैं। रेणुकूट से चोपन हो करके दिल्ली प्रयागराज जायेगा। रेणुकूट से गढ़वा रोड होते हुए कलकत्ता मेन लाइन जा रही है। रेणुकूट अगर ये लाइन पहुंचेगी तो रेणुकूट से जबलपुर सिंगरौली मेन लाइन जा रही है। अध्यक्ष महोदय, चोपन से होते हुए वाराणसी जायेगा। वाराणसी से दिल्ली कलकत्ता मेन लाइन है। वाराणसी से पटना मेन लाइन है वाराणसी से दिल्ली लखनऊ मेन लाइन है। अध्यक्ष महोदय, ये थोड़े से दूरी को अगर हम बनवा लें तो हमारे छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह से जुड़ेगा। बलरामपुर के माननीय विधायक जी यहां बैठे हैं। इनके क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। वहां पर ले देकर अंबिकापुर तक रेल लाइन पहुंची है। वह भी अनूपपुर से ले देकर अंबिकापुर पहुंची है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो वहां हमारे इस प्रदेश के मिनरल माइंस से जो मिनरल निकल रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। एम्स जैसी सुविधा के लिए वहां के लोगों को बनारस में ही जाना पड़ता है। इनके वाड्रफ नगर और बलरामपुर और प्रतापपुर से लोग बनारस जाते हैं। वहां बी.एच.यू. का पढ़ाई लिखाई का इन्स्टिट्यूट भी है? वहां पर और भी कई संस्थान हैं, जिनका फायदा इस रेल लाइन के मिलने से बनेगा और मैं तो यह भी कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय कि यहां से रायपुर से बैठ कर भी आप सीधे-सीधे बनारस उसी लाइन से जा सकते हैं। अंबिकापुर और बिलासपुर के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। इसकी आबादी का मैंने आपको बता ही दिया कि करीब करीब डेढ़ करोड़ लोगों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कुछ पत्र भी देखा हू। इसमें सारे लोग जुलूस निकालते हुए धरना देते हुए प्रदर्शन करते हुए, मांग करते हुए दोनों जगह की रेलवे संघर्ष समितियों ने मांग किया है तो अध्यक्ष महोदय अगर हमारे प्रदेश को इस प्रस्ताव से फायदा होता है तो इस प्रस्ताव को अगर हम दिल्ली की सरकार में भेजें तो दिल्ली में ही हमारे प्रदेश की बहुत सी रेल लाइनों के बारे में विचार चल है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि अम्बिकापुर रेणुकूट रेलवे लाइन को अगर हम यहां से प्रस्ताव करके भेजें तो मोदी जी की सरकार में रेलवे मंत्री उस पर जरूर विचार करेंगे क्योंकि ये जो प्रस्ताव जायेगा, वह छत्तीसगढ़ की विधानसभा से पास होकर जायेगा और अगर जब पास होकर जायेगा तो अंबिकापुर और वहां के रहने वाले गरीब निवासियों को, जरूरतमंद लोगों को वहां के नए लड़कों को बहुत सा अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सदन में इस तरफ से भी और इस तरफ से भी आग्रह करता हूं कि अम्बिकापुर रेणुकूट रेलवे लाइन को केंद्र सरकार स्वीकृति प्रदान करे। इस आशय के संग ये प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाना चाहिए और मैं इसी आशा के संग ये

प्रस्ताव रख रहा हूं और आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कृपया करके वहां के लोगों की भावना इससे जुड़ी है। अध्यक्ष महोदय, और इस सदन का ये धर्म भी है कि अपने क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र की जरूरत जो वहां की जनभावना हो, उसका यहां पर उद्घोष होना चाहिए। उस भावना का यहां पर आवाज उठना चाहिए और उस भावना के अनुरूप यहां से हमें प्रस्ताव भेजना चाहिए। इसलिए इसको किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें ना तो कोई राजनीति है और ना इसमें किसी के पक्ष विपक्ष की बात है। जरूरत है अंबिकापुर से रेणुकूट रेलवे की, जो आगे कई दिशाओं में हमें सुविधा देगी। इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। यही आग्रह करते हुए मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदलने के लिए रेल्वे लाईन स्वीकृत करने के संबंध में संकल्प आया है । चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा भी सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है । वहां की स्थिति से मैं और वहां के अन्य जनप्रतिनिधि भी वाकिफ हैं । जिस समय वहां अंग्रेज थे, उन्होंने कोयला निकालने के लिए बनाई गई थी, जैसे जैसे कॉलरी खुलती जाती थी, रेल लाईन को बढ़ाते जाते थे । अनूपपुर से बढ़ते-बढ़ते विश्रामपुर तक कोयला खदानें खुली तब वहां ट्रेनें पहुंची । देश की आजादी के बाद लोग लगातार प्रयास करते रहे, अंबिकापुर तक रेल लाईन नहीं जुड़ पाई थी । लेकिन लरंग साय जी हमारे सांसद हुआ करते थे । उनके प्रयास और सबकी मेहनत से अंबिकापुर तक रेल लाईन आई। लेकिन वहां तक आने के बाद रेल लाईन का विस्तार आगे नहीं हो पाया । उसके लिए लगातर प्रयास हो रहा है । लोग संघर्ष समितियां बनाकर और जन-प्रतिनिधि दिल्ली तक में उस रेल लाईन को आगे बढ़ाने की बात करते थे । विश्रामपुर से बरवाडीह तक अंग्रेजों के समय में एक रेल लाईन बढ़ाने के की तैयारी हो गई थी, कुछ स्टेशन वगैरह भी बने थे फिर अंग्रेजों के जाने के बाद वह ठप्प हो गया था । लगातर बरवाडीह की बात होती रहती थी उसको विस्तारित करें ताकि वह मुख्य मार्ग से जुड़े। लेकिन उसके साथ ही अन्य मांगें आईं, उन मांगों में रेणुकूट तक रेल ले जाने के लिए भी एक संघर्ष समिति बनी, बरवाडीह तक जोड़ने के लिए भी एक संघर्ष समिति बनी और उसी तरह से अंबिकापुर से बिठंबगंज, तीन प्रकार की मांगें आईं उसके सर्वे का काम होने लगा । वर्तमान स्थिति में हमारे पास रेणुकूट सड़क का सर्वे हुआ है 144 किलोमीटर का सर्वे है । विश्रामपुर से बरवाडीह 199 किलोमीटर की दूरी है और अंबिकापुर से बिठंबगंज 181 किलोमीटर, तीनों के सर्वे डीपीआर वगैरह बनकर गया हुआ है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर के माध्यम से यह हमारे बरवाडीह और रेणुकूट का सर्वे हुआ है । मध्य पूर्व रेल्वे की ओर से बिठंबगंज रेल लाईन का सर्वे हुआ है । इन सबके डीपीआर बनकर वहां गए हुए हैं । हमारे केन्द्रीय मंत्री थे, अभी विधायक भी हैं उन्होंने भी अथक प्रयास करके इन रेल लाईनों को शुरू करने के लिए कहा है और वह अभी अंतिम स्थिति में है । हमारा सरगुजा जैसा क्षेत्र रेलवे नहीं होने के कारण अंबिकापुर तक तो स्थिति पहुंची है लेकिन वहां आगे रेल लाईन का विस्तार नहीं होने के कारण वहां जो औद्योगिक विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इन सारी चीजों पर

विकास रूका हुआ है । चूंकि वह आदिवासी क्षेत्र है और हम सब उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं । रेलवे कनेक्टिविटी विकास का सबसे बड़ा साधन बनता है और यदि यह 144 किलोमीटर की बरवाडीह तक जिसमें 14 स्टेशन का सर्वे हुआ, 14 स्टेशन बनेंगे । वहां से यदि जुड़ता है तो अंबिकापुर से दिल्ली तक जाने की दूरी 1030 किलोमीटर ही होगी, जो सबसे कम दूरी होगी और वहां से आने और जाने में भी और हमारे बाक्साइट, कोल की परिवहन दरों में भी कमी आएगी । इस तरह से इसके विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ के साथ-साथ जैसा कि धर्मजीत जी ने बताया कि मध्यप्रदेश के सांसद, झारखंड के सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसदों ने भी प्रयास किया है और अपनी बात संसद में रखी है । इस तरह से सारे लोगों का प्रयास वहां चल रहा है । मैं समझता हूं कि यदि यह रेल यहां प्रारंभ हो जाए तो हमारे सरगुजा क्षेत्र के लिए और जैसा कि वहां 22 विधान सभा क्षेत्र हैं और कई जिले उससे जुड़ेंगे। चाहे स्वास्थ्य के लिए बनारस जाना होगा या इसके माध्यम से वहां रोजगार का सृजन होगा, उद्योग स्थापित होंगे तो उससे इस क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिलेगी । मैं समझता हूं कि यदि इसको हम सब विधान सभा से पारित करके भेजेंगे तो न सिर्फ सरगुजा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । मैं माननीय धर्मजीत सिंह जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण लाखों लाख लोगों की जनभावनाओं से परिपूर्ण अंबिकापुर-रेणुकूट रेलमार्ग निर्माण की इस अशासकीय संकल्प का मैं समर्थन करती हूं। राष्ट्रीय रेल लाईन दिल्ली, बनारस, हावड़ा मुख्य मार्ग, इस रेल मार्ग के माध्यम से जुड़ने पर हमारे क्षेत्र के व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचेगा। अनेक जनजातीय कला कृतियों, वनोपज एवं स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिल सकेगा। यह प्रस्तावित मार्ग अन्य वैकल्पिक मार्गों की तुलना में सबसे कम दूरी का कम लागत वाला और अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होगा।

समय :
6:16 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

इस मार्ग का निर्माण कम समय में बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोल और बॉक्साईट परिवहन की बेहतर संभावनाओं के कारण संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित होने से ज्यादा अवसर है। इस मार्ग से सरगुजा संभाग के लोग कम दूरी व कम समय में सीधे वाराणसी व नई दिल्ली तथा अन्य राज्यों से जुड़ पाएंगे। हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की राम जन्मभूमि आयोध्या, राम वन गमन पथ कांशी विश्वानाथ कारिडोर, जगन्नाथ पुरी से जुड़कर वृहद धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन के अवसरों

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

का सृजन करेंगे जिससे धर्म परायण जनता को सुविधा मिलेगी तथा हमारी संस्कृति के अन्य आयामों को बल मिलेगा। अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाईन सरगुजा के लिए लाईफलाईन हो सकती है। इस रेल लाईन के जुड़ाव से छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के बीच सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत होंगे। इस रेल लाईन के बनने से डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। 4 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जुड़ सकेगा। टोटल 11 जिले लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के 8 जिले उत्तर प्रदेश का एक, मध्यप्रदेश का एक और झारखंड का 1 जिला लाभान्वित होगा। इस रेल लाईन के बनने से 6 लोक सभा क्षेत्र सरगुजा, कोरबा, रायगढ, सोनभद्र, सीधी और गढ़वा लाभान्वित होंगे। 30 विधान सभा छत्तीसगढ़ के 21, उत्तर प्रदेश के 4, मध्यप्रदेश के 3 और झारखंड के 2 क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सभापति महोदय, सरगुजा संभाग में वर्षों से हमारे पूर्वजों ने उत्तर प्रदेश में रेल लाईन जोड़ने के लिए जो सपना देखा और समय-समय पर अनेकों बार इसके लिए पुरजोर आवाज भी उठाई। हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस रेल लाईन के बनने से गांव के साधारणजन जो आज भी रेल में यात्रा नहीं किए हैं, उनका भी रेल में बैठने का सपना सच होगा। इस तरह से इस रेल लाईन के बनने से काफी विकास होगा। जो कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भी पड़ता है, प्रतापपुर और वाड्रफनगर मेरा विधान सभा क्षेत्र है। वहां की गरीब आदिवासी जनता भी रेल में बैठने का जो सपना है, उसे पूरा कर सकेंगे। सभापति महोदय, हम आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, पर आज भी सरगुजा संभाग के तमाम ऐसी जनता है जो रेल में नहीं बैठ पाएं हैं। इस मार्ग के जुड़ने से पिछड़े गरीब क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, व्यवसाय के नये अवसर उपलब्ध होंगे और कम खर्च पर स्वास्थ्य की सुविधा भी बनारस में अच्छे हॉस्पिटल होने से उन्हें प्राप्त होगा। इस रेल लाईन को बनाने के लिए पूर्व सरगुजा सांसद श्रीमती रेणुका सिंह जी, मध्यप्रदेश के राज्य सभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह जी, हमारी पूर्व सांसद दीदी गोमती साय जी और रांची लोक सभा के सांसद श्री संजय सेठ जी ने भी समय-समय पर मांग उठाई है।

अत: मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने सभापति महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं। जैसा कि आज मेरा जन्मदिवस है। (मेजों की थपथपाहट) मैं अपने सभापति महोदय के माध्यम से देश के यशस्वी लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी से यह अनुरोध करती हूं कि हमारे क्षेत्र की बहुत जरूरी मांग है, कृपया इसे पूरा किया जाए और हमारे क्षेत्र की जनता को अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाईन दी जाये। धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, आज उनको गिफ्ट के रूप में मिलना चाहिए। (हंसी)

<u>जन्मदिन की बधाई</u>

<u>श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, सदस्या</u>

सभापति महोदय :- मैं सदन की ओर से भी शकुंतला जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोग स्वागत करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापति महोदय, सर्व सम्मति से पास किया जाए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आज हमारी माननीय सदस्या का जन्मदिन है, यह संकल्प सर्व सम्मति से पारित होना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन एला कराहा बबा हो, संकल्प ला ले के झन चल देहो।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- भैया तैं तो कम से कम बढ़िया बोल। आज तो बढ़िया बोल दे।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी उहां ले ले के आना हे।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- भाई वहां से मिल जाही तैं, यहां से तो भिजवा दे।

श्री रामकुमार यादव :- इंहा से तो भेजी दे हन।

सभापति महोदय :- श्री अटल श्रीवास्तव।

<u>अशासकीय संकल्प (क्रमशः)</u>

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- सभापति महोदय, इस सदन के बहुत ही सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी ने एक अशासकीय संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, जो कि अंबिकापुर से रेणुकूट को जोड़ने का संकल्प है, यहां रेल लाईन बनाने का संकल्प है । सभापति महोदय, अगर हम देखें तो साऊथ ईस्टर्न सेंट्रल रेल्वे पूरे देश में सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला जोन है, हमारे यहां से आमदनी का जो स्त्रोत है, वह कहीं न कहीं माइनिंग है । सभापति महोदय, इस क्षेत्र में यात्रियों की सुविधायें हमारे यहां उतनी नहीं हो पाई है, अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो ईस्ट और वेस्ट जो बाम्बे हावड़ा लाईन है, वह राजनांदगांव से रायगढ़ तक जुड़ती है, यदि हम छत्तीसगढ़ का वर्टिकली देखें तो नार्थ और साऊथ छत्तीसगढ़ को जोड़ने की लाईन कभी डेवलप नहीं हो पाई है । सभापति महोदय, यह जरूर है कि रायपुर से रावघाट की तरफ रेल्वे लाईन आगे बढ़ी है, रायपुर से अंबिकापुर तक की लाईन आगे बढ़ी है, अंबिकापुर से रेणुकूट की लाईन अगर बढ़ती है तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सभी क्षेत्रों में बहुत फायदा होगा । सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि यह रेल लाईन बहुत पहले बन जानी चाहिये थी, अगर अभी यह प्रस्ताव माननीय धर्मजीत सिंह जी ने लाया है, हम सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का

समर्थन करते हैं और मेरा विश्वास है कि इस लाईन के बन जाने से दो बड़े आदिवासी क्षेत्र, जो कि हमारा नार्थ छत्तीसगढ़ सरगुजा है, वह झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा और जिस तरह से हम बस्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर यह रेल लाईन बन जाती है तो छत्तीसगढ़ एक चतुर्भुज की तरह राजनांदगांव से रायगढ़ और सरगुजा से रेणुकूट से लेकर, बस्तर के रामाराम तक लाईन बिछ जाती है तो यह पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की नई इबादत लिखेगा । मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री राजेश अग्रवाल जी ।

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- माननीय सभापति महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है कि अंबिकापुर को रेणुकूट से जोड़ा जाये, मैं इसके लिये सर्वप्रथम माननीय सदस्य को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । सभापति महोदय, आपने सरगुजा संभाग की पीड़ा को गंभीरता से लेकर अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है । सरगुजा जिले में रेल विस्तार की दृष्टि से अंबिकापुर-रेणुकूट लाईन अत्यन्त आवश्यक है और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण भी है । सभापति महोदय, लगभग 40 वर्षों से अंबिकापुर-रेणुकूट रेल्वे लाईन की मांग की जा रही है, सरगुजा संभाग कोल बाक्साईट उत्पादन में विशेष स्थान रखता है, यह रेल लाईन व्यावसायिक दृष्टि से सरकार के लिये न केवल लाभकारी साबित होगा, बल्कि सरगुजा संभाग को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और सरकार के आय के साधन भी बढ़ेंगे । सभापति महोदय, अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाईन छत्तीसगढ़ से उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड को भी सीधा जोड़ने में सक्षम एवं लाभकारी है । सभापति महोदय, इस अंचल की बड़ी आबादी जिसने आज तक रेल देखा भी नहीं है, उसे इस रेल मार्ग के माध्यम से वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली के लिये कम समय पर जाने का अवसर मिलेगा । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल के नाते उनसे सीधा जुड़ा हुआ है, इस रेल लाईन के पूर्ण होने से छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम की जन्म भूमि अयोध्या से भी सीधा जुड़ जायेगा । सभापति महोदय, इस क्षेत्र के लाखों लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप रेल लाईन का निर्माण बहुत ही जरूरी है । छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र खासकर यातायात की दृष्टि से विपन्न है, यहां से उत्तरप्रदेश, झारखण्ड और मध्यप्रदेश लगा हुआ है, इसके साथ ही खनिज संपदा से भरपूर है । सभापति महोदय, यहां उत्तरप्रदेश और झारखंड के साथ मध्यप्रदेश से संबद्ध एक बड़ी जनसंख्या है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो पढ़ रहे हैं, उसे पटल पर रख दें और इसे हम सर्वसम्मति से पारित कर देते हैं ।

सभापति महोदय :- बोलने दीजिए, अवसर कम मिलता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- कागज छूट जायेगा न ।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, रेणुकूट अंबिकापुर रेललाईन न केवल यहां के निवासियों के लिये यातायात की दृष्टि से वरदान होगा, अपितु माल परिवहन में भी क्रान्तिकारी सिद्ध होगा । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का उत्तरप्रदेश, झारखण्ड और दिल्ली से सीधा जुड़ाव देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, यह रेल मार्ग अपेक्षाकृत सस्ता, सुगम, व्यावहारिक और बहु उपयोगी होने के कारण, इसका बनना अति आवश्यक है । राष्ट्रीय रेल मार्ग, दिल्ली, बनारस, हावड़ा मुख्य मार्ग इस रेल मार्ग के माध्यम से जुड़ेगा और हमारे क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचेगा । सभापति महोदय, अनेक जनजातीय कलाकृतियों, वनोपज एवं स्थानीय उत्पादकों को एक बड़ा बाजार मिल सकेगा । सभापति महोदय, यह प्रस्तावित मार्ग अन्य वैकल्पिक मार्गों की तुलना में सबसे कम दूरी का कम लागत वाला और अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होगा । इस मार्ग का निर्माण कम समय में बहुत आसानी से किया जा सकता है । कोल और बॉक्साईट परिवहन की बेहतर संभावना के कारण संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित होने के भी ज्यादा अवसर हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंबिकापुर को वृहत्तर रेल्वे नेटवर्क अंबिकापुर-रेणुकूट से जोड़ा जाये । उत्तर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण, लाखों लोगों की जनभावना से परिपूर्ण अंबिकापुर-रेणुकूट रेल मार्ग के निर्माण के इस अशासकीय संकल्प का मैं समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- धन्यवाद सभापति महोदय । आज माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी ने अंबिकापुर को वृहत्तर रेल्वे नेटवर्क अंबिकापुर-रेणुकूट से जोड़े जाने हेतु अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है । मैं उस अशासकीय संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । जब मैं सांसद थी तो मैं रेल की सुविधा को लेकर कई बार रेल्वे मंत्री को पत्र लिखा करती थी चाहे अंबिकापुर से रेणुकूट हो या कोरबा से लोहरगगा हो, विशेषकर इन दो लाईनों के लिए मैं रेल्वे मंत्री से हमेशा पत्र व्यवहार करती थी । यह बहुत पुरानी मांग है, यह मांग छत्तीसगढ़ में वर्षों से होती रही है । जब मैं सांसद थी, तब से यह मांग करती आई हूं । आज मैं छत्तीसगढ़ की विधान सभा में विधायक होने के नाते सदन में आई हूं। मैं फिर से इस सदन के माध्यम निवेदन करती हूं कि यह मांग केन्द्र सरकार को जाये और यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो । जशपुर एक जशपुरांचल है, वनांचल है । अंबिकापुर-रेणुकूट और एक नया एरिया है, जिसका पत्थलगांव से डीपीआर बन चुका है, कोरबा से लेकर लोहरगगा, तीनों विधान सभा को टच करते हुए जाएगी । यह जशपुर जिला के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जशपुर जिला वनांचल एरिया है । इससे जशपुर ही नहीं, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा । यह लाईन चार राज्यों और कई विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ेगी तथा इस परियोजना से करोड़ों लोगों का लाभ भी मिलेगा । कोरबा से लेकर लोहरदग्गा की दूरी 300 किलोमीटर है, उसकी भी मांग इस सदन के माध्यम से हो, ताकि जशपुर जिले के लोग उसका लाभ लें ।

सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने जीवन की सत्य घटना बता रही हूं और उसी दिन से मैं संकल्पित थी कि जशपुर जिला और सरगुजा संभाग में रेल्वे लाईन को जरूर लाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यहां कांग्रेस की सरकार बनी । जो केन्द्र की परियोजना आती है, उसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रहती है । इसी कारण हम लोग ज्यादा जोर नहीं लगा पाये, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की सरकार है । मैं मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से निवेदन करती हूं कि जब वे दिल्ली जाएंगे तो इस मांग को जरूर रखेंगे और उस मांग को लेकर भी आएंगे । मेरे जीवन की छोटी सी घटना है । वर्ष 2016-17 में जशपुर के हम लोगों की महिलाओं की टीम राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अहमदाबाद गई थी । रेल नहीं होने के कारण हम लोग रेल्वे का समय नहीं जान पाये, जिसके कारण हम लोग कितनी बड़ी परेशानी में फँस गए थे, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती । क्योंकि वह समय-समय की बात थी । रेल्वे का समय रात को 12 बजे से शुरू होता है और हम लोगों की टिकिट 24 तारीख को थी और हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए 25 तारीख को गए । रेल्वे नहीं चलने के कारण यह हम लोगों की समय नहीं पता चला और यह हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, उसको हम लोग ही समझ सकते हैं । जब टी.सी. बोला कि आप लोगों की ट्रेन तो कब से निकल चुकी है । हम लोग पॉच महिलाएं थीं और हमें 2 बजे रात को अहमदाबाद में उतार दिया गया । हम अपनी व्यथा को बयां नहीं कर सकते कि हम लोगों ने उस समय और परिस्थिति को कैसे काटा है । उसी दिन से मैं संकल्पित थी कि जशपुर और सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ को रेल्वे कनेक्टिविटी से जोड़ना, देश की रेल्वे लाईन से जोड़ना, हवाई कनेक्टिविटी को भी जोड़ना और किस तरह से रोड कनेक्टिविटी से जोडना है, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है, उनका विजन है। इस विजन को पूरा भी करना है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी लोग वनांचल में रहते हैं। उनके जंगल में रहने के कारण वहां के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं। अगर हमारे यहां रेल्वे की सुविधा रहेगी, हवाई सुविधा रहेगी हमारे पास सड़क सुविधा रहेगी तो हमारे आदिवासी लोग भी गांव से बाहर निकलकर जरूर जायेंगे और समस्या का समधान स्वत: हो जायेगा,लोग जानने लगेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 80 प्रतिशत लोग यह नहीं जानते हैं कि कहां रेल टिकट बनता है, हमको कहां से ट्रेन पकड़ना है। लेकिन आज हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से भी सक्षम है। यहां चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, सभी चीजें हैं। यहां कई अधोसरंचना तैयार हैं। यहां से बहुत सारी मालगाड़ियां गुजरकर जाती है। हमारा प्रदेश रायल्टी देने वाला प्रदेश है। रायल्टी देने वाला प्रदेश होने के नाते यहां अधोसरंचना सर्व सुविधायुक्त होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन से निवेदन करती हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती हूं, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करती हूं कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करें। मैं, हमारे बड़े भाई धर्मजीत सिंह जी को धन्यवाद देती हूं

कि उन्होंने इस विषय को उठाने का काम किया है। यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। यह सबकी मांग है। सबकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आ गये हैं, वह भी सुन रहे हैं, वहां जाकर इसे लाये। जहां-जहां रेल कनेक्टिविटी नहीं है, जहां जहां हवाई कनेक्टिविटी नहीं है वहां हमारे प्रदेश में इसकी जरूरत है। ये जरूरत की सुविधाएं हैं। इस पर जरूर पहल करने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अच्छा समय दिया, उसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने रेल्वे की सुविधा के सम्बन्ध में अशासकीय संकल्प लाया है। यह बहुत ही अच्छा संकल्प है। हमारे छत्तीसगढ़ में रेल्वे का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो। यह अशासकीय संकल्प का विषय भारत सरकार से संबंधित है। अत: इस विषय पर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे से जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बिकापुर से रेणुकोट का फायनल लोकेशन, सर्वे पूर्ण कर डी.पी.आर. रेल्वे बोर्ड को दिनांक 14.10.2023 को भेज दिया गया है। बिन्द्रागढ़- अम्बिकापुर नई रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में स्वीकृत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यहां रेल्वे विस्तार की मांग काफी पुरानी है। जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार यह मांग 60-65 साल पहले से, आजादी के पहले से मांग चली आ रही है। इस रेल लाईन की मांग बहुत पुराने समय से, 1942-43 से चली आ रही है। इस रेल लाईन का उद्देश्य यह भी था कि मुम्बई से कोलकाता की दूरी लगभग 400 किलोमीटर कम हो जायेगी। इसकी वर्तमान समय में महत्ता अधिक है। क्योंकि पूर्व में प्रचलित रेल मार्गों से आवागमन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। यह उल्लेखनीय है कि इस रेल लाईन के विकास के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी ने भारत के माननीय रेल मंत्री से विगत माह मुलाकात कर इस रेल लाईन के सन्दर्भ में चर्चा की है। इस रेल लाईन के निर्माण से सरगुजा का सम्पर्क सीधे बिहार, झारखण्ड राज्य से होगा, जिससे दोनों क्षेत्र में संपर्क बढ़ने से व्यापारिक एवं सामाजिक विकास होगा। आरंभिक तौर पर इस रेल मार्ग से यात्री आवागमन के साथ-साथ खनिज वस्तुओं के परिवहन की भी अपार संभावना है। इस रेल लाईन की अनुमानित लंबाई लगभग 144 किलोमीटर एवं अनुमानित लागत लगभग 1,400 करोड़ रूपये संभावित है। इसके प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र की तेजी से प्रगति हो सकेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा इस रेल लाईन के निर्माण के लिए अपनी ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है। अत: यह संकल्प पारित करते हुए केन्द्र सरकार से इस विषय में आग्रह किये जाने हेतु विभाग भी सहमत है और यह सदन भी सहमत होगा। सभी सदस्यों ने पहले ही कहा है। माननीय सभापति जी, उपरोक्त जानकारी के संदर्भ में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार से निवेदन किया जाये कि उक्त रेल निर्माण कार्य

में तेजी लायी जाए। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना पॉजिटिव जवाब दिया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। अंबिकापुर की जनता आपको बहुत-बहुत बधाई देगी कि आपने उनकी मांगों को यहां पर ताकत दी है।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''अंबिकापुर को वृहत्तर रेलवे नेटवर्क अंबिकापुर-रेणुकूट से जोड़ा जाए।''

सभापति महोदय :- यदि सर्व सम्मति हो तो यह हां या न करने का विषय नहीं है।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय राजेश मूणत जी।

<u>(2) "छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं अन्य सभी प्रकार के निर्वाचन एक साथ कराये जायें।"</u>

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली-117 के अधीन सामान्य लोक हित के विषय से संबंधित निम्नलिखित अशासकीय संकल्प को सभा में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

सम्माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों व अन्य सभी निर्वाचन एक साथ कराने हेतु है। मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सामान्यत: लगातार चुनाव में हमें चुनाव आचार संहिता का प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग अभी 7 महीने पहले विधान सभा का चुनाव फेस करके आये हैं और उस विधान सभा के चुनाव के बाद एक और लोक सभा का चुनाव आ गया। लोक सभा के चुनाव और विधान सभा के चुनाव के 6 महीने के बीच में 3 महीने की चुनाव आचार संहिता आ गई। इससे पूरे काम डिस्टर्ब हो गये और इसके अंदर संपूर्ण कर्मचारी लग गये। हम वापस 3 महीने के बाद नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनाव में जाएंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का संपूर्ण क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह जो छोटे-छोटे चुनाव होते हैं, उसमें हमारे संपूर्ण कर्मचारी लग जाते हैं और वह नयी वोटर लिस्ट बनाते हैं। इससे गांव के अंदर और शहर के अंदर काम में रूकावट आ जाती है। इसमें पैसे का व्यय भी होता है और समय का भी व्यय होता है। साथ में यह देखने को आया है कि आप सोचिये कि आज छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 पंचायतें हैं। नगर पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत हैं।

यदि सामूहिक रूप से सबके चुनाव एकसाथ हो जाएं तो संसाधन भी कम लगेंगे और व्यवस्था भी कम लगेगी। एक समय में चुनाव होने से प्रदेश के अंदर काम की गति भी बढ़ेगी और कर्मचारियों को काम करने का समय भी मिलेगा। राजनीतिक दल के नेताओं को भी समय मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन से यह आग्रह करता हूं कि जब पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी वन नेशन-वन इलेक्शन का नारा देकर आग्रह कर रहे हैं तो मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें एक आदर्श उदाहरण बने। यदि हम आगे एक कदम बढ़ते हैं तो हमारे जितने छोटे चुनाव हैं। यही नहीं, अभी पंचायत चुनाव होने के बाद फिर मण्डी चुनाव आ जाएगा। पंचायत चुनाव आ जाएगा तो हमारे लगभग डेढ़ साल केवल चुनाव में चले जाते हैं। उसके कारण डेव्हलपमेंट का काम रूक जाता है और पूरे शासकीय कर्मचारी, सब लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि सभी चुनाव एक साथ करें, ताकि छत्तीसगढ़ में एक आदर्श छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो सके और पूरे देश में यह ऐसा पहला राज्य हो। लोकल चुनाव में लोकल प्रशासन लगता है, लोकल चुनाव आयोग लगता है। यदि हम तीनों चुनाव एक साथ करायेंगे, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए हम जो कृतसंकल्पित होकर आज उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ से आज इस कार्य की शुरुआत की जाए। यह मेरा एक छोटा सा विषय है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप सबका मत हो, तो इसे सर्वानुमति से पारित करें, ताकि छत्तीसगढ़ एक नई दिशा में आगे बढ़े। इसी सोच के साथ आप सबके प्रति आभार। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, आपके प्रस्ताव का हम लोग समर्थन करते हैं। अभी जिस तरीके से नगरीय निकायों के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है, उसमें बहुत सारी विसंगतियॉ आईं, जिसके कारण हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, तो कम से कम ऐसा कोई काम तो न कीजिए, जिसमें आप अपने फायदे-नुकसान के हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं। जो भी किया जाए, चाहे उसका आधार भौगोलिक हो या वहॉ की जनसंख्या हो, पर जो भी किया जाए, ऐसा किया जाए कि कोर्ट से उस पर रोक न लगे, तभी तो चुनाव हो पायेंगे।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं अन्य सभी प्रकार के निर्वाचन एक साथ कराए जाएं।"

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेश मूणत जी ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, उसमें one nation one election के संदर्भ में सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की भी यह संकल्पना है और आपने इसके पीछे जो तथ्य दिए हैं, वह निश्चित रूप से उचित हैं। मैं समझता हूं कि इसकी संवैधानिक बाध्यता कितनी है लेकिन यह आज के वर्तमान परिवेश में आवश्यक प्रतीत होता

दिखता है। हम यदि पूरे देश के विषय को न भी लें और केवल छत्तीसगढ़ के विषय को देख लें, तो हमारा पूरा तीन साल तो चुनाव में ही चला जाता है। अभी-अभी हम उस दौर से गुजरे हैं। विधान सभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर में, उसके बाद अभी लोक सभा के चुनाव तथा अभी के चार महीने निकाल दिये जाएं, तो नगरीय निकायों के चुनाव अवश्य संभावी होंगे, उसके तीन-चार महीने के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे। इस बीच या इससे आगे हमें और भी चुनावों चाहे वह मंडी के चुनाव हों या सहकारिता के चुनाव हों, उन चुनाव प्रक्रियाओं से भी गुज़रना पड़ता है। मुझे लगता है कि अलग-अलग चुनावों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं निरूपित की जाती हैं, उसमें आवश्यकता से अधिक धन खर्च का भी इसमें मामला आता है। यदि इसे एकीकृत कर दिया जाए, तो समय की भी बचत होगी और चुनी हुई सरकार चाहे वह इधर की हो या उधर की हो, जनपदों की हो या नगरीय निकायों की हो, उसे किसी भी सूरत में चार-साढ़े चार साल का समय अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से या कार्य करने की दृष्टि से मिलना चाहिए। सभी का आशय यही है कि सबका साथ सबका विकास की जो मोदी जी की अवधारणा है, वह पूरी हो। काम करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है और फिर चुनाव पर चुनाव आ जाते हैं और अगली बार फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। हमारा जो सरकारी अमला है, वह भी इन्हीं चुनाव कार्यों में व्यस्त होने के कारण कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से जमीनी स्तर पर जो भी करना होता है, उसमें भी निरंतर कमी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के या प्रदेश के आर्थिक नुकसान की दृष्टि से, मुझे नहीं मालूम की इसकी संवैधानिक बाध्यता क्या है। लेकिन आज एक अच्छे विषय को लेकर वरिष्ठ सदस्य, आदरणीय राजेश मूणत जी ने अशासकीय संकल्प रखा है। मैंने आपकी अनुमति से सदन में वन नेशन, वन इलेक्शन के विषय में मुझे जो लगता है, उसे बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष रखा है और आपके विषय को पूरा समर्थन देते हुए आपने जो अवसर दिया है, मैं उसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, पिछले काफी वक्त से एक देश, एक चुनाव का विषय कई बार सुनाई देता है। आज हमारे वरिष्ठ सदस्य महोदय ने ऐसा ही एक अशासकीय संकल्प लाया है। छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और अन्य सभी प्रकार के निर्वाचन एक साथ कराये जाने का अशासकीय संकल्प आया है। इस बारे में यदि मैं बोलती भी हूं और नहीं भी बोलती हूं तो भी यह अशासकीय संकल्प पास होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप विरोध कर रही हैं या समर्थन कर रही हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं विरोध तो कर रही हूं और विरोध के साथ मैं क्षेत्र की जो समस्याएं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, एक महोदय समर्थन कर रहे हैं, एक सदस्या विरोध कर रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इस संकल्प में समर्थन नहीं हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कांग्रेस की स्थिति गर्त में जाने का यही कारण है।

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, असल में सोचने समझने का फर्क है। मैंने केवल यह सुझाव दिया कि आप संकल्प ला रहे हैं। अभी नगरीय निकाय के चुनाव में हाई कोर्ट का स्टे आ गया है। ऐसा परिसीमन भी न करें।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, वह हमारी पार्टी की प्रथम वक्ता हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- परिसीमन अलग विषय है। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए कि आपने समर्थन किया है या नहीं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- जिला पंचायत में चुनाव ही कहां हो पाया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय :- संगीता जी बोल रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि मैं जब भी उठती हूं और शुरूआत करती हूं, तो अजय जी खड़े हो जाते हैं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए, ताकि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं।

श्री लखेश्वर बघेल :- इधर आप खड़ी होती हैं। उधर कनेक्शन है।

सभापति महोदय :- आप निश्चिंत रहिये। आप संरक्षित हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह जो एक देश और एक चुनाव की बात कर रहे हैं, यह पहली बार नहीं होगा। हमारे देश में यह पहले भी हुआ है। सन् 1976 तक लोकसभा और विधान सभा दोनों चुनाव एक साथ होते थे। सन् 1968 और 1969 में विधान सभा चुनाव भंग हुए थे, उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हुई थी। इसी कारण यह दोनों चुनाव भंग होने के कारण राज्य विधान सभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग-अलग होने लगे। ऐसा वर्ष 1970 से चालू हुआ है और आज तक लगातार ऐसा चल रहा है। अभी भी आपने देखा कि पहले विधान सभा चुनाव हुए, उसके कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव हुआ। सभापति महोदय, सभी चुनावों का मुद्दा अलग-अलग होता है। यदि मैं विधान सभा चुनाव की बात करूं तो उसमें राज्य का मेनिफेस्टो पेश होता है और लोकसभा चुनाव की बात करूं तो उसमें देश की बात होती है। इसमें माननीय महोदय जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है, वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और यदि साथ में देखें तो उसमें पंचायत चुनाव भी शामिल है। हम जब एक साथ चुनाव की बात करते हैं तो जिला, जनपद और पंचायत चुनाव एक

साथ होते हैं और हमारे मतदाता एक साथ वोट देने जाते हैं। यदि मतदाता एक साथ वोट देने जाते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वह बुजुर्गों के साथ होती है । अगर आपको 3 लिस्ट पकड़ा दी जाये । अभी मैंने महसूस किया कि यहां पर 4 अशासकीय संकल्प आये हैं जब मैंने सबमें नाम चेक किया तो किस अशासकीय संकल्प में किसका नाम है तो हम सब कंफ्यूज थे कि किस अशासकीय संकल्प में किसका नाम है? सम्मानीय सभापति महोदय, यह तो चुनाव है। पूरे क्षेत्र की जनता की बात है । एक बार चुनाव होता है इसमें बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चुनाव के माध्यम से जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है ताकि वह समस्याओं का निवारण कर सके और राज्य में अपनी बातों को रख सकें। जिला पंचायत का चुनाव होता है तो वह अपनी बात को ऊपर तक लाता है। जनपद में जमीनी स्तर पर कार्य होता है उसमें आवास के काम हैं और उसके साथ जितने भी राशन कार्ड हैं, जितने भी पेंशन के प्रकरण हैं, यह सब जनपद से होता है। यह बहुत छोटा चुनाव नहीं है कि यह एक साथ तुरंत करवा दिया जाये। पंचायत चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है। आप बड़ा चुनाव आसानी से लड़ लेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव में एक-एक वोट मायने रखता है क्योंकि लोग सोच समझ कर वोट करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए, जब तीन चुनाव, जो पंचायत स्तरीय चुनाव होता है, उसमें लोग कंफ्यूज हैं और आप उसमें और शामिल कर रहे हैं। उसमें आप नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं को शामिल कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ...।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या समझ नहीं पा रही है।

सभापति महोदय :- मैं, उनको समझा रहा हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, शहरी का शहरी में और ग्रामीण का ग्रामीण में होगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर मुझे मेरी बात रखने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, अगर चन्द्राकर जी हा पंच चुनाव जीत जही तो मैं चैलेंज करथौं।

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, यह नगर पालिका, नगर पंचायत, शहरी क्षेत्रों के चुनाव हैं और त्रिस्तरीय पंचायत, जनपद वह अलग चुनाव है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं समझ रही हूँ। मैं अपनी बात पर आ रही हूँ। मैं वहीं धीरे-धीरे अपनी बात पर आ रही हूँ।

सभापति महोदय :- आप जल्दी-जल्दी आईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह हमारा त्रिस्तरीय चुनाव हो गया। उसी में आप बोल रहे हैं कि नगर पालिकाओं, नगर पालिक निगमों को भी शामिल करेंगे। वहां नगर

पालिकाओं, नगर पालिक निगमों में मुद्दा अलग होता है तो वह दोनों आसपास ही है। मैं एक बात पूछती हूँ कि क्या नगर पंचायत गांव से अलग होता है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी। माननीय सभापति महोदय, दोनों के मतदाता अलग-अलग होते हैं...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं। आप मेरी बात सुनिये। अगर आप यहां से गुरूर जाते हैं तो गुरूर और कोलिहामार जुड़ा हुआ है। कोलिहामार ग्रामीण में आता है और गुरूर नगर में आता है।

श्री गजेन्द्र यादव :- बहन जी, दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जब वहां अंतर नहीं रहता है जब चुनाव होता है तो गांवों के लोग नगर में दुकान खोले रहते हैं और कोई नगर का निवासी रहता है और कोई गांव का निवासी रहता है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें होता यही है। वह गांव में भी वोट देते हैं और नगर में भी वोट देते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, एक साथ चुनाव होने से जो घोषणा पत्र में मुद्दे होते हैं, उसमें भी फर्क पड़ेगा। वहां लोग कंफ्यूज होंगे और यह चाहते हैं कि लोग कंफ्यूज होकर, उसका फायदा उठायें।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वह गांव में भी वोट देते हैं और नगर में भी वोट देते हैं। वे डबल वोट देते हैं। उनका दो वोटर लिस्ट में नाम होता है। यह सारी चीजें खत्म हो जाएंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में एक साथ यह चुनाव लाया जाए।

सभापति महोदय :- उनकी बात खत्म होने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में एक साथ यह चुनाव लाया जाए ताकि लोग कंफ्यूज हों और सब कंफ्यूज होकर, कुछ का कुछ करें। जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनना है तो उनको समय मिलना चाहिए, उनको कंफ्यूज मत करवाईये। इसलिए मैं इस अशासकीय संकल्प का घोर से घोर विरोध करती हूँ। मैं, आपसे निवेदन करती हूँ कि इस अशासकीय संकल्प को पास न किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बालने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस अशासकीय संकल्प में एक विषय रखना चाहता हूँ। यह चुनाव एक साथ होना चाहिए क्योंकि जो गांव में रहने वाला है और शहर में भी रहने वाला है वह दोनों जगह वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वाते हैं और यहां भी वोट देते हैं और वहां भी वोट देते हैं। यह प्रजातंत्र है। वोट का अधिकार एक स्थान पर होना चाहिए। एक वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इससे यह बातें खत्म हो जाएगी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, यह तो चुनाव आयोग का मामला है। एक जगह एक वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यह उनका मामला नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय अजय जी, आप विषय को लम्बा न लेकर, थोड़ा शार्ट में समझा दें, जो आप कहना चाह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी तो अपना भाषण शुरू नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं है। न मैं गलत-सलत चुनाव का इतिहास बताऊंगा कि देश में वर्ष 1970 में चुनाव हुए या 1976 तक चुनाव हुए।

सभापति महोदय :- माननीय अजय जी, मैंने विषय के बारे में कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, राजनीति में बोलते हैं तो विधान सभा में बातें रिकॉर्ड होती हैं। उन बातों को करना चाहिए, जिसे हम जानते हैं। अगर हम जिन बातों को नहीं जानते हैं उन बातों को रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहिए। वर्ष 1976 तक देश में मात्र तीन चुनाव एक साथ हुए। इस देश में 1970 में कोई चुनाव नहीं हुआ। न विधान सभा के, न लोकसभा के चुनाव हुए थे। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार एक दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है कि हम 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनायेंगे। हमारे हर दिल अजीज चौधरी जी ने भी कहा है कि हम 2047 में छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या हो, एक दृष्टिकोण दस्तावेज रखेंगे। एक साथ चुनाव करवाना भी एक political reform का पार्ट है। उस political reform में 73वें, 74वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा, विधान सभा की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थायें चाहें नगरीय निकाय हों, उनके भी चुनाव अनिवार्य किये गये। उनके भी चुनाव अनिवार्य किये गये तो राज्य में उसके निर्वाचन आयोग बनें। निर्वाचन आयोग बने तो सवाल ही नहीं पैदा होता आचार संहिता लागू होगी। आचार संहिता लागू होगी, इसका मतलब है कि शासकीय कार्य प्रभावित होंगे। अब छत्तीसगढ़ में मान लो राज्य की दृष्टि से लें तो कितने चुनाव होंगे। वोटर की बात चल रही थी, नगर पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका शहरी निकाय शहरी क्षेत्र में हैं, उसकी मतदाता सूची अलग है, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची अलग है। मंडी में पटवारी के खसरा में जिन किसानों का नाम है या जो व्यापारी, व्यापारी कोटे से पंजीकृत हैं, वह चुनाव लड़ेंगे। सोसायटी में वह हैं जो सोसायटी में कर्ज लेते हैं, वृत्ताकार सोसायटी के सदस्य हैं, वह भाग लेते हैं। नगर पंचायत के चुनाव होंगे तो मान लीजिए काडा की 5 नंबर नाली है तो 5 नंबर नाली में जितने लोगों के खेत पलते हैं, वह 5 नंबर के लोग वोट देंगे, 7 नंबर के लोग 7 नंबर में वोट देंगे, 11 नंबर के लोग 11 नंबर में वोट देंगे। कहीं पर भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। सोसायटी चुनाव होगा तो शहर का भी मतदाता, यदि गुरूर में किसानी होती है, कोलिहापुरी में भी किसानी होती है तो गांव और शहर दोनों के वोटर सोसायटी चुनाव में वोट देंगे, यदि वहां कृषि भूमि है तो। इसलिए भ्रम पैदा करना, हिन्दुस्तान में एक बड़े

reform की जरूरत है। राजेश मूणत जी की मंशा क्या है, reform का नेतृत्व छत्तीसगढ़ करे। छत्तीसगढ़ उन अग्रणी राज्यों में हो जो दोनों संस्थाओं का चुनाव करवायेंगे। तब तक हम बड़े reform के लिए मानसिकता नहीं बनायेंगे और हर बातों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। वार्ड का परिसीमन बिल्कुल अलग विषय है जिसको इससे क्लब नहीं किया जा सकता। न्यायालय में कोई जायेगा, कोई प्रक्रियागत त्रुटि होगी, उसमें सरकार की मंशा क्या है, उसको माननीय उच्च न्यायालय देख रहा है। इसलिए ऐसे विषयों को छोड़कर reform का नेतृत्व छत्तीसगढ़ करे, इस मंशा से इस अशासकीय संकल्प को लाया गया है। इसको पास करके छत्तीसगढ़ इसका नेतृत्व करे, नेतृत्व का श्रेय ले। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। इससे बहुत कुछ चीजों की बचत होगी। उसको गिनाना यानि लंबा करना है। सारे सदस्य चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं। सभी तरह के जो चुनाव होंगे, उसके वोटर्स अलग तरह के हैं, संस्थायें अलग तरह की हैं। कोऑपरेटिव चुनाव भी वैद्यनाथन कमेटी के बाद अनिवार्य हो गये हैं। उसकी भी अपेक्स बाडी बन गई है, निर्वाचन आयोग बन गया है। सहकारी चुनाव करवाने के भी निर्वाचन आयोग बन गये हैं। इसलिए सब अलग-अलग चीजे हैं। एवं अन्य चुनाव में यही चुनाव शामिल है, बिल्कुल होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। जो विरोध करते हैं तो मैं यह मान लेता हूं। एक तो मुझे वह भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर यह मान लेता हूं कि वह ताकत नहीं है। ताकत इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की ताकत में चुनाव लड़ती है। इसमें नेता कौन होगा? मुझे कह रहे थे कि पंचायत चुनाव हार जायेंगे। वह भविष्यवक्ता हैं, उनको तोता लेकर गेट में बैठना चाहिए। तोता ले लेना और गेट में बैठना, कौन चुनाव हारेगा, कौन चुनाव जीतेगा, उसको बताना। उसकी सदन में बताने की जरूरत नहीं है। आप किसके चेहरे में चुनाव लड़ेगे, इनको चेहरे में चुनाव लड़ने की आदत है। यह जनता के बारे में थोड़ी न सोचते हैं।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- यह चुनाव आप लोग भी एक ही चेहरे में लड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने मोदी की गारंटी में चुनाव लड़ा है। डबल इंजन की सरकार की बात की है। अभी चुनाव किसने लड़ा है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोग भी एक ही चेहरे में चुनाव लड़े हैं। छत्तीसगढ़ का भी चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़े हैं। छत्तीसगढ़ में आपके पास कोई नेता था तो बता दीजिए। छत्तीसगढ़ का विधान सभा चुनाव आप लोग एक ही चेहरे में लड़े हैं। आपके पास नेता नहीं था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, इन्होंने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। आप एक्सेप्ट कीजिये। आप लोगों ने राज्य में मोदी का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ा है। आप लोगों ने लोक सभा का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बोल चुकी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं राजेश जी द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प की भावना का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि यह Reforms छत्तीसगढ़ से शुरूआत होकर राष्ट्र स्तर पर पहुंचे। बहुत सारे Reforms हैं जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुए हैं, जिसमें मैं गिना देता हूं, साक्षारता, स्वच्छता, खाद्यान्न सुरक्षा ऐसी चीजें हैं, जो इस विधान सभा से निकलीं और इस राष्ट्र का कानून बनी। यह क्यों नहीं हो सकता है, इसको भी देख लीजियेगा। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव जी। श्री राजेश अग्रवाल जी।

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- माननीय सभापति महोदय, सदन के वरिष्ठ व पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेश मूणत जी द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराये जाने के समर्थन पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। लगभग नवम्बर-दिसम्बर में नगरीय निकाय चुनाव एवं फरवरी-मार्च में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होता है, इससे शासन-प्रशासन के संसाधन लगातार चार-पांच महीने तक व्यस्त हो जाते हैं। शिक्षक चुनाव कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण चुनाव कार्य में शिक्षण कार्य बहुत प्रभावित होता है। जो मार्च-अप्रैल की परीक्षाएं हैं, उसमें छात्रों को उनके रिजल्ट में बहुत दिक्कत जाती है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अग्रवाल जी, जनवरी में पंचायत चुनाव होता है।

श्री राजेश अग्रवाल :- हाँ, जनवरी में भी चुनाव हो जाएगा, फिर भी दो-तीन महीने दिक्कत रहती है। उस समय मुख्य रूप से छात्र-छात्राओं का पढ़ाई का समय रहता है। मैं वास्तविक चीज बोल रहा हूं। अगर एक साथ निर्वाचन करवाया जाता है तो समय एवं संसाधन की बचत होगी। चूंकि जैसे संगीता सिन्हा जी आशंका व्यक्त कर रही थीं कि नगरीय निकाय चुनाव में शहर के मतदाता व अभ्यर्थी होते हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी होते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्ह :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानती हूं क्योंकि मैंने स्वयं उप चुनाव लड़ा है। मैंने कहा कि अलग-अलग समय चुनाव में मतदाता कंफ्यूज होते हैं।

सभापति महोदय :- चूंकि दोनों के मतदाता और अभ्यर्थी अलग-अलग होते हैं इसलिए किसी को कंफ्यूज भी नहीं होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- राजेश जी, कोई कंफ्यूज नहीं होता है। आप जितने लोगों ने नगर पालिका में चुनाव लड़ा है, आप सबने वहां गांव वालों का नाम जोड़वाकर रखा है। ये सब नाम को कटवायेंगे। गांव वाले गांव में ही रहेंगे और शहर वाले शहर में ही रहेंगे। आप यह बताईये कि आप एक साथ दो जगह कैसे वोट डालेंगे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, यह आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका निर्वाचन का पत्र है, वह एक ही जगह के लिए होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- एक आदमी दो जगह वोट नहीं डाल सकता है। यह कहीं नियम में ही नहीं है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रस्तुत नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराये जाने का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिये, रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं हर कल से ओकरा पकड़ी बांध के, भदई पहिन के तोता ले के बइठ अउ सबके भविष्य बता। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, हमर आदरणीय वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री श्री राजेश मूणत जी ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं हर नदिया तीर मा मस्त कुटी तान अउ सबके भविष्य बता। हमन भी तोर करा पूछे बर आबो।

श्री रामकुमार यादव :- मैं इहां ले दूरबिन मा तुमन दोनों के भविष्य बता देहौं ता तुंहर मा मंत्री बने के प्रबल दावा हे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं हर तोता ला सीखो देबे। हमर सब गड़बड़ करे बर तोता पालही।

श्री रामकुमार यादव :- तोला विधायक के बाद यादव ग्रुप में आए देवौ, फिर मैं सबके भविष्य ला बता देहौ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप डिस्टर्ब मत होईये। आप आगे बढ़िये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, वे दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वे क्या डिस्टर्ब होंगे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं कि वह जिंदा कैसे हैं, इसमें मुझे आश्चर्य होता है। सीधा-साधा आदमी इतना ऊंचा 500-500 रूपये का नोट था। वह उसकी सफाई दे रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उतने को देखकर वह कैसे जिंदा हैं?

सभापति महोदय :- मैं आदरणीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृप9या टोका-टाकी ना करें। समय का थोड़ा सा ध्यान करेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- आप लोग टोका-टाकी के साथ ऐसा-ऐसा मत करिये। (हाथ का इशारा करते हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, हम लोग थोड़ा-बहुत गप नहीं मारेंगे तो शाम तक हमारा दम निकल जाएगा। हम लोग 11 बजे से बैठे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, महू सबके पीठ मा धरे हंओं जे दिन मैं बता दूहूं ता ऐमन के बया भूला जही ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप विषय में आईये ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमर वरिष्ठ विधायक पहिली मंत्री रह चुके हे । ऐमन जब सदन में बोलथें तो हमन बहुत सीखथन । ए मेर भले हंसी-मजाक में कुछु कहि देथन लेकिन एमन जब बोलत रहिथें ता हमन सुनत रहिथन । बहुत अच्छा अपन विचार रखे हे लेकिन कई एक ठन अइसे भी चीज होथे जैसे अभी नगर पंचायत चुनाव अउ ग्राम पंचायत के चुनाव मा 3-3 महीना के गेप हे तो बलिदान कौन दिही ?

श्री अजय चंद्राकर :- भाषण मत दो, विरोध करके बैठ जाओ ।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय जी, मोर बात ला पहिली पूरा तो सुनओ । मान लो 3 महीना पहिली ग्राम पंचायत के चुनाव ला नगर पंचायत में समेटत हन तो जतका कन पंच अउ सरपंच हे, जम्मो झन सटका ला धर के आंदोलन करे बर चंद्राकर जी के मुंहटा मा चल दिही कि हमन के 3 महीना के हिसाब कौन करही ? माननीय सभापति महोदय, भई सरपंच मन के 3 महीना के कार्यकाल हा ज्यादा बाचही नगर पंचायत के तो 3 महीना पहिली ओमन ला बलिदान जइसे हमन अगर कोई सरकार ला भी कहितिस मान लो 3 महीना पहिली चुनाव करा के तो कोई सहमत नइ होतिस तो ऐला भी आप मन ला देखना हे । आप विचार नाने हओ, ए विचार में बहुत सारा अइसे भी हे जैसे कि हमर भाई बोलत रिहिस हे कि हमर गुरूजी मन ला जम्मो झन ला व्यस्त होए बर लागथे, बहुत दिक्कत होथे । आप देखे होइहा, मैं कर्मचारी ला पूछत रहेओं कि सबले ज्यादा अगर तुंहर ड्यूटी लगथे ता ज्यादा तुमन ला डर का मा लागथे ? ता ओहा बतईस कि सबले बड़े चुनाव मा हम ला डर रहिथे तो का मा लोकसभा में, ओखर बाद में विधानसभा में ओखर ले थोकन ज्यादा डर रहिथे । ओ हा कहिस कि सबले ज्यादा डर हमन ला पंच अउ सरपंच बर रहिथे अउ ओखर दशा ला बतात रिहिस हे, मैं ऐखर खातिर कहत हंओं कि बहुत ही गंभीर चुनाव होथे, ग्राम पंचायत के चुनाव हा लड़ाई-झगड़ा के चुनाव होथे । एक जगह उपसरपंच के चुनाव होत रहय अउ जब अइसे लगिस हे कि मैं पंच के चुनाव हारत हंओं कहिके तो ओ हा पेटी ला धर के भाग गे । अब पूरा थाना हा ओला खोजत रहय कि पेटी ला कहां लेके चल दे हे ? ता महोदय जी मोर ये कहना हे कि पंच चुनाव, सरपंच चुनाव बहुत लड़ाई-झगड़ा के चुनाव होथे अइसे न हो कि दोनों ला जोड़ के हम फंस जईन । ये सदन के विचार हे । मैं यह नइ कहत हंओ कि ए ला लेकिन हम सब ला उहू ला देखना चाहिए कि आप ला घोर नक्सलाईट एरिया, बस्तर-सरगुजा मा भी ग्राम पंचायत के चुनाव ला, पंच के चुनाव ला करे बर लागही तेखर खातिर अइसे न हो काबर हम ए देश में देखे हन कि बहुत सारा सपना देखिन कि अइसे कर देबो, अइसे कर देबो अउ आखिरी में कुछू नइ होईस तो अइसे जे

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम ला कर सका, जे हो सकय अइसे विचार आना चाहिए अउ खाली सपना देखत हन अइसे नइ होना चाहिए । राजेश मूणत जी हमर वरिष्ठ बड़े भैया है, मैं अइसे नइ कहत हंओं कि ओखर बात हा एकदम गलत है । जम्मो पर्व ला देखकर के, विचार करके अगर सबके मन आत हे ता का गलत हे लेकिन गुण-अवगुण ला देखना हे कि ऐमा का हानि अउ का लाभ हो सकथे ऐखर खातिर हमन ला इहू ला देखना हे । माननीय सभापति महोदय, आप मन ए विचार लाये हओ ऐखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । माननीय सदस्य राजेश मूणत जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं अन्य सभी प्रकार के निर्वाचन एक साथ कराये जायें इसका आपने जो अशासकीय संकल्प लाया है इसका मैं समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग दिसम्बर में निर्वाचित हुए । निर्वाचन के बाद मुश्किल से दो महीने काम करने का मौका मिला और लोकसभा का चुनाव आ गया । लोकसभा चुनाव आया और लोकसभा में फिर कुछ काम करने का समय आयेगा, अक्टूबर में नगर-निगम के चुनाव की आचार-संहिता लग जायेगी फिर वह नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर-निगम के चुनाव की आचार-संहिता हटते-हटते ग्राम पंचायत का आ जायेगा । टोटल एक साल में मुश्किल से 3 महीने हमको काम करने का मौका मिल रहा है । इसमें यह हो रहा है कि लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या काम किये, क्या काम किये । जनता को आचार-संहिता से मतलब नहीं है । यह जो लगातार-लगातार साल भर हमारा आचार संहिता में जाता है उससे यह एक बचत हो सकती है कि हम एक-साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर-पालिका, नगर-निगम के चुनाव को एक-साथ कर सकते हैं । मेरी जो समझ में आता है कि ज्यादातर ऐसा देखने को आया है, जितने मतदाता जो पार्षद के या ग्राम के सरपंच के होशियार प्रत्याशी रहते हैं वे क्या करते हैं कि यह जो चुनाव होता है यह राज्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा करवाया जाता है इसकी अलग से एक मतदाता सूची बनती है और उस मतदाता सूची में वोटर लिस्ट, वोटर आई.डी. बहुत अनिवार्य नहीं रहता है । कई ऐसे प्रत्याशी रहते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी जिनका नगर पालिका में नाम है उनका ग्राम पंचायत में जुड़वा देते हैं, जिनका ग्राम पंचायत में हैं, उनका नगर निगम में जुड़ा देते हैं। तो ये बार-बार जो धांधली होती है, उसमें बहुत हद तक बहुत सारे लोग धांधली से आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, उसमें रोक लगेगा। दूसरा आदरणीय सभापति महोदय, ये जो शराब हम देखते हैं कि सर्वाधिक दुरूपयोग और प्रलोभन का जो खेल चलता है, पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा और नगर पालिका में ज्यादा होता है। नगर पंचायत चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस समय सारे नगर निगमों में शराब प्रतिबंधित रहता है, ग्राम पंचायत से उपयोग करते हैं और ग्राम पंचायत चुनाव होता है तो नगर पालिका में करते हैं तो सारे प्रकार के जो अपव्यय होते हैं, उसको दूर करने के

लिए माननीय राजेश मूणत जी ने जो प्रस्ताव लाया है, मैं उसके पक्ष में हूं। ये नगर निगम चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक साथ वोटिंग करें, यही मैं आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :-आदरणीय सभापति जी, आज आदरणीय राजेश मूणत जी द्वारा ये अशासकीय संकल्प लाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत चुनाव एक साथ कराया जाए। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव पार्टी आधारित होता है और जो पंचायत चुनाव है एक दलीय आधार पर होता है। आप सभी जानते हैं कि उक्त चुनाव बैलेट पेपर पर होता है और बैलट पेपर में आप एक पार्टी विशेष पर जो चुनाव हो रहा है उसके लिए लगना होता है और एक व्यक्तिगत चुनाव जो अभी सभी ने अपनी तरफ से कहा । आज हमारा जिला जो है, वह 33 जिला हो गया है, 27 जिला पंचायत हैं। 184 नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, 146 जनपद पंचायत हैं, 112 नगर पंचायत हैं। 11,664 हमारे ग्राम पंचायत हैं। जिस तरह बढ़ते क्रम पर जनसंख्या बढ़ी है, वो सारे चुनाव एक साथ होंगे, उतने ही हमको कर्मचारियों की और अधिकारियों की जरूरत होगी, उतनी ही व्यवस्था की जरूरत होगी, उतनी ही ज्यादा हमको सुरक्षा जरूरत होगी। अभी हमारे बड़े भैया राम कुमार यादव जी अपने शब्दों में कह रहे थे कि चुनाव के दौरान बॉक्स की चोरी हो जाती है या अव्यवस्था फैलती है। पंचायती राज़ चुनाव में जब एक व्यक्तिगत चुनाव में इस तरह से अव्यवस्था होती है तो एक साथ जब नगरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, जिला पंचायत, पंचायती राज़ चुनाव सारे चुनाव एक साथ होंगे तो क्या व्यवस्था हो पाएगी? क्या इस तरह से व्यवस्था को हम मैनेज कर पाएंगे? बहुत सोचने वाली बात है और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि सभी चुनाव एक साथ कराने से सरकार द्वारा जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का साथ नहीं, दुरूपयोग ही है। इसमें एक तरह से लोकतंत्र कहीं पर दिखाएं नहीं देगा, क्योंकि आपस में सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का विस्तार जिस तरह इन्होंने एक साथ कराने की सोचे हैं, वो नजर आएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि चुनाव की अव्यवस्था ना फैले, इस पर ध्यान देते हुए इस व्यवस्था को बनाते हुए हमें इन चुनावों को एक साथ नहीं कराना चाहिए। जो तीन महीने के अंतराल में, चार महीने में अलग अलग समय का निर्धारण है, वैसा ही हो और अभी तो आप लोगों ने परिसीमन का भी लगाया है। परिसीमन में हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ते क्रम में है तो और भी व्यवस्था बनाने में समय लगेगा तो मुझे लगता है इसे एक साथ नहीं कराना चाहिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राजेश मूणत जी ने जो प्रस्ताव लाया है । मैं उसका समर्थन करता हूं । नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत आदि के एक साथ चुनाए जाने जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । समर्थन करने के पीछे

कारण यह है कि आचार संहिता में बहुत समय लग जाता है, लगभग 40-40 दिनों का समय लगता है । चुनाव में 6 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं । इससे पूरे क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो जाता है। प्रतिनिधि काम नहीं करते, सरकारी काम भी रूक जाते हैं । निर्वाचन आयोग को भी काफी खर्च होता है और आम लोगों को भी परेशानी होती है । जब एक साथ चुनाव होगा तो बहुत से खर्च बच जाएंगे और चुनाव हो जाएगा । नगर पालिका के चुनाव मतदाता अलग होता है और बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो नगर पालिका में भी नाम जुड़वा लेते हैं और जिला पंचायत में भी नाम जुड़वा लेते हैं । दोनों तरफ से डुप्लीकेटिंग होती है । यदि एक साथ चुनाव होगा तो वह एक ही जगह वोट डाल सकेगा । इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राजेश मूणत जी ने जो प्रस्ताव लाया है कि नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव एवं सभी प्रकार के चुनाव । तो सभी प्रकार के चुनाव में अजय भइया ने कहा कि पानी पंचायत, सहकारिता चुनाव, मंडी चुनाव, ऐसे कई चुनाव होते हैं, एक साथ कराना संभव नहीं है । मैं शंका के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है । सरकार एक साथ चुनाव कराए लेकिन अनुभव में यह आता है कि लोक सभा और विधान सभा चुनाव भी हम एक साथ नहीं करा पा रहे हैं और लोक सभा के चुनाव में भी अलग-अलग प्रदेशों में शासकीय तंत्र की कमी होने के कारण हम अलग-अलग तिथि में चुनाव कराते हैं । चाहे लोक सभा हो या विधान सभा हो । हमारी परिकल्पना नगरीय निकाय और पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव एक साथ कराने की है, जिसका प्रस्ताव आया है । इस बात की मुझे खुशी है कि मैं पंचायती राज में भी जन प्रतिनधि रहा और नगरीय निकाय में भी नगर पालिका का भी पार्षद बना । निश्चित रूप से यह अनुभव है कि अलग-अलग चुनाव अलग-अलग विषय पर लड़े जाते हैं और कुल मिलाकर जो स्थानीय चुनाव होता है वह व्यक्तित्व के आधार पर होता है । नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी जरूर सिम्बॉल दे देती है परंतु स्थानीय चुनाव में उस कार्यकर्ता या उस नेता को अपनी बदौलत चुनाव क्षेत्र में जाना होता है । मुझे याद है एक बार सिम्बॉल की बात हुई थी । बिलासपुर जिले में मैं परिहार जी के लिए काम कर रहा था वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी । हाईकोर्ट चला गया, जबलपुर हाई कोर्ट ने वह चुनाव रोक दिया । महोदय, मैं अपनी शंका बता रहा हूं । मेरी बात सुन लीजिए । 1989 में 86 वां संशोधन राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया था । सम्पूर्ण बहुमत था परंतु राज्य सभा में वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था । उसके बाद 1993 में नससिम्हा राव जी के समय 73 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज ओर 74 वें संशोधन के अंतर्गत नगरीय निकाय के प्रस्ताव राज्य सभा और लोक सभा से पास होकर इस देश में कानून बना और मध्यप्रदेश में 93-94 में पंचायती राज और 95 में नगरीय निकाय के चुनाव हुए उस समय से भी हम सक्रिय राजनीति में, पंचायत और नगरीय चुनाव में हम हिस्सेदारी ले रहे हैं । महोदय, हम सबको पता है यह शंका जरूर आ रही है कि

स्थानीय मतदाता सूची बनती है तो जो प्रस्तावित लड़ने वाला रहता है वह अपनी तैयारी करता है अपने रिश्तेदारों का नाम जड़वा लेगा । मगर मेरा अनुभव यह है कि डबल नाम वाले, जिनको चुनाव लड़ना रहता है, जो शहरी क्षेत्र में नाम जुड़वा लिए रहते हैं, उनमें से अधिकांश लोग मतदान नहीं करते । क्योंकि आजकल मैं स्वयं एक छोटा उदाहरण दे दूं ।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, उदाहरण मत दीजिए, अपनी बात कहिए ।

श्री ब्यास कश्यप :- उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं भइया, क्योंकि यह गंभीर विषय है इसलिए बोल रहा हूं । मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मैं नगरीय निकाय चुनाव का प्रभारी थी । पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि इसको नगर पालिका से चुनाव लड़ाना है, पार्षद और अध्यक्ष बनाना है । मैंने सर्वस्व झोंक दिया और मतदान भी किया परंतु जब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की बारी आई तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को, चूंकि आरक्षित पद पर लड़ने की पात्रता आ गई थी तो हमारे लोगों ने ही शिकायत कर दी और वही धीरे, धीरे, धीरे, धीरे पनपता है कि मैं उधर से इधर आ गया ।

श्री सुशांत शुक्ला :- भैया, आप गलत बता रहे हैं, भाभी के दबाव में करवाए थे।

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं-नहीं स्पष्ट बात है। यह दूरियां बढ़ती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कृपा करके एक साथ चुनाव न कराएं। मेरा सुझाव है, करना आपको है, समर्थन आपका है, बहुमत आपका है, आप जो निर्णय कर लें, यह तो निर्वाचन का मामला है, राज्य निर्वाचन आयोग आपके अधीन काम करता है, आप जो कहेंगे वह काम होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये चुनाव कराने से सही चुनाव नहीं हो पाएंगे, सही लोग नहीं आ पायेंगे, प्रचार-प्रसार का अवसर कम मिल पाएगा। भैया, मुझे पता है, जब चुनाव होते हैं, मैंने एक-एक जिला पंचायत चुनाव का अनुभव किया है, एक-एक जिला पंचायत के चुनाव में आपका संगठन बहुत मजबूत है, मैं उस बात की शाबाशी देता हूं। पूरे दल के लोग इनको चुनाव जीताना है करके एक साथ लग जाते हैं। एक तरफ व्यक्ति अपना मेहनत करता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरे सम्माननीय सदस्य यह बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन नहीं है, आप यह बोलना चाह रहे हैं ना ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, इनको बात रखने का मौका दें। सामने वाले बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए।

श्री ब्यास कश्यप :- भाई साहब, संगठन है, मजबूत है, इसलिए सब चुनाव जीतकर आए हैं। हमारे जितने जिला पंचायत, जनपद पंचायत में सभी में कौन काबिज हैं, आप देख लीजिए। व्यक्ति मजबूत है, इसलिए चुनाव जीतकर आ रहे हैं। यह सौभाग्यशाली है कि हमारे जिले में चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे नगरपालिका चुनाव हो, कांग्रेस का कब्जा है। मैं आग्रह कर रहा हूं कि

चुनाव हो परंतु आप उसको ऐसा कीजिए ताकि सही समय, कम संसाधन में चुनाव हो जाए और आप बात करते हैं कि विकास काम अवरूद्ध हो रहा है। पंचायती राज में एक नया पैसा सात महीने के बाद भी उस ग्राम में विकास के लिए नहीं जा पाया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी खाली पार्षद निधि का छोड़ एक पैसा भी नहीं दिए हैं तो फिर कहां से क्या काम होगा ? मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप तैयारी करवाईए, लोगों को लड़ने दीजिए, समय पर चुनाव हो जाए अन्यथा जिस प्रकार से परिसीमन के लिए हाईकोर्ट चले गये, हाईकोर्ट में केस लगा दिया, उसी प्रकार से आप एक साथ चुनाव करायेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारे कश्यप जी नगर पालिका नैला का पैसा रोकने के लिए पत्र भेजे हैं। आपका ही पत्र है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी आप बैठिए ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, यह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, वे वहां से आने की पूरी कथा सुना रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सुशांत भाई समय बहुत हो गया है। समय देखिए ना।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, आप तीन महीना बढ़ा दोगे या तीन महीना पंचायत का कम कर दोगे तो कोई भी हाई कोर्ट चला जाएगा। मामला रूक जाएगा। कृपा करके जो संविधान के विषय के जानकार लोग हैं, आप उनसे सलाह मशविरा कर लीजिए। उसके बाद आप निर्णय पर पहुंचिए। धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य उस पार जाकर बहुत तकलीफ में हैं। उनकी पीड़ा झलक रही थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, वहां से कितने पीड़ित थे, वह पीड़ा झलक रही थी।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, संगीता जी अभी तीन संकल्प बाकी है। आप लोग कहेंगे तो 11, 12 बजेगा। मेरा आग्रह है कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखें, तीन संकल्प को समाप्त करना है। धरमलाल जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे सम्माननीय सदस्य राजेश मूणत जी के द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया है कि नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ किया जाए, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अब इस देश में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन के इस मार्ग को छत्तीसगढ़ के विधान सभा से प्रशस्त करके प्रारंभ करना है। हम बार-बार चुनाव में जाएं और चुनाव में जाने के बाद जो धन का अपव्यय है, समय का अपव्यय है, उसके साथ अन्य जो अपव्यय है उसको कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है, हम सबको समर्थन करना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहिए। जहां तक हमारे विपक्षी पार्टियों द्वारा बात आ रही है, मैं नहीं समझता कि इसका विरोध करने का कोई कारण हो। आपके नगरीय निकाय के चुनाव कराने वाले अधिकारी अलग हैं, पंचायत के चुनाव कराने वाले अधिकारी अलग हैं, नगरीय निकाय में मतदान करने वाले मतदाता अलग हैं, पंचायत में मतदान करने वाले मतदाता अलग हैं, कैंडिडेट भी जो खड़े होंगे, वे नगरीय निकाय में खड़े होने वाले प्रत्याशी अलग हैं, आपके पंचायत में खड़े होने वाले प्रत्याशी अलग है। आखिर चिंता किस बात की, की जा रही है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने-अपने क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े होंगे और उसके जो अधिकारी हैं, वे मतदान करायेंगे। मेरे को कन्फ्यूजन की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, इनके द्वारा उठाया गया कि कन्फ्यूजन होगी। आपके ग्राम पंचायत के पंच, आपके सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य 4 वोट डालते हैं, 4 वोट डालने में जिनको जितना है, उसी को वोट डालकर जिताते हैं । 4 वोट डालने में गांव के मतदाता को कोई कन्फ्यूजन नहीं है । आपके महापौर के चुनाव, आपके पार्षद के चुनाव, हम लोग लगातार एक साथ कराये हैं, उसमें दो वोट डालते हैं, उनको कोई कन्फ्यूशन नहीं है । यदि इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो हमारे विपक्ष के साथियों को है । सभापति महोदय, यह बात उनको समझ नहीं आ रही है कि उनको मालूम है कि हम लोग नाम जोड़वायें हैं और एक साथ मतदान होगा तो वह एक जगह मतदान करेंगे । यह जो फर्जी और बोगस मतदान कराके जीतते हैं, इससे रोक लगेगी, यह चिन्ता वह जाहिर कर रहे हैं कि वह जीत के कैसे आयेंगे ? सभापति महोदय, बोगस मतदान के द्वारा पिछले बार जीत कर आये थे और इस बात की वह चिंता कर रहे हैं । सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि यह समय का जो अपव्यय है और धन का जो अपव्यय है, इसको रोकने के लिये सबसे अच्छा तरीका है कि एक साथ चुनाव करा दें, जो जीतकर आयेंगे, उसकी सरकार बनेगी और उसको हिम्मत रखना चाहिये, साहस रखना चाहिये । सभापति महोदय, अभी से इन लोग हथियार छोड़ दिये हैं, ऐसा लगने लगा है कि अभी से हम लोग हार गये हैं । अभी तो संकल्प ही आया है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 400 पार का नारा लगाये थे, वह टूट गया है...(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, आने वाले चुनाव में एक चुनाव में नहीं होगा तो दूसरे चुनाव में आप देखेंगे । वन नेशन, वन इलेक्शन । एक साथ चुनाव होना चाहिये । सभापति महोदय, उसका मार्ग प्रशस्त छत्तीसगढ़ से होना चाहिये, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ और देश में एक संदेश जायेगा । सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूँ और जो संकल्प आया है, उसका समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- राजस्थान ने घोषित कर दिया है सर । राजस्थान ने ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, उसमें मेरा है, उसके बाद नहीं है ना ।

सभापति महोदय :- नाम नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, उसमें नाम है ।

सभापति महोदय :- नाम का उल्लेख नहीं है । दो शब्दों में जल्दी समाप्त करो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- दू शब्द में कैसे आ जाही ? सभापति महोदय, विद्वान सदस्य के रूप में जेन राजेश मूणत जी हा अशासकीय संकल्प लाय हे कि नगरीय निकाय, पंचायत अऊ सब्बो चुनाव एक साथ होवय, मैं एखर विरोध में खड़े हवंव। सभापति महोदय, मैं हा एखरसती विरोध में खड़े हंव कि किरणदेव भईया एक बढ़िया बात किहिस कि One Nation, One Election. लोक सभा अऊ विधान सभा चुनाव में एखर परिकल्पना कर सकथन, लेकिन एखर साथ स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, चाहे मण्डी के चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो या पानी पंचायत के चुनाव हो, सब ला संघेर के नई कर सकन । आपके नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव सिंबालिक होथे, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव बिना सिंबाल के होही । सभापति महोदय, कतको झन गांव के रहवइया मन शहर के चुनाव में इंट्रेस्ट लेथे अऊ शहर के रहवइया मन गांव के चुनाव म इंट्रेस्ट लेथे । वोमन ला अपन कार्यकर्ता ला जिताय बर, अपन पार्टी के कार्यकर्ता होय के नाते जहां नगरीय निकाय के चुनाव होथे, वहां पूरा ताकत लगाथे, अऊ जहां पंचायत के चुनाव होथे, ऊंहा अपन ताकत लगाथे । अगर एला एक साथ करे जाही त पर्याप्त रूप से न सुरक्षा उपलब्ध होही, न पर्याप्त रूप से कर्मचारी मिल सकै । सभापति महोदय, जेन नक्सली क्षेत्र हे, ऊंहा सब ले ज्यादा जरूरत पड़थे त सुरक्षा के जरूरत पड़थे । हमर साथी रामकुमार भाई बताईस कि पेटी ल उठा के भाग जाथे अऊ ये होबे करथे । सभापति महोदय, इहां सब ले ज्यादा लड़ई होथे त पंचायत के चुनाव म होथे । सभापति महोदय, जो सिंबालिक चुनाव होथे, नगरीय निकाय ला बिल्कुल अलग होना चाहिये, अऊ जेन पंचायत के चुनाव होथे, वोला अलग होना चाहिये, ताकि एक पारदर्शिता भी रही, अऊ जेन मन अपन कार्यकर्ता बर करना चाहथे, वोमा भी एक बढ़िया संदेश जाही । मैं एखर विरोध म बोलत हुये आप मन बोले के अवसर देव तेखर पायके बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

समय :
7:30 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, श्री राजेश मूणत जी ने जो अशासकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में सरकार का पक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (यक) के अंतर्गत नगर पालिकाओं और संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) अंतर्गत पंचायतों में चुनाव कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण अनुच्छेद 243 (ट) में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा । राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम/अधिनियम बनाए जाते हैं । छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अनुसार निर्वाचन हेतु समय अनुसूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाती है । छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 20 (1) और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की 1961 की धारा 36 (1) में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निगम पालिका यदि वह पहले से विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने सम्मिलन के लिए नीयत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं ।

सभापति महोदय, अधिनियम की उक्त धाराओं की उप धारा 2 (क) के अनुसार उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी कालावधि की समाप्ति के पूर्व निगम पालिका गठन करने के लिए निर्वाचन कराया जाना तथा (ख) अनुसार विघटन की तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन पूरा करा लिया जाना प्रावधानित है । छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 20 (2) में ग्राम पंचायत, धारा 27 (2) में जनपद पंचायत, धारा 34 (2) में जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि का उल्लेख है । इन धाराओं के अनुसार जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, इससे अधिक नहीं ।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 1 तथा उप धारा 2 (क) विर्दिनिष्ट उसकी कालावधि की समाप्ति के पूर्व ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गठन करने के लिए निर्वाचन कराया जाना तथा उप धारा 2 (ख) के अनुसार विघटन की तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन पूरा करा लिया जाना प्रावधानित है । छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 9, पंचायत की अवधि धारा 20, प्रथम सम्मेलन और पदावधि तथा धारा 87 व्यतिक्रम शक्तियों के दुरूपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति इन तीनों धाराओं से स्पष्ट है कि पंचायतों को उनकी अवधि से पूर्व विघटित करने से विधिक बाधा उत्पन्न होगी ।

सभापति महोदय, कुल मिलाकर पंचायतों के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव 3 अधिनियम से अधिशासित होते हैं । नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956, नगर पालिका अधिनियम, 1961 और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, दोनों निकाय के लिए, पंचायत और निकाय के लिए दो

अलग-अलग निर्वाचन नियम हैं । नगरीय निकायों के लिए नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 और पंचायतों के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 । यह तीन अधिनियम और दो नियम हैं और इसमें प्रावधान है, इन प्रावधानों के अनुरूप चुनाव कराया जाता है । सदन की भावनाओं से सरकार पूरी तरह से भिज्ञ हुई है कि सदन का क्या अभिमत है ? आदरणीय राजेश मूणत जी ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, सरकार उनकी भावनाओं का कद्र करती है, उनकी भावनाओं से सहमत भी है। जब देश में वन नेशन, वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, ऐसे समय में श्री राजेश मूणत जी की भावनाओं से सरकार भी पूरी तरह से अवगत है, सहमत भी है। परन्तु इन नियम-प्रक्रियाओं में कैसे एक साथ चुनाव हो सकता है, कैसे होगा, इस पर सरकार निश्चित रूप से परीक्षण करेगी और आपकी भावनाओं के अनुरूप, सदन की भावनाओं के अनुरूप सरकार निर्णय करेगी। मैं आदरणीय राजेश मूणत जी से बात करूंगा कि वह अपना अशासकीय संकल्प वापस ले लें, उनकी भावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से सरकार ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय एक मिनट। आपके अपील करने के पहले यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम आपके हैं, नियम आपके हैं। आपको कोई संविधान संशोधन नहीं करना है। यदि आप सदस्य की भावनाओं से सहमत भी हैं, देखेंगे, परीक्षण करायेंगे बोलते हैं तो देश में एक कमेटी बनी है, उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में भी समिति बनी है। नियम, अधिनियम में कौन सा संशोधन करना पड़ेगा, कितने दिन में करेंगे, आगे-पीछे क्या होगा। हम तो वापस ले लेंगे, लेकिन आप एक कमेटी बना दीजिये। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके परीक्षण के लिए कमेटी बनायेंगे कहकर, कमेटी बना दीजिये। उससे कहीं न कहीं शुरूआत हो रही है। इससे यह तो नहीं होगा कि तुरन्त करवा रहे हैं। उनकी भावनाओं से सहमति झलकती है, यह कर सकते हैं। इसके बाद आप जो कहे, हम मान लेंगे।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि सरकार उनकी भावनाओं से सहमत भी है और निश्चित रूप से भावनाओं के अनुरूप सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी, हम नियम-प्रक्रियाओं के अनुरूप इसका परीक्षण करेंगे। निश्चित रूप से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। अटल श्रीवास्तव जी ने परिसीमन को लेकर एक बात की, वह इस अशासकीय संकल्प से सम्बद्ध नहीं है। फिर भी मैं सबकी जानकारी के लिए कहूंगा कि 184 में से केवल 71 नगरीय निकायों में परिसीमन की कार्यवाही हो रही है। परिसीमन का एक नियम है। परिसीमन के दो आधार होते हैं। पहला- जनसंख्या, जो सन् 2011 की है, दूसरा- उसका काम्पेक्ट। उस काम्पेक्ट के आधार पर परिसीमन की कार्यवाही हो रही है। यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निकायों में स्थगन दिया है। सरकार उसका जवाब प्रस्तुत करेगी। लेकिन सरकार नियम और प्रक्रिया के अनुरूप काम कर रही है। हमारी सरकार की मंशा बहुत

स्पष्ट है। आदरणीय राजेश मूणत जी की भावनाओं के अनुरूप सरकार परीक्षण करेगी और उस पर निर्णय करेगी।

सभापति महोदय :- आप कुछ कहना चाहते है ? आप कह लीजिये ।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार की भावनाओं से अवगत कराया। जब पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है। जब केन्द्र सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर एक समिति बना सकती है तो मैं आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए इतना आग्रह करूंगा। आप इसमें हर लोगों का अभिमत लें। ऐसा नहीं है कि एकतरफा चुनाव हो। अलग-अलग चुनाव होते हैं, सबके अलग-अलग नियम हैं। उन नियमों के तहत आप सबका अभिमत ले लें। अभिमत लेने के बाद सरकार एक कमेटी बना ले। कमेटी की जो अनुशंसा हो, उसके बाद सरकार निर्णय करे। यह एक संकल्प है, कोई आदेश नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, पार्टी के समस्त अध्यक्ष से लेकर सब लोगों का अभिमत आ गया, वरिष्ठ लोगों का अभिमत आ गया। आप एक कमेटी बनाकर इसका परीक्षण करा लें, सरकार जो निर्णय लेगी, हम सरकार के साथ हैं। इसमें किन्तु-परन्तु नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आप इस पर कह दें।

सभापति महोदय :- उप मुख्यमंत्री जी, वह कुछ बोले हैं।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, आदरणीय मूणत जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से सरकार उसका परीक्षण करेगी, विचार करेगी और इसका त्वरित निर्णय करेगी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, परीक्षण और कमेटी दोनों में फर्क है। विभाग परीक्षण करेगा तो दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है। मैंने विभाग को कोई आवेदन नहीं दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- राजेश मूणत जी, एक मिनट। सभापति महोदय, जो बात मैंने शुरूआत में कही थी, उसी बात को राजेश जी कह रहे हैं। नियम-अधिनियम आपके हैं। यह कोई constitutional matter नहीं है। यदि पार्टी की दृष्टि से भी देखे तो वन नेशन-वन इलेक्शन दृष्टिकोण में शामिल है। यह जरूरी नहीं है कि आप आज ही करवा दें, इसी इलेक्शन को करवा दें, परंतु आप एक कदम तो बढाएं। यह इम्पॉवर कमेटी बनी है जो इनका परीक्षण करेगी कि हम इसको कैसे एकसाथ करवा सकते हैं। आप किसी रिटायर अधिकारी की अध्यक्षता में या खुद की अध्यक्षता में एक इम्पॉवर कमेटी बना दीजिए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अजय चंद्राकर जी ने भी कहा है और राजेश मूणत जी ने भी कहा है। आपको उन दोनों के प्रश्नों के बारे में जो जवाब देना है, कृपा करके दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन तीनों झन डिसाइड कर लेओ। ओला थोड़ा समय दे देओ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। वह डिसाइड कर रहे हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, राजेश मूणत जी के आग्रह और सदन के अभिमत से निश्चित रूप से शीघ्र ही हम इसके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसपर निर्णय करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- उप मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- एक मिनट। आप बैठिये। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री राजेश मूणत :- जी, तैयार हैं।

सभापति महोदय :- क्या यह सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है। अनुमति प्रदान की गई।

संकल्प वापस हुआ.

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ए तीन झन में होइस हे। आप मन ला धन्यवाद। (हंसी)

सभापति महोदय :- अशासकीय संकल्प। श्री पुन्नूलाल मोहले।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ कम से कम एक रिफॉर्म की की ओर बढ़ा।

सभापति महोदय :- ठीक है। उन्होंने कमेटी बना दी है। श्री पुन्नूलाल मोहले।

(3) जिला-मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम कंतेली में शासकीय महाविद्यालय खोला जाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि जिला-मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम कंतेली में शासकीय महाविद्यालय खोला जाये।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, मैं कंतेली में महाविद्यालय खोले जाने का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय :- अभी आप रूकिये। अभी तो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। मोहले जी, आप अपना प्रस्ताव रखिये। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, वह नये विधायक हैं। आप उनको मत डांटिये।

सभापति महोदय :- कोई बात नहीं। ठीक है। हम लोग भी नये थे तो ऐसे ही सीखे थे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, कॉलेज खोलने से मेरा आशय यह है कि मुंगेली से कंतेली की दूरी 15 किलोमीटर है। यदि हम लोरमी विधान सभा की बात करे तो वहां से भी उसकी दूरी 15 किलोमीटर है। वहां आसपास के क्षेत्र में लालपुर है, जहां गुरू घासीदास जी की जयंती होती है। वहां की हायर सेकेण्डरी स्कूल, बड़हाकांपा में हायर सेकेण्डरी स्कूल, बैगाकांपा में हायर सेकेण्डरी स्कूल, कोदवापानी में हाई स्कूल, बुचीपारा में हायर सेकेण्डरी स्कूल और देवरी में हाई स्कूल हैं। उस 10 किलोमीटर के बीच में इतने सारे हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं। वहां के बच्चे कॉलेज नहीं खुलने के कारण पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। वह अनुसूचित जाति बाहुल्य, आदिवासी और पिछड़ वर्ग का क्षेत्र है। वहां लड़कियां कॉलेज नहीं जा पाती हैं क्योंकि बारहवीं पास करने के बाद लड़कियों का 15 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना दुर्लभ है। चूंकि मुंगेली में कॉलेज है लेकिन वहां भी उनको पढ़ाई में कठिनाई होती है और वह घर चले जाते हैं। वह शिक्षित बेरोजगार होते हुए कोई काम के नहीं रह जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वहां कॉलेज खोला जाए। यदि मैं वहां की हाई स्कूल की जनसंख्या की बात करूं तो वहां पर कॉलेज खोलने के लिए पर्याप्त जनसंख्या है। वहां कॉलेज के लिए जमीन भी है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी 18 दिसम्बर को गुरू घासीदास जी की जयंती में अमाटापू में मुख्य अतिथि के रूप में आये थे तो उन्होंने स्वीकार किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं गये और लालपुर तक गये। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप जो कहेंगे, मैं करूंगा। उस समय उन्होंने हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को वहां पर भेजा था तो मैंने उनसे वहां पर मांग की थी कि यह लोगों की मांग है और यह पुरानी मांग भी थी कि कंतेली में कॉलेज खोला जाए। उन्होंने उसपर मौन सहमति दी थी। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। उन्होंने वित्त मंत्री जी को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मौखिक रूप से कहा है। मुख्यमंत्री जी इसपर सहमत हैं। माननीय सभापति महोदय, इस परिस्थिति में मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि ''जिला-मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम कंतेली में शासकीय महाविद्यालय खोला जाये।''

सभापति महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल जी।

श्री लखेश्वर बघेल(बस्तर) :- आदरणीय सभापतिँमहोदय, सत्ता पक्ष के इतने वरिष्ठ, अजेय योद्धा, चार बार के लोक सभा सांसद, सात बार के विधायक को अशासकीय संकल्प लाने की जरुरत पड़ रही है। ऐसे ही मौखिक वित्त मंत्री जी को बोल देते कि मुझे यहॉ कालेज चाहिए, यहॉ पर स्वीकृतिँहोनी चाहिए। इन्होंने महत्वपूर्ण विषय पर अशासकीय संकल्प लाया है, इसे सर्वसम्मतिँसे पारित किया जाए, यह मेरा आसंदी से निवेदन है।

सभापति महोदय, साथ ही यह निवेदन है कि पिछले दशक में सत्रों में हमने अशासकीय संकल्प लाया था, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19में अशासकीय संकल्प लाए थे, लेकिन आसंदी एवं विधान सभा सचिवालय से स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी उन अशासकीय संकल्पों की कार्यवाही अधूरी है। इन्हें पूरा किया जाए, यह मेरा आसंदी से निवेदन है।

सभापति महोदय :- ठीक।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य पुन्नूलाल मोहले जी द्वारा जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि 'जिला मुंगेली के विकासखंड के ग्राम कंतेली में शासकीय महाविद्यालय खोला जाए', यह वहॉ की बहुत पुरानी मांग है और मैं इसके समर्थन में आपसे मांग करता हूं कि इसे खोला जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, जिला मुंगेली विकासखंड के आसपास वर्तमान में चार शासकीय महाविद्यालय क्रमश: जे.पी.मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, मुंगेलीजो कि इस स्थान से 16 किलोमीटर दूर है, शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली से यह 15 किलोमीटर है, राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी यहां से 15 किलोमीटर एवं नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली यहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर संचालित है। वर्तमान में उक्त चारों महाविद्यालयों में क्रमश: 694, 864, 876 एवं 292छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, इसे माननीय मोहले जी लेकर आए हैं, वह अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एरिया है। वहॉ लड़के तो पढ़ने चले जाते हैं लेकिन वहॉ की लड़कियों के लिए दिक्कत है, जिसके कारण लड़कियॉ वहीं पढ़ाई छोड़ देती हैं और उनकी पढ़ाई हो नही पा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोहले जी जो विषय लेकर आए हैं, उस पर हम लोग सहमत हैं, उस पर आप कार्यवाही करें।

श्री रामकुमार यादव :- अतका जनसंख्या ओखरे बढ़ाए हे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, अत: उपरोक्तानुसार जिला मुंगेली विकासखंड के आसपास चार शासकीय महाविद्यालय संचालित है, जिसकी दूरी ग्राम कंतेली से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शासन के जो वित्तीय संसाधन हैं और जो वहां की स्थिति है, उसकी जरूरतें हैं, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर 70-80 किलोमीटर की दूरी पर कालेज हैं, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर कालेज हैं, लेकिन सम्माननीय सदस्य ने यहॉ पर संकल्प प्रस्तुत किया है, तो इसे निश्चित रूप से हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगामी वर्ष के बजट में अच्छी तरह से परीक्षण करके पूरा प्रयास करेंगे कि यहॉ पर कुछ अच्छा हो सके। वहॉ की और क्या-क्या जरुरतें हैं, महाविद्यालय एक विषय हो

सकता है, नर्सिंग कालेज कोई और विषय हो सकता है, अन्य कई विषय हो सकते हैं, वहॉ की जरुरतें अलग-अलग हो सकती हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :-चौधरी जी, मुंगेली में हवाई अड्डा हो सकता है। (हंसी)

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापतिँमहोदय, सम्माननीय सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया है, वर्तमान में विभाग सम्माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष हैऔर जो जवाब मैं पढ़ रहा हूं, विभाग से प्रस्तुत किया गया है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष के बजट में अच्छे और सकारात्मक तरीके से परीक्षण करेंगेऔर प्रदेश की जरुरतों के हिसाब से उचित निर्णय लेंगे और सम्माननीय सदस्य को अवगत भी करायेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापतिँ महोदय, पक्ष और विपक्ष के सभी लोग जब सहमत हैं, तो आने वाले समय में परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है। करेंगे या नहीं करेंगे, यह उत्तर आप बताइए। कर दें तो अच्छा है क्योंकि सभी पक्षों के लोग चाहते हैं, सरकार में आप अवगत हैं, तो आप स्वीकृतिँकर दें और प्रस्ताव पास कर दें।

श्री रामकुमार यादव :- [XX][6]

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है। आजादी के बाद किसी ने उस रोड मैप में विचार तक नहीं किया। यदि उस पर एक सार्थक पहल हो रही है, यदि देश में अलग-अलग राज्यों में रोड मैप बन रहे हैं, देश में मिड टर्म टार्गेट, लॉंग टर्म टार्गेट सेट हो रहे हैं, तो इस तरह से 2047 के विजन के लक्ष्य का माखौल उड़ाना, मैं यह इस पवित्र सदन में कदाचित अनुचित मानता हूं। इसे कार्यवाही से विलोपित किया जाये।

सभापति महोदय :- विलोपित कर दीजिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, माखौल नहीं उड़ा रहे थे। आपके विजन की तारीफ कर रहे थे। वह चाहते हैं कि जल्दी कार्य हो जाये इसलिए उन्होंने 2047 बोला।

सभापति महोदय :- माननीय मोहले जी ने कुछ कहा है, आप उसका कुछ जवाब देना चाहते हैं तो दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, वहां की क्या परिस्थितियां हैं, कहां की क्या परिस्थितियां हैं, इसको सदन में सीधा निर्धारित करना संभव नहीं है। सम्माननीय सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया है, उस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए विभाग प्रयास करेगा और आगामी बजट में इसका निर्णय करेंगे और सभी चीजों का परीक्षण करेंगे।

सभापति महोदय :- क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने को तैयार है ?

---

[6]अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जब सत्ता पक्ष चाह रही है कि यह संकल्प पास हो जाये। वह कब परीक्षण करेंगे और अन्य चीजें करेंगे, यह तो उनका विषय है। वह यह संकल्प पास कर दें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में व्यवस्था है। लेजिस्लेटिव का, विधान सभा का, विधान परिषद का, विधायिका का एक रोल है, कार्यपालिका आ अपना रोल है, न्यायपालिका का अपना रोल है। कहां पर क्या स्थिति है, क्या जरूरतें हैं, कितनी दूरी है, कितने विद्यार्थी हैं, उसका निर्धारण सदन के अंदर आज इसी वक्त कर पाना संभव नहीं है और इस साल का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। आगामी वर्ष के बजट में सभी पक्षों का परीक्षण करके, प्रदेश के अन्य जगहों की स्थिति का परीक्षण करके ही उचित निर्णय लिया जाना संभव हो पायेगा। यहां पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अजय चन्द्राकर जी, यह निर्णय किसका चेहरा देखकर हुआ ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी जो बोल रहे हैं, मैं उस पर आपत्ति करता हूं। मेरी आपत्ति इसलिए है क्योंकि इसमें अन्य जगह, अन्य जिलों का परीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी तो यह मेरा संकल्प है। मंत्री जी यदि यह कहे कि हम परीक्षण करेंगे, भविष्य में देखेंगे, मुझे आश्वासन दे दें, तो मैं अपना संकल्प वापल ले लूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से सम्माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह उचित है। उसी जगह का परीक्षण करेंगे और पूरी सकारात्मकता के साथ प्रयास करेंगे ताकि कुछ अच्छा हो जाये। मैं निवेदन करता हूं कि सम्माननीय सदस्य संकल्प वापस ले लें।

सभापति महोदय :- वह पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी निवेदन करता हूं कि आपने आश्वासन दिया है और मैं इनके आश्वासन से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि यह जरूर महाविद्यालय खोलेंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है ?

संकल्प वापस हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) सदन का यह मत है कि "प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये।"

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय प्रतिष्ठित नहीं है। देश प्रदेश के सामने जो स्थिति है, उसको ध्यान में लाने के लिये मैंने यह संकल्प लाया है। आप विजन 2047 बना रहे हैं। उसमें इस अवयव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी जल संकट को एक गंभीर वैश्विक...।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप पहले प्रस्ताव रखिये। आपने जो लिखा है, वही प्रस्ताव पढ़िये।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैंने समझा कि आपने रख दिया होगा।

सभापति महोदय :- नहीं, वह तो आप रखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सदन का यह मत है कि "प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये।"

सभापति महोदय, संयुक्ट राष्ट्र संघ ने इसे गंभीर वैश्विक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कई लोग जो जल के क्षेत्र में, जल संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है तो जल के विषय में भी हो सकता है। इतना जल संकट है। इस वर्ष भी आपने बंगलौर की स्थिति देखी होगी कि वहां पर क्या स्थिति थी। पहली बार नीति आयोग ने भी एक कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडैक्स बनाया हुआ है तो उसमें छत्तीसगढ़ को तनावग्रस्त राज्य में रखा है आप उसे जानते हैं मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब अधिक दोहन, गंभीर स्थिति वाले में ईकाईयों का मानचित्रिकरण किया गया है, उस मानचित्र को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ तनावग्रस्त राज्य में है। हम लगभग 60 प्रतिशत वर्षा पर आधारित हैं और जल संचयन संरचनाएं 60 प्रतिशत के लायक नहीं है जो लगभग 60 प्रतिशत वर्षा के जल है तो अभी हम लगभग 30 प्रतिशत के आसपास को संचयन करने की प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है। यहां पर वॉटर शेड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हो, लेकिन हम पूरे तक नहीं पहुंच पाये हैं। जो शहरी अपशिष्ट जल निकलता है शहरी अपशिष्ट जल में उसको उपचारित करने की क्षमता हमारे पास मात्र 3 प्रतिशत है। प्रदेश में बाकी जल कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, यह किसी को नहीं मालूम है।

माननीय सभापति महोदय, अब दूसरी जो बात है इसके अतिरिक्त प्रदेश में भूमिगत स्त्रोत में लगभग 11.75 बिलियन पानी उपयोग के लायक है, जिसमें से 10.56 को निकाला जा सकता है और उसमें 4.7 बी.एम.सी. पानी को निकाला जा रहा है। आपके पास पानी निकालने की कोई नीति नहीं है।

अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 63 प्रतिशत भू जल स्तर बचा है। मेरे आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरा आंकड़ों में विश्वास कम है क्योंकि मेरा विश्वास इस चिंता में ज्यादा है कि उसकी स्थिति कैसी है। प्रतिवर्ष लगभग 44.43 प्रतिशत भू जल का दोहन हो रहा है। इस भू जल का दोहन के कारण प्रतिवर्ष दशमलव 5 मीटर मतलब आधा मीटर गति से जल स्तर नीचे जा रहा है। यदि यही स्थिति रही और इसकी नीति नहीं बनायी गयी तो 2040 तक भू जल लगभग समाप्त होने के कगार में है, जो आप वर्ष 2047 की भूमिका बना रहे है उसमें 47 प्रतिशत यानी वर्ष 2024 में हमारा भू-जल समाप्त हो जाएगा। आज माननीय पुन्नूलाल मोहले जी का जो जल जीवन मिशन में प्रश्न था, वह ढांचा रहेंगे, उसका 25 साल बाद कोई उपयोग नहीं रहेगा। क्योंकि नीचे जमीन में पानी ही नहीं रहेगा तो उसका क्या उपयोग रहेगा। अब मुख्य समस्याएं छत्तीसगढ़ में क्या हो सकती हैं, जिसके कारण क्या हैं? देखिये, आप वाकिफ हैं कि मिनिमम् गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यह माननीय मोदी जी का सूत्र वाक्य है। आप जलवायु परिवर्तन देखते हैं इसलिए आपको इसे दे दिया गया है। यदि हम कहें तो दो मंत्रालय है जल संसाधन मंत्रालय और पी.एच.ई. है। केन्द्र में एक मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। आपके पास जो इसकी नीति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई कम्पोजिट समन्वित नीति कार्यक्रम की अवधारणा नहीं बनी है और यदि यह बनी होगी तो आप बताएंगे। जो मेरा अध्ययन है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं यहां वर्षा अनियमित हो रही है, देश में कहीं पर सूखा है उत्तर भारत में बाढ़ थी तो दक्षिण भारत में सूखे की स्थिति थी तो यहां पर अनियमित जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा है जल प्रदूषण। जो औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव हैं, उसमें बहुत से कारण है, जिसमें कार्बनडाईआक्साईट का छोड़ना भी हो सकता है। उसके शुद्धिकरण और दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, लेकिन जल के शुद्धिकरण, हमारे पास जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई नीति या इच्छाशक्ति नहीं दिखती है। मैंने उसको 3 प्रतिशत बताया। प्रदेश में अब उपयोग के लायक पानी बढ़ाना है। यहां पर उपयोग के लिए पानी बढ़ाने के लिए समन्वित नीति का अभाव है कि हम क्या करें ?

समय
8.00 बजे

दूसरा यह बिन्दु है कि सरफेस वॉटर पेयजल के लिए, irrigation के लिए हो, यदि हम flood irrigation पर निर्भर हैं तो flood irrigation के प्रतिशत को बढ़ायें तो जल संचयन की नीति बनायें। नीचे स्तर पर जो वॉटर शेड की स्कीम हैं, संकटग्रस्त क्या है, उसकी सारी चीजें अपने पास मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए जो समन्वित नीति है, जो कार्यक्रम बनना चाहिए, जो बजट होना चाहिए, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, जो आप बना रहे हैं।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, जब आप भाषण को खत्म करेंगे तब मैं प्रस्ताव की अनुमति लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भूपेश बघेल जी थे, शहरी क्षेत्र में 500 वर्गमीटर में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग का प्रावधान था, उसको 1500 वर्गमीटर कर दिया। यदि रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग निर्देश में हैं, अभी उप-मुख्यमंत्री जी थे तो हम नियम, अधिनियम की बात कर रहे थे। रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग को अनिवार्य करना है। शहरी क्षेत्र में तो हम नक्शा पास करते हैं, लगभग 34-36 प्रतिशत शहरीकृत हो चुके हैं। शासकीय भवन गांव-गांव तक हैं। क्या इसको अधिनियमित किया जा सकता है कि रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग अनिवार्य है? जो भवनों के टी.एस. करते हैं, मैं आज तक नहीं देखा। मेरे पास जो मंत्रालय था, मैंने पंचायत के बनाये जाने वाले आर.ई.एस. के हर भवन में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग के लायक टी.एस. जरूर किये जायें। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी के सामने हार गया या इच्छाशक्ति के सामने हार गया। मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। क्या इसको अधिनियमित किया जा सकता है कि अनिवार्य किया जाता है? क्योंकि आप दृष्टिकोण दस्तावेज को कागजों में रखते हैं, वह पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं भी इसको कहीं न कहीं से पढ़कर निकाला है। सवाल यह है कि छोटे से बिन्दु में आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं। यदि औद्योगिक जल को शुद्ध करके सरफेस वॉटर की नीति बनाने के लिए, 5 मीटर नीचे जा रहा है, उसको रोकने के लिए, बोरिंग खोद रहे हैं तो उसके आसपास में खेत में संरचनाओं में क्या-क्या निर्देश के तहत ही हम कर सकते हैं। आप पैसे मत खर्च करिये। अधिनियमित करने से पैसे खर्च नहीं होंगे। जो बिल्डिंग बनाते हैं, उनके पास अरबों, खरबों रुपये रहते हैं। पंचायत भी जितने की एजेंसी बनती है, यदि उसी का 1 प्रतिशत कमीशन उसके लिए तय कर दिया जाये। पी.डबल्यू.डी. डिपाजिट काम करती है तो उसमें कमीशन लेती है, उसी में से 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग के लिए व्यय करेंगे। दशों तरीके से पैसे के इंतजाम हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है। सवाल यह है कि इसके लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए। दूसरा यह है कि इसकी जरूरत को महसूस करना, इसकी भयावहता को महसूस करना और नीति कार्यक्रम में उसको जीवन में, प्रशासन में हम अनिवार्य तत्वों के तौर पर कैसे स्वीकार करें, इसकी इच्छाशक्ति प्रदर्शित करना, मेरा इतना ही विषय है। आप बोलेंगे कि अभी वापस ले लें तो अभी मैं वापस ले लूंगा।

सभापति महोदय :- अभी तो आप भाषण दिये हैं, अभी मैं उसको प्रस्तुत करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कल भी जब मैं दुर्घटनाओं के बारे में बात रहा था तो मैंने यह कहा कि यह राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। इसको कांग्रेस, भाजपा की दृष्टि से न देखा जाये। न मैंने कोई एलीगेट्री भाषण दिया कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, भाजपा ऐसा कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप बिलासपुर में चिंताग्रस्त की स्थिति में हैं, धमतरी चिंताग्रस्त की स्थिति में है। धमतरी ने सबसे पहले पूरे प्रदेश को sure irrigation दिया है। गुरूर का जो इलाका है। किसी जमाने में

दो-तीन हाथ में पानी दिखता था, अभी 300 फिट जायेंगे तो पानी उधर नहीं है। यह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आप अपने दृष्टिकोण दस्तावेज से लेकर तत्कालिक उपाय के तौर पर, प्रशासनिक उपाय के तौर पर, जनजागरण के तौर पर, किसी भी तौर पर क्या करने वाले हैं, यह बता दें तो फिर जैसा कहें मैं स्वीकार कर लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि " प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये।"

श्री इन्द्र कुमार साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ विधायक श्री अजय चन्द्राकर जी के द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प "प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/ गैर-आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये।" के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल एक वैश्विक समस्या है क्योंकि पृथ्वी पर पीये जाने योग्य पानी की उपलब्धता अत्यंत कम है और जो भी उपलब्ध है, उसका भी बहुत तेजी से अंत हो रहा है। यदि वर्षा द्वारा प्राप्त होने वाले जल का संरक्षण वॉटर हॉर्वेस्टिंग के द्वारा नहीं किया गया तो प्रदेश एक ड्राई प्रदेश हो जायेगा और जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। एक वैकल्पिक समाधान के रूप में वॉटर हॉर्वेस्टिंग एक सटीक उपाय है, जिसे अपनाया जाना पूरा प्रदेश के हित में है क्योंकि आज गांवों एवं शहरों में कांक्रीटीकरण रोड बनने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न होती जा रही है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती अंबिका मरकाम। आप भी 5 मिनट में बोलकर समाप्त कर दीजियेगा। आप मदद करिये क्योंकि अभी आगे एक और संकल्प है। आप थोड़ा सहयोग करिएगा।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी के द्वारा जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि "प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/ गैर-आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये।"

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह अशासकीय संकल्प बहुत आवश्यक है और यह पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसके पहले वर्ष 2008 में जब आपकी सरकार थी तब वॉटर हॉर्वेस्टिंग शुरू किया गया था। अभी यह विषय इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि पानी जो रूकाव होना चाहिए, वह रूकाव नहीं हो पा रहा है। हम जंगलों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम जगह-जगह सड़कों को कांक्रीटीकरण कर रहे हैं, जिससे पानी का रूकाव नहीं हो पा रहा है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि स्कूलों, कार्यालयों और अन्य संस्थानों में वॉटर हॉर्वेस्टिंग बनाना चाहिए, जिससे पानी रूके। आज हम यदि कहीं पर पंप की खुदाई करते हैं तो 400-500 फीट के नीचे पानी चला गया है। जब हम पहले

नदियों में रेत निकालते थे, जिसको हम लोग झरिया बोलते थे, उसमें रेत निकालने के बाद थोड़े समय में पानी आ जाता था, लेकिन आज हम नदियों से रेत भी निकाल ले रहे हैं, जंगलों से पेड़ भी काट ले रहे हैं और पूरा क्षेत्र कांक्रीटीकरण कर दे रहे हैं इसलिए यह चिंता का विषय है। यह अशासकीय संकल्प बहुत अच्छा है क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे डेम हैं, लेकिन हम पानी को रोक नहीं पा रहे हैं। आज हर संयंत्रों व उद्योगों के लिए पानी की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में चार-चार डेम हैं, जहां के पानी से आपका भिलाई इस्पात संयंत्र चल रहा है। यदि हम पानी का बहाव नहीं रोकेंगे तो आपको भिलाई में पानी देने की कमी हो जाएगी इसलिए यह चिंता का विषय है। सभापति महोदय, आज हम "एक पेड़ मां के नाम" लगा रहे हैं। यह अच्छी योजना है। इसी तरह से स्कूलों में भी पेड़ लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो जंगलों में पेड़ कट रहे हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। जैसे हसदेव जंगल के पेड़ कट रहे हैं और अन्य जंगल के पेड़ कट रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाहिए, जिससे पानी का बहाव उन जड़ों के माध्यम से रूके और सबसे बड़ा चीज यही वॉटर हार्वेस्टिंग है, जो प्रकृति है, उस प्रकृति को हम नष्ट करने जा रहे हैं, जिससे पानी का बहाव नहीं रूक रहा है। सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं कि इसको पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री मोतीलाल साहू जी।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जो विद्वान भी हैं । माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है कि "प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग अनिवार्य किया जाये ।" निश्चित रूप से बहुत चिंतनशील है और पूर्व में हम जिसको झरना बोलते थे, वह वर्तमान परिस्थिति में निश्चित तौर पर सूख चुके हैं और स्टोरेज वॉटर के रूप में हम लोग जिसे जानते थे जैसे तालाब और बांध इनकी भी संख्या अब घट गयी है । शहरों में तालाब सिमट गये हैं और जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होते जा रहा है । हर जगह कांक्रीट के जंगल और यहां तक कि जमीन में भी अब कांक्रीट की सड़कें बन गयी हैं जिसके कारण निश्चित तौर पर ग्राउंड वॉटर लेवल में भी कमी आयी है और ग्राउंड वॉटर लेवल का जो ट्यूबवेल है यह भी काफी गहराई तक चला गया है और बहुत से ट्यूबवेल फेल भी हो जाते हैं और इसकी मांग का मैं विषय बताउंगा कि मेरे क्षेत्र में जैसे गंगरैल से पानी आता है तो गर्मी में बहुत डिमांड बढ़ जाती है कि एक-बार पानी से तालाब को भर दो। हम इसलिये मांग करते हैं कि उनका बोरिंग जो सूख गया रहता है वह उससे रिचार्ज हो जाता है उससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है तो निश्चित तौर पर अगर इस रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को हम अनिवार्य कर देंगे तो जमीन की जो नमी है उसके कारण हमारा जो उपयोगी जल है, जो ट्यूबवेल सूख जाता है उसका लेवल ऊपर आ जायेगा और हम एक बड़ी समस्या का समाधान कर पायेंगे तो माननीय सदस्य जो अशासकीय संकल्प

लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं । निश्चित तौर पर इसको पारित किया जाना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी । आप भी दो मिनट बोल लीजिये फिर मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि सदन का यह मत है कि प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग का निर्माण अनिवार्य किया जाये ।

मैं इनके संकल्प का समर्थन करता हूं । गांव में जैसे मकान वगैरह बनता है तो वहां सोखता बनाया जाता है । वह पूरे पानी को सोख लेता है तो काम हो जाता है चोखता और बनता है गांव-गांव में सोखता तो ऐसे ही सोखता के लिये यह भी आवश्यक है कि पानी के लिये अलग से एक ग्राउंड वॉटर टाईप बनाया जाये जिसमें पानी भरा रहेगा, जल का स्तर जो नीचे जा रहा है । वर्षा ऋतु में तो ठीक है लेकिन गर्मी में पानी का लेवल नीचे हो जाता है और यहां तक कि जहां पंप है और कोई अन्य चीज है या नल है वह नल चलता भी नहीं है । अगर कोई शौचालय के लिये जाये तो पानी की जरूरत पड़ती है तो लोगों को लज्जा महसूस हो जाती है और भी दूसरे बड़े काम हैं, सभी को पानी पीना है और कार्य करना है तो वह असंभव हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि इनके प्रस्ताव को स्वीकृत करें । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- मिंज जी आप भी बोलना चाह रहे हैं तो बोल लें लेकिन मैं इसके बाद कोई अनुमति नहीं दूंगा । मैं मंत्री जी से बोलवाउंगा ।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय अजय चंद्राकर जी के अशासकीय संकल्प के समर्थन में खड़ा हूं ।

सभापति महोदय :- आप बगैर भूमिका के बोलिये ।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि अजय चंद्राकर जी ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कहा है । मैं चाहता हूं कि केवल रेन वॉटर न हो, एनी वॉटर हार्वेस्टिंग किया जाये और जैसे शहरों में कांक्रीटीकरण के चलते पूरा पानी नाली से बाहर चला जाता है तो क्या हम उस पानी को भी वहां हार्वेस्टिंग कर सकते हैं ? ताकि वह शहर में ही पानी सोखकर जाये । हैण्डपम्प का जो पानी निकलता है क्या हम उसको वहीं हार्वेस्टिंग करें तो इस बात को भी हमको करना चाहिए । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहां पर रेखांकित किया है। इस संबंध में बहुत सारे नियम अलग-अलग रूप से विद्यमान हैं और जैसे विभागों की जहां तक बात है तो अनेक विभागों की इसमें संलग्नता है । जल संसाधन विभाग का भी रोल आता है, पेयजल की दृष्टि से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का भी रोल आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी बड़ी भूमिका रहती है, शहरी विकास मंत्रालय की भी, अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री की भी बड़ी भूमिका रहती है तो इसमें सभी की अलग-अलग भूमिका है और वर्तमान में जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें भू-जल रिचार्जिंग हेतु शासकीय, अर्धशासकीय, निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराये जाने हेतु दिनांक 21 मई, 2019 को भी निर्देश जारी किया गया था । वर्ष 2011 में भूमिगत जल संरक्षण अनिवार्यता प्रक्रिया अंतर्गत 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखंडों, लगभग 1500 वर्ग फीट आकार के भूखंडों के लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा 150 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के पूर्व आवेदक से 55 रूपये प्रति वर्ग मीटर के मान से सुरक्षा निधि जमा कराए जाने का प्रावधान था, जिसे वर्ष 2020 में रेन वाटर स्थापना कार्य हेतु सुरक्षा निधि की राशि को दोगुना करते हुए 110 रूपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। तो इस तरह से शहरी क्षेत्रों के लिए ऑलरेडी प्रावधान है और जो उद्योग हैं, उनकी दृष्टि से सम्माननीय सदस्य को उत्तर में दिए हैं। जरूर पढ़ लिए हैं। खुद सुधि व्यक्ति हैं। इसमें जो प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत उद्योगों को जो जल सम्मति दी जा रही है, उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की शर्त अनिवार्य शर्त के साथ दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य से और पूरे सदन से यह अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में अनेक प्रकार के नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। मूल विषय इसके implementation का है और जहां तक इस विषय की महत्ता और प्रासंगिकता का प्रश्न है, जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने बहुत संजीदगी से, गंभीरता से, गहराई के साथ विषय को प्रस्तुत किया है और कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा, कोई भी राज्य बनेगा, कोई भी जिला बनेगा, बिना अंडरग्राउंड वाटर के वह संभव ही नहीं है। जैसा कि उन्होंने स्वयं बैंगलोर का उदाहरण दिया, जहां कई जगहों पर 1000 फीट से भी नीचे जल स्तर चला गया था और आजकल हमारे छत्तीसगढ़ के भी अनेकों गांवों में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र में जल की कमी, भू-गर्भ जल की कमी अगर होती है तो सरफेस वाटर कहीं दूसरी जगह से आ जाता है। कोई गंगरेल डैम से रायपुर में आ रहा है, केलो डैम से रायगढ़ में आ रहा है तो सरफेस वाटर आ जाता है, उससे काम चल जाता है, लेकिन गांव में जहां अंडरग्राउंड वाटर समाप्त हो रहा है तो दूसरी जगह सरफेस वाटर लाने की भी व्यवस्था नहीं है। उसके कारण स्थिति और जटिल और भयावह होती जा रही है तो इसमें मैं सम्माननीय सदस्य से, सम्माननीय सदन से, आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो नियम हैं, उनका एक बार अच्छे

से परीक्षण करा लेंगे और जहां पर लगेगा कि यहां पर और करने की जरूरत है, जहां पर आवश्यकतानुसार और भी कड़ाई करने की जरूरत है, वहां करेंगे और जहां तक मुझे लगता है कि जो नियम है उनका implementation हम सही से करा लें तो काफी कुछ किया जा सकता है। विषय की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा तो जो वर्तमान में नियम है, उनका परीक्षण कर लेंगे और जहां आवश्यकता होगी तो परिवर्तन भी करेंगे और इसे पूरी संजीदगी के साथ करेंगे। सम्माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर जी से भी इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे तो मैं सम्माननीय सदन से और सम्माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प वापस ले लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह मेरे लिए prestigious नहीं है। आपने चर्चा में देखा होगा कि सदन का भाव सर्वसम्मति का भाव है। इसका मतलब यह होता है कि मंत्री जी ने भी ये स्वीकार किया कि स्थिति भयावह है। तो जो विषय आये इसका मतलब यह है कि सदन छत्तीसगढ़ की तात्कालिक और दीर्घकालिक समस्या से चिंतित है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। एक तो मंत्री जी आपने स्वीकार किया, मैं बधाई दे देता हूं। मुझे एक बहुत छोटी सी अपेक्षा है और बिना अपेक्षा के भी मैं वापस ले लूंगा। मेरे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय बिल्कुल नहीं है। आप औद्योगिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सरफेस वाटर, प्रदूषित वाटर को मिलाकर कोई एक नीति, कोई अध्ययन दल हम बनाएंगे, इतना बोल दीजिए ताकि इसको प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित करें। इतना ही बोल दीजिए, मैं वापस ले लेता हूं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जितने नियम हैं, उनकी आगे की और क्या नीति हो सकती है, उस दृष्टिकोण से एक टीम का गठन का किया जाएगा जैसे सम्माननीय सदस्य की मंशा है और उसके अनुसार रणनीति बनाकर भविष्य की नीतियां बना कर काम करेंगे।

सभापति महोदय :- क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने को तैयार हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, तैयार क्या, मैं एक पैर में तैयार हूं। सदन ने इस पर सर्वसम्मति का भाव दिखाया और मंत्री जी ने गंभीरता को स्वीकार किया, यही मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। थैंक यू, मैं वापस लेता हूं।

सभापति महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है?

संकल्प वापस हुआ।

सभापति महोदय :- श्रीमती अनिला भेंडिया।

(5) प्रदेश में संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाय ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करती हूं कि सदन का यह मत है कि प्रदेश में संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाए ।

सभापति महोदय :- कुछ बोलना तो नहीं है, भाषण तो नहीं देना है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अगर सर्वसम्मति से पास करना है तो..।

सभापति महोदय :- आपको और कुछ तो नहीं कहना है ? आपने प्रस्ताव रख दिया ना ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैंने संकल्प तो रख दिया है ।

सभापति महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि प्रदेश में संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाए ।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी गंभीरता से काम किया जा रहा है । सभापति महोदय, स्वास्थ्य ही खुशहाल जीवन का आधार है । लेकिन खुशहाली कब आएगी, जब हम स्वास्थ्य के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती माताओं के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह 9 तारीख को गर्भवती माताओं की जांच होती है । लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुछ अव्यवस्था है जैसे सोनोग्राफी मशीन की कमी, डॉक्टरों की कमी के कारण गर्भवती माताओं की जांच होनी चाहिए, वह समय पर नहीं हो पाती । सभापति महोदय, वहां हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता हो वहां डॉक्टरों की व्यवस्था हो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्लड प्रोफाइल जांच की प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया जाए ताकि इन स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्लड संबंधी सभी जांच एक ही स्थान पर उचित समय में की जा सके ।

समय
8.22 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें और बताना चाह रहा हूं । अभी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि नया रायपुर में सत्य सांई हॉस्पीटल है । मैं माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वहां दिल की बीमारी का इलाज नि:शुल्क किया जाता है । मैं अभी कुछ दिन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहले घूमते हुए गया था । वहां जाने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि वहां देश विदेश से भी कई मरीज आते हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्तियों के बारे में बोल रहे हैं । मुझे कारण भी नहीं बता दिया ।

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि वहां मरीज के साथ जो परिजन आते हैं, उनके रहने के लिए भी शासन के द्वारा इंतजाम होना चाहिए । यह मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूं । वहां मुफ्त में बड़ा अच्छा इलाज होता है । देश विदेश के लोग भी आते हैं लेकिन मैं शासन के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा हूं वहां परिजन के साथ रहते हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो जाए और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो व्यवस्था होनी चाहिए । हमारी सरकार उसे बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है । आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद् देता हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- संकल्प का समर्थन करते हुए बात समाप्त करिए।

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने गरियाबंद जिले में जा करके बड़ी गंभीरता के साथ काम किया है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- आप संकल्प के समर्थन में हैं या नहीं हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, ऐसा बोलिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, अगर स्त्री होते तब विशेषज्ञ की मांग करते। हमारी सदस्या लाई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिए या नहीं चाहिए आप उसको बताईए।

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर से और सदन से मांग कर रहे हैं कि जो समस्या है, उस समस्या का समाधान हो, उसके लिए विचार जरूर होना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने बताया तो आप नहीं समझ पाए। यह स्त्री रोग विशेषज्ञ की बात किए हैं, वे दिल की मरीज के बारे में बता रहे हैं। आप समझिए ना। (हंसी)

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दिल की मरीज वाली बात कही है, मैंने वहां जाकर देखा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया। श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा :- रोहित जी आज थोड़े से जज्बाती हो गये। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा नहीं है, उसका दिल तेजी से धडक रहा है। (हंसी) अब क्यों धड़क रहा है, वही बताएंगे।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना के लिए अनिला भेंडिया जी के द्वारा जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है, वह अति आवश्यक है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- समर्थन में बोल दिए तो बैठ जाईए।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- मुझे थोड़ा सा दो शब्द बोलने दीजिए। भैया मुझे कभी-कभी तो मौका मिलता है। हर समय नाम कटता है। चिंता मत करिए, दो चार लाईन बोलकर ही बैठ जाऊंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण बहुत ही चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप डिस्टर्ब न करें। इनको बोलने दीजिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। पूरे प्रदेश में महिलाओं की जो खराब स्वास्थ्य की सबसे बड़ी वजह है, वह महिला डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में महिलाएं पुरूष डॉक्टरों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताने में परहेज करती हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- बहन जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। यदि नियुक्ति होती है और संकल्प पारित हो जाता है तो पुन्नूलाल जी और कोर्सेवाड़ा की जांच उसी सेंटर में होना चाहिए। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी ने मुझे कहा कि आप जाओगे तो मुझे ले जाईए। मैं इनको लेकर जाऊंगा। (हंसी)

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, वहां विशेषज्ञ की कमी के कारण ईलाज भी देरी से हो पाता है या ईलाज नहीं हो पाता है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, महिलाओं के साथ इतनी बड़ी-बड़ी हादसाएं हो रही हैं। उनकी डिलवरी के समय इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हमारे सी.एच.सी. सेंटर में डॉक्टर नहीं है, इस चीज को गंभीरता से लीजिए ना, आप लोग इसको मजाक में लेकर सदन में चर्चा कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आपका संकल्प अच्छा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अच्छा है तो सर्व सम्मति से पारित करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- सरकार का उत्तर तो आने दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- पहले चर्चा होने दीजिए, कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ की मांग कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी मांग है। हम लोग मंडावी मैडम का भाषण भी ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- पुन्नूलाल जी और कोर्सेवाड़ा की जांच होकर आए तो हमारे लिए और खुशी की बात है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ठीक है, उनके साथ-साथ आप भी लग जाना। (हंसी)

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बार-बार डिस्टर्ब किया गया। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अनिला दीदी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है, क्योंकि यह वाकई में पूरे प्रदेश की समस्या है, इसको सर्व सम्मति से पास किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रायमुनी भगत जी।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की पदस्थापना का अशासकीय संकल्प लाया है । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार से 80 हजार की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है । सम्माननीया हमारी बहन ने बहुत अच्छा अशासकीय संकल्प लाया है, चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो समस्या है, वह बहुत गंभीर रहती है । अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पुरूष चिकित्सक रहते हैं, गर्भकाल में महिलायें स्वास्थ्य परीक्षण के लिये जाती है तो असहज महसूस करती है और लगभग 30 प्रतिशत किशोरी बालिकायें भी अब अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाती है । अध्यक्ष महोदय, अपनी पीड़ा बता नहीं पाती हैं, मां-बाप यदि बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लेकर जाते हैं तो बच्चियां बिना अपनी पीड़ा बताये वापस चली आती है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस अशासकीय संकल्प से सहमत हूँ कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, चूंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेगी तो शिशु रोग विशेषज्ञ का भी आधा काम हो जाता है और सभी महिलायें लगभग जो मैं देखती हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही प्रसव के लिये जाती है । ऐसी परिस्थिति में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं रहना बहुत ही कष्टदायक है । अध्यक्ष महोदय, चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की सरकार है और यहां हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुन: बनने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंतन-मनन हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि शीघ्र ही प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की पदस्थापना की जायेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूँ, धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अनीला जी आपको कुछ बोलना है ? फिर मंत्री जी का जवाब आ जायेगा ।

श्रीमती अनीला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सदस्यों ने कहा है कि सभी सी.एस.सी में स्त्री रोग विशेषज्ञ होना चाहिये और मुझे लगता है कि हमारे पूरे 90 विधान सभा में सदस्यों की इचछा होगी और उनकी मांग होगी । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी है, आप देख ही रहे हैं कि आज सी.एस.सी. में 160 पद है तो वहां सिर्फ 40 पद ही भरे हुये हैं और बाकी पद रिक्त हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जब महिलायें सी.एस.सी. तक पहुंचती है, तब उस स्थिति में उस महिला की हालत क्या होती है, वह एक महिला ही बता पायेगी । अध्यक्ष महोदय, जब वहां डॉक्टर जिला अस्पताल में रिफर कर देते हैं, आज जिला अस्पताल में भी कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां तत्काल ऑपरेशन करने की नौबत आये या उनकी और कोई व्यवस्था हो, वह फिर हमारे राजधानी में भेज देते हैं । वहां के आते तक कई माताओं की मृत्यु तक हो जाती है, कई बच्चे गर्भ में खत्म हो जाते हैं, कई पैदा होने के बाद खत्म हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है और सदन में भी बहुत जोर-शोर से इस बात को उठाया गया था । हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस तरह की भयावह स्थिति हमारे प्रदेश में न आये और दलगत राजनीति से उठकर हमारे साथियों ने जो चर्चा की है, वह अच्छी बात है और स्वस्थ सदन की पहचान है । अध्यक्ष महोदय, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि यह तो आपके हाथ में है, इनको स्वीकृत करना या नहीं करना, इसमें किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार का जवाब पढ़ ही लिया होगा। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 199 पद रिक्त हैं, उसके विरूद्ध में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 46 पद ही कार्यरत् हैं । इस प्रकार से 153 पद रिक्त हैं । आपने बहुत ही लोक महत्व के विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लाया है। मैं सदन के सदस्यों की चिन्ता से वाकिफ हूं । इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं कि आप सभी ने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चिन्ता की, चर्चा की । हमारी सरकार 15 साल थी, पांच साल कांग्रेस की सरकार थी । स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी सरकारों ने सकारात्मक प्रयास किया क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराये क्योंकि यह सीधे जनता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन प्रदेश में विभिन्न अवसर पर सदन में भी और सदन से बाहर भी मैं यह बात कहते आ रहा हूं कि सरकार के पास इसके लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास यह

पद आलरेडी स्वीकृत हैं । हमारे पास देने के लिए वेतन है, हम लोग इसके लिए डाक्टरों की तलाश भी कर रहे हैं । मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ए.सी.एस. (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में मैंने खुद विशेषज्ञों की टीम बनवाई है, जो छत्तीसगढ़ के आजू-बाजू राज्यों में अध्ययन करके डॉक्टरों के लिए बातचीत कर रहे हैं । बस्तर और सरगुजा के मेडिकल कॉलेजों के लिए हमने उनकी प्रोत्साहन राशि को डेढ़ गुना कर दिया है, ताकि डॉक्टर मिल सकें, लेकिन हमारे प्रयासों के बावजूद भी विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । फिर भी सरकार चिन्ता कर रही है, परन्तु जिस प्रकार से आप लोगों की चिन्ता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के बावजूद भी स्थिति उतनी भयावह नहीं है । मैं बताना चाहूंगा में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगभग 90 प्रतिशत महिला चिकित्सक हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ तो नहीं हैं, परन्तु महिलाओं से संबंधित देखभाल कर सकती हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला में अभी तक एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं । वहां कोई भी डिलीवरी केस आता है, उसको रिफर कर देते हैं, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था । अगर नार्मल स्वास्थ्य केन्द्र की बात करूं तो वहां पर हमारी जो बच्चियां हैं, उनको भी परेशानी है। मैं निवेदन करती हूं कि स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाये। हमारे यहां से एम.बी.बी.एस., एम.डी. करके निकलते हैं तो आप उसमें बहुत जल्द भर्ती करवाईए और आप वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ दिलवाईए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहां स्वास्थ्य की हालत बहुत ही चिन्ताजनक थी, लेकिन आपके ही 15 सालों के कार्यकाल में एक मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं । (मेजों की थपथपाहट) आने वाले समय में अभी 4 मेडिकल कॉलेज और चालू होंगे तो ऐसे करके धीरे-धीरे जो अभी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हैं, उनकी आपूर्ति हमारे पास लगभग 90 प्रतिशत हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास महिला चिकित्सक जो मेडिकल आफिसर एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हैं, वे लगभग सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हैं । प्रदेश में 2395 नर्सिंग आफिसर हैं, 4088 स्टाफ नर्स हैं और 4842 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) कार्यरत् हैं । इनके साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी 3561 सी.एच.ओ. कार्यरत् हैं । साथ ही साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 71 हजार मितानीन भी कार्यरत् हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के संदर्भ में हम लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं । मैंने प्रश्न के उत्तर में दो दिन पहले ही बताया था कि सभी मिलाकर हम लोग 9 हजार के आसपास भर्ती करने वाले हैं, उसमें 1100 के आसपास विशेषज्ञ डॉक्टर हैं । आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि जहां हमारे पड़ोस के, हमारे क्षेत्र के बच्चे विशेषज्ञ डाक्टर बनते हैं, आप सभी लोग उनको छत्तीसगढ़ में ही काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि हम सभी छत्तीसगढ़ के किसी न किसी क्षेत्र के विधायक हैं। उनको एक बार मोटिवेशन की भी आवश्यकता है। सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे की कमी नहीं है। पद

स्वीकृत हैं। हम कुछ पदों की भर्ती के लिए पी.एस.सी. को विज्ञापन करने हेतु भेजा है, कुछ व्यापमं को भेजेंगे, कुछ पद संविदा से भरेंगे। हम एन.एच.एम. से तत्काल भर्ती कर रहे हैं। मैं अभी भी इस चीज को बोल रहा हूं कि सुबह डाक्टर का नाम दीजिये शाम तक नियुक्ति आदेश देंगे। तो हम सतत् प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में सारे चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. की कक्षाएं अपनी पूरी क्षमता से चालू होगा तो मुझे लगता है कि जल्द ही विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी समाप्त हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह अशासकीय संकल्प है और विधान सभा की एक मर्यादा है। हो सकता है कि सरकार के पूरा प्रयास करने के बाद भी शत-प्रतिशत नहीं भर पाये तो इसमें विधानसभा का कहीं मान-सम्मान कम ना हो। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारी मंशा पूरी साफ है। हमें पूरे डाक्टरों के पदों की भर्ती करना है। हम विज्ञापन भी जारी करेंगे। विभिन्न रूपों में डाक्टरों को भी बुलायेंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिये। हम इसको पूरी क्षमता के साथ भर्ती करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है और यह हो सकता है कि हमारे बच्चे यहां से पढ़कर निकलते हैं तो राज्य शासन की ओर से दिये जाने वाला वेतन भत्ता कम होने के कारण यहां शासकीय अस्पतालों में काम ना करके निजी अस्पतालों में चले जाते हैं। आप 50 हजार रूपया दे रहे हैं और वह एक लाख, दो लाख रूपए दे रहे हैं। तो उसका भी फर्क पड़ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप लोग इसमें उचित कदम उठायें ताकि हमारे बच्चें हमारे छत्तीसगढ़ के मेडिकल कालेज से निकलकर हमारे यहां ही स्वास्थ्य सेवाएं दें।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें स्वीकार भी कर रहे हैं कि हर चीज की आवश्यकता है। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित करने का निवेदन किया है। तो आप स्वीकृति प्रदान कर दीजिये और कब तक डाक्टरों की नियुक्ति होगी, यह भी सुनिश्चित कर लीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्वीकार किया है और सरकार की भी, मेरी व्यक्तिगत भी भावना है कि पूरे डाक्टरों के पद भर जायें। सरकार की ओर से फण्ड देने में कहीं कोई कोताही नहीं है। हमें डाक्टरों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति भी मिल गई है। हम लोगों ने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया है। आपने एक सुझाव भी दिया, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। मैंने सदन को ही बताया कि विशेष सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल गठित करके हमारे पड़ोसी राज्यों और यहां के स्थानीय डाक्टरों से बातचीत करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। एक राउण्ड बात करके मेडिकल कालेजों के लिए बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों का जो प्रोत्साहन राशि है, उसको लगभग डेढ़ गुना करके निकाल रहे हैं। जब विज्ञापन आयेगा तो आप सब लोगों को पता भी चल जायेगा। मुझे अभी आकड़ा ध्यान में नहीं है कि कितना बढ़ाया गया है। इसी प्रकार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विशेषज्ञ डाक्टरों, खासकर महिला चिकित्सक, सर्जन और निश्चेतक के पूरे प्रदेश के इन

तीनों विंग के डाक्टरों की नियुक्ति के लिए हमारे विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की टीम गठित करके इनसे बात कि किस स्तर की सुविधाओं के साथ हमारे यहां के अस्पतालों में काम करना चाहते हैं, इसकी वार्ता के लिए दल का गठन करूंगा, मैं इसकी घोषणा पहले भी किया हूं और अभी इसकी घोषणा भी करता हूं। परन्तु सदन की मर्यादा है, दो-दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी बैठे हैं। मैं तो नया मंत्री बना हूं, मुझे यह ध्यान नहीं है कि अगर संकल्प पूरा नहीं होता है तो क्या होता है। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस संकल्प को पारित करके पूरा नहीं कर पायेंगे तो शायद विधानसभा की मर्यादा में कुछ बात आती होगी। इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सरकार के किसी भी प्रयास में कमी नहीं की जायेगी। आप अपना संकल्प वापस ले लें, इतना आग्रह करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, माफ करेंगे। माननीय मंत्री जी ने दोनों विधानसभा अध्यक्षों की ईशारा किया, इसलिए मेरे ध्यान में बात आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था हसदेव अरण्य में आने वाले समय में जंगल की कटाई नहीं होगी। यहां से वह संकल्प भी पास हुआ । काम भी नहीं हुआ। कुछ नहीं होता है। आप स्वीकार भी कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। आपके व्यक्तिगत ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। पहली बार महिला सदस्य आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। आप इसको स्वीकार कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की भावना से मैं सहमत हूं। लेकिन आप मेरे ऊपर भी विश्वास कीजिए। मैं गांव का किसान का बेटा हूं। मेरी कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुझे इस सदन की चिंता है कि कहीं हम यहां पर बातचीत करें और पूरा न हो।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। गांव का हमारा किसान का बेटा, गवइहां बेटा बहुत सच्चा होता है। मगर जब वह 2-4-6-8 महीने मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वह बिगड़ जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि हम सब लोग अपनी मां के पेट से बिल्कुल सीधे और सरल होकर आये हैं। मैं इनसे स्वयं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी ने एक विश्वास के साथ आपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त किया है। हम सभी को विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोगों को हर C.H.C में स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए मैं यह संकल्प वापस लेती हूं। (मेजों की थपथपाहट)

संकल्प वापस हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। आप अनिला भेंडिया जी को भी धन्यवाद दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नेता प्रतिपक्ष जी और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आपको यह संकल्प लाने और इसपर चर्चा करके वापस लेने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

अध्यक्ष महोदय :- षष्ठम् विधान सभा का यह तृतीय सत्र जो 22 जुलाई से शुरू हुआ। सावन के पवित्र माह से प्रारंभ हुआ। आज मानसून सत्र का अंतिम दिवस है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आवश्यक कार्य से दिल्ली गये हुए हैं। बहुत आवश्यक मीटिंग है। उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को उनके सहयोग के लिए विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके सहयोग और समन्वय से यह सत्र सम्पन्नतापूर्वक संपन्न हुआ और यह सत्र ऐसा अद्भूत सत्र था कि मेरे लंबे अनुभव के बाद, बहुत लंबे समय से मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं। इस बार हम सबने गांधी जी को परेशान नहीं किया। (हंसी) हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है और मुझे यह देखकर अच्छा लगा। बजट सत्र और वर्तमान मानसून सत्र के मध्य देश में लोकतंत्र का पावन अनुष्ठान लोक सभा निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न हुई, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अपनी ओर से और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं कामना करता हूं कि उनके कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश के विकसित राज्य की श्रेणी में आए और नये आयामों को स्पर्श करे। हमारा देश समग्र क्षेत्रों में विकास के नये आयामों को स्पर्श करने में सफल हो। जैसा कि आपको विदित है कि यह मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई, 2024 तक आहूत किया गया था। इस पांच दिवसीय सत्र में कुल पांच बैठकें हुईं। यह बहुत छोटा सत्र जरूर रहा, मगर इस छोटे सत्र में भी विकास के समग्र विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई और बहुत अच्छी बातें भी निकलीं। उपलब्धि का विषय यह है कि इस लघु सत्र में आप सभी माननीय सदस्यगण ने छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित समग्र विषयों पर सार्थक और सारगर्भित चर्चा की । इस अवसर पर मैं पहली बार चुनकर आये सभा के माननीय सदस्यों की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा। जिन्होंने यह दिखा दिया कि यह विधान सभा उतना ही जीवंत रहेगा, जितने इसके पूर्व के विधान सभा रहे हैं। उन्होंने विधान सभा के अंदर और विधान सभा के बाहर भी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। यह बहुत बड़ी सफलता है। अपने संसदीय ज्ञान से उन लोगों ने संसदीय विषयों पर अपनी अभिरूची भी दिखाई। मेरा आपसे आग्रह है कि संसदीय विषयों पर अभिरूचि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की यह निरंतरता सदैव बनाये रखें। मैं सबसे पहले शुरूआत करना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी और उनकी संसदीय विद्वता और सजगता को। जो विधान सभा में पूरे समय सबके आने के एक घण्टा पहले आते हैं और आप सबके जाने के एक घण्टा बाद जाते हैं। (मेजों की थपथपाह) ये नए सदस्यों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार संसदीय प्रक्रिया में सतत सजगता हो। सदस्य कोई एक शब्द भी इधर से उधर बात करेगा, बाकी लोगों की निगाह में नहीं आएगा, पर अजय चन्द्राकर जी के कान से वह बच नहीं सकता। इतनी जागरुकता। मैं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पहली बार संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बहुत सफल कार्य किया ।नए मंत्रियों में मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, मगर दो-तीन मंत्रियों को मैं विशेष रूप से जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं दूंगा। विशेष रूप से उप मुख्य मंत्री विजय शर्मा जी का परफार्मेंश काफी बेहतर लगा। ओ.पी.चौधरी ने भी बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया और अंत में स्वास्थ्य मंत्री सबसे कठिन सवालों पर उलझकर भी उससे बचकर निकले हैं, ये उनकी खूबी रही है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने बहुत अच्छा परफार्मेंस दिया। नए सदस्यों ने इस विधान सभा के अंदर काफी प्रभावित किया। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, मगर कुछ नाम जरुर लूंगा, जो पहली बार विधान सभा में ऐसा बोल रहे थे, जैसे वे लगातार विधान सभा के सदस्य रहे हों। मैं दो-तीन नाम ही ले पाऊंगा। सुशांत शुक्ला ने बहुत अच्छा परफार्मेंश दिखाया। अनुज शर्मा और भावना बोहरा जो कि पहली बार जीतकर आए हैं, उनकी विधान सभा के अंदर एक बेहतर उपस्थिति रही। मैं राघवेन्द्र सिंह और हर्षिता स्वामी बघेल जी के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि एकदम पहली बार आकर बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा। बाकी सबकी सक्रियता रही। विपक्ष की भी काफी बेहतर भूमिका इस विधान सभा में रही। मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आप सभी सदस्यगणों से यही अनुरोध करता हूं कि आप जिन भी संसदीय समितियों के सभापति या सदस्य हैं, क्योंकि विधान सभा सत्र के बाद हमारी क्या भूमिका होती है तोविधान सभा पूरे साल में 50-60 दिन चलती है, उसके बाद हम किस प्रकार से अपनी कार्यपालिका पर अंकुश लगा सकते हैं, यह प्रश्न बार-बार आता है। इसका एक ही जवाब है कि इन 50 दिनों के अतिरिक्त समय में हमारे विधायक हमारे संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वहॉ गंभीरता से बैठते हैं, तो वह एक मिनी विधान सभा के रुप में काम करता है और वहॉ हमारे विधायकों की भूमिका है। उन समितियों में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। इससे कार्यपलिका पर नियंत्रण भी होता है और विकास कामों की समीक्षा भी आप पूरी तरह से कर सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति और विकास को आपको समझना है, तो इन समितियों में जितना समय आप देंगे, उतना ही आप एक बेहतर विधायक के नाते अपने आपको आगे बढ़ा पायेंगे। मैंने पूर्व में भी आप सबसे आग्रह किया था कि सदन की मर्यादा और परंपरा बनाए रखना हमारा और आप सबका प्राथमिक दायित्व है।मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने इस सदन की उच्च परंपराओं को बनाया ही नही, आगे

बढ़ाया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ की विधान सभा का हिन्दुस्तान की अन्य विधान सभाओं में उदाहरण दिया जाता है, जहॉ अनुशासन के साथ सारे विषयों में चर्चा होती है। पांच दिन में इतने विषयों पर डिबेट हुआ, इतनी बातचीत हुई, इतनी चर्चा हुई। 9- 10 बजे रात तक बैठकर सारे विषयों में भाग लेने की परंपरा छत्तीसगढ़ में जीवित है और इसे आपने सहेजकर रखा है। दूसरे विधान सभा वाले इसकी चर्चा करते हैं, जहॉ कभी बहस नहीं होती, चर्चा नहीं होतीऔर सारे विषय एक दिन में समाप्त हो जाते हैं।तो इस विषय को हम और आगे बढ़ायेंगे।

मैं इस अवसर पर प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की भूमिका की सराहना करता हूं।उन्होंने सक्रिय और सजग प्रतिपक्ष की भूमिका को कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। शासन की नीति और योजनाओं के क्रियान्वयन के विषय में चर्चा के विभिन्न माध्यमों प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन का भरपूर उपयोग किया है। आपनेअपने विरोध के साथ-साथ सुझाव से इस सदन के लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत बनाया है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय साथीगणों की इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने कई अवसरों पर अपने-अपने जनप्रतिनिधित्व दायित्वों को अपनी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर रखकर इस विधान सभा में अपनी भूमिका बनाई। अपने ही दल के मंत्रिगणों से जनकल्याण की योजनाओं के प्रश्नों पर आप लगातार प्रश्न और आक्रमण भी करते रहे और यही हमारी संसदीय परंपरा की सबसे बड़ी खूबी है कि हम पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे, अपने क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर हम इस विधान सभा में अपना आचरण करते हैं। मैं आप सब की सोच और संसदीय आचरण की मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। आप सब को बधाई देता हूं (मेजों की थपथपाहट)।

आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रकृति के संरक्षण के संकल्प को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम की शुरूआत की है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस सत्र के दौरान गुरूवार, 25 जुलाई, 2024 को छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आप माननीय सदस्यगणों से एक पेड़ माँ के नाम से विधान सभा आवासीय परिसर पर रोपित किया। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में वृक्षारोपण के इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और एक सामाजिक दायित्व का पूर्णत: निर्वहन सुनिश्चित करें। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी का सामाजिक और नैतिक दायित्व है।

मैं इस मानसून सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र में कुल 5 दिवसों में लगभग 31 घण्टे, 50 मिनट चर्चा हुई (मेजों की थपथपाहट)। इन 5 बैठकों में 27 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिसके उत्तर शासन द्वारा दिये गये। इस सत्र में 492 तारांकित प्रश्न और 472 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 966 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं एवं प्रति बैठक प्रश्नों का औसत 193 प्रश्न रहा, जो छत्तीसगढ़ के विधान सभा के

इतिहास में सर्वाधिक है (मेजों की थपथपाहट)। यह है जागरूकता। इतने प्रश्न इसके पहले मानसून सत्र में कभी नहीं पूछे गये। यह माननीय सदस्यों की प्रदेश एवं अपने क्षेत्र के प्रति दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, आपकी जागरूकता को दिखाता है और मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में हमारे जागरूक माननीय सदस्यों द्वारा लगभग 96 प्रतिशत प्रश्न ऑनलाईन के माध्यम से पूछे गये। नये तकनीक का उपयोग छत्तीसगढ़ विधान सभा किस तेजी से करता है। हमारे जो 96 प्रतिशत प्रश्न आये हैं, वह ऑनलाईन माध्यम से आये हैं (मेजों की थपथपाहट)। यह आप सब की सफलता है। मैं इसके लिये आप सब को बधाई दूंगा। इस सत्र में कुल 367 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 142 सूचनाएं ग्राह्य और 22 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित हुई। इस सत्र में कुल 137 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 01 सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा के उपरांत अग्राह्य किया गया। नियम 267 "क" के अंतर्गत शून्यकाल की 70 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 29 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। वर्तमान सत्र में 232 याचिकाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुईं, जिनमें 74 ग्राह्य, 49 अग्राह्य, 30 व्यपगत और 109 विचाराधीन रही। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित तीन विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए। इस सत्र का महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य प्रथम अनुपूरक अनुमान जिस पर 5 घण्टे और 22 घण्टे चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत अनुपूरक बजट पारित हुआ। इस सत्र में 10 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी, जिसमें से 9 अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुए और 5 अशासकीय संकल्प पर चर्चा हुई।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं माननीय पत्रकार साथियों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता के साथ अपने प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव, श्री अमिताभ जैन सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी को बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

समय
9.00 बजे

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परम्परा रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उस परम्परा के अनुसार मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। तद्नुसार आगामी सत्र दिसम्बर माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी से प्राथमिक हुई है।

आईये, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ। धन्यवाद्। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने इस छोटे से 5 दिवसीय सत्र में कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनके लिए मुझे खुशी हो रही है और हम सदन के सभी सदस्यों को खुशी हो रही है। मैं तो यह कह रहा था कि सदन में आप इतनी देर बैठते कैसे हैं। मैंने स्वयं भी अपने जमाने में बैठने की कोशिश की कि मैं इतनी देर बैठकर, सदन का संचालन करूं। यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए खुशी के लिए बात है। मैं, आपकी उदारता का कायल हो गया हूँ। (मेजों की थपथपाहट) आपने अपने रहते-रहते माननीय सदन के नेता जी को जाने की छुट्टी दे दी। आज पहला ऐसा समापन का भाषण चल रहा है, जिसमें सदन के नेता नहीं हैं। आपकी उदारता को देखते हुए, मैंने भी कहा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप भी चले जाईये। मैं यहां पर सदन में बैठा हूँ। तो हमारे पुराने नेता भी नहीं हैं। एक बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस मानसून सत्र के संपन्न होने के समय पर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ और यहां पर आपने संसदीय लोकतंत्र की परम्परा को जिस ढंग से प्रस्तुत किया है आपने जिस ढंग से उसका संचालन किया और उसे आगे बढ़ाने में जितने भी प्रयास किये, उन सब के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें विशेष संरक्षण दिया। पिछली बार जब मैं अध्यक्ष था तो मैं बदनाम था। मेरे अपने दल के लोग मुंह फूला भी लेते थे, नाराज भी होते थे और मुझसे शिकायत भी करते थे। यह माननीय अध्यक्ष महोदय प्रतिपक्ष को ज्यादा समय देते हैं। अब मुझे कम से कम आपके नाम से यह सुनना नहीं पड़ेगा। मैं यह कह सकता हूँ कि डॉ. रमन सिंह जी ऐसे अध्यक्ष हैं जो अब मुझसे ज्यादा, प्रतिपक्ष को समय देते हैं।(मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, जो 3 बार सदन के नेता रहे हों। उनका अध्यक्ष के पद पर इतने मुस्कुराते और हंसते हुए काम करना, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए आपको बहुत-बहुत बधाई। आपके संसदीय कार्य मंत्री अभी नये-नये आये हैं हमने उनको ज्यादा बोझ नहीं दिया। अभी आने वाले सत्र में हम आपको ज्यादा परेशान करेंगे। अभी आप भी नये-नये संसदीय कार्य मंत्री हैं हमने आपको छोड़ दिया। आपने सबसे बड़ी बात कही कि हम लोग गांधी जी के पास शिकायत करने नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी भूमिका बड़ी जोरदार थी। वहां पर हम, आपके कारण ही नहीं गये। यदि मैं यह कह दूंगा तो पुराने अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जी या पुराने अध्यक्ष जी को नाराज़गी हो सकती है कि 5 दिन के सत्र काल में आपने हमारे 4 स्थगन पर बात करने का अवसर दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ नहीं तो वह टोकेंगे कि आपने हमारा स्थगन स्वीकृत किया, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। इस 5 दिन के सत्र में आपने

हमारे 4 स्थगन के विषयों को पूरा सुना । हम लोगों ने चर्चा की। यह हमारी जागरूकता कहिए या इस सरकार को मदद करने की कोशिश कहिए। हमने यह पूरी कोशिश की है। मैं आपके सभी मंत्रियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अगर मैं आपकी तरह नाम लूंगा तो यह हो सकता है कि वह बदनाम हो जाएंगे कि यह मिले हुए हैं। इसलिए मैं आपके मंत्रियों का नाम नहीं लूंगा। मगर सबने अच्छा काम किया, सबने बढ़िया जवाब दिया। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने सचमुच में यह प्रदर्शित किया है कि वह मंजे हुए कलाकार हो गये हैं, उन्होंने अच्छा भाषण भी दिया, तैयारी भी की, हम सबकी बातों को बराबर ढंग से सुनते रहे और आपस में कभी लड़ाई-झगड़ा होते नहीं दिखा। इसकी खासियत है। मैं सभी के सुदीर्घ जीवन और सुदीर्घ संसदीय जीवन बना रहे, उसके लिए माननीय मंत्री जी लोगों को, आपको, हमारे साथियों को, सबको बधाई देता हूं। तमाम आपके मंत्रिगणों ने बेहतर ढंग से जो उत्तर देने की कोशिश की, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। थोड़ी-बहुत चूक तो सबसे होती रहती है, मगर उनने कोशिश की। अपने उत्तर में सच को स्वीकारने का उनने जो साहस दिखाया है, मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इस सच के साथ ही आगे बढ़ें। हम लोग भले ही पक्ष, विपक्ष के हों, हम लोगों की सोच अलग-अलग हो सकती है, मगर सेवा हम सबको मिल करके छत्तीसगढ़ की करनी है, छत्तीसगढ़ का विकास करना है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए आप सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी अधिकारीगणों, आपके प्रमुख सचिव अमिताभ जैन जी के साथ ही उनके साथियों को, हमारे सचिव दिनेश शर्मा जी के साथ उनके साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इनने पूरी संसदीय व्यवस्था करने में आापका सहयोग करते रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल के लोगों को भी विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनने पूरी गंभीरता के साथ हमारे प्रश्नों को लिया। आपके सभापति तालिका के, यहां आंसदी में दो लोग ही बैठे, धर्मजीत सिंह जी और नये साथी आये हैं, इन दोनों ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विक्रम उसेन्डी जी भी बैठे थे।

डॉ.चरणदास महंत :- विक्रम उसेन्डी जी भी थोड़ी देर के लिए बैठे थे। विक्रम उसेन्डी जी को भी धन्यवाद देता हूं। सभी लोग मिलकर इस श्रावण महीने में शिव जी के साथ यहां उपस्थित रहे। सब लोगों ने उनको भी याद किया। आप सबके इस कुशल व्यवहार के लिये मैं विशेष रूप से आप सबकी प्रशंसा करना चाहता हूं। आपकी उदारता की, सहनशीलता की और आपका जो सरंक्षण हमको मिला है उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मीडिया को भी बधाई दे दीजिए।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं मीडिया भूल नहीं रहा था। अब नया-नया मौका मिला है, हम लोगों को खींच-खींचकर ले जाते थे कि आईये यहां चलिये, सदन में क्या हुआ, बताईये। सदन में क्या हुआ, उसको वह हमारी पूरी छत्तीसगढ़िया जनता को बताना चाहते थे, ये उनने इस बार विशेष व्यवस्था की थी।

इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को, हमारे मतदाआओं तक पहुंचाया। हमारी सुरक्षा में लगे हुए सभी सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न जिलों से आये कर्मचारी हैं, सत्र के समय जो विशेष ड्यूटी में आते हैं, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार किसी भी विधायक को या किसी भी हमारे दर्शक दीर्घा, अध्यक्षीय दीर्घा में बैठने वालों को परेशान नहीं किया। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। उनके व्यवहार के लिए और उनकी समझदारी के लिए सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको विशेष धन्यवाद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, षष्ठम विधान सभा के प्रथम मानसून सत्र के समापन अवसर पर अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं आपका जो हम सबको स्नेह प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उसके साथ-साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब आपने यहां पर मानसून सत्र प्रारंभ करवाया, 22 तारीख को जब पहला श्रावण सोमवार प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक अनवरत रूप से वर्षा हो रही है। यह भोलेनाथ जी की भी कृपा है। (मेजों की थपथपाहट) एक समय ऐसा लग रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं सूखा की स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन आपके सानिध्य में आकर जो यह दृश्य देखने को प्राप्त हुआ, निश्चित तौर से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी भोरमदेव मंदिर वाले हैं। सब भोरमदेव जी की कृपा है। सभी लोग केदार जी का क्षेत्र स्थित भोरमदेव मंदिर जाईये।

श्री केदार कश्यप :- मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें माननीय अध्यक्ष जी का प्यार, माननीय अध्यक्ष जी का जो एक पितातुल्य स्नेह प्राप्त होता है। अध्यक्ष महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन पर यह जो विधान सभा का सत्र है, वह शत् प्रतिशत सफल रहा, उसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आपके संसदीय ज्ञान का जितना भी तारीफ करें उतना कम है। मैं तो यह कहूंगा कि हम तो एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप संसदीय ज्ञान की पाठशाला हैं और हम इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आपको देखकर सीखते हैं और हम विभिन्न चर्चा में सम्मिलित होते हैं। आपने जिस कुशलता के साथ में इस पूरे सदन का संचालन किया है, वह निश्चित ही हम सबके लिए एक प्रेरणादायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं उल्लेख किया कि यह मेरे लिए भी पहला अवसर है कि मैंने संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते पहली बार प्रथम सत्र में भाग लिया और मुझे आपके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। आपके अनुभव से मुझे जो लाभ मिला है, मैं यहां पर उसका व्याख्या नहीं कर सकता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा में जितने भी नये सदस्य चुनकर आए हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने सदन के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई है। उसके साथ-साथ हमारे जितने भी सम्माननीय मंत्रीगण हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस सत्र के संचालन के लिए सहयोग प्रदान किया। सत्र के समापन के अवसर पर जो सभापति तालिका के सदस्य माननीय श्री धर्मजीत सिंह, माननीय श्री विक्रम उसेण्डी, माननीय श्री प्रबोध मिंज जी हैं, उनको हम विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं और मैं हमारे शासन के मुख्य सचिव एवं सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी और सचिवालय के समस्य अधिकारी/कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग से यह पूरा पावस सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस सत्र से जुड़े हुए समाचार को अपने प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जिसका आपने भी उल्लेख किया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी उल्लेख किया है कि आपके आशीर्वाद से हमारा मंत्रिमण्डल इस बात की अपेक्षा रखता है कि आने वाले समय में जब भी विधान सभा सत्र होगा तो हमारे विपक्ष के साथियों को गांधी के पास जाना न पड़े। इसका हम आपसे आशा भी करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि हमारे माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी को सुनने के लिए विपक्ष के साथी बहिष्कार कर रहे थे। उन्होंने बीच के दो दिन बहिष्कार भी किया। वे मुंह से बोलते नहीं थे, लेकिन आंखों से बात-चीत हो रही थी। फिर भी माननीय अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सारे विषयों को यहां रखें क्योंकि वे विषय विशेषज्ञ हैं और उनका हमें हमेशा सहयोग मिला है और साथ ही माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय धरम लाल कौशिक जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, माननीय अमर अग्रवाल जी एवं सभी सदस्यों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, मैं उनके प्रति विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुन: हमारे सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विशेष तौर पर हमारे विधान सभा के अध्यक्ष, सम्माननीय डॉ. रमन सिंह जी का आभार करता हूं, जिसके मार्गदर्शन में हमारा यह छत्तीसगढ़ विधान सभा एक नया इतिहास गढ़ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा, माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित।

(रात्रि 9 बजकर 16 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 26 जुलाई, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं